चतुर्दश माला, खंड 32, अंक 8

बुधवार, 5 मार्च, 2008
15 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 74
Dated 15 Jan 2009

(खण्ड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]

अंक 8, बुधवार, 5 मार्च, 2008/15 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय		कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		
भारतीय क्रिकेट टीम को आस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक ट्राईसीरीज जीतने पर बधाई		1
अध्यक्ष द्वारा घोषणा		
(एक) संसद भवन परिसर में "शहीद भगत सिंह" की प्रतिमा का लगाया जाना		1
(दो) सदस्यों द्वारा त्यागपत्र		
संसद सदस्यों के विरुद्ध कतिपय कथित टिप्पणियों के कारण विशेपाधिकार के प्रश्न के बारे में . . .		478
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101, 104, 107 से 110 और 112	3-102
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	102, 103, 105, 106, 111 और 113 से 120	102-150
अतारांकित प्रश्न संख्या	972 से 1138	151-472
सभा पटल पर रखे गए पत्र		472-478
प्राक्कलन समिति		
16वां प्रतिवेदन		479
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
25वां प्रतिवेदन		479
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
34वां प्रतिवेदन		480
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		
5वां प्रतिवेदन		480

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
131 प्रतिवेदन	480
सभा का कार्य	481-485
कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	485
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) — (2007-08)	486
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) — (2005-06)	486
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
डा. मनमोहन सिंह	487-514
रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प;	
रेल (संशोधन) विधेयक, 2008;	
रेल बजट (2008-09)—सामान्य चर्चा;	
लेखानुदानों की मांगे (रेल)—(2008-09);	
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)—(2007-08)	
और	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), (2005-06)	
श्री प्रबोध पाण्डा	515
श्री लालू प्रसाद	515
श्री हरिन पाठक	519
श्री निखिल कुमार	535
श्री सुग्रीव सिंह	543
श्री बसुदेव आचार्य	544
श्री शैलेन्द्र कुमार	559
श्री रघुनाथ झा	566
श्री काशीराम राणा	574
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	578
श्री विक्रम केशरी देव	582
श्री एन.एन. कृष्णदास	583

विषय	कॉलम

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 586

श्री कैलाश बैठा 589

श्री गणेश सिंह 594

श्री एस.के. खारवेनथन . 602

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 619-620

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 619-632

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 633-634

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 633-636

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 5 मार्च, 2008/15 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भारतीय क्रिकेट टीम को आस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक ट्राईसीरीज जीतने पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि दो दिन पहले ही सभा मे आस्ट्रेलिया के विरुद्ध चल रहे एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता की कामना की थी।

यह अपार हर्ष का विषय है कि महेन्द्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया और 4 मार्च 2008 को ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ बैंक त्रिकोणीय श्रृंखला के दूसरे फाइनल में आस्ट्रेलिया को हराकर हमें एक बार फिर जश्न मनाने का मौका दिया और यह चैम्पियनशिप जीत ली।

उन्होंने वास्तव में हमें गौरवान्वित किया है। देश की यह सर्वोच्च संस्था आज उनकी रोमांचक जीत से बहुत खुश है। मुझे विश्वास है कि यह सभा पूरी गर्मजोशी से भारतीय क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों को उनकी सफलताओं के लिए पुन: बधाई देती है और हमें यह भरोसा है कि वे भविष्य में भी देश का नाम रोशन करेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) संसद भवन परिसर में "शहीद भगत सिंह" की प्रतिमा का लगाया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बहुत लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि भारत के महान सपूत देशभक्त शहीद भगत सिंह के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में उनकी प्रतिमा संसद भवन परिसर में लगायी जाए। यह प्रस्ताव संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र और प्रतिमाएं लगाने संबंधी संयुक्त समिति ने स्वीकार कर लिया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शहीद भगतसिंह की 18 फीट की तांबे की प्रतिमा संसद भवन परिसर में लगायी जाएगी, जिसे विख्यात मूर्तिकार श्री राम.वी. सुतार तैयार करेंगे। इसकी लागत लोकसभा सचिवालय द्वारा वहन की जाएगी। इस प्रतिमा का अनावरण अगस्त 2008 में किया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

संसद सदस्यों के विरुद्ध कतिपय कथित टिप्पणियों के कारण विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, एक निवेदन करना था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इतना अच्छा-अच्छा काम किया, अब क्यों ऐसा करते हो?

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : संसद तो आपकी अनुमति से चलेगी। संसद में कोई भी एजेण्डा आपके सचिवालय के आदेश से यहां स्वीकृत होता है और इस संसद में हम क्या संसदीय कर्तव्य निर्वहन करते हैं, इस पर बाहर किसी नेता के द्वारा टिप्पणी हो, यह विशेषाधिकार का सवाल है। संसद में विशेषाधिकार... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप नोटिस दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बाहर कोई नेता इस तरह से देश की एकता और अखंडता को तोड़ने पर आमादा हो गया। संसद सार्वभौमिक है, हमारा सोवरेण्टी राइड है, हमारा प्रिवलेज है। हम राष्ट्रीय एकता से संबंधित कोई भी सवाल संसद में उठा सकते हैं। इस सवाल पर बाहर टिप्पणी करना, यह कौन सा कल्चर महाराष्ट्र में स्थापित हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आपके लीडर अभी बोले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसी के लिए काम करने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई भी व्यक्ति सभा में कार्य संचालन के संबंध में हमारे सदस्यों के कार्यकरण पर कोई टिप्पणी करता है, तो उसे न केवल अवमानना समझा जाता है बल्कि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया और स्थापित मानदंडों के अनुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। निश्चित रूप से किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। परंतु इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। कृपया उस प्रक्रिया को अपनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, मैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अभिघात परिचर्या केन्द्र

*101. **श्री रामदास आठवले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में विशेषीकृत अभिघात परिचर्या केन्द्रों की स्थापना करने और साथ ही पूरे देश में विद्यमान केन्द्रों का उन्नयन तथा उन्हें आधुनिक बनाने में सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में सभी अभिघात परिचर्या केन्द्रों विशेषकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित अभिघात केन्द्र में आधुनिक महत्वपूर्ण परिचर्या उपकरण मुहैया कराए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार 'क्षमता निर्माण के लिए सहायता' योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य सरकार के चुनिंदा अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा केन्द्रों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती आ रही है। इस योजना को 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल के लिए अधिकतम 1.50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 अभिघात केन्द्रों के लिए 154.43 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता जारी की गई जैसा कि अनुबंध-I में दिया गया है।

तत्पश्चात इस योजना का मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया और कतिपय कमियां जैसे कि अपेक्षित कार्मिक शक्ति की कमी, सिविल निर्माण कार्य के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण इत्यादि देखी गई। इन कमियों को दूर करने के लिए इस मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना को संशोधित कर दिया है। एकाकी अभिघात केन्द्रों के स्थान पर अब स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गों के उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारिडोर के समीप अभिघात केन्द्रों का नेटवर्क विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप प्रत्येक 50 किमी. पर लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। इसमें अभिघात केन्द्रों की तीन श्रेणियों अर्थात एल-III, तथा एल-II तथा एल-I का भी प्रावधान है। एल-III केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 100-150 कि.मी. पर उपलब्ध होंगे और एल-II अभिघात केन्द्र प्रति 300 कि.मी. की दूरी पर स्थित होंगे और राज्य में एक एल-I अभिघात केन्द्र होगा जहां गंभीर चोटों वाले रोगियों की निश्चयात्मक एवं व्यापक परिचर्या का उच्चतम स्तर प्रदान किया जाएगा। अभिघात परिचर्या नेटवर्क इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि किसी भी अभिघात पीड़ित को 50 कि.मी. से अधिक दूरी तक नहीं ले जाना पड़ेगा और प्रति 100 कि.मी. की दूरी पर

एक नामोद्दिष्ट अभिघात केन्द्र उपलब्ध है। वित्तीय सहायता भी पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में काफी बढ़ा दी गई है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:—

एल-III	4.80 करोड़ रुपए
एल-II	9.65 करोड़ रुपए
एल-I	16.00 करोड़ रुपए

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजना हेतु अनुमोदन कुल लागत 732.75 करोड़ रुपए है। 2007–08 के लिए बजट अनुमान में 42.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जिनमें से अब तक 24.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अस्पतालों को एल-III तथा एल-II के स्तरों पर उन्नयन करने हेतु वित्त पोषण संशोधित बजट से किया जाएगा जबकि एल-I अभिघात केन्द्र उन संस्थाओं में जिनका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नयन किया जा रहा है तथा मंत्रालय द्वारा स्थापित की जा रही 6 एम्स जैसी संस्थाओं में स्थापित किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं की एक सूची अनुबंध-II में दी गयी है।

(ग) और (घ) आपातकालीन सेवाओं की शुरूआत तथा केन्द्र में रोगी की सीधे भर्ती के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अभिघात केन्द्र पूर्णतया कार्यात्मक है। एमआरआई तथा सीटी स्कैन जैसे चिकित्सीय उपकरण इस केन्द्र में उपलब्ध हैं।

अनुबंध-I

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पताल में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण"

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अस्पताल का नाम/फाइल संख्या	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4	5
1.	असम	जिला अस्पताल, नलबाडी	150.00	2002–03
2.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, पासीघाट	59.00	2000–01
		जनरल अस्पताल, नाहरलंगून	116.97	2001–02
		जनरल अस्पताल, नाहरलंगून	30.0	2004–05
3.	आंध्र प्रदेश	सरकारी अस्पताल, नैल्लौर	150.00	2003–04
		सरकारी अस्पताल, कुरनूल	150.00	2003–04
		सरकारी अस्पताल, काकिनाडा	150.00	2005–06
		किंग जोर्ज अस्पताल, विशाखापट्टनम	150.00	2006–07
		सरकारी जनरल अस्पताल, विजयवाडा	150.00	2006–07
		एसवीआरआर सरकारी जनरल अस्पताल, तिरुपति	150.00	2006–07
		जिला अस्पताल, श्रीकुलम	150.00	2006–07

1	2	3	4	5
		जिला अस्पताल, राजामुन्दरी	150.00	2006-07
		जिला अस्पताल, ईलूरु	113.89	2006-07
4.	बिहार	पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना	53.00	2001-02
		इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	150.00	2001-02
		मॉडल बिक्रम रेफरल सेंटर, पटना	150.00	2001-02
		जनरल अस्पताल, औंसी, मधुबनी	62.00	2001-02
		सदर अस्पताल, छपरा, सरन	150.00	2003-04
5.	छत्तीसगढ़	पं. जेएनएम चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	109.00	2002-03
6.	चंडीगढ़	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, चंडीगढ़	86.00	2004-05
7.	दमन व दीव	सरकारी अस्पताल, दमन	106.00	2004-05
	दादर व नागर हवेली	श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा	150.00	2005-06
8.	गुजरात	जनरल अस्पताल, जिला नाडियाड, खेडा	150.00	2001-02
		सिविल अस्पताल, अहमदाबाद	150.00	2002-03
		पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट	146.00	2003-04
		जनरल अस्पताल, पालमपुर, जिला बनासकंठ	150.00	2005-06
		न्यू सिविल अस्पताल, सूरत	150.00	2005-06
		गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, जामनगर	150.00	2005-06
		जनरल अस्पताल, अमरेली	150.00	2006-07
		जनरल अस्पताल, वलसाद	150.00	2006-07
		जनरल अस्पताल, मेहसाना	150.00	2006-07
		जनरल अस्पताल, सोला, जिला अहमदाबाद	136.11	2006-07
9.	गोवा	होस्पिसियो अस्पताल, मार्गोवा	142.00	2002-03
10.	हरियाणा	जनरल अस्पताल, करनाल	150.00	1999-2000

1	2	3	4	5
		जनरल अस्पताल, सिरसा	150.00	2003-04
		जनरल अस्पताल, रिवाड़ी	150.00	2004-05
		जनरल अस्पताल, यमुना नगर	150.00	2005-06
		जनरल अस्पताल, अम्बाला	150.00	2006-07
11.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला	147.00	2002-03
		क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू	150.00	2006-07
12.	जम्मू-कश्मीर	सरकारी अस्पताल, मुगंड (जे एंड के)	150.00	2001-02
		ट्रामा अस्पताल रामबन, डोडा	75.00	2004-05
		एसएनएम (जिला) अस्पताल, लेह	150.00	2006-07
		कारगिल जिला अस्पताल, कारगिल	150.00	2006-07
		सरकारी अस्पताल, गुंड	150.00	2006-07
		सरकारी अस्पताल, काजीगुंड	150.00	2006-07
		पीएचसी महानपुर, कठुआ	131.38	2006-07
		एमरजेंसी अस्पताल, घाटी	141.75	2006-07
13.	झारखंड	जिला अस्पताल, हजारीबाग	150.00	2005-06
14.	केरल	जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम	150.00	2001-02
		चिकित्सा महाविद्यालय, कोजीकोड	142.00	2002-03
		चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम	144.86	2004-05
		चिकित्सा महाविद्यालय, कोट्टायम	146.25	2005-06
		जिला अस्पताल, पालाकाड	150.00	2006-07
		तालुक हेडक्वार्टर अस्पताल, नेयाट्टीनकारा	150.00	2006-07
15.	कर्नाटक	संजय गांधी दुर्घटना अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, बैंगलौर	136.50	2002-03

1	2	3	4	5
		श्री जय चमराजेन्द्र अस्पताल, हसन	150.00	2004-05
16.	मध्य प्रदेश	महाराजा यशवंत राव	97.00	1999-00
		अस्पताल इंदौर जिला अस्पताल, शिवपुरी	150.00	2003-04
		जीआर अस्पताल महाविद्यालय, ग्वालियर	150.00	2004-05
		माधव नगर अस्पताल, उज्जैन	101.97	2004-05
		जिला अस्पताल, शहडौल	148.831	2005-06
		जिला अस्पताल, रतलाम	148.83	2005-06
		जिला अस्पताल, गुना	150.00	2005-06
17.	महाराष्ट्र	जिला अस्पताल, नासिक	129.00	2004-05
		जनरल अस्पताल, वाशी	150.00	2006-07
		महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा	150.00	2006-07
18.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, लुंगलेई	58.30	2001-02 25.9.2001
		सिविल अस्पताल, आइजाल	74.30	2001-02 25.9.2001
19.	मणिपुर	जेएन अस्पताल, इम्फाल	149.92	2002-03
		जिला अस्पताल, सेनापति	112.76	2004-05
20.	नागालैण्ड	सरकारी अस्पताल, मेजीफेमा	144.00	2002-03
		सिविल अस्पताल, चोजुबा	143.26	2004-05
		सिविल अस्पताल, वोखा	143.26	2005-06
		सिविल अस्पताल, फिसेरो	143.26	2004-05
		तिस्मुनियर सीएचसी कोहिमा	149.65	2005-06
		नागा अस्पताल, कोहिमा	150.00	2006-07
		पुलिस अस्पताल, चुमकेडिमा, कोहिमा	149.40	2006-07

1	2	3	4	5
21.	उड़ीसा	एससीबी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, कटक	150.00	2003-04
		वीएसएस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बुर्ला	150.00	2006-07
		एमकेसीजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बरहमपुर	150.00	2006-07
		राउलकेला सरकारी अस्पताल	150.00	2006-07
22.	पांडिचेरी	जनरल अस्पताल, माहे	78.00	2000-01
		सरकारी जनरल अस्पताल, यनम	150.00	2004-05
		सरकारी जनरल अस्पताल, कराइकल	146.50	2004-05
23.	पंजाब	जिला अस्पताल, अमृतसर	150.00	2006-07
		जिला अस्पताल, जालंधर	150.00	2006-07
		उप-जिला अस्पताल, पठानकोट	150.00	2006-07
24.	राजस्थान	सरकारी अस्पताल, शाहपुरा	116.80	2003-04
		किशनगढ़ भीम एवं सजोत सिटी जिला अस्पताल, भरतपुर	150.00	2005-06
		जिला अस्पताल, सीकर	150.00	2005-06
25.	सिक्किम	एसटीएनएम अस्पताल, गंगटोक	70.00	2000-01
		जिला अस्पताल, सिंगटम	150.00	2004-05
26.	त्रिपुरा	त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल, उदयपुर	70.00	2000-01
27.	तमिलनाडु	जिला मुख्यालय अस्पताल, पारेमबुर	105.00	2001-02
		जिला मुख्यालय अस्पताल, ओमालुर	105.00	2003-04
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, विल्लुपुरम	143.00	2003-04
		चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, चेंगलपट्टू	150.00	2003-04
		चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, थंजवूर	150.00	2004-05
		सरकारी अस्पताल, तमबरम	150.00	2005-06
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, मेलुर	150.00	2005-06

1	2	3	4	5
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, तैनसाकी	150.00	2005-06
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, पद्मनाभापुरम	150.00	2005-06
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, कुडालौर	150.00	2005-06
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, नामक्कल	150.00	2005-06
		सरकारी मुख्यालय अस्पताल, वलाझा, वेल्लोर	150.00	2005-06
28.	उत्तर प्रदेश	किंग जोर्ज चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ	150.00	2000-01
		जिला अस्पताल, रायबरेली	150.00	2004-05
		जिला अस्पताल, शाहजहांपुर	150.00	2004-05
29.	उत्तरांचल	गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोडा	150.00	2002-03
		जिला अस्पताल, गोपेश्वर, चमौली	150.00	2003-04
		कोर्म्बिद अस्पताल, रुडकी	150.00	2006-07
30.	पश्चिम बंगाल	एसडी अस्पताल खडगपुर (मदनापुर)	150.00	2006-07
	कुल राज्य-30	कुल अस्पताल/संस्थान-112	कुल धनराशि 154.43 करोड़ रुपए	

अनुबंध-II

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली एम्स जैसी 6 संस्थाओं की सूची

1. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
2. भोपाल (मध्य प्रदेश)
3. जोधपुर (राजस्थान)
4. पटना (बिहार)
5. रायपुर (छत्तीसगढ़)
6. ऋषिकेश (उत्तरांचल)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नयन की जा रही चिकित्सा संस्थाओं की सूची

1. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
2. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)
3. कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता (प. बंगाल)
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5. आयुर्विज्ञान संस्थान, बीएचयू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
6. निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

7. श्री वेंकटेश्वरा आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) (उन्नयन की 50% लागत टीटीडी ट्रस्ट द्वारा वहन की जाएगी)

8. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम (तमिलनाडु)

9. बीजे चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)

10. बैंगलोर चिकित्सा महाविद्यालय, बैंगलोर (कर्नाटक)

11. ग्रांट्स चिकित्सा महाविद्यालय एवं सर जेजे ग्रुप ऑफ होस्पीटल्स, मुंबई (महाराष्ट्र)

12. चिकित्सा महाविद्यालय, तुरुवनन्तपुरम (केरल)

13. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, (रिम्स), रांची

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज़ हैं, ऐसे नेशनल हाईवेज़ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अभिघात होते रहते हैं। उसके लिए केन्द्र सरकार ने अभिघात परिचर्या केन्द्र शुरू करने का नौवीं और दसवीं योजना में निर्णय लिया था। अभी तक ऐसे 112 केन्द्र बनाये गये और उसके लिए 154.43 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 11वीं योजना में भी इसी तरह के केन्द्र डैवलप करने का केन्द्र सरकार का विचार है, उसमें एल2, एल3 और एल1, इसी तरह के अभिघात केन्द्र शुरू करने का सरकार का विचार है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि जो एल3, एल2 और एल1 अभिघात केन्द्र आप बनाने वाले हैं, 11वीं योजना में कितने ऐसे केन्द्र बनाने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये कब तक स्थापित किये जाएंगें।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि नौंवी और दसवीं योजना के दौरान हमने बड़ी संख्या में अभिघात केन्द्र स्थापित किये हैं। ये अभिघात केन्द्र एकाकी स्थानों पर स्थित हैं परंतु इनमें आने वाले रोगियों के उपचार के लिए कर्मियों और क्षमता की कमी है। अब ग्यारहवीं योजना में हम इन सभी केन्द्रों को जोड़ने का विचार रखते है1 सरकार आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर आपातकालीन स्थिति हेतु निशुल्क (टॉल फ्री) टेलीफोन नम्बर वाला एक टेलीफोन बूथ बनाया जाएगा; प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर जीवन रक्षक उपकरणों से पूर्णतया सुसज्जित एक एम्बुलैंस; प्रति 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक अभिघात केन्द्र स्थापित किया जाएगा; प्रत्येक 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर एल-2 श्रेणी का अभिघात केन्द्र और हर एक 500 से 700 मीटर की दूरी पर एल-1 श्रेणी का अभिघात केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो कि विशिष्ट विशेषता की सुविधाओं से लैस अभिघात केन्द्र होगा। प्रारम्भ में, इन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज; पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हमने इनके उन्नयन की योजना बनायी है और यदि उन्नयन नहीं किया गया तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर 140 अभिघात केन्द्र स्थापित किये जाएगें। यह प्रारम्भिक चरण का कार्य है और तत्पश्चात इसी तरह अन्य राजमार्गों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में काफी नेशनल हाईवेज़ हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में केवल तीन ट्रामा सेंटर्स - जिला अस्पताल, नासिक, जनरल अस्पताल, वाशी और महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा - तीन ही दिए हैं। मेरी मांग है कि महाराष्ट्र में और 8-10 ऐसे सेंटर्स देने की आवश्यकता है। क्या आप इसके लिए विचार करेंगे?

दूसरा प्रश्न यह है कि आजकल अभिघात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए नेशनल हाइवे ज्यादा बड़े बनाने के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, ताकि अभिघात के केसेज कम किए जा सकें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? अगले इलेक्टशन में एनडीए का अभिघात होने वाला है, वह काम भी हम सब लोगों को करना है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : यह केवल महाराष्ट्र के लिए ही नही है बल्कि सारे देश को इससे जोड़े जाने का प्रस्ताव है। मैने पहले ही कहा है कि यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इस संबंध में कुछ वार्षिक आंकड़े देना चाहता हूं। जोकि हमारे देश के संदर्भ में काफी चौंकाने वाले हैं। वास्तव में वर्ष 2006 में अभिघात आत्महत्या और दुर्घटनाओं में हुई मौतों सहित दुर्घटनाओं में कुल 3,40,704 मौतें हुई।; कुल मिलाकर लगभग 596656 अस्वभाविक

दुर्घटनाएं हुई और इनमें पुरषों/महिलाओं का अनुपात क्रमशः 77 प्रतिशत और 23 प्रतिशत रहा।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, तथा जहां देश की जनसंख्या का 9.3 प्रतिशत है और अस्वाभाविक कारणों से आकस्मिक मौतों में उसका पांचवा हिस्सा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम दो चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में राजमार्ग के साथ-साथ बनाए गए अभिघात केन्द्रों का उन्नयन करना है और दूसरे आतंरिक क्षेत्रों में जीवन रक्षक एम्बुलैंस की सहायता प्रदान करना और इसके साथ-साथ पहले चरण में सभी राजमार्गों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने और उसके पश्चात सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों को विकसित करने का विचार है। तत्पश्चात, हम समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित कार्य करेंगे। अतः अवसंरचनात्मक ढांचा बनाया जाना है; उपकरण उपलब्ध कराये जाने हैं; वहां रक्त भंडारण की क्षमता विकसित करने, रक्त बैंक स्थापित करने और एम्बुलैंस सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।

हम समझते हैं कि इस उद्देश्य हेतु पूरे देश के लिए एक निःशुल्क (टॉल फ्री) टेलीफोन नम्बर दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस टेलीफोन पर सहायता मांगता है तो कुछ मिनटों में एम्बुलैंस वहां पहुंच सकती हैं। आज समस्या यह है कि अधिकांश एम्बुलैंस केवल परिवहन का साधन मात्र हो गयी है और उनमें जीवन रक्षक उपकरण नहीं हैं। हमने एक वृहद कार्यक्रम बनाया है। पाठ्यक्रम बदला जा रहा है; कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा; घायलों को संभालने वाले चिकित्सा सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा नर्सों और डाक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा और चिकित्सा परिषद अधिकृत प्रणाली के अंतर्गत इस संबंध में विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं। अतः हम एक व्यापक कार्यक्रम बना रहे हैं और हमें विश्वास है कि अगले तीन या चार वर्षों में सारे देश को इससे जोड़ दिया जाएगा और हम बहुत सौ अमूल्य जीवनों को बचा पायेंगे।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। छह वर्ष पूर्व जब राजग सरकार सत्ता में थी तब शिवपुरी में एक अभिघात केन्द्र बनाया गया था और अभी तक यह अभिघात केन्द्र एक भवन मात्र है। वहां अभी तक न तो डॉक्टर नियुक्त किये गऐ है न ही उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं।

सभी अभिघात केन्द्रों का उन्नयन करने से पहले क्या यह बेहतर नही होगा कि देखा जाए कि सभी स्थापित अभिघात केन्द्रों की स्थिति कैसी है और उन्हें किस प्रकार कार्यकारी बनाया जा सकता है। भारत-भर में अभिघात केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम शुरू करने और पहले वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बेहतर यह होगा कि पूर्व में स्थापित अभिघात केन्द्र जिनमें कार्य शुरू नही हो पाया है, वहां कार्य प्रारम्भ किया जाए।

डा. अंबुमणि रामदास : इसी कारण से हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर रहे है चाहे वे उसी प्रकार के हैं। अभिघात केन्द्रों के कार्यकरण हेतु हम राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। पहले हमने देश के प्रत्येक अभिघात केन्द्र के लिए 1.5 करोड़ रुपए आबंटित किये थे इसमें उनका उन्नयन, एम्बुलैंस सेवा, उपकरण और संचार नेटवर्क का कार्य शामिल था। डाक्टर और अन्य कर्मियों की नियुक्तियों का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना था और बहुत से राज्यों ने ऐसा नही किया। हमें उनकी देखभाल के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसी कारण से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर रहे है इन अभिघात केन्द्रों को परस्पर जोड़े जाने और कर्मियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। हम उपलब्ध सभी केन्द्रों का उपयोग करेंगें।

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : महोदय, क्या मैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इसकी अनुमति नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हम शिवपुरी वाले अभिघात केन्द्र का भी उपयोग करेंगे। यदि उसमें कुछ कर्मियां हुई तो नए कार्यक्रम में उन्हें भी दूर किया जाएगा।

श्री एस. अजय कुमार : पहले यह निर्णय लिया गया था कि देश के प्रत्येक जिले या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभिघात केन्द्र खोला जाएगा। परंतु मुझे आश्चर्य है कि अभी तक इस निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिला, जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है वहां अभी ऐसा अभिघात केन्द्र खोला जाना है। मैं समझता हूं कि अन्य जिलों या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे अभिघात केन्द्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र या जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

डा. अंबुमणि रामदास : मुझे याद नही है कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे अभिघात केन्द्र स्थापित करने का कोई ऐसा कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी 545 सदस्य अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा. अंबुमणि रामदास : परंतु फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि हम देश भर के सभी जिलों में इस अवसंरचनात्मक ढांचे की स्थापना उन्नयन का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : केरल सहित।

डा. अंबुमणि रामदास : निश्चित तौर पर, महोदय, वस्तुतः देश भर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं केरल में होती हैं। इसके अंतर्गत केवल अभिघात केन्द्र ही नहीं बल्कि सभी आकस्मिकताओं का ध्यान रखा जाएगा। हम केवल अभिघात केन्द्रों की ही बात नहीं कर रहें है इसमें आत्महत्या के मामले, जलने और अन्य पीड़ितों सहित, सभी आकस्मिक बातों का ध्यान रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ से संक्षेप में बात की जानी चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र का उन्नयन किया जा रहा है। देश के प्रत्येक राज्य में, हम प्रत्येक केन्द्र के उन्नयन के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, संसद में दिये गए भाषण पर महाराष्ट्र में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा उठाया जा चुका है। श्री प्रभुनाथ सिंह, आप यहां उपस्थित नही थे। मैंने इस पर अपनी टिप्पण भी दिया था। यह ठीक नही है, श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

आप यहां नही थे, माननीय सदस्यों ने उसे उठाया था।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिखा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही करें, हम देखते है कि इसमें क्या किया जा सकता है। यदि आप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेंगे तो मैं हर सदस्य की प्रतिष्ठा का रक्षा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उन्होंने मेरा नाम लेकर लिखा है। लिखा है कि मैने संसद में बोला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसे ठीक ढंग से उठाइए। हम आपकी रैपुटेशन का पूरा ख्याल रखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने कहा है कि हमें अधिक संवेदनशील नही बनना चाहिए। बहुत से लोग चिल्लाते हैं परंतु यह बेहतर होगा कि उसकी उचित अवहेलना की जाना चाहिए। किसी को भी माननीय संसद सदस्य की अवमानना करने का अधिकार नहीं है, और हम उसकी अनुमति नहीं देंगे।

[हिन्दी]

आप थोड़ी मदद कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह गलत आदत है। आपको इसकी अनुमति नहीं है। डा. जगन्नाथ, आप आजकल बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं। आपको क्या हो गया है?

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर बैठेंगे या मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह हंसने की बात नही है।

[अनुवाद]

हंसिए मत; आप पूरे संस्थान का मजाक बना रहे हैं। इसमें हंसने की कोई बात ही नही है।

(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय, मैं आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया; मुझे मत सिखाओ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्ति की है, उसके साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ट्रॉमा सैंटर का निर्माण किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इसे एलॉऊ नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : यह बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां ट्रॉमा सैंटर खुला लेकिन चल नहीं रहा है, इससे दुखद बात और क्या हो सकती है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा ट्रॉमा सैंटर, जिसमें आपने करोड़ों रुपये उपकरण और बिल्डिंग बनाने में इन्वेस्ट किये हैं, वह पिछले तीन-चार साल से काम नहीं कर रहा है। इस तरह लोगों को राहत देने के लिए वहां ट्रॉमा सैंटर खोलने की जो मंशा है, वह पूरी नहीं हो रही है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र पटना के विक्रमगंज क्षेत्र में जो ट्रॉमा सैंटर खुला है, उसको चलाने के लिए आप क्या तत्काल कोई व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कहिए कि आप इसकी जांच करायेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, निश्चित तौर पर ऐसा किया जाएगा। मैंने पहले ही उसका उत्तर दिया है। हम निश्चित तौर पर ऐसे केन्द्र जिन के लिए धनराशि आबंटित की गयी है और वहां काम नहीं चल रहा है, वहां काम किया जाएगा और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श और समन्वय के पश्चात इन्हें कार्यकारी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा कहा है।

डा. अंबुमणि रामदास : एक निश्चित अवधि के उपरांत सभी जिला मुख्यालय अस्पताल अभिघात पीड़ितों के साथ-साथ आपातकालीन मरीजों की भी देखभाल करेंगे। हम सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों का उन्नयन कर रहे हैं और रक्त बैंक, उपकरण, एम्बुलैंस आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी द्वारा एक विस्तृत और आश्वासन देते हुए उत्तर दिया गया है। प्रश्न संख्या 102; मुझे खेद है, श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील आज नहीं आ सकते। उन्होंने आज सुबह मुझे फोन करके बताया था कि उनके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ई. पोनुस्वामी : महोदय, मैने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना नहीं दी है।

प्रश्न संख्या 103; श्री अमिताभ नन्दी-उपस्थित नहीं; श्री हरिभाऊ राठौड़-उपस्थित नहीं। खैर, लोग इनका निर्णय करेंगे।

[हिन्दी]

बच्चों में रक्ताल्पता

+

*104. **श्री हंसराज गं. अहीर** :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में 70 प्रतिशत छोटे बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य-वार कितने रक्ताल्पता से पीड़ित हैं; और

(घ) बच्चों में रक्ताल्पता की बीमारी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) के अनुसार 6-59 माह के आयु वर्ग के 69.5% बच्चे रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं जिनमें से 63.0% शहरी क्षेत्रों और 71.5% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

रक्ताल्पता एक बहुपक्षीय समस्या है। व्यापक रक्ताल्पता के महत्वपूर्ण कारण अनाज वाले आहार से आयरन का अपर्याप्त सेवन एवं अवशोषण, हरी पत्तेदार सब्जियों तथा सिट्रस फलों का अपर्याप्त सेवन, कम अंतरालों पर बारम्बार गर्भधारण, संक्रमणों एवं जंतुबाधा की उच्च व्याप्तता, दोषपूर्ण आहार पद्धतियां और आहार संबंधी विविधता का अभाव हैं। उपर्युक्त कारकों के अलावा, हमारे देश के लोगों में रक्ताल्पता की वजह निरक्षरता, गरीबी और सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी है।

(ग) बच्चों में रक्ताल्पता की राज्यवार व्याप्तता का ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार ने लोगों में रक्ताल्ता सहित स्वास्थ्य एवं पौषणिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। विभिन्न उपायों का अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

विवरण

6-59 माह के आयु के बच्चों में राज्यवार रक्ताल्पता-राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06)

क्र. सं.	राज्य	मामूली 10.0-10.9 जी/डीएल	माध्यम 7.0-9.9 जी/डीएल	गंभीर <7.0 जी/डीएल	कोई रक्ताल्पता <11.0 जी/डीएल
1	2	3	4	5	6
	अखिल भारत	23.7	40.2	2.9	69.5
I.	बड़े राज्य (जनसंख्या >20 मिलियन)				
1.	आंध्र प्रदेश	23.7	43.5	3.6	70.8
2.	असम	28.7	38.7	2.2	69.6
3.	बिहार	29.6	46.8	1.6	78.0
4.	छत्तीसगढ़	24.0	45.2	2.0	71.2
5.	गुजरात	25.0	41.1	3.6	69.7
6.	हरियाणा	25.8	42.2	4.3	72.3
7.	झारखंड	29.3	39.1	1.9	70.3
8.	कर्नाटक	28.6	38.6	3.2	70.4
9.	केरल	23.5	20.5	0.5	44.5
10.	मध्य प्रदेश	27.1	43.6	3.4	74.1
11.	महाराष्ट्र	21.9	39.6	1.8	63.4
12.	उड़ीसा	28.9	34.5	1.6	65.0
13.	पंजाब	21.7	38.1	6.6	66.4
14.	राजस्थान	22.8	40.2	6.7	69.7
15.	तमिलनाडु	27.1	34.6	2.6	64.2
16.	उत्तर प्रदेश	25.4	45.0	3.6	73.9
17.	पश्चिम बंगाल	30.0	29.4	1.5	61.0
II.	छोटे राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	27.1	29.1	0.8	56.9
2.	दिल्ली	26.3	30.0	0.7	57.0
3.	गोवा	19.5	17.1	1.5	38.2

1	2	3	4	5	6
4.	हिमाचल प्रदेश	25.7	26.8	2.2	54.7
5.	जम्मू और कश्मीर	25.8	30.4	2.4	58.6
6.	मणिपुर	25.6	15.2	0.3	41.1
7.	मेघालय	31.7	31.7	1.0	64.4
8.	मिजोरम	23.5	20.0	0.6	44.2
9.	सिक्किम	28.9	29.5	0.8	59.2
10.	त्रिपुरा	27.5	34.6	0.7	62.9
11.	उत्तराखंड	28.4	30.6	2.3	61.4

अनुबंध-II

पौषणिक रक्ताल्पता को कम करने के उपाय

सरकार ने जनसंख्या में रक्ताल्पता सहित पौषणिक स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:—

1. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच-II) में रक्ताल्पता नियंत्रण के लिए सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा स्कूल जाने से पूर्व की उम्र के बच्चों को आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को 20 मि.ग्रा. आयरन एवं 100 एमसीजी फोलिक एसिड संपूरण द्रव रूप में दिया जाएगा। 6-10 वर्ष के बच्चों को 30 मि.ग्रा. आयरन एवं 250 एमसीजी फोलिक एसिड प्रदान किया जाएगा जबकि 11-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को वयस्कों के जितनी ही खुराक दी जाएगी।

   राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम संपर्क कार्यकर्ता समुदाय को पोषण की महत्ता की ओर अभिमुख करेगा और वह समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों पर अभिमुख करने के अलावा आईएफए गोलियां प्रदान करेगा।

   राज्यों को मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का आयोजन करने की सलाह दी गई है जहां रक्ताल्पता निवारण उपायों की भी चर्चा की जाती है।

2. समेकित बाल विकास सेवा योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए संपूरण आहार। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को संपूरण पोषण, रोग प्रतिरक्षण, प्री-स्कूल शिक्षा इत्यादि दी जाती है। गर्भवती महिलाओं/धात्रियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के साथ-साथ प्रतिदिन 500 कैलोरी संपूरण आहार एवं 20-25 ग्राम प्रोटीन भी दिया जाता है। आईसीडीएस के अंतर्गत सेवाओं की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए हाल ही में किए गए उपायों में से एक है संपूरण आहार के जरिए सूक्ष्म पोषकों के रिकमेंडिड डाइटरी अलाउंस के 50% की व्यवस्था है।

   स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा संबंधी पौषणिक सहायता (मिड डे मील कार्यक्रम) के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए संपूरण आहार भी दिया जाता है।

3. वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति अपनायी गई थी और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए पोषण संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। अब मिशन मोड एप्रोच के जरिए सभी पौषणिक समस्याओं से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया गया है।

4. जागरूकता को बढ़ाने तथा स्तनपान और आहार में विविधता को बढ़ावा देने सहित आहार पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा।

5. लोगों की पौषणिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य उपाए हैं:—

   — कृषि एवं बागवानी पैदावार को बढ़ाना

   — आय सृजन करने वाली योजनाओं के जरिए लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना

— लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के जरिए रियायती कीमत पर अनिवार्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता

6. लौह की कमी को छोड़कर विशिष्ट सूक्ष्म पोषक अल्पता विकारों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम—

(i) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक विटामिन ए संपूरण दिया जाता है।

(ii) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम

7. आटा, तेल इत्यादि के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के पुष्टीकरण के संबंध में प्रायोगिक पहल।

8. फाइलेरिया नियंत्रण के भाग के रूप में एल्बेंडेजोल के साथ हेट्राजन दिया जाता है। डिवर्मिंग से रक्ताल्पता दूर करने में सहायता मिलती है।

9. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा कुपोषण के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं, उनमें सरकार द्वारा जो निधि दी जाती है, उसका लाभ बच्चों को पूर्ण रूप से मिले, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन कार्यक्रमों को राज्य सरकारें नहीं चलाती हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूं। पिछले दिनों हमने एनआरएचएम के माध्यम से एक कैम्प चलाया था जिसमें हमारे क्षेत्र में लगभग 85-90 परसेंट बच्चों में रक्ताल्पता दिखाई दी है। इसमें जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज, वर्धा के डाक्टरों की जो टीम आयी थी, उन्होंने सरकारों के पास एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। बच्चों में कुपोषण और रक्ताल्पता का जो प्रमाण है, उसमें सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। सरकार इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो प्रयास करती है, क्या उसका हर महीने कोई ब्यौरा लिया जाता है, कोई समीक्षा ली जाती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह गंभीर चिंता का विषय है।

डा. अंबुमणि रामदास : पहले, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि वे रक्ताल्पता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे ध्यान में लाए। जब आम आंकड़ों को देखते हैं तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि 6 से 59 माह की आयु के लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यह सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जो अचानक हमारे सामने आ गया है। यह गत दो दशकों से हमारे सम्मुख है। रक्ताल्पता के बहुत से कारण है जैसे आयरन की कमी, पौषणता से जुड़े मुद्दे, अवशोषण न होना, कृषि पर्याक्रमण या संक्रमण, स्तन-पान की कमी आदि। इसके कई अन्य कारण भी हैं जैसे सामाजिक कारण, गरीबी, अशिक्षा आदि। इसमें थोड़ी राहत की बात यह है कि हमने रक्ताल्पता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, गंभीर मध्यम तथा हल्के दर्जे की रक्ताल्पता। गंभीर रक्ताल्पता के मामले में केवल 2.9 प्रतिशत बच्चे गंभीर रक्ताल्तपा के शिकार हैं; मध्यम दर्जे की रक्ताल्पता 40.2 प्रतिशत मामलों में पाई गई है; तथा 26.3 प्रतिशत मामलों में हल्के दर्जे की रक्ताल्पता है। हम समग्र रूप से इस समस्या से निपटने हेतु बहुत से कदम उठा रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बहुत से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, इनमें पोषणता, सफाई, स्वच्छता, रोगों पर नियंत्रण, बाल मृत्युदर को कम करना और जच्चा मृत्यु दर को कम करना आदि पर ध्यान दिया जाएगा। यह अपने-आप में एक सम्पूर्ण कार्यक्रम है।

हम इन बच्चों को फौलिक एसिड और आयरन के प्रतिपूरक दे रहे हैं। इसके साथ-साथ हम महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बहुत से पोषणता प्रतिपूरक कार्यक्रमों का समन्वय कर रहे है जिससे कि इसपर ध्यान दिया जा सके। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य की अपनी रिपोर्ट हमें भेज दें जिससे कि हमें और अधिक सूचना मिल सकें। प्रधानमंत्री जी भी पोषणता की समस्या पर बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि स्थिति यह हमारे लिए समग्र रूप से गहन चिंता का विषय है कि हम विकास कर रहे हैं, हमारे देश में कुपोषण और रक्ताल्पता जैसे मुद्दे विद्यमान है। वस्तुत: देश में रक्ताल्तपा का सबसे प्रमुख कारण कुपोषण है। पूरे विश्व में रक्ताल्पता सर्वाधिक व्यापक कुपोषण की समस्या है। अत:, हम रक्ताल्पता की समस्या को सर्वाधिक वरीयता दे रहे है।

मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि हम लगभग 6 माह से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को लगभग 20 मिलीग्राम आयरन तथा लगभग 100 माइक्रोग्राम फौलिक एसिड दे रहे हैं; 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लगभग 30 मिलीग्राम आयरन और लगभग

250 माइक्रोग्राम फोलिड एसिड दे रहे हैं; और 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों को, विशेषकर लड़कियों को उनकी आवश्यकताओं और वरीयताओं के अनुसार व्यस्क खुराक दे रहे हैं। केवल बच्चों के लिए नहीं अपितु महिलाओं के लिए भी विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए हम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि रक्तअल्पता से ग्रस्त और कुपोषित बच्चे पूरे देश में देखे गए हैं। यूनिसेफ की भी रिपोर्ट है कि देश में ऐसे बच्चों की स्थिति खराब है। यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। स्वयं मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें यह स्वीकार किया है कि इसमें अनेक मंत्रालयों के समन्वित सहयोग की जरूरत है - जैसे मानव संसाधन मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। क्या सरकार इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर, एक बहुआयामी समन्वय समिति बनाने पर विचार कर रही है, जिससे इस समस्या का कुछ समाधान निकाला जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यह एक अच्छा सुझाव है और इसे अच्छी तरह समझ लिया गया है। प्रधानमंत्री जी हमसे पहले ही महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलने को कह चुके हैं और हमने उनसे मिलकर इन मुद्दों पर चर्चा की है। हम इस मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य संबंधी विषय नहीं है। यह गरीबी और अशिक्षा के साथ मिलकर एक सामाजिक समस्या बन गई है और यह सब एकत्रित हो गई हैं। हम इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

जैसा कि आपने कहा था हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नमक में आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्व मिलाकर तथा आटा, गेंहू तथा तेल में आयरन मिलाकर उन्हें अधिक पोषक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जब वे उन्हें खाएं तो ये सब पोषक तत्व उन्हें न केवल कच्चे भोजन में अपितु पकाए गए भोजन में भी मिलें। स्तन-पान के बारे में बहुत से जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्तन-पान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं स्तन के दूध को पूरे विश्व में सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कह सकता हूं।

हम आम लोगों, विशेषकर ग्रामीणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध आयरन और विटामिनों से भरपूर सहिजन की फली (ड्रमस्टिक) जैसे खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सहिजन (ड्रमस्टिक) लगभग सभी घरों और झोंपड़ियों के पीछे उगा रहता है। यह आसानी से सब जगह मिल जाता है। इसमें आयरन और विटामिनों की भरपूर मात्रा होती है। हम उनसे इन मुद्दों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु उठाने के लिए कह रहे हैं। अतः हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को पुनः इस संबंध में आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार सभी कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

श्रीमती रुपाताई डी. पाटील - उपस्थित नहीं।

श्रीमती मिनाती सेन : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या 20 रुपये प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा कर रही है; 50 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं; 40 प्रतिशत महिलाओं के बच्चों का वजन जन्म के समय औसत से कम होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के गरीबी, जो कि इस गंभीर स्थिति का मूल कारण है, से लड़ने के क्या प्रस्ताव हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत वृहद प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, पूरा देश यह जानता है कि सरकार आम लोगों पर ध्यान केन्द्रित करने की इच्छुक है। हाल के बजट में भी आम आदमी, किसान, मजदूर, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि को वरीयता दी गई है। सभी यह जानते हैं।

एन.आर.ई.जी.पी. बहुत सृजनात्मक कार्यक्रम है जो कि बहुत सफल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य मिशन शुरू किए हैं। हम ऐसे मिशनों के माध्यम से गरीबी का सामना कर रहे हैं।

सर्वेक्षण पर वापस आते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि रक्ताल्पता केवल गरीबी के कारण नहीं है, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि सबसे निचले समृद्धि सूचकांक के बच्चों में रक्ताल्पता की दर लगभग 76.4 प्रतिशत जबकि सबसे ऊंचे समृद्धि सूचकांक के बच्चों में रक्ताल्पता की दर 56 प्रतिशत है। यह केवल गरीबी का मुद्दा नहीं है, यह जागरूकता का भी मुद्दा है। हम इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल बच्चे 'जंक फूड' खा रहे हैं और आरामतलब जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम इन सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं और हम उनसे निपटने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि शहरों में 63 प्रतिशत के करीब बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। इनमें सिर्फ गरीब बच्चे ही नहीं, बल्कि अच्छे घरों के बच्चे भी शामिल हैं। क्या इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह नहीं है कि आज सब्जियों में, दूध में और फ्रूट्स में कैमिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे एनीमिक हो रहे हैं? जो डाइट वे लेते हैं, उसमें उतने विटामिंस नहीं मिलते हैं, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। दाल, सब्जी और फलों में भी मिलावट होती है, क्या यह भी इसकी एक वजह है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहां तक कि 'हाट क्विंटाइल हैल्थ इन्डैक्स' में लोगों अर्थात समृद्ध लोगों में भी रक्ताल्पता 56 प्रतिशत है, लेकिन इस सुझाव को अच्छी तरह समझ लिया गया है और मैं इसपर और अधिक ब्यौरा एकत्रित करूंगा। मैं यह कहूंगा कि रसायनों की वजह से यहां रक्ताल्पता फैल रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एसोसिएटिड सोशल हैल्थ एक्टीविस्ट्स (ए.एस.एच.ए.), ग्राम स्वास्थ्य कर्मी, जो कि प्रत्येक गांव में उपस्थित हैं, को गांवों में सभी बच्चों को फोलिक एसिड, आयरन देने का कार्य सौंपा गया है। अब, हम कृमि-उन्मूलन की ओर भी बढ़ रहे हैं। रक्ताल्पता का सबसे बड़ा कारण कृमि संक्रमण है। अत: हमने 'हेट्राजन' आदि देने का एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है। हम कृमि-उन्मूलन के लिए 'अलबेन्दाजोल' दे रहे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि इससे रक्ताल्पता से मुक्ति मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। एक दिन विशेष पर पूरा गांव एक स्थान पर एकत्रित होता है- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., ए.एस.एच.ए., ग्राम पंचायतें, और हमारे द्वारा गठित की गई ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां सभी एकत्रित होते हैं और फिर वे आपस में जागरूकता अभियान चलाते हैं। हमने उन्हें मानदण्ड प्रदान किए हैं। आज तक, 2006-07 में लगभग 28 लाख स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक लगभग 19 लाख दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों में फोलिक एसिड, विटामिन 'ए' के प्रतिशत आदि दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, अभी कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर पूरक प्रश्न पूछे। यदि देखा जाए तो पूरे देश में ग्रामीण और शहरी स्लम बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ज्यादातर एनीमिया से प्रभावित हैं। क्या मंत्री जी पूरे देश में इस बारे में एक सर्वे कराकर ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे ये बच्चे कुपोषण से बच सकें?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य योजना-III के के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जा चुका है। हमने एक सर्वेक्षण पहले किया था। मेरे विचार से, 1998-99 में दूसरा सर्वेक्षण किया गया था। वर्ष 2005-06 में हमने तीसरा सर्वेक्षण किया था। तीसरे सर्वेक्षण में, जो कि एक बहुत व्यापक सर्वेक्षण था, हम जिलों में गए और वास्तव में रक्ताल्पता के लिए जांच की थी। पहले हम उन्हें केवल देखते थे। अब, हम वास्तव में उनकी जांच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है, यहां पांच 'क्विंटाइल' हैं और हम समाज के सबसे निचले वर्ग और समाज के प्रभावशाली वर्ग तक गए हैं। हम सब जगह गए और हमने सर्वेक्षण किए हैं। हम इसपर ध्यान देकर पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्या कहां है। फिर हम तदनुसार कार्य करते हैं।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिर्मयी सिकदर : सन् 2005-2006 के सर्वे के अनुसार गांवों में 71 प्रतिशत और शहरों में 63 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं, ऐसा मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है। इसका जो कारण उन्होंने बताया है, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियों तथा सिट्रस फलों का अपर्याप्त सेवन और कम अंतरालों पर बारम्बार गर्भधारण

भी प्रमुख कारण है – ये बातें तो हमें भी मालूम हैं। इस सदन में हम राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है। अब यह पता नहीं चलता कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, क्या वह देश आगे बढ़ रहा है जिसके गांवों के 70 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह चिंता का विषय है।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिर्मयी सिकदर : सन् 1975 में यानि आज से करीब 30 वर्ष पहले आईसीडीएस द्वारा बच्चों को पोषाहार देने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसमें बताया गया था कि हमारे देश के बच्चों को मिड डे मील के तहत पौष्टिक आहार दिया जाता है। हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यूपीए सरकार ने वायदा किया था कि पूरा सर्वे पांच साल में किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह काम टाइम बाउंड करके कब तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी वर्ष 2005-2006 की सर्वे रिपोर्ट हमें दी गयी है लेकिन वर्ष 2006-2007 और वर्ष 2007-2008 की सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं दी गयी है, मैं केवल यही पूछना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस अनुपूरक प्रश्न में बहुत से प्रश्न सम्मिलित हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : एक सर्वेक्षण करने के लिए बहुत से लोगों और श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है; और हमें हर बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य ने सही कहा है; पहले हम प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार सर्वेक्षण करते थे। अब, मैंने कार्यवाही की है और कहा है कि थोड़े समय के अंतराल पर सर्वेक्षण कराए जाएं जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का ध्यान कहां केन्द्रित है और हमारा कार्यक्रम कहां जा रहा है जिससे कि इसपर कहीं अधिक ध्यान और वरीयता दी जा सके और यदि हमारे कार्यक्रमों में कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सके।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, व्यापक रूप से सभी मंत्रालय इसमें सम्मिलित हैं। मैंने कई बार चर्चाएं की हैं; वस्तुत: हाल ही में, बजट में वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा जिससे कि उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिले और जहां आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं वहां वे आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने जा रहे हैं। अत: इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार रक्ताल्पता मुक्त समाज और रक्ताल्पता मुक्त भारत बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर सभी संभव कदम उठा रही है।

प्रश्न संख्या 105, श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी – उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 106, श्री श्री इकबाल अहमद सरडगी – उपस्थित नहीं

अध्यक्ष महोदय : छुट्टियां शुरू हो गई हैं। प्रश्न संख्या 107, डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

[हिन्दी]

कोडिन युक्त दवाइयों के बुरे प्रभाव

+

***107. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडिन युक्त दवाइयां हानिकारक हो सकती हैं जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2008 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मानव स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न ब्रांडों के कोडिन युक्त कफ सिरप चिकित्सक की पर्ची के बिना आसानी से उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिनांक 8.1.2008 के समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" के हिंदी संस्करण में "नुकसान पहुंचा सकती है कोडिन युक्त दवा" शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ है। यह समाचार स्पष्टत: एफडीए पब्लिक हैल्थ एडवाइजरी के अंतर्गत प्रकाशित संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन होमपेज पर आधारित है।

कोडिन युक्त दवाएं यदि डाक्टर द्वारा लिखी जाने वाली नुस्खा पर्ची के बिना ली जाएं तो ये हानिकारक हो सकती हैं। कोडिन की अत्यधिक खुराकें उत्तेजना एवं मरोड़ उत्पन्न कर सकती हैं। केन्द्रीकृत प्रभाव सीमित प्रतीत होते हैं किंतु खुराक से संबंधित हैं। इस दवा से ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिनमें उनींदापन, जी मिचलाना, मूत्रीय अवरोधन, कब्ज, मुंह का सूखना, आर्थोस्टेटिक हायपोटेंशन, बरेडिकार्डिया, परूरिटस इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिमात्रा में सेवन से बच्चों में भारी कोडिन नशा और श्वसनीय फेल्योर हो सकते हैं।

कोडिन औषध एवं प्रसाधन-सामग्री नियमों की अनुसूची एच औषध (नुस्खे में लिखी जाने वाली दवाएं) है। कोडिन युक्त फार्मूलेशनों के दुरूपयोग की संभावना पर विचार करते हुए खांसी के सिरप और अन्य आदत बनने वाली दवाओं पर प्रतिबंध है और फार्मेसियों में उपलब्ध ये दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक की नुस्खा पर्ची पर ही बेची जाती हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि कोडीन फास्फेट का निर्माण ओपिएम से होता है और ओपियम में जितनी दुष्प्रभावी बातें हो सकती हैं वे सभी कोडिन में मौजूद हैं। यही कारण है कि खांसी के सिरप में या अन्यथा भी हैडएक और दर्द-निवारक दवाइयां जो होती हैं उनमें बहुतायत से इसका प्रयोग होता है। क्या ऐसी सभी जगहों पर, जहां कोडिन का उपयोग किया जाता है, चाहे वह सिरदर्द के लिए हो, अन्य दर्दनाशक दवाइयों के लिए हो या खांसी के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हो, कुछ पर आपने प्रतिबंध लगाया है लेकिन क्या आप सभी पर प्रतिबंध लगाएंगे ताकि कोडीन के दुष्प्रभाव, अफीम के दुष्प्रभाव से लोगों को मुक्त किया जा सके और उनमें जो नशे की आदत पड़ जाती है, उससे उन्हें मुक्त किया जा सके।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : अनेक रसायनों और औषधियों में अनेक अवयव का उपयोग जीवन की रक्षा हेतु किया जाता है और इनमें से कुछ आवश्यक औषधियां हैं जिनमें अनेक अवयवों का उपयोग होता है।

कोडीन एक रसायन है जिसे अन्य सम्मिश्रणों में मिलाया जाता है तथा खांसी की औषधि के रूप में, शल्य चिकित्सा के दौरान तथा शल्य चिकित्सा के पश्चात दर्द निवारक के रूप में, और जन्म देने के समय तथा इसके बाद, अतिसार के उपचार तथा अतिक्षेय (इरिटेबल बोवेल) हेतु उपयोग किया जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों में कोडीन का उपयोग किया जाता है। किसी भी देश ने कोडिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है तथा यह सम्मिश्रणों का अवयव होता है। इसलिए हमें इसका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना है और इस बारे में जागरूकता लानी है। कोडीन अनुसूची 'एच' औषधि है जिसको नुस्खा दिखा कर ही खरीदा जा सकता है। इसे बिना नुस्खे के नहीं खरीदा जा सकता है।

दुध पिलाने वाली माताओं अर्थात प्रसव पश्चात उन पर कोडीन के प्रभावों के बारे में मुद्दा पहले भी उठाया गया था, शिशु पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है क्योंकि कोडीन मोराफिन में परिवर्तित हो जाता है और यह इसका प्रभाव शिशु पर होता है, इसलिए यू.एस.एफ.डी.ए. ने कहा कि भविष्य में समस्त कोडीन उत्पादों में चेतावनी होनी चाहिए कि "दुध पिलाने वाली माताओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए" आदि। भारत में भी औषधि सलाहकार समिति और औषधि तकनीकी सलाहकारी बोर्ड (डी.टी.ए.बी), में इस पर चर्चाएं होती रही हैं। हम भविष्य में इस चेतावनी का भी उल्लेख कर सकते हैं कि दुध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं द्वारा इसके उपयोग से बचना चाहिए या यह कि इसका उपयोग डाक्टर की सलाह पर किया जाए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडीन का काफी उपयोग और उत्पादन होता है। भारत में कोडीन का आयात दवाओं और अन्यथा उपयोग के लिए किया जाता है। पिछले दिनों एफेड्रीन के उपयोग को बंद किया गया था, जिसका

खांसी के सिरप और अन्यथा भी प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से कोडीन का उपयोग कम से कम हो चाहे वह पार्वरिन नाम की सिरदर्द रोकने की दवा या सिरप हो, या अन्यथा कोडीनयुक्त सीरप हो, यदि इसे प्रतिबंधित करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका काफी लाभ होगा। काडीन का उपयोग देशीय और स्वदेशीय तंत्र भी करते हैं - हमारे देश में जो संस्थान हैं, एल्केलाइड और ओपियम फैक्टरी है, उनमें भी कोडीन का उत्पादन होता हैं कोडीन का सीमित उपयोग उस समय करें, जब हमें वेदना हो या ऐसे अवसर पर जबकि रोगी के लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोडोपाइरिन इससे होता है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : किसी भी औषधि को बिना सोचे समझे प्रतिबंधित करने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं। जैसा मैंने कहा कि इससे करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता हैं। यह दर्द निवारक है तथा अतिसार को भी रोकता है। इसलिए प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोडीन का दुरूपयोग भी होता है। विशेषकर पूर्वोत्तर में कोडीन, खांसी की दवा के रूप में दुरूपयोग होनी है। हमने इसके दुरूपयोग को रोकने हेतु अनेक उपाय किए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह अनुसूची 'एच' औषधि है जिसे डाक्टर के नुस्खे पर ही खरीदा जा सकता है। हमने पूर्वोत्तर के सभी स्टाकिसट तथा फुटकर विक्रेताओं को अनुदेश दिया है कि वे कोडीन युक्त औषधि या खांसी की दवा की सीमित संख्या ही रख सकते है ताकि इसका उपयोग सीमित रखा जा सके तथा इसको विनियमित भी किया जा सके। कोडीन को प्रतिबंध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के क और ख भाग का जवाब तो दिया है कि कोडीन से नुकसान हो सकता है और बच्चों में भंयकरतम बीमारियां हो सकती हैं, माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि कुछ दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई है, बिना डाक्टर की पर्ची के ये दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रतिबंध के बावजूद हर मेडिकल स्टोर से ज्यादा से ज्यादा कोडीनयुक्त दवाइयां कफ सिरप आदि बिक रहे हैं? जितने होस्टल्स हैं, जितने सार्वजनिक प्लेस हैं अगर वहां आप कभी जाएं और बाथरूम्स में देखें तो इन कफ सिरप आदि की कोडिन युक्त बोतलें मिल जाएंगी। इस पर कार्यवाही करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अभी तक क्या कदम उठाएं हैं, इसके बारे में वे मौन हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिना पर्ची के जो दवाइयां इस तरह खुल्लमखुल्ला स्टोर्स से बिक रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहें हैं, क्योंकि सिर्फ प्रतिबंध लगा देने मात्र से काम नहीं चलेगा?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास : मैंने पहले ही कहा है कि इसे डाक्टरी नुस्खे पर ही खरीदा जा सकता है। आप ही नहीं यदि कोई अन्य सदस्य भी हमारी जानकारी में यह बात लाता है कि इस औषधियों को बिना नुस्खे के व्यापक रूप से बेचा जा रहा है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। विधि के अनुसार इसे बिना नुस्खे के हमारे देश में बेचा नहीं जा सकता है। इतने सारे कानूनों के बाद भी कतिपय अपवाद हैं जहां कुछ लोग चोरी-छिपे इसे बेचते हैं। हम राष्ट्रीय केन्द्रीय औषध प्राधिकरण स्थापित कर रहें हैं जिस पर कार्यवाही चल रही है। इसे संसद में पुरःस्थापित किया जा चुका है। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति अपनी सिफारिश देने जा रही है। इस प्राधिकरण के स्थापित करने से राज्य स्तर और जिला स्तर तक इसका प्रभाव पड़ेगा। इन कार्यों को करने हेतु पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए और अधिक लोगों को लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं की धीमी गति

+

***108. श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम एन एच डी पी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे चरण के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अपने निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ख) विलंब के कारण ऐसी प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप हुए राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पथकर के नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नियमों को कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नियम समय से पीछे चल रही विभिन्न परियोजनाओं के चरणवार और राज्यवार और राज्यवार ब्योरे अनुबंध में दिए गए हैं।

इस विलंब के विभिन्न कारण हैं जैसे सुविधाओं का स्थानांतरण, रेलवे, वन, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न विभागों से स्वीकृति आदि। इसके अतिरिक्त, कुछ ठेकेदारों के निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन से भी विलंब हुआ हैं नकद ठेका पद्धति से सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में परिवर्तन से संक्रमण काल के दौरान प्रक्रिया विधि और तकनीकी मानकों के मानकीकरण में भी कुछ विलंब हुआ।

(ख) परियोजनाओं की लागत में वृद्धि जिनमें विलंब का औचित्य होता है, के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के अनुसार मूल्य वृद्धि करके ठेके में प्रावधान किया जाता है और इसलिए राजस्व का कोई नुकसान नहीं होता है। जिन मामलों में ठेकेदार की गलती के कारण विलंब हुआ है उनमें परिसमापन क्षति वसूलने, गैर-निष्पादक घोषित करने और उन्हें ठेकों से वंचित करने जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं और कुछ मामलों में ठेके समाप्त भी किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नए शुल्क नियमों पर विचार कर रही है।

(ङ) परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों, सुविधा विभागों, रेलवे, वन, पर्यावरण विभागों के साथ समीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं। ठेकेदार रियायतग्राही और परामर्शदाताओं के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जाती हैं मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा की जाती है और महत्वपूर्ण अंतर विभागीय मसलों की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

अनुबंध

राष्ट्रीय राजामार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत नियम समय से पीछे चल रही विभिन्न परियोजनाओं के चरणवार और राज्यवार ब्यौर

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी)	पूरी की गई लंबाई (किमी)	कार्य पूरा करने मूल तारीख	कार्य पूरा करने अनु. तारीख
1	2	3	4	5	6	7
एनएचडीपी चरण I						
आंध्र प्रदेश						
1.	गुंडला-पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से टॉडापल्ली (NS-23/AP)-शेष कार्य किमी 464.00 - किमी 474.00 एवं किमी 9.40-किमी 22.30 आंध्र प्रदेश	7	23.1	7.93	दिस-2006	जून-2008

1	2	3	4	5	6	7
बिहार						
2.	सासाराम-देहरी ऑन सोन (GTRIP/IV-C) किमी 110 - किमी 140 बिहार	2	30	26.3	मार्च-2005	अप्रैल-2008
3.	पूर्णिया - गयाकोटा (EW-12/BR) किमी 447 - किमी 419 बिहार	31	28	5	सित-2004	सित-2008
4.	पूर्णिया - गयाकोट (EW/4) किमी 476.15 - किमी 470 एवं किमी 419 - किमी 410 बिहार	31	15.15	13.3	मार्च-2002	अप्रैल-2008
दिल्ली						
5.	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक आठ लेन बनाना (NS-18/DL) किमी 29.3 से किमी 16.5 दिल्ली	1	12.9	0	जून-2007	सित-2008
हरियाणा						
6.	पंछी गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) तक 6 लेन बनाना (NS-17/HR) किमी 97 - किमी 80 हरियाणा	1	21.7	0	जुलाई-2007	सित-2008
जम्मू और कश्मीर						
7.	कुंजवानी से विजयपुर (NS-15/J&K) किमी 97 - किमी 80 जम्मू और कश्मीर	1A	17.2	0	दिस-2004	दिस-2008
झारखंड						
8.	गोहर - बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-C) किमी 320 - किमी 398.75 झारखंड	2	78.75	16	मार्च-2005	सित-2008

1	2	3	4	5	6	7
9.	हावेरी - हरिहर किमी 340 - किमी 284 कर्नाटक	4	56	71.69	ठेका समाप्त	
10.	हरिहर - चित्रदुर्ग किमी 284 - किमी 207 कर्नाटक	4	77			
11.	चित्रदुर्ग बाइपास (शेष कार्य) किमी 207 - किमी 189 कर्नाटक	4	18	3.86	सित-2008	सित-2008
12.	चित्रदुर्ग - सिरा किमी 189 - किमी 122.3 कर्नाटक	4	66.	66.7	अगस्त-2004	मार्च-2008
13.	तुमकुर बाइपास किमी 75 - किमी 62 कर्नाटक	4	13	9.7	दिस-2003	जून-2008
14.	हुबली - हावेरी किमी 404 - किमी 340 कर्नाटक	4	64.5	62.52	दिस-2003	फर-2008
15.	नंदीहिल क्रास से देवनहल्ली एवं मीनूकुंटे से हब्बल तक 6 लेन बनाना (NS-24/KN) किमी 539-556 एवं किमी 527-किमी 535 कर्नाटक	7	25	25	मार्च-2004	मार्च-2008
16.	नव मंगलूर पत्तन रारा-17 (सूरतकल-नांनतूर खंड), रारा-48 (पादिल बंटवाल खंड) एवं 48 कर्नाटक	13, 17	37	0	दिस-2007	जून-2008
केरल						
17.	कोचीन पत्तन किमी 348/382 - किमी 358 एवं 5 बड़े पुल केरल	47	10		ठेका समाप्त	

1	2	3	4	5	6	7
18.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II SH-54 + आमरा मार्ग + पनवेल क्रीक पुल महाराष्ट्र	SH 54	14.35	0	मई-2007	मई-2008
उड़ीसा						
19.	भुवनेश्वर - खुर्दा (OR-I) किमी 387.7 - किमी 418 उड़ीसा	5	26.3	26.3	जन-2004	मार्च-2008
20.	बालासोर-भद्रक (OR-III) किमी 136.5-किमी 199.141 उड़ीसा	5	62.64	35.56	ठेका समाप्त	
21.	पुल खंड (OR-V) किमी 199.141 - किमी 61 उड़ीसा	5	11.587	10.046	मई-2004	मार्च-2008
22.	गंजम-इच्छापुरम (OR-VIII) (शेष कार्य) किमी 284 - किमी 233 उड़ीसा	5	50.8	3.36	नवं-2008	नवं-2008
23.	सुनखला-गंजम (OR-VII) किमी 338 - किमी 284 उड़ीसा	5	55.713	21.202	अप्रैल-2004	दिस-2009
24.	पश्चिम पत्तन रारा-5A (किमी 0 से किमी 77) उड़ीसा	5A	77	57.56	फर-2007	मई-2008
तमिलनाडु						
25.	तुम्पीपाड़ी से सलेम (NS-26/TN) किमी. 180.00 से किमी. 199.20 तमिलनाडु	7	19.2	18.02	अगस्त-2003	जून-2008
26.	तूतीकोरिन पत्तन रारा-7A (तूतीकोरिन-तिरुनेलवेली खंड) तमिलनाडु	7A	47.2	0	अगस्त-2006	दिस-2007

1	2	3	4	5	6	7
27.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस मार्ग टीपीपी रोड, तमिलनाडु	SR	9	0	दिस-2007	जुलाई-2008
उत्तर प्रदेश						
28.	आगरा-शिकोहाबाद (GTRIP/I-A) किमी 199.66 - किमी 250.50 उत्तर प्रदेश	2	50.83	49.29	मार्च-2005	जुलाई-2008
29.	शिकोहाबाद-इटावा (GTRIP/I-B) किमी 250.5 - किमी 307.5 उत्तर प्रदेश	2	59.02	55.5	सित-2007	अप्रैल-2008
30.	इटावा - राजपुर (GTRIP/I-C) किमी 321.1 - किमी 393 उत्तर प्रदेश	2	72.825	72.825	मार्च-2005	मार्च-2008
31.	कानपुर-फतेहपुर (GTRIP/II-B) किमी 470-483(0) किमी 0 - किमी 38 उत्तर प्रदेश	2	51.5	51	मार्च-2005	अप्रैल-2008
32.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल) किमी 158 किमी-किमी 159.02 उत्तर प्रदेश	2	1.02	0	मार्च-2006	मार्च-2008
33.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II किमी 158 किमी - किमी 198 उत्तर प्रदेश	2	38.987	33.49	दिस-2006	जून-2008
34.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III किमी 198 किमी - किमी 242.708 उत्तर प्रदेश	2	44.708	31.28	मई-2007	जून-2008
35.	इटावा बाइपास (शेष कार्य) किमी 307.5 - किमी 321.1 उत्तर प्रदेश	2	13.6	13.5	फर-2008	जून-2008
36.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/II-C) किमी 38 किमी 1151 उत्तर प्रदेश	2	77	64.75	अक्टू-2004	दिस-2008

1	2	3	4	5	6	7
37.	इंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/III-C) किमी 245 - किमी 317 उत्तर प्रदेश	2	72	72	जुलाई-2004	फर-2008
38.	लखनऊ बाइपास (EW-15/उप्र) किमी रारा-56, रारा-25 और-28 को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश	56A एवं B	22.85	10	अगस्त-2004	दिस-2008
39.	लखन-कानपुर (EW/3A) किमी 59.5 - किमी 75.5 उत्तर प्रदेश	25	16	14	मई-2005	जून-2008
	उत्तर प्रदेश [55]/बिहार[21]					
40.	वाराणसी-मोहनिया (GTRIP/IV-A) किमी 317-329(0) किमी 0-किमी 65 उत्तर प्रदेश [55]/बिहार[21]	2	76	73.97	मार्च-2005	मार्च-2008
41.	पुल खंड (प.बं.-III) किमी 17.6-किमी 136 पश्चिम बंगाल	6	1.732	0.48	जन-2004	जून-2008
42.	हल्दिया पत्तन रारा-41 (रारा-6 पर कोलाघाट से हल्दिया) पश्चिम बंगाल	41	53	0	ठेका समाप्त	
	एनएचडीपी चरण II					
	असम					
43.	सिल्चर-उदरबंद (AS-I) किमी 309 से किमी 275.00 असम	54	32	0	सित-2007	जून-2009
44.	हरगगाजो से मेलबंग (AS-22) किमी 165.4.00 से किमी 190.587 असम	54	26	0	जुलाई-2009	दिस-2009

1	2	3	4	5	6	7
45.	हरनगाजो से मेलबंग (AS-22) किमी 140.70 से किमी 164.08 असम	54	24	0	जुलाई-2009	दिस-2009
46.	हरनगाजो से मेलबंग (AS-23) 126.450 से किमी 140.700, 164.080 से किमी. 165.400 असम	54	16	0	फर-2009	दिस-2009
47.	मेलबंग से लुमडिंग (AS-27) किमी 40.000 से किमी 60.500 असम	54	21	0	अप्रैल-2009	दिस-2009
48.	मेलबंग से लुमडिंग (AS-26) किमी 60.500 से किमी 83.400 असम	54	23	0	नवं-2008	नवं-2009
49.	मेलबंग से लुमडिंग (AS-25) किमी 83.400 से किमी 111.000 असम	54	28	0	अप्रैल-2009	दिस-2009
50.	मेलबंग से लुमडिंग (AS-24) किमी 111.00 से किमी 126.450 असम	54	15	0	नवं-2008	नवं-2009
51.	लंका से दबोका (AS-16) किमी 22.00 से किमी 2.4 असम	54	24	0	जून-2008	जून 2009
52.	दबोका से नगांव (AS-17) किमी 36 से किमी 5.5 असम	36	30.5	0	जून-2008	जून 2009
53.	नगांव बाइपास (AS-18) 5.5 (रारा-36) से किमी 262.7 (रारा-37) और 262.70 से किमी असम	37	23	0	जून-2008	जून 2009
54.	नगांव से धरमतूल (AS-2) किमी 255 से किमी 230 असम	37	25	0	जून-2008	दिस 2009

1	2	3	4	5	6	7
55.	धरमतूल से सोनपुर (AS-19) किमी 230.5 से किमी 205 असम	37	25	0	जून-2008	जून 2009
56.	धरमतूल से सोनपुर (AS-20) किमी 205.00 से किमी 183 असम	37	22	0	मई-2008	दिस 2009
57.	सोनपुर से गुवाहटी (AS-3) किमी 183 से किमी 163.895 असम	37	19	0	जून-2009	दिस 2009
58.	गुवाहटी से नलबारी (AS-4) किमी 1121.00 से किमी 1093.00 असम	31	28	0	अप्रैल-2008	जून 2009
59.	गुवाहटी से नलबारी (AS-5) किमी 1093.00 से किमी 1065.00 असम	31	28	0	अप्रैल-2008	जून 2009
60.	नलबारी से बिजली (AS-7) किमी 1040.3 से किमी. 1013.00 असम	31	27.3	0	अप्रैल-2008	जून 2009
61.	नलबारी से बिजली (AS-8) किमी. 1013.00 से किमी 983.00 असम	31	30	0	जून-2008	जून 2009
62.	नलबारी से बिजली (AS-9) किमी. 983.00 से किमी. 961.5 असम	31	21.5	0	जून-2008	जून 2009
63.	बिजली से असम/प.बं. सीमा (AS-10) किमी. 93.00 से किमी. 60.00 असम	31C	33	0	जून-2008	जून 2009
64.	बिजली से असम/प.बं. सीमा (AS-11) किमी. 60.00 से किमी. 30.00 असम	31C	30	0	जून-2008	जून 2009

1	2	3	4	5	6	7
65.	बिजली से असम/प.बं. सीमा (AS-12) किमी. 30.00 से किमी. 0.00 असम	31C	30	0	जून-2008	जून 2009
66.	10 किमी. सर्विस रोड और गुवाहटी बाइपास पर 2 लेन के फ्लाईओवर का निर्माण (AS-14A) किमी 146 से किमी 156 असम	37	10	0	अगस्त-2007	मई 2009
बिहार						
67.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-1) किमी 309.0 से किमी 268 बिहार	57	41	10	अप्रैल-2008	जून 2009
68.	पूर्णिया-फारबिसगंज (BR-2) किमी 268.0 से किमी 230 बिहार	57	38	0	अप्रैल-2008	जून 2009
69.	फारबिसगंज-सिमराही (BR-3) किमी 230 से किमी 190 बिहार	57	40	0	सित-2008	जून 2009
70.	सिमराही से रिंग बंद (मिसिंग लिंक) (BR-4) किमी 190 से किमी 165 बिहार	57	15	0	अप्रैल-2008	जून 2009
71.	रिंग बंद से झांझरपुर (BR-6) किमी 155 से किमी 110 बिहार	57	45	0	जून-2008	जून 2009
72.	झांझरपुर से दरभंगा (BR-7) किमी 110 से किमी 70 बिहार	57	40	0	सित-2008	जून 2009
73.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (BR-8) किमी 70 से किमी 30 बिहार	57	40	0	जून-2008	जून 2009

1	2	3	4	5	6	7
74.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (BR-9) किमी 30 से किमी 0 बिहार	57	30	0	जून-2008	जून 2009
75.	मुजफ्फरपुर से महसी (LMNHP-12) किमी 520 से किमी 480 बिहार	28	40	0	सित-2008	सित-2009
76.	महसी से कोटवा (LMNHP-11) किमी 480 से किमी 440 बिहार	28	40	0	सित-2008	सित-2009
77.	कोटवा से दीवापुर (LMNHP-10) किमी 440 से किमी 402 बिहार	28	38	0	नवं-2008	सित-2009
78.	दीवापुर से उप/बिहार सीमा (LMNHP-9) किमी 402 से किमी 360.915 बिहार	28	41.085	0	नवं-2008	सित-2009
गुजरात						
79.	दीसा से राधनपुर (पैकेज-VI) किमी 372.60 से किमी 458.0 गुजरात	14	85.4	75	नवं-2007	जून-2008
80.	राधनपुर से गागोधर (पैकेज-V) किमी 138.80 से किमी 245.00 गुजरात	15	106.2	102	नवं-2007	मार्च-2008
81.	गागोधर से गरमोर (पैकेज-IV) 245.0 किमी से 281.3 और 308.00 से किमी 254.00 गुजरात	15, 8A	90.3	63	नवं-2007	मार्च-2009
82.	गरमोर से बामनबोरे (पैकेज-III) किमी 254.00 से किमी 182.60 गुजरात	8A	71.4	54	नवं-2007	दिस-2008

1	2	3	4	5	6	7
83.	जैतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II) किमी 117 से किमी 52.50 गुजरात	8B	64.5	40	नवं-2007	सित-2008
गुजरात [34]/राजस्थान[42]						
84.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी एवं गुजरात-34 किमी 264 से किमी 340 गुजरात [34]/राजस्थान[42]	14	76	0	मार्च-2009	जून-2009
हरियाणा						
85.	पानीपत से पंछी गुजरान (6 लेन कार्य) (NS-89/HR) किमी 86.00 से किमी 66.00 हरियाणा	1	20	0	अक्टू-2008	दिस-2008
जम्मू और कश्मीर						
86.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (NS-30) किमी 286 से किमी 303.8 जम्मू और कश्मीर	1A	17.8	1.9	जून-2006	सित-2008
87.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) (NS-33/J&K) किमी 0.00 से किमी 15 जम्मू और कश्मीर	1A	15	0	मई-2008	दिस-2008
88.	विजयपुर से पठानकोट (NS-34/J&K) किमी 16.35 से किमी 50.00 जम्मू और कश्मीर	1A	33.65	0	मार्च-2008	मार्च-2009
89.	विजयपुर से पठानकोट (NS-35/J&K) किमी 50 से किमी 80 जम्मू और कश्मीर	1A	30	0	मार्च-2008	मार्च-2009
90.	पठानकोट से जम्मू एवं कश्मीर सीमा (NS-36/J&K) किमी 110.45 से किमी 117.6 एवं किमी. 4.0 से किमी. 16.5 जम्मू और कश्मीर	1A	19.65	0	मई-2008	मार्च-2009

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश						
91.	सागर-राजमार्ग चौराहा (ADB-II/C-6) किमी 211 से किमी 255 मध्य प्रदेश	26	44	0	अक्टू-2008	जून-2009
92.	ललितपुर-सागर (ADB-II/C-4) किमी 132 से किमी 187 मध्य प्रदेश	26	55	0	अक्टू-2008	मार्च-2009
93.	सागर बाइपास (ADB-II/C-5) किमी 187 से किमी 211 मध्य प्रदेश	26	26	0	अक्टू-2008	जून-2009
94.	राजमार्ग चौराहा से लखनाडन (ADB-II/C-8) किमी 287 से किमी 351 (रारा 7 के किमी 544 पर जंक्शन) मध्य प्रदेश	26	54	0	अक्टू-2008	जून-2009
95.	राजमार्ग चौराहा से लखनाडन (ADB-II/C-9) किमी 351 से किमी 405.7 मध्य प्रदेश	26	54.7	0	अक्टू-2008	जून-2009
96.	झांसी-शिवपुरी (EW-II-मप्र-2) किमी 50 से किमी 15 मध्य प्रदेश	25	35	17	फर-2008	दिस-2008
97.	शिवपुरी बाइपास एवं उप्र से मप्र/ राज. सीमा (EW-II- मप्र-I) रारा 25 के 15 से किमी 0 एवं रारा 76 के 610 से किमी 579 मध्य प्रदेश	25, 76	53	42	फर-2008	जून-2008
महाराष्ट्र						
98.	बूटीबोरी आरओबी (NS-29/MH) किमी 22.850 से किमी 24.650 महाराष्ट्र	7	1.8	0	दिस-2006	सित-2008

1	2	3	4	5	6	7
99.	बोरखेडे-जाम (NS-29/MH) किमी 36.6 - से किमी 64.0 महाराष्ट्र	7	27.4	0	दिस-2007	दिस-2008
100.	जाम-वाडनेर (NS-59/MH) किमी. 64 से किमी. 94 महाराष्ट्र	7	30	0	अप्रैल-2008	मार्च-2009
101.	वाडनेर-देवधारी (NS-60/MH) किमी. 94 से किमी. 123 महाराष्ट्र	7	29	0	अप्रैल-2008	मार्च-2009
102.	देवधारी-केलापुर (NS-61/MH) किमी. 123 से किमी. 153 महाराष्ट्र	7	30	0	अप्रैल-2008	अप्रैल-2009
103.	केलापुर-पिंपलखट्टी (NS-62) किमी. 153 से किमी. 175 महाराष्ट्र	7	22	0	नवं-2008	नवं-2009
पंजाब						
104.	पठानकोट से भोगपुर (NS-37/PB) किमी. 26 से किमी. 70 पंजाब	1A	44	0	मई-2008	सित-2009
पंजाब[9]/हिमाचल प्रदेश[11]						
105.	पठानकोट से भोगपुर (NS-38/PB) किमी. 70 से किमी. 110 पंजाब	1A	40	0	मई-2008	मार्च-2009
राजस्थान						
106.	राज./मप्र सीमा से कोटा (राज.-11) किमी. 579 से किमी. 509 राजस्थान	76	70	41	मार्च-2008	जून 2008
107.	राज./मप्र सीमा से कोटा (राज.-10) किमी. 509 से किमी. 449.15 राजस्थान	76	59.85	26.8	अप्रैल-2008	दिस-2008

1	2	3	4	5	6	7
108.	राज./मप्र सीमा से कोटा (राज.-9) किमी. 449.15 से किमी. 406 राजस्थान	76	43.15	10.2	अप्रैल-2008	मार्च-2009
109.	कोटा बाइपास (राज.-4) किमी. 406 से किमी. 381 राजस्थान	76	25	0	नवं-2008	जून-2009
110.	कोटा से चित्तौड़गढ (राज.-8) किमी. 381 से किमी. 316 राजस्थान	76	65	23	अप्रैल-2008	सित-2008
111.	कोटा से चित्तौड़गढ (राज.-7) किमी. 316 से किमी. 253 राजस्थान	76	63	34	अप्रैल-2008	सित-2008
112.	चित्तौड़गढ बाइपास (राज.-6) किमी. 253 से किमी. 213 राजस्थान	76	40	20.5	अप्रैल-2008	सित-2008
113.	गोगुंडा से उदयपुर (राज.-3) किमी. 104 से किमी. 73 राजस्थान	76	31	10	जुलाई-2008	सित-2008
114.	बकरिया से गोगुंडा (राज.-2) किमी. 73 से किमी. 29 राजस्थान	76	44	10	मई-2008	दिस-2008
115.	स्वरूपगंज से बकरिया (राज.-1) किमी. 29 किमी. 0 (रारा 76) एवं किमी. 264 से से किमी. 249.7 (रारा 14) राजस्थान	76, 14	43	0	जून-2008	दिस-2008
116.	चम्बल पुल (राज.-5) राजस्थान	76	1.4	0	फर-2010	सित-2010

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु						
117.	थोपुरघाट से थिम्पीपाड़ी (NS-25/TN) किमी. 163.40 से किमी. 180.00 तमिलनाडु	7	16.6	0	नवं-2007	सित-2008
118.	मदुरै से किमी. 120 मदुरै-तिरुनेलवेली खंड और मदुरै बाइपास (NS-39) किमी. 0.000 से किमी. 42.000 तमिलनाडु	7	42	24	अप्रैल-2008	अक्टू-2008
119.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-40/TN) किमी. 42.000 से किमी. 80.000 तमिलनाडु	7	38.86	23	अप्रैल-2008	अक्टू-2008
120.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-41/TN) किमी. 80.000 से किमी. 120.000 तमिलनाडु	7	39.51	18	अप्रैल-2008	अक्टू-2008
121.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (NS-42/TN) किमी. 120 से किमी. 160 तमिलनाडु	7	42.7	17.5	मार्च-2008	अक्टू-2008
122.	किमी 120 मदुरै-तिरुवेनवेली खंड से पानागुडी (किमी 203) (NS-43) किमी. 160 से किमी. 203 तमिलनाडु	7	43	2.5	मई-2008	सित-2008
123.	कन्याकुमारी-पानीगुडी (NS-32) किमी. 203 से किमी. 233.6 तमिलनाडु	7	30.6	6		
124.	चेन्नै बाइपास चरण II तमिलनाडु	45, 4 एवं 5	32	15.2	नवं-2007	अक्टू-2008
125.	चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज के पहुंचमार्ग का सुधार और 4 ग्रेड सेपरेटरों का निर्माण तमिलनाडु	205, 4 एवं 45	4	0	अप्रैल-2007	मार्च-2008

1	2	3	4	5	6	7
126.	त्रिची बाइपास से तोवारमकुर्ची (पैकेज-VIIA) किमी. 0 से किमी. 60.95 तमिलनाडु	45B	60.95	6	अगस्त-2008	मार्च-2009
127.	तोवारमकुर्ची से मदुरै (पैकेज-VII B) किमी. 60.95 से किमी. 124.84 तमिलनाडु	45B	63.89	8.5	अगस्त-2008	दिस-2008
उत्तर प्रदेश						
128.	गोरखपुर-अयोध्या (LMNHP-6) किमी. 251.70 से किमी. 208.00 उत्तर प्रदेश	28	43.7	0	अक्टू-2008	जून 2009
129.	गोरखपुर-अयोध्या (LMNHP-5) किमी. 208.00 से किमी. 164.00 उत्तर प्रदेश	28	44	0	अक्टू-2008	जून 2009
130.	गोरखपुर-अयोध्या (LMNHP-4) किमी. 164.00 से किमी. 135.00 उत्तर प्रदेश	28	29	0	नवं-2008	जून 2009
131.	अयोध्या-लखनऊ (LMNHP-3) किमी. 135.00 से किमी. 93.075 उत्तर प्रदेश	28	41.925	0	नवं-2008	जून 2009
132.	अयोध्या-लखनऊ (LMNHP-2) किमी. 93.075 से किमी. 45 उत्तर प्रदेश	28	47	0	अक्टू-2008	जून 2009
133.	अयोध्या-लखनऊ (LMNHP-1) किमी. 45.00 से किमी. 8.250 उत्तर प्रदेश	28	36	0	अक्टू-2008	जून 2009
134.	गंगा पुल से रामा क्रासिंग (उप-6) किमी. 75.0 से किमी. 80.06 उत्तर प्रदेश	25	5.6	0	सित-2008	जून-2009

1	2	3	4	5	6	7
135.	उरई से झांसी (उप-5) किमी. 220.0 - से किमी. 170.00 उत्तर प्रदेश	25	50	0	मार्च-2008	दिस-2009
136.	उरई से झांसी (उप-4) किमी. 170 से किमी. 104.0 उत्तर प्रदेश	25	66	0	अप्रैल-2008	अगस्त-2009
137.	झांसी बाइपास (उप्र-3) किमी. 104.0 - से किमी. 91.0 उत्तर प्रदेश	25	15	0	मई-2008	अप्रैल-2009
138.	उप्र-बिहार सीमा से कसिया (LMNHP-8) किमी. 360.915 से किमी. 319.8 उत्तर प्रदेश	28	41.115	0	दिस-2008	जून-2009
139.	कसिया से गोरखपुर (LMNHP-7) किमी. 319.8 से किमी. 279.8 उत्तर प्रदेश	28	40	0	दिस-2008	जून-2009
140.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर किमी. 58 - 93 उत्तर प्रदेश	24	35	0	सित-2007	दिस-2008
141.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद किमी. 93-149.25 उत्तर प्रदेश	24	56.25	0	सित-2007	जून-2008
	उत्तर प्रदेश[11]/मध्य प्रदेश[30]					
142.	झांसी-शिवपुर (उप्र/मप्र-1) (उप्र-11 किमी एवं मप्र - 30 किमी) किमी. 91 से किमी. 50 (उप-11 किमी एवं मप्र-30 किमी) उत्तर प्रदेश[11]/मध्य प्रदेश[30]	25	41	24	अप्रैल-2008	दिस-2008
	पश्चिम बंगाल					
143.	असम/पं.बं. सीमा से गैरकाटा (पं.बं.-1) किमी. 255.00 से किमी. 223.00 पश्चिम बंगाल	31C	32	0	नवं-2008	जून 2009

1	2	3	4	5	6	7
144.	सिलिगुड़ी से इस्लामपुर (पं.बं.-7) किमी. 526.00 से किमी. 500 पश्चिम बंगाल	31	26	0	जुलाई-2008	जून 2009

श्री सुग्रीव सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारण सरकार को होने वाली हानि का कोई आंकलन किया है? सरकार को इन परियोजनाओं में विलंब के कारण न केवल अधिक व्यय करना पड़ता है अपितु निर्धारित समय पर इन परियोजनाओं के पूरा न होने से टोल टैक्स की भी हानि हो रही है। यदि इस बारे में कोई आंकलन किया गया है तो मैं उसका ब्यौरा जानना चाहूंगा तथा यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है हमने लगभग 96.48 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है और 206 किलोमीटर का शेष कार्य अभी भी पूरा होना है। विभिन्न कारणों से हम इसे पूरा नहीं कर सके हैं जैसे ठेकेदार की असफलता, ठेकेदार द्वारा कार्य न करना, भूमि की अनुपलब्धता, विधिक कार्यवाही आदि। परंतु ऐसी स्थिति में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विशेष मार्ग हेतु कोई संपर्क मार्ग नहीं है। संपर्क मार्ग है। यातायात की अनुमति है। बात केवल इतनी है कि उस विशेष मार्ग में चार लेनों के स्थान पर दो लेन रहेगीं। परंतु लोगों को लगता है कि उस विशेष मार्ग में यातायात नहीं है और संपर्क नहीं है। ऐसा सोचना सही नहीं है। शेष कार्यों संबंधी 25 ठेकों में से जून अंत तक 15 पूरे हो जाएंगे। और जून के बाद 4-5 महीनों में 10 और पूरे कर लिए जाएंगे।

जहां तक उत्तर-दक्षिण का सवाल है हमने लगभग 1669 किलोमीटर मार्ग पर कार्य पूरा कर लिया है, 4652 किलोमीटर पर कार्य चल रहा है और 821 किलोमीटर का ठेका अभी दिया जाता है।

मेरे साथी 'टोल' के बारे में पूछ रहे थे। टोल की दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है और विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है। साथ ही जिन मार्गों को पूरा कर लिया गया है वहां टोल लागू कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि सड़कें पूरी न होने के कारण आपको 'टोल' की हानि हो रही है।

श्री टी.आर. बालू : महोदय ऐसा नही है हाल ही में हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई सड़क पूरी नहीं हुई है तो हम आंशिक रूप से टोल वसूलेंगे।

श्री सुग्रीव सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में बोलंगरि-गोपालपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-5 के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा मांगना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि हां, तो परियोजना-वार इसका ब्यौरा क्या है?

श्री टी.आर. बालू : स्वर्णिम चतुर्भुज की सभी सड़कें 6 लेनों वाली होंगी और लक्ष्य तय है, इस परियोजना हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में अहमदाबाद-मुंबई हाई-वे नम्बर आठ में विस्तारण का काम चल रहा है, जिस की वजह से वहां ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है उस हाई-वे में मेरा क्षेत्र बलसाड आता है और वहां एक गुवलाव चौराहा पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस गुदलाव चौराहे पर पुल निर्माण कराने का विचार रखते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : महोदय, कुछ समय से इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा हैं संसद सदस्य हमारे पास आएं थे और हम मामले पर चर्चा कर रहें हैं। इस विशेष मुद्दे पर कुछ विरोध है। संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर लिया जाएगा।

डा. वल्लभभाई कथीरिया : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-बी पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से आरंभ होकर राजस्थान जाता है। गुजरात सरकार द्वारा 5-7 वर्ष पूर्व पोरबंदर से राजकोट राजकोट

से वन्कानेर चोकड़ी तक कुछ हिस्सों में चार लेन की सड़क पहले ही बना दी गई थी। हमारा सुझाव है कि इस लाइन में सर्विस लेन और ओवरब्रिज जिनका निर्माण नहीं किया गया था तथा अन्य स्थानों में जहां मात्र दो लेन हैं ओवरब्रिज और सर्विस लेन का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सड़क पर लगभग 100 किलोमीटर तक चार लेनों का निर्माण किया गया था परंतु ओवरब्रिज और सर्विस लेनों का निर्माण नहीं किया गया था।

मेरी आप से अपील है कि चार लेन, ओवरब्रिज तथा सर्विस लेन का निर्माण किया जाए ताकि समस्त पूर्व-पश्चिम गलियारा एक सा हो।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है, यह आपसे अपील है और आपने सुना, मंत्री महोदय, आप कृपया बैठ जाएं।

इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। यह मात्र एक अपील है और माननीय मंत्रीजी ने इसे सुना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में विभिन्न सड़कों संबंधी प्रश्न करने लगेंगे तो मेरे विचार से यह सही नहीं है। आपने अपील की और माननीय मंत्री जी ने उसे सुना है।

[हिन्दी]

मलेरिया, चिकुनगुनिया और डेंगू के मामलों में वृद्धि

\+

*109. **श्री पुष्प जैन :**

श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या में मलेरिया, चिकुनगुनिया और डेंगू और वायरल ज्वर के मामलो की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन रोगों के राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए और इनके कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या इन रोगों के कारण हुई मृत्यु के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारकों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश मलेरिया, चिकुनगुनिया और डेंगू और विषाणुज ज्वर (तीव्र एनसेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी एनसेफलाइटिस) जैसे वेक्टरजनित रोगों की स्थिति नीचे दी गई है–

वर्ष	मलेरिया	चिकुनगुनिया	डेंगु	एईएस/जेई
2001	2085484	किसी मामले की	3306	2061
2002	1841229	सूचना नहीं दी गई थी	1926	1765
2003	1869403		12754	2568
2004	1915363		4153	1714
2005	1816569		11985	6727
2006	1780777	1930322	12317	2842
2007	1363279 (दिसंबर, 07 तक)	56355	5395	4042

राज्यों द्वारा सूचित उपर्युक्त आंकड़े देश में मलेरिया के मामले में गिरते हुए रूझान को दर्शाते हैं। तथापि मलेरिया के मामलों में वृद्धि छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखी गई है। डेंगू, चिकुनगुनिया और जापानी एनसेफलाइटिस जैसे विषाणुज रोग मौसमी और महामारी प्रवण हैं। चिकुनगुनिया एवं डेंगू के मामले 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में कम संख्या में देखे गए हैं। तथापि जापानी एन्सेफलाइटिस के मामले

में हर वर्ष उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। 2007 में अधिक संख्या में मामले दर्ज हुए क्योंकि जापानी एन्सेफलाइटिस सहित दर्ज कुल मामले तीव्र एन्सेफलाइटिस संलक्षण के हैं।

पिछले तीन वर्षों में मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस के रोगियों की संख्या और इनसे मरने वालों की संख्या की रोगवार तथा राज्यवार स्थिति अनुबंध-I से IV में दर्शाई गई है।

रोग के रूझान की नियमित निगरानी तथा अनुवीक्षण परिधीय क्षेत्र में किया जा रहा है और तद्नुसार नियंत्रक उपाय किए जा रहे हैं। तथापि, मलेरिया के मामले में गिरावट देखी गई है जैसा कि ऊपर दिया गया है। इसलिए इसके लिए अलग से कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। इन रोगों को फैलने से रोकने के वास्ते देश में निम्नलिखित कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं:-

1. रोग प्रबंधन

- शीघ्र रोग पहचान और पूरा उपचार
- परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
- महामारी की रोकथाम की तैयारी एवं द्रुत सहायता

2. समेकित रोगवाहक प्रबंधन

- अधिक जोखिम वाले चुनिंदा क्षेत्रों में घर-घर जाकर अवशिष्ट का छिड़काव करना
- कीटनाशी संसिक्त मच्छरदानियों का प्रयोग
- लार्वीवोरस फिश का प्रयोग
- शहरी क्षेत्रों में जैवलार्वा नाशियों सहित लार्वारोधी उपाय करना

3. सहायक कार्यकलाप

- व्यवहार में बदलाव लाने संबंधी सम्प्रेषण
- सरकारी-निजी साझेदारी एवं अंतःक्षेत्रीय समभिरूपता
- क्षमता निर्माण के जरिए मानव संसाधन विकास
- औषध प्रतिरोध एवं कीटनाशी प्रभाव्यता पर अध्ययन सहित सक्रियात्मक अनुसंधान
- आवधिक समीक्षाओं, क्षेत्र निरीक्षणों एवं वेबसाइट आधारित प्रबंधन सूचना तंत्र के जरिए अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन।

उपर्युक्त के अलावा सरकार ने जापानी एन्सेफलाइटिस के निवारण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

- 50 प्रहरी स्थलों तथा 12 शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाओं के जरिए एईएस/जेई निगरानी को सुदृढ़ करना।
- एईएस/जे.ई. निगरानी के परिचत्रित मानक दिशानिर्देश
- बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित "रोगवाहक रोग नियंत्रण निगरानी एकक"
- गोरखपुर में स्थापित उप कार्यालय, आरओएच एंड एफ डब्ल्यू लखनऊ
- 1-15 वर्षों की उम्र-समूह में जे.ई. टीकाकरण 4 राज्यों (असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) के 11 जिलों में 2006 में शुरू किया गया। इसका विस्तार 10 राज्यों (असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल) के 28 जिलों में 2007 में किया गया।
- प्रहरी केन्द्रों के सूक्ष्म जीव विज्ञानियों और प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश एवं असम राज्यों के क्लिनिशियनों एवं नर्सों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जे.ई. रोग के प्रबंधन की कुशलताएं बढ़ाने के वास्ते आयोजित किया गया
- द्रुत सहायता दलों का गठन करना

इस प्रकार डेंगु/चिकुनगुनिया के नियंत्रण और निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त पहलें की हैं:-

- शीघ्र रोग पहचान, रोग प्रबंधन, वेक्टर निगरानी, एडल्टीसाइडों और लार्वानाशियों के उपयोग संबंधी दीर्घकालीन कार्ययोजना निवारक एवं नियंत्रक क्रियाकलापों के वास्ते राज्यों में परिचालित की गई
- डेंगु/डीएचएफ मामलों के नैदानिक प्रबंधन के दिशानिर्देश व्यापकतर परिपत्रण के लिए राज्यों को भेजे गए

– डेगू और चिकुनगुनिया मामलों के उन्नत निदान एवं नियमित निगरानी के लिए 13 शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाएं चिह्नित की गई हैं

– डेंगू और चिकुनगुनिया की पूर्वसक्रिय निगरानी के लिए 110 प्रहरी निगरानी अस्पताल चिह्नित किए गए हैं।

– डेंगू और चिकुनगुनिया की पहचान के लिए आईजीएम-एमसी एलिजा जांच किटें शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाओं एवं प्रहरी निगरानी अस्पतालों को सप्लाई की गई

– प्रहरनी निगरानी अस्पतालों एवं शीर्ष परामर्श प्रयोगशालाओं की प्रचालन लागत पूरी करने के लिए आकस्मिकता अनुदान जारी किए गए

– आईईसी/बीसीसी के कार्यकलापों का तीव्रीकृत क्रिया-कलाप

अनुबंध-I

वर्षवार एवं राज्यवार मलेरिया के रोगी एवं इससे हुई मौतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004		2005		2006		2007 (दिसंबर तक) (अनंतिम)	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	35427	2	39099	0	34081	0	27406	2
अरुणाचल प्रदेश	29849	0	31215	0	39182	196	25445	0
असम	58134	54	67885	113	126178	304	90530	150
बिहार	1872	0	2733	1	2744	1	1451	0
छत्तीसगढ़	194256	4	187950	3	190590	3	125490	0
गोवा	7839	7	3747	1	5010	7	9755	11
गुजरात	222759	89	179023	54	89835	45	66682	43
हरियाणा	10064	0	33262	0	47142	0	30895	1
हिमाचल प्रदेश	126	0	129	0	114	0	101	0
जम्मू व कश्मीर	250	0	268	0	156	0	223	1
झारखंड	143722	40	193144	21	193888	4	164735	10
कर्नाटक	80961	27	83181	26	62842	32	48415	18
केरल	2790	12	2554	6	2111	7	1769	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	132094	36	104317	44	96160	56	90709	0
महाराष्ट्र	68988	61	47608	104	54420	133	69844	151
मणिपुर	2736	8	2071	3	2709	8	1194	4
मेघालय	18080	29	16816	41	29924	167	32577	235
मिजोरम	7830	72	10741	74	10644	120	6563	75
नागालैंड	2486	1	2987	0	3370	75	4810	26
उड़ीसा	416732	283	396573	255	375907	253	307306	184
पंजाब	1643	0	1883	0	1888	0	2017	0
राजस्थान	105022	20	52286	22	99529	50	41087	10
सिक्किम	160	3	69	0	93	0	48	0
तमिलनाडु	41732	0	39678	0	28219	0	17748	0
त्रिपुरा	17453	16	18008	20	23375	31	17933	40
उत्तरांचल	1255	0	1242	0	1108	0	953	0
उत्तर प्रदेश	87022	0	105303	0	91566	0	83019	0
पश्चिम बंगाल	220871	184	185964	175	159646	203	86132	100
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	745	1	3954	0	2993	1	3973	0
चंडीगढ़	199	0	432	0	449	0	340	0
दादरा व नागर हवेली	787	0	1166	0	3786	0	3780	0
दमन व दीव	118	0	104	0	140	0	99	0
दिल्ली	1316	0	1133	0	928	0	182	0
लक्षद्वीप	2	0	0	00	0	0	0	0
पांडिचेरी	43	0	44	0	50	0	68	0
कुल	1915363	949	1816569	963	1780777	0	1363279	1066

अनुबंध-II

चिकुनगुनिया ज्वर के वर्षवार और राज्यवार मामले

राज्य	2006					2007 (पी)*				2008			
	प्रभावित जिलों की संख्या	कुलः ज्वर मामले/ चिकुनगुनिया ज्वर के संदिग्ध मामले	एनआईवी/ एनआई सीडी को भेजे गए नमूनों की संख्या	पुष्टि किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्यां	कुल ज्वर मामले/ चिकुनगुनिया ज्वर के संदिग्ध मामले	एनआईवी/ एनआई सीडी को भेजे गए नमूनों की संख्या	पुष्टि किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्यां	कुल ज्वर मामले/ चिकुनगुनिया ज्वर के संदिग्ध मामले	एनआईवी/ एनआई सीडी को भेजे गए नमूनों की संख्या	पुष्टि किए गए मामलों की संख्या	मौतों की संख्यां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	23	77535	1224	248	0	39	39	11	0				
कर्नाटक	27	762026	5000	298	0	1705	641	133	0	11	11	8	0
महाराष्ट्र	34	270116	5901	804	0	1752	287	134	0				
तमिलनाडु	35	64802	648	116	0	45	13	10	0				
मध्य प्रदेश	21	60132	892	106	0	0	0	0	0				
गुजरात	25	75419	1155	225	0	3223	238	122	0	49	23	12	0
केरल	14	70731	235	43	0	24052	4732	909	0	2	0	0	0
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	1549	0	0	0	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रा.रा. क्षेत्र	12	560	560	67	0	452	153	134	0				
दिल्ली													
राजस्थान	1	102	44	24	0	1	1	1	0				
पांडिचेरी	1	542	52	9	0	0	0	0	0				
गोवा	2	287	75	2	0	78	68	18	0				
उड़ीसा	13	6461	171	34	0	670	161	43	0				
पश्चिम बंगाल	1	21	0	21	0	19138	1135	347	0				
लक्षद्वीप	1	35	0	0	0	5184	10	10	0				
उत्तर प्रदेश	4	4	4	4	0	3	3	3	0				
हरियाणा		0	0	0	0	13	1	1	0				
कुल	216	1390322	15961	2001	0	56355	7482	1876	0	62	34	20	0

अनुबंध-III

वर्षवार एवं राज्यवार डेंगू के मामले एवं इससे हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य	2004		2005		2006		2007		2008	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	230	1	99	2	197	17	587	2	2	0
2.	बिहार	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
3.	चंडीगढ़	0	0	2	0	182	0	36	0	0	0
4.	दिल्ली	606	3	1023	9	3366	65	548	1	1	0
5.	गोवा	3	0	1	0	1	0	36	0	0	0
6.	गुजरात	117	4	454	11	545	5	570	2	40	0
8.	हरियाणा	25	0	183	1	838	4	365	11	0	0
8.	जम्मू व कश्मीर					24	1	0	0	0	0
9.	कर्नाटक	291	2	587	17	109	7	230	0	2	0
10.	केरल	686	8	1028	8	981	4	603	11	2	0
11.	महाराष्ट्र	856	22	349	56	736	25	614	21	12	0
12.	उड़ीसा	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0
13.	सिक्किम	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	पंजाब	52	0	251	2	1166	6	27	0	0	0
15.	राजस्थान	207	5	370	5	1805	26	531	10	0	0
16.	तमिलनाडु	1027	0	1142	8	477	2	707	2	0	0
17.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	8	0	121	4	639	14	131	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	दादरा व नागर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	32	0	6375	34	1230	8	95	4	0	0
21.	मध्य प्रदेश					16	0	51	2	0	0
22.	मणिपुर							51	1	0	00
	कुल	4153	45	11985	157	12317	184	5395	69	59	0

अनुबंध-IV

वर्षवार एवं राज्यवार जपानी एन्सेफेलाइटिस एवं इससे हुई मौतें

क्र. सं.	प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004		2005		2006		2007 (एईएस/जेई के मामले)		2008	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	7	3	34	0	11	0	1	0	0	0
2.	असम	235	64	145	52	392	119	424	133	0	0
3.	बिहार	85	28	192	64	21	3	336	164	0	0
4.	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	17	0	6	0	1	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	4	0	0	0	61	0	0	0
7.	हरियाणा	37	27	46	39	2	1	86	46	0	0
8.	कर्नाटक	181	6	122	10	73	3	9	1	0	0
9.	केरल	9	1	1	0	3	3	0	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	22	0	51	0	1	0	0	0	0	0
11.	मणिपुर	0	0	1	0	0	0	46	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13.	तमिलनाडु	88	9	51	11	18	1	23	0	0	0
14.	उत्तर प्रदेश*	1030	228	6061	1500	2320	528	3024	645	45	14
15.	पश्चिम बंगाल	3	1	12	6	0	0	0	0	0	0
16.	नागालैंड							7	0	0	0
	कुल योग	1714	367	6727	1682	2842	658	4017	989	45	14

पी - अनंतिम

* - 2007 में बिहार के 331 मामलों एवं 63 मौतों तथा नेपाल के 18 मामलों एवं 5 मौतों सहित

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगु और वायरल बुखार जैसी बीमारियों से देश में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मौत हो जाती है लेकिन पिछले कुछ समय से चिकुनगुनिया बीमारी देश के कई भागों में बहुत तेजी से फैली है। इससे पीड़ित व्यक्ति महीनों तक चल-फिर नहीं पाता है, उसका पूरा इलाज भी नहीं हो पाता है। मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर से जानना चाहता हूं कि चिकुनगुनिया जैसी बीमारी के बारे में क्या कोई खास प्रकार की रिसर्च करवाई गई है ताकि इसका रोगी ठीक हो सके, उसका टीकाकरण हो सके? इस दिशा में कोई व्यवस्था कोई अनुसंधान किया गया है या नहीं?

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, मलेरिया, डेंगु, चिकुनगुनिया जैसी वेक्टरजनित बीमारियां मौसमी और संक्रामक है। राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इनके प्रतिशत में कमी हो रही है।

[हिन्दी]

श्री पुष्प जैन : आपने जवाब तो नहीं दिया। मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगु और वायरल बुखार जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए विदेशों से बहुत सहायता आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य कई एजेंसियों से देश को सहायता मिली है। क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी मिली है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए मिले लाखों रुपए की विदेशी सहायता में बहुत भारी गबन हुआ और वह पैसा देश भर के राज्यों में मलेरिया उन्मूलन के लिए नहीं लगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निधियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के बारे में जिसमें उन्होंने पूछा है। कि क्या चिकुनगुनिया हेतु टीके का विकास किया गया है या नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय इसका कोई टीका नहीं हैं, अमेरिकी सेना के लिए एक टीका का विकास किया गया था। परंतु भारत में यह दूसरे किस्म का है। हमारे यहां यह रियूनियम द्वीप से आया था। यह वहां से आया और 30-40 वर्षों के बाद पिछले दो सालों में यह बीमारी फैली है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगमी दो वर्षों में यह बीमारी देश के विभिन्न भागों में कहीं-कहीं हो सकती है।

हमने अनेक सुझाव दिए हैं और काफी अनुसंधान हुआ है। हम इसके प्रशिक्षण हेतु सभी शीर्ष प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर रहें हैं। हमने एन.आई.वी. पुणे को अधिक परिक्षण किट्स उपलब्ध कराने को तथा विभिन्न राज्यों में जाने को कहा है। हमने केरल मे नेशनल इंस्टीट्यूट

आफ वाइरोलोजी केरल को लगभग 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

रोक-थाम के रूप में अनेक उपाय किए गए है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव स्वास्थ्य और साफ-सफाई समितियां होती हैं जिसके तहत प्रत्येक गांव को जल भराव तथा मच्छरों को खत्म करने, तथा फोगिंग आदि हेतु 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। ये सारे कार्य किए जा रहें हैं।

महोदय, इस प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि विभिन्न दानकर्ताओं द्वारा दी गईं निधियों का हम उपयोग कर रहें हैं। विश्व-बैंक, ग्लोबल फंड से हमें निधियां प्राप्त हुई हैं। हाल ही में कतिपय मुद्दे थे परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हम इसे अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहें हैं, मुद्दे 1997 से 2005 की अवधि के हैं, यह हमारी सरकार बनने से बहुत पहले का है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि यह प्रश्न है तो मैं इसका अलग से उत्तर देना चाहूंगा। इसके लिए मैं सभी को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने बताई गई अनेक खामियों को दूर कर लिया है और तथागत परिवर्तन भी किया गया है नीतियों को पारदर्शी कर राज्यों को इनका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है खरीद नीतियों के सबंध में हम राज्यों की क्षमता में वृद्धि कर रहें हैं, मैं सभा को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि स्थिति नियंत्रण में है तथा किसी भी खामी का पता लगने पर इसे दूर किया जा रहा है और ऐसा ही होगा।

श्री एस.एन. कृष्णदास : महोदय, पिछले वर्ष भी हमने देश भर में चिकुनगुनिया के तेजी से फैलने पर सभा में चर्चा की थी।

हजारों व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हो गए थे और ऐसे व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के बाद भी चिकुनगुनिया जोड़ों में दर्द और संधि-शोथ से ग्रस्त हैं। हजारों व्यक्ति अभी भी इसके कारण परेशान हैं। कुछ डाक्टरों ने यह घोषणा की थी - यह समाचार पत्रों में भी छपा था - अब इसका शत-प्रतिशत उपचार है। कुछ आयुर्वेद के वैद्यों ने कहा है कि चिकुनगुनिया के बाद की बीमारी, संधि-पीड़ा और संधि-शोध के पूर्ण उपचार की उनके पास औषधि है। हमारे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्वयं ही एक अच्छे डाक्टर हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को चिकुनगुनिया के बाद की बीमारी, संधि-पीड़ा और संधि-शोध जो अभी भी जारी है का उपचार आयुर्वेद में है, इस बात की जानकारी है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं माननीय मंत्री के कथन से सहमत हूं कि चिकुनगुनिया बीमारी के पश्चात की अवधि बहुत ही कष्टदायक है इसमें जोड़ों में सूजन हो जाती है जो कभी-कभी तीन से छः महीने तक चलती है और भारी संख्या में लोग विशेषकर वरिष्ठ नागरिक इससे पीड़ित है। हमनें अपने अनुसंधान संस्था आई. सी.एम.आर. से इस विषय पर शोध करने को कहा है। परंतु इस समय चिकनगुनिया के उपचार हेतु आधुनिक चिकित्सा में कोई औषधि नहीं है। परंतु इसके लक्षणों जैसे पीड़ा और संधि-पीडा हेतु औषधियां हैं।

आयुर्वेद या सिद्ध सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति में इसके उपचार की संभावना की हम जांच कर रहें हैं। इस बारे में कुछ दावे किए गए हैं और मैंने आई.सी.एम.आर. को इसकी जांच करने के लिए कहा है। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई विशेष मुद्दा है तो वे इसे हमारी जानकारी में ला सकते हैं और मैं आई.सी.एम.आर. को इसे सत्यापित करने के लिए कहूंगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था, माननीय मंत्रीजी ने उसका उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अतः उत्तर वही है।

श्री अजय चक्रवर्ती : चिकनगुनिया एक गंभीर रोग है। डाक्टरों के अनुसार इसे रोग से पीड़ित रागियों के लिए बाज़ार अथवा फार्मेसी में इसकी कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार रोक-थाम हेतु उपायों का पता लगाने हेतु गंभीरता से विचार कर रही है ताकि औषधियों को गांवों के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया जा सके जिससे कि चिकनगुनिया के रोगियों का उपचार हो सके।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना

+

*110. **श्री एम. शिवन्ना :**
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी शैक्षणिक सत्र 2008-09 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर आम जनता और छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नए चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से एक वर्ष के लिए तैनात करने के बारे में इस मंत्रालय के प्रस्ताव पर छात्र समुदाय, चिकित्सा संकाय और अन्य संबंधितों की राय लेने के लिए अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की अनुशंसाएं, केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री एम. शिवन्ना : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि पूरे देश में मेडिकल के छात्र एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम को एक वर्ष और बढ़ाने के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई है- कृपया विस्तार से बतायें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने उत्तर में यह बताया दिया है। लिखित उत्तर में इसका उल्लेख है। कृपया उत्तर पढ़िए।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के बारे में दोनो सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कई अनेक प्रश्नों के उत्तर में एक सर्वेक्षण किया गया है जिससे पता चलता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में 73 से 75 प्रतिशत लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच नहीं है। उनके लिए मात्र 25 से 30 प्रतिशत मामलों में स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की व्यवस्था तथा पहुंच है। इसलिए, हमने इस पहलू को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतग्रत अवसंरचना; क्षमता-निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करने कार्मिक डाक्टरो आदि, प्रत्येक के लिए कई उप-समूह है। उन्होंने सिफारिशें की है, जिसमें कहा गया है कि इन छात्रों को अनिवार्य रूप से एक वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त किया जाना चाहिए। यही कारण है कि हमने यह निर्णय लिया है कि इन छात्रों को गांवों में जाना चाहिए। अनेक सदस्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बार हमने कहा था कि अगामी शैक्षिक वर्ष से ऐसा करेंगे तो छात्र समुदाय की ओर से बहुत विरोध हुआ था।

तीस से चालीस वर्ष पूर्व इस प्रकार का प्रचलन था। मैं समझता हूं कि तीस वर्ष पूर्व देश में इस प्रकार की प्रथा थी कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में एक या दो साल की अनिवार्य सेवा करनी होती थी। वस्तुतः, मेरे नेता और मेरे पिता जीने ग्रामीण क्षेत्र में तीन साल की सेवा की थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। यह बैठक बाहर भी की जा सकती है।

डा. अंबुमणि रामदास : विश्व के बहुत से देशों में डाक्टरों और रक्षा कार्मिकों के लिए दो से तीन साल की अनिवार्य सेवा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, छात्रों की शिक्षा पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारों के द्वारा काफी राजसहायता दी जाती है। इसलिए, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जरूरतमंद गरीबों की सेवा के लिए वे यह कार्य करें। लेकिन तब भारी विरोध हुआ। अनेक संसद सदस्यों ने भी उनका साथ दिया और उनका समर्थन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में कुछ कारण भी बताए गए। इन मुद्दों के आधार पर मैने पूरे देश में जाकर, विभिन्न राज्यों का दौरा करने तथा छात्रों डाक्टरों, आम जनता और प्रशासकों के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करके सिफारिशें करने हेतु डा. साम्बासिवा राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की समिति ने हमे कुछ सिफारिशें भेजी है और हम उनकी जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं किसी भी संसद सदस्यों को इस बात कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिए।

***श्री एम. शिवन्ना :** एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाये बिना भी हम डाक्टरों से ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए कह सकते हैं। इस संबंध में क्या सरकार पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाने के बदले सभी डाक्टरों के लिए ग्रामीण सेवा को अनिवार्य बनाएगी।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। तत्पश्चात्, मैंने केवल

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

माननीय सदस्यों को बल्कि पूरे देश को बताऊंगा कि हम क्या करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मनोरमा माधवराज- उपस्थित नहीं।

डा. के.एस. मनोज : महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 28,000 डाक्टर स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों की संख्या बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर-आबादी का अनुपात बहुत कम है। एक वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के संबंध में छात्रों ने आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

डा. के.एस. मनोज : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा नही हुआ तो हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने डाक्टर समुदाय से बात कर सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं माननीय सदस्य को उत्तर देना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उल्लेख करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। यह बताने के लिए हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अर्थात् स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान, हमारी उपलब्धि क्या तथा इस कार्यक्रम शुरू करने के पश्चात् क्या उपलब्धि हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या लगभग 3500 थी। विशेषज्ञ से मेरा मतलब कार्यचिकित्सक, शल्य चिकित्सक, ऐनेस्थेटिस्ट, स्त्रीरोग विशेषज्ञ आदि से हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू होने के दो वर्ष के भीतर यह संख्या बढ़कर लगभग 7,000 हो गई है। इसलिए, इन सालों के भीतर यह संख्या 3500 से बढ़कर दो वर्षों में 7000 हो गई है। जहां तक नर्सों की संख्या का संबंध है यह संख्या लगभग 17,000 थी जो अब पढ़कर 28,000 हो गया है, डाक्टरों के मामले में यह संख्या 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गया है; ए.एन.एम. के मामले में यह संख्या 1,30,000 से बढ़कर 1,70,000 हो गई है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास ए.एस.एच.ए. (आशा) तथा इससे जुड़े कार्यकर्त्ताओं की बड़ी संख्या है। आज, पूरे देश में लगभग सभी गांवों में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए लगभग 5,44,000 ए.एम.एच.ए. और इससे जुड़े कार्यकर्त्ता कार्यरत हैं इसकी पूर्ति के लिए हम डाक्टरों से गांवों में जाने को कह रहे हैं। उनके लिए यह एक प्रकार का अनुभव भी होगा और यह राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा भी होगी। इससे जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी। फिर भी, हम समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे और इस संबंध में हम अंतिम निर्णय लेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

हम इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्र. सं. 111 - श्री स्वदेश चक्रवर्ती - उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 112 - डा. एम. जगन्नाथ

इसरो द्वारा उपग्रहों का प्रक्षेपण

+

*112. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जनवरी, 2008 में इजराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ करार के अंतर्गत किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अर्जित राजस्व सहित इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस उपग्रह के प्रक्षेपण से देश में और देश के बाहर विभिन्न वर्गों में प्रतिक्रिया है;

(ङ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार की भविष्य में विभिन्न देशों के लिए आगे और भी उपग्रह प्रक्षेपित करने की कोई योजनाएं हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (छ) इस संबंध में सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, पी एस एल वी-सी10 ने 21 जनवरी, 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से 300 कि.ग्रा. वजन वाले टेक्सार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। पी एस एल वी-सी10 का यह प्रक्षेपण इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आई ए आई) और एन्ट्रिक्स कारपोरेशन के बीच वाणिज्यिक करार के अंतर्गत निष्पादित किया गया।

(ग) पी एस एल वी-सी10 के सफल प्रक्षेपण ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं के बाजार में इसरो की मजबूत पकड़ कायम की है और विविध प्रकार की कक्षाओं में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में इसरो की विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा को एक बार फिर दोहराया है। वांछित कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के साथ ही, एन्ट्रिक्स के करार संबंधी दायित्वों को पूरा कर लिया गया है। प्रक्षेपण सेवा करार का वाणिज्यिक मूल्य 13 मिलियन अमेरिकी डालर था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ) पी एस एल वी के आगामी प्रक्षेपण में इसरो के प्राथमिक उपग्रह के अलावा यह राकेट टोरंटों विश्वविद्यालय, कनाडा और कॉस्मॉस इंटरनेशनल, जर्मनी के नेनो उपग्रहों का भी वाणिज्यिक रूप से प्रक्षेपण करेगा। पी एस एल वी का उपयोग करते हुए नीदरलैंड्स के नेनो उपग्रह और सिंगापुर के माइक्रो उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी करारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उसका उत्तर दे दीजिए। क्या आपने ऐसा कहा है?

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा भाग (क) से (छ) तक दिया गया उत्तर युक्तियुक्त नहीं है। यह प्रश्न 'इसरो' द्वारा उपग्रहों के छोड़े जाने के उद्देश्य तथा उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत को होने वाले लाभ के बारे में था। लेकिन इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। मेरा प्रश्न यह है। उपग्रहों के प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या हे तथा इससे राजस्व के अतिरिक्त भारत को और कौन से लाभ होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। वे उत्तर भेज देंगे।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हम इस पर चर्चा करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी, चर्चा कीजिए। लेकिन श्री रूपचंद पाल अब चर्चा के लिए समय नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन

*102. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने स्थानीय स्वशासनों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं जैसी कि तिहत्तरवें संविधान संशोधन में परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शक्तियां प्रत्यायोजित करने के पश्चात् इन स्थानीय स्वशासनों के कार्यकरण का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं जहां पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर मंत्री) : (क) सभी 24 राज्यों, जिन पर संविधान के भाग IX के प्रावधान लागू होते हैं, ने पंचायती राज विधान का अधिनियमन कर दिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ जिला, मध्यवर्ती व ग्राम स्तरों पर पंचायतों को अधिकारों व उत्तरदायित्वों के अंतरण को उपबंधित करता है। तथापि राज्य विधान के जरिए हुए इस औपचारिक अंतरण को कार्यकारी आदेशों, निदेशों व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से पंचायतों के

विभिन्न स्तरों पर अंतरित प्रकार्यों से संबंधित कार्यकलापों के वास्तविक अंतरण में बदलने की जरूरत है। ऐसे अधिकारों व उत्तरदायित्वों के अंतरण को उनसे मेल खाते कोषों व कर्मियों के अंतरण की जरूरत होगी, ताकि पंचायतें संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। इस संबंध में अलग-अलग राज्यों में स्थिति भिन्न-भिन्न है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए है।

(ग) से (घ) चूंकि पंचायती राज अनिवार्यत: एक राज्य विषय है, इसलिए मंत्रालय ने पंचायती राज को सशक्त बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायतें संविधान के भाग IX में परिकल्पित स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करें, राज्यों के साथ निकटता से कार्य किया है। जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य आयोजित हुए पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के जरिए राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श से एक ऐसी सहमति बनी जिसमें प्रकार्यों, वित्त व कर्मियों के प्रभावकारी अंतरण, योजनाकरण, ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण, अ.जा./अ.ज.जा. व महिलाओं के आरक्षण से संबंधित मुद्दे, चुनावों, लेखा व अंकेक्षण के रख-रखाव, पंचायत के समकक्ष समांतर निकायों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, पंचायतों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन को तैयार करने तथा पंचायती राज की न्याय प्रणाली को स्पर्श किया गया है। अनेक परामर्शों, समीक्षा बैठकों एवं राज्यों व पंचायतों के सघन भ्रमण के माध्यम से सर्वसम्मत निर्णय का पुनरीक्षण किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय नियमित रूप से पंचायतों को शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण के संबंध में जमीनी यथार्थों का मूल्यांकन पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद, राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पंचायती राज सचिवों की समितियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसम्पन्न उप-समति की बैठक के सांस्थानिक तंत्र के माध्यम से करता रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के 22 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित गहन भ्रमण से पंचायतों को शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण का राज्य-विशिष्ट रोड मैप सामने आया। यह रोड मैप, जो संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित परिसमापन वक्तव्यों में शामिल है, ऐसी कार्रवाई बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है जिन पर राज्य, पंचायतों को निधि, प्रकार्य व कर्मियों के अंतरण पर विशेष बल प्रदान करते हुए गोलमेजों की सिफारिशों को प्रचालित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

वर्ष 2006-07 में, पंचायती राज मंत्रालय ने अक्टूबर, 2004 में श्रीनगर में हुए पंचायती राज मंत्रियों के चौथे गोलमेज में मंत्रालय द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित पंचायतों की स्थिति की एक मध्यावधि समीक्षा की। इस प्रतिवेदन को 23 नवम्बर, 2006 को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा दिसम्बर, 2006 में लोकसभा में इस पर बहस हुई।

वर्ष 2007-08 के दौरान मंत्रालय ने, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज की स्थिति के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य सौंपा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंचायतों के सशक्तिकरण के कार्यक्षेत्र व विस्तार के संदर्भ में राज्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी सम्मिलित है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों की भूमिका व कार्यकलाप पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन के कार्य को भी कमिशन किया है। इनका परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान बजट सत्र के द्वितीयार्द्ध में उस स्वतंत्र मूल्यांकन के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने की संभावना है।

राज्य-विधान, विभिन्न तरीकों से पंचायतों को प्रकार्य व गतिविधियों के अंतरण की अभिव्यक्ति को अधिदेशित करते हैं। उनमें पंचायतों को निर्धारित प्रकार्यों के विवरण को रेखांकित करते हुए विस्तृत प्रावधान होते हैं अथवा वे किसी अनुसूची के जरिए उसे राज्य कानून में ला सकते हैं अथवा दोनों दृष्टियों के संयोग से उसे हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह से राज्यों द्वारा प्रकार्यों के अंतरण की सूचना में कुछ गैर-मानकीकरण के तत्व उभरते हैं, जबकि कुछ, कानून के अन्तर्गत सौंपी गई एक-एक गतिविधि को, विधि के अंतर्गत अंतरित 'विषयों' के तौर पर पृथक रूप से परिगणित करते हुए अंतरण के उच्च रेंज को प्रतिवेदित करते हैं वहीं दूसरे अंतरित 'विभागों' के मानदंड के आधार पर प्रतिवेदन देते हैं।

यह एक सामान्य अनुभव है कि राज्यों द्वारा किया गया वैधानिक अंतरण केवल कागजों पर ही रह जाता है तथा उसे वैसे कार्यकारी आदेशों के अनुवर्तन की जरूरत होती है, जो न केवल प्रकार्यों के अंतरण को अधिदेशित करते हैं वरन् अंतरित प्रकार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए पंचायतों को आवश्यक वित्त के अंतरण व कर्मियों को उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर एक 'प्रकार्य' को कानून द्वारा अंतरित किया जा सकता है तथा गतिविधियों को गतिविधि मानचित्रण द्वारा, जिन्हें एक साथ, पंचायतों से सम्बन्धित विभागीय कर्मचारियों को जवाबदेही हेतु मापदंड के तौर पर रखा जा सकता है। तथापि तकनीकी मानकों

तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं (जैसे पी.डब्ल्यू.डी कोड), परिपत्रों, कार्यालय ज्ञापनों, स्थानांतरण आदेशों इत्यादि में लम्बे समय से स्थापित कोडों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया इसलिए उनका कार्यान्वयन प्रकारांतर से वस्तुतः संबंधित लाईन विभागों के साथ ही रहता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सैद्धांतिक स्पष्टता तथा राज्यों में तुलना किये जाने, दोनों ही दृष्टियों से, प्रकार्यात्मक अंतरण का विश्लेषण करते समय 'गतिविधि', 'विषय' एवं 'विभागों' के मध्य अंतर बनाये रखा जाए। इसके परिणामस्वरूप, पंचायती राज मंत्रालय ने 'पंचायतों की स्थिति प्रतिवेदन एक स्वतंत्र मूल्यांकन' को तैयार करने के समानांतर, राज्यों में पंचायतों के प्रकार्यात्मक अंतरण के सूक्ष्म और आलोचनात्मक विश्लेषण को कराना आरंभ कर दिया है। जिसमें इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। यह प्रक्रिया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए पूरी की जा चुकी है। इन विस्तृत मूल्यांकनों पर राज्यों से टिप्पणियों प्राप्त की जा रही हैं।

मंत्रालय ने पंचायत सशक्तिकरण एंव जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम की शुरूआत भी की है जो प्रकार्यों, वित्तों व कर्मियों के अंतरण के जरिए पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देता है।

विवरण-I

प्रकार्यों का अंतरण

क्र. सं.	राज्य	विधान के माध्यम से विषयों का अंतरण	गतिविधि मानचित्रण के तहत शामिल किए गए विषय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17	9	गतिविधि मानचित्रण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	असम	29	22	गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया जा चुका है।
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	3	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया।
4.	बिहार	25	25	समिति गतिविधि मानचित्रण को देख रही है।
5.	छतीसगढ़	29	27	गतिविधि मानचित्रण तैयार किया जा रहा है, और अभी अधिसूचित किया जाना है।
6.	गोवा	21	18	स्वयं अधिनियम पंचायतों को दी जानेवाली शक्तियों को व्यापक रूप से सूचीबद्ध करता है। एक तरीके से यह स्वयं में गतिविधि मापन है तथापि एक अलग कार्य भी चल रहा है
7.	गुजरात	15	14	गतिविधि मानचित्रण किया जा रहा है, लेकिन पूर्ण एवं अधिसूचित नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	जिला पंचायत-मात्र परामर्शदात्री, पर्यवेक्षण तथा समन्वय शक्तियां मध्यवर्ती पंचायत-27 ग्राम पंचायत-25	28	फरवरी 2006 में 28 विषयों के लिए विस्तृत गतिविधि मानचित्रण जारी किया गया। फिर भी, धरातल पर अंतरण की व्याप्ति को निश्चित किया जाना है। 5 जिलों में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गये अध्ययन से प्रदर्शित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं को उन्हें सौंपे गये उत्तदायित्वों का ज्ञान नहीं था।
9.	हिमाचल प्रदेश	29	26	जुलाई 1996 में 15 विभागों के लिए प्रकार्यों के अंतरण के लिए सामान्य अधिसूचना जारी की गई। तथापि, उनमें से केवल 8 ने आगे अधिसूचना जारी की।
10.	झारखंड			पंचायतों के चुनाव नहीं हुए।
11.	कर्नाटक	जिला पंचायत-26 मध्यवर्ती पंचायत-27 ग्राम पंचायत-27	29	भारत सरकार के कृतक बल की सिफारिशों के अनुसार अगस्त 2003 में गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया गया।
12.	केरल	26	26	किए गए जिम्मेवारी मानचित्रण का पुनः अवलोकन किया जा रहा है, 18 विभागों को शामिल किया गया है।
13.	मध्य प्रदेश	जिला पंचायत-7 मध्यवर्ती पंचायत-17 ग्राम पंचायत-8	25	18 विषयों को ग्राम सभाओं को अंतरित कर दिया गया है। 25 विषयों के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं। राज्य द्वारा गतिविधि मानचित्रण का पुनः अवलोकन किया जा रहा है। निधि और पदाधिकारियों को 19 विषयों के लिए अंतरित किया गया है।
14.	महाराष्ट्र	18	18	पंचायतों को अंतरित किए गए कार्य कलाप स्वयं अधिनियम में सूचीबद्ध हैं।
15.	मणिपुर	22	22	अभी तक केवल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वाणिज्य एवं उद्योग, मत्स्य तथा कला व संस्कृति विभागों ने पंचायतों को वित्तों एवं कार्यकर्ताओं के अंतरण के लिए विभागीय अधिसूचना जारी की है।
16.	उड़ीसा	जिला पंचायत-16 मध्यवर्ती पंचायत-5 ग्राम पंचायत-21	18	अक्टूबर 2005 में गतिविधि मानचित्रण के संबंध में दस्तावेज जारी किए गए थे। 2005 के बाद की अवधि में संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी किए जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4	5
17.	पंजाब	7	6	अक्टूबर, 2003 में 6 विभागों के संबंध में अंतरण के आदेश जारी किए गए थे। अब 29 मामलों के लिए गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया जा चुका है और सरकारी अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।
18.	राजस्थान	जिला पंचायत-22 मध्यवर्ती पंचायत-25 ग्राम पंचायत-26	28	सन् 2001-2003 के बीच 28 विषयों के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं, तथापि एक विषय, यथा सड़क, कलवर्ट्स, पुलों, जलमार्गों तथा संचार के अन्य साधनों के लिए इन्हें स्थगित रखा गया है। राज्य सरकार ने विषय पर पुनः अवलोकन किया है तथा गतिविधि मानचित्रण पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। पंचायतों को वित्तीय उत्तरदायित्व के सौंपे जाने के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन कमिशन किया गया है।
19.	सिक्किम	जिला पंचायत-15 ग्राम पंचायत-18	18	गतिविधि मानचित्रण पूर्ण किया जा चुका है एवं नवम्बर 2006 में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। सभी 29 विषयों के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए जिनमें से कई प्रोमोशनल गतिविधियों के लिए हैं।
20.	तमिलनाडु	29	—	गतिविधि मानचित्रण किया जाना है। ग्रामीण विकास एवं स्थानीय प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
21.	त्रिपुरा	29	21	12 विभागों के लिए पंचायतों को प्रकार्यों को अंतरित करने वाले सरकारी आदेश तैयार है।
22.	उत्तर प्रदेश	12		12 विभागों से संबंधित प्रकार्यों को पंचायतों को अंतरित किया जा चुका है। गतिविधि मानचित्रण अभी भी सरकार के पास विचाराधीन है।
23.	उत्तराखंड	14	9	गतिविधि मानचित्रण सितम्बर, 2006 में जारी की गई थी, लेकिन विभागों ने अभी तक अपनी अधिसूचना जारी नहीं की है।
24.	पश्चिम बंगाल	जिला पंचायत-18 मध्यवर्ती पंचायत-29 ग्राम पंचायत-28	28	ग्राम सभाओं को 18 विषयों को अंतरित किया गया है। गतिविधि मानचित्रण को नवंबर 2005 में पूर्ण किया गया।

विवरण-II

विभिन्न राज्यों द्वारा सूचित की गई कार्मिकों के अंतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	कार्यकर्ताओं का हस्तांतरण
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	केवल सामान्य कर्मचारी दिये गये हैं। विभागीय कर्मचारी विभागों को उत्तर देते हैं।
2.	असम	राज्य द्वारा जारी गतिविधि मानचित्रण अधिसूचना पंचायतों को प्रकार्यों के अंतरण के समतुल्य कर्मियों का अंतरण उपलब्ध कराता है।
3.	अरुणाचल प्रदेश	अत्यल्प कर्मचारी दिये गये हैं।
4.	बिहार	केवल सामान्य कर्मचारी दिये गये हैं। विभागीय कर्मचारी विभागों को जवाब दते हैं।
5.	छत्तीसगढ़	सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा शिक्षा, जनजाति स्वास्थ्य सहित 7-8 अन्य विभागों के लिपिकीय और चतुर्थ वर्ग के काडरों को समाप्त प्राय काडर घोषित किया गया है तथा इन काडरों में नई भर्ती सीधे पंचायतों द्वारा की जाती है। जनपद पंचायतों के स्तर पर नए शिक्षा कर्मियों की भर्ती के मामले में छत्तीसगढ़ विशेष रूप से सफल रहा है। इस प्रकार स्थानीय स्तर के काडरों में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।
6.	गोवा	ग्राम पंचायतें सचिव या ग्राम सेवक को छोड़ कर अन्य कर्मियों की नियुक्ति पंचायत कोष से कर सकती है। जिला परिषदों में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष का पूरा नियंत्रण जिला परिषद के कर्मचारियों पर है।
7.	गुजरात	ग्यारह विभागों के राज्य सरकार के 2.2 लाख कर्मचारियों को पंचायत स्तर के पदों पर प्रतिनियुक्त कर पंचायतों को अंतरित किया गया है।
8.	हरियाणा	फरवरी 2006 का गतिविधि मानचित्रण तीन विभागों के कर्मियों को समप्रतिनियुक्ति के माध्यम से अंतरित करता है।
9.	हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी राज्य सरकार के पास है। 'सी' तथा 'डी' श्रेणी के छः प्रकार के कर्मियों की नियुक्ति प्राधिकार पंचायतें हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतें 2 श्रेणी के लोगों की प्रत्यक्ष उपस्थिति को रिपोर्ट कर सकती हैं।
10.	झारखंड	पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है।
11.	कर्नाटक	वे सभी विभाग जिन के प्रकार्यात्मक अंतरण का कार्य किया गया था, के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंचायतों को अंतरित किया गया। ग्राम पंचायतें पंचायत सचिव को छोड़कर अन्य पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। जिले में सभी प्रकार के तबादले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किये जाते हैं।
12.	केरल	अनुशासनात्मक नियंत्रण और कैरियर समीक्षा (गोपनीय प्रतिवेदन के माध्यम से) के साथ 14 विभागों के कर्मचारियों का स्थानांतरण पंचायतों को किया गया।
13.	मध्य प्रदेश	वर्ग-III के सभी ग्रामीण स्तर के कर्मियों को समाप्त प्राय काडर में संपरिवर्तित किया गया और पंचायतों द्वारा नयी भर्ती की गई। इनमें पंचायत सचिव, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	पंचायत स्तर के सभी समूह-III और IV के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जिला पंचायतों द्वारा की जानी है। सन 2003 के नये संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत के अंतर्गत लाया गया है।
15.	मणिपुर	पंचायतों में सरकारी कर्मचारी की तैनाती होती है और वे सरकार के नियंत्रण व देखरेख में अपना कार्य करते हैं।
16.	उड़ीसा	स्थानांतरित स्कीमों के बारे में सरकारी विभागों के कर्मचारी पंचायतों को रिपोर्ट करते है। पंचायतें अपनी तरफ से कोई नियुक्ति नहीं करती हैं।
17.	पंजाब	सात विभागों की तरफ से देख-रेख संबंधी अधिकारों को पंचायतों को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग में पी एच सी को चलाने के लिए आउटसोर्सिंग के अधिकार, पंचायतों को अंतरित किए गए हैं। हाल ही में, शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती का अधिकार पंचायतों को दिया गया है।
18.	राजस्थान	आठ विभागों के सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रत्येक पंचायत में तैनात किया गया है।
19.	सिक्किम	सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की है। पंचायत सचिव का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज सेवा नियम का प्रारूप राज्य द्वारा तैयार किया गया है और लाईन विभागों द्वारा उसकी परीक्षा चल रही है।
20.	तमिलनाडु	पंचायत अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर अंशकालिक लिपिकों की नियुक्ति की जा सकती है। लाईन विभागीय पर जिला परिषद तथा प्रखण्ड पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं है।
21.	त्रिपुरा	सरकार की ओर से 21 विभागों से संबंधित कर्मचारियों को पंचायतों में प्रतिनियुक्त किया गया है इनके वेतन के भुगतान, छुट्टी-मंजूरी, गोपनीय रिपोर्ट लेखन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी अधिकारों का प्रयोग पंचायतों के पास है।
22.	उत्तर प्रदेश	ग्राम पंचायतों के पास यह अधिकार है कि वे ग्राम स्तर के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करें। कुछ विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को सन 1999 में ग्राम पंचायतों को स्थानातरित किया गया परंतु कालांतर में उन्हें वापस बुला लिया गया।
23.	उत्तराखंड	जनवरी, 2005 में पंचायतों को 14 विभागों के कर्मचारियों की सूचना और देख-रेख संबंधी कार्यकारी आदेश जारी किए गए।
24.	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रुप 'डी' के पदों, जिसके लिए पंचायत समिति के ई.ओ. नियुक्ति प्राधिकारी हैं, को छोड़कर अन्य सभी पदों पर नियुक्ति का प्राधिकार जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है। यह कार्य पश्चिम बंगाल पंचायत संशोधन अधिनियम, 2006 के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास छः स्वीकृत पद हैं।

विवरण-II

राज्य बजटों में पंचायत सेक्टर का सृजन

सात राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान ने अपने राज्य बजटों में अलग से एक पंचायत

सेक्टर घटक उपलब्ध कराया है। गोवा में 29 मदों के लिए पृथक मांग शीर्ष सृजित किए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के राज्यों में बजटीय विश्लेषण करने के लिए तीन क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट सौंपे हैं जिससे कि निम्न का पता लगाया जा सके (क) राज्य किस हद तक पंचायतों को निधियां सौंप रहे हैं। (ख) बजट की ये स्कीमें व लाईन मदें जिन्हें संबंधित राज्य में प्रकार्यों के विधायी अंतरण तथा गतिविधि मानचित्रण के अनुसार पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए।

चन्द्रयान-I परियोजना में विदेशी सहयोग

***103. श्री अमिताभ नन्दी :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रयान-I परियोजना में कोई विदेशी सहयोग लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी **ब्यौरा क्या है;**

(ग) उस पर होने वाले वित्तीय व्यय **का ब्यौरा क्या है;** और

(घ) चन्द्रयान-I के प्रक्षेपण से देश को क्या-**क्या लाभ होने** की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री **(श्री पृथ्वीराज चव्हाण)**: (क) जी, नहीं। तथापि, चंद्रयान-I अंतरिक्षयान में भेजे जाने वाले ग्यारह वैज्ञानिक उपकरणों में से छः विदेशी वैज्ञानिकों और संस्थाओं से हैं। अंतरिक्षयान, प्रक्षेपण और मिशन स्वदेशी क्षमता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) विदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. जे पी एल/नासा, यू एस ए से चंद्र खनिजविज्ञानी मानचित्रण : खनिज संबंधी मानचित्रण हेतु।
2. ए पी एल/नासा, यू एस ए से मिनिसार: चंद्र ध्रुवों में हिम के मानचित्रण हेतु।
3. यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी (ई एस ए) के माध्यम से मैक्स प्लैंक इंस्टीटयूट, जर्मनी से एस आई आर-2 : खनिजविज्ञानी मानचित्रण हेतु।
4. ई एस ए के माध्यम से स्वीडन और जापान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एस ए आर ए : रासायनिक मानचित्रण और चुंबकीय विसंगति वाले क्षेत्रों का पता लगाने हेतु।
5. इसरो के साथ संयुक्त रूप से ई एस ए के माध्यम से रदरफोर्ड एप्पलटन प्रयोगशाला, यू के से सी आई एक्स एस : रासायनिक मानचित्रण हेतु।
6. बल्गेरिया से रेडोम : विकिरण मानीटरन हेतु।

(ग) इस सहयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। प्रत्येक वैज्ञानिक परीक्षण के लिए वित्तीय व्यवस्था संबंधित देश/संगठन द्वारा की गई है।

(घ) चंद्रयान-I पर रखे वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों से उच्च आकाशीय और स्पेक्ट्रमी विभेदन सहित संपूर्ण चंद्रमा के रासायनिक एवं खनिज संबंधी स्रोत और चंद्र सतह के विस्तृत क्षेत्रीय मानचित्र प्राप्त होंगे। यह आंकड़ा उत्पाद चंद्रमा के विकास के बारे में और अधिक अध्ययन करने और ग्रहीय खोज पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य जारी रखने हेतु युवा वैज्ञानिकों को उत्साहित करने में वैज्ञानिक समुदाय की सहायता करेगा।

समुद्रीय बोर्डों की स्थापना

***105. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में समुद्रीय बोर्डों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां ऐसे बोर्डों की स्थापना की गई है;

(ग) समुद्रीय बोर्ड के कार्य क्या हैं और इन बोर्डों के वित्त-पोषण के स्रोत क्या हैं; और

(घ) देश में ऐसे बोर्डों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत महापत्तनों से भिन्न पत्तनों को विकसित करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। समुद्रीय बोर्ड, समुद्रीय राज्य सरकारों द्वारा महापत्तनों से भिन्न पत्तनों और उनसे जुड़े सेक्टरों के विकास के लिए स्थापित

और वित्त-पोषित किए जाते हैं। अब तक 09 समुद्रीय राज्यों में से 04 राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने समुद्रीय बोर्ड स्थापित किए हैं।

कोयला क्षेत्र में सुधार के संबंध में शंकर समिति की रिपोर्ट

*106. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में सुधार के संबंध में शंकर समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वे सिफारिशें/सुझाव क्या हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) जी, हां। कोयला क्षेत्र के सुधारों की स्थिति के संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट का भाग-I दिसंबर, 2005 में तथा भाग-II सितंबर, 2007 में प्रस्तुत कर दिया है।

कुल प्रमुख सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है:

क्र.सं.	प्रमुख सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	केप्टिव कोयला खनन पर जोर देते हुए अल्पावधि से मध्यावधि में मांग तथा पूर्ति के बीच के अंतर को पाटने हेतु घरेलु कोयला उत्पादन में वृद्धि करना।	मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के अधीन कई नयी कोयला परियोजनाओं को शुरू करने के अलावा सरकार ने कई नए केप्टिव कोयला ब्लाक आबंटित किए हैं।
2.	चूंकि कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा इसलिए 15 वर्षों में समस्त भारत को क्षेत्रीय मैपिंग द्वारा कवर करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।	5438 वर्ग किलोमीटर के शेष कोयलाधारी क्षेत्र को क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत लाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 11वीं योजना के दौरान 2791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तथा क्षेत्र को उसके बाद लाने का विचार है। सीएमपीडीआईएल की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग क्षमता को दुगना किया जा रहा है।
3.	कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाए तथा सी.आई.एल. की सहायता कंपनियों को मिनीरत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाए जिसमें इस प्रकार की सहायक कंपनी के उन प्रस्तावों पर सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिनमें पूंजी व्यय 500 करोड़ रु. से अधिक का होगा।	सीआईएल को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर दी गई है तथा प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा, सीआईएल और उसकी 5 सहायक कंपनियों (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि., नार्दन कोलफील्ड्स लि. और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

1	2	3
4.	कोयला परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणी मुद्दे पर सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।	सरकार ने 14.9.2006 को नयी पर्यावरण अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार कोयला खनन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
5.	कोयले के योजनाबद्ध आयातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।	आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप में विद्युत क्षेत्र द्वारा आयातों की आयोजना की जाती है।
6.	उस समस्त घरेलू कोयले के अनुपात में बढ़ोतरी करना जो कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं है, उसे अगले 2 से 3 वर्षों में ई-नीलामी बाजार के अंतर्गत लाया जाए।	कोयले की ई-नीलामी शुरू कर दी गई है।
7.	पावर सेक्टर को फीड कर रहे लिंकेजों की मौजूदा पद्धति के स्थान पर औपचारिक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति एवं परिवहन करार हों जिसमें रेलवे भी शामिल हो।	सरकार की नयी कोयला वितरण नीति में दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति तथा परिवहन करारों की व्यवस्था है जिसमें रेलवे भी शामिल है।
8.	यदि आबंटी ने आबंटित खानों में उत्पादन करने के लिए अथवा अन्त्य उपयोग यूनिटों को स्थापित करने के लिए अन्त्य उपयोग यूनिटों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं तो पूर्व में जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए सभी सम्भव कानूनी उपाय किए जाने चाहिए।	केप्टिव ब्लाकों की प्रगति की नियमित समीक्षा के आधार पर कुछ कोयला ब्लाकों का आबंटन समाप्त कर दिया गया है। आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित निगरानी की जा रही है।
9.	बाजार की वास्तविकताओं को देखते हुए कोयले की कीमत को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। कोयला कीमत के विनियमन को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के मूल्य-निर्धारण में भिन्नता करनी है क्योंकि यह 80% घरेलू उत्पादन की खपत करता है और कोयले की जिस कोटि की यह खपत करता है, वह इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों को सुलभता से बिक्री योग्य नहीं है।	कोयले की कीमतों को निर्धारित करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करने हेतु योजना आयोग की एक समिति कोयले के मूल्य-निर्धारण के मुद्दे की जांच कर रही है। समिति द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
10.	भूमिगत खनन को प्रोन्नत करना	मुख्यत: प्रचालनों के यंत्रीकरण के अपनाकर सतत खनिक प्रौद्योगिकी और लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके भूमिगत खानों से 2006-07 में लगभग 44 मि.ट. से बढ़कर 2011-12 में लगभग 67 मि.ट. के उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने हेतु सीआईएल ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

1	2	3
11.	प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देते हुए कामगारों तथा मशीनरी के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।	मुख्यतः प्रचालन के घंटों की संख्या में बढ़ोतरी करके और अनुरक्षण एवं मरम्मत ठेकों का अवार्ड करके, पुराने उपकरणों की बदली को कारगर बनाकर और बड़े आकार के उपकरणों को तैनात करके ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) की उत्पादकता में सुधार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमिगत खानों में साइड डिस्चार्ज लोडरों, लोड हाल डम्परों, कन्वेयर बेल्टों को अपनाकर तथा जहां कहीं व्यवहार्य हो, सतत् खनिक प्रौद्योगिकी एवं लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके यंत्रीकृत कोयला लदान के माध्यम से उत्पादकता में सुधार का समाधान किया जा रहा है। शार्टवाल प्रौद्योगिकी को भी परीक्षण आधार पर लागू किया गया है। कुछ ओपनकास्ट खानों में हाईवाल प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
12.	सकल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित कोयले के मूल्य-निर्धारण तथा ग्रेडिंग को अपनाना।	प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा जीसीवी आधारित कोयले के ग्रेडिंग को अपनाने के दबाव को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि पहले कोयले के उपयोगी उष्मा मूल्य (यूएचवी) आधारित ग्रेडों के मौजूदा बैंडो को कम किया जाए।
13.	कोयले की धुलाई को प्रोन्नत करना।	सरकार ने कोयला कंपनी की भूमि पर वाशरियां स्थापित करने की निजी उद्यमियों को अनुमति प्रदान करके धूले हुए कोयले के उपयोग को प्रोत्साहित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। हाल में, बिल्ड ओन मेनटेन (बीओएम) आधार पर नयी वाशरियों की स्थापना करके विद्युत क्षेत्र को सीआईएल द्वारा धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने का भी निर्णय लिया गया है और वित्त व्यवस्था सीआईएल द्वारा की जाएगी।
14.	भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोयले से द्रवीकरण (सीटीएल) आदि जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना	सरकार ने वाणिज्यिक लाइनों पर सीबीएम प्रचालनों की अनुमति पहले ही दे दी है तथा विभिन्न उद्यमियों को 26 ब्लाक आबंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय

1	2	3
		(डीजीएच) सीबीएम प्रचालनों को विनियमित करता है। सीएमएम के लिए मौजूदा खानों से मीथेन गैस निकालने हेतु कोयला कंपनियां कार्रवाई कर रही हैं और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की खानों में से एक खान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)/वैश्विक पर्यावरणीय निधि (जीईएफ) के सहयोग से एक निदेर्शन परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। सरकार ने हाल ही में केप्टिव खनन नीति के अंतर्गत एक अन्त्य उपयोग के रूप में यूसीजी, सीटीएल को मान्यता दी है।

जिन अन्य सिफारिशों पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता है, वह प्रगति पर हैं।

कुपोषित शहरी बच्चे

*111. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी गरीबों में 3 वर्ष से कम आयु के लगभग 57 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास इस संबंध में उपलब्ध ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने वाली शहरी स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं बहुत ही कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या विशेष रणनीति तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के अनुसार शहरी क्षेत्र में तीन वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का अनुमानित अनुपात 30.1 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए तदनुरूपी अनुपात 43.7 प्रतिशत है जिससे राष्ट्रीय औसत 40.4 प्रतिशत बनता है।

इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्र में 5 वर्ष से कम की आयु वाले कुपोषित बच्चों का अनुपात शहरी क्षेत्र में 32.7 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्र में 45.6 प्रतिशत और यह समग्र 42.5 प्रतिशत है। सम्पत्ति सूचकांक के निम्नतम स्तर में कुपोषित बच्चों का अनुपात 56.6 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) कुपोषण आपस में जुड़े कारकों के परिणामस्वरूप होता है जिनकी जड़ गरीबी है जिनमें खाद्य, स्वास्थ्य परिचर्या, सुरक्षित जल, स्वच्छता संबंधी सेवाओं की सुलभता का अभाव शामिल हैं। घटिया उपयुक्त खान-पान और परिचर्या की प्रक्रियाएं, वित्तीय, सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी की सुलभता की कमी से भी कुपोषण अत्यधिक बढ़ता है। सामाजिक भेदभाव, शिक्षा की कमी और लिंग असमानता से भी इसकी स्थिति और बिगड़ी है।

चूंकि अनेक क्षेत्रों में अंतर्निहित कारकों के परिणामस्वरूप कुपोषण होता है इसलिए कुपोषण का निवारण करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

- एकीकृत बाल विकास योजना

- 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005-06 और 2006-07 में इस योजना का दो बार विस्तार किया गया है।

- सरकार ने अनुपूरक पोषण के लिए वित्तीय मानदण्ड एक रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए प्रतिदिन प्रति लाभ भोगी कर दिया है।

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र व्यावसायिक संस्थान के माध्यम से योजना को मॉनीटर करने के लिए राष्ट्रीय लोक सहकारिता व बाल विकास संस्थान में एक केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट स्थापित किया गया है। यह इस समय विद्यमान मानीटरिंग तंत्र के अतिरिक्त होगा।

- योजना के समग्र कार्यचालन को देखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारगर ढंग से लक्षित समूहों को सेवाएं प्रदान की जाएं और आईसीडीएस योजना के समग्र कार्य ढांचे के भीतर योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, राज्य मंत्री (डब्ल्यूसीडी) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की मानीटरिंग समिति भी गठित की गई है।

- योजनाबद्ध मानदण्डों के अनुसार अनुपूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों पर निरन्तर जोर दिया जाता है।

- राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबंधी पोषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना), (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग)।

- अल्पोषित किशोरियों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क प्रदान करने के लिए 51 जिलों में राष्ट्रीय किशोरी कार्यक्रम।

- खाद्य और पोषण बोर्ड के पोषण शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ii) कुपोषण के स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी घटक पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

1. नवजात और छोटे बच्चों के पोषण संबंधी संघटक हैं:—

   - विशेष रूप से प्रसव के पहले घंटे में शीघ्र स्तन पान शुरू करना।

   - 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना।

   - समय पर अनुपूरक पोषण करना और 2 वर्ष की आयु तक निरंतर स्तनपान करना। बच्चे को जीवित रखने के लिए स्तनपान एक प्रमुख निवारक उपाय है।

2. सूक्ष्म पोषक तत्व का सम्पूरण-विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड और जिंक।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गरीब और सीमांत लोगों तक पहुंचने के लिए विशेष उद्देश्य से स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाए जाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता पर्यापत रूप से प्रभावी अंतरक्षेत्रीय समन्वय और सम्मिलन पर निर्भर करती है। इनमें निम्नलिखित शामिल है:

- स्वास्थ्य और गैर-स्वास्थ्य निर्धारकों के बीच तालमेल बढ़ाना जैसे कि पोषण, सुरक्षित जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पहुंचने के लिए रोड सम्पर्क और प्रथमिक विद्यालय शिक्षा।

- महिलाओं की अधिकारिता के उद्देश्य वाले प्रयास को बढ़ावा देना और

- सामुदायिक सहयोग वं पंचायती राज संस्थानों और निगम निकायों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

मंत्रालय अपने 'प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय जन स्वास्थ्य मानक क्रियान्वित कर रहा है जिसमें विद्यमान उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने के लिए कार्मिकों, उपस्करों और प्रबंधन संबंधी मानकों को परिभाषित किया गया है। भारतीय जन स्वास्थ्य

मानक, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या के स्वीकार्य मानक सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसमें शहरी गरीब लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य प्रदानगी की मौजूदा क्षमता को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाकर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को समान रूप से प्रदान करके शहरी गरीब लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रस्ताव है। इसमें विद्यमान अंतर को गैर-सरकारी प्रदायकों की सहभागिता से दूर करने की योजना है। यह इस ढंग से किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो कि लक्षित जनसंख्या के प्रत्येक खण्ड के लिए अच्छी तरह से निर्धारित सुविधाएं एक अधिकार के रूप में प्राप्त हों।

[हिन्दी]

खेल सुविधाओं के लिए सहायता

***113. श्री अजीत जोगी :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल सुविधाओं के सृजन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित खेल अवसंरचना योजनाओं के माध्यम से राज्यों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारें महंगी खेल अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए किसी वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिनांक 31.3.2005 तक, यह मंत्रालय राज्य सरकार/नगरपालिकाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों और कालेजों/स्कूलों इत्यादि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवसंरचना-योजनाओं के तहत अनुमोदित पद्धति के अनुरूप केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर आधुनिक खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा था। ये योजनाएं दिनांक 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गईं तथा योजना आयोग द्वारा दी गई छूट के अनुसार, दिनांक 31.3.2007 तक केवल प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों पर विचार किया जा रहा था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिक खेल अवसंरचना के सृजन के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

(ख) यह अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है किंतु सामान्यतः खेलों और खेल अवसंरचना में निवेश अपर्याप्त रहा है। हालांकि प्रमुख खेल अवसंरचनाओं में निवेश करना राज्य सरकारों का दायित्व है, तथापि केन्द्र सरकार प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए राज्य योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों को राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्र. सं.	स्पर्धा का नाम	राज्य योजना के तहत योजना आयोग द्वारा जारी की सहायता (करोड़ रुपए)
1.	फरवरी, 2007 में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय खेल	40.51
2.	वर्ष 2008 में रांची (झारखण्ड) में आयोजित राष्ट्रीय खेल	67.00
3.	वर्ष 2009 में उत्तराखंड में प्रथम एसएएफ शीतकालीन खेल	50.00

(ग) से (ङ) इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्तावित पंचायत युवा क्रीडा-खेल अभियान तथा राष्ट्रीय बृहत खेल नीति के प्रारूप तैयार किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक (31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा।

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	13.74	1	484.52	14	123.75	7	45.00	1	84.82	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.44	6	191.00	5	27.00	1	71.00	1	480.00	5
3.	असम	73.50	3	17	2	188.09	8	7.00	1	183.00	4
4.	बिहार	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
5.	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
7.	गुजरात	0.00	0	0	0	65.00	2	0.00	0	45.00	1
8.	हरियाणा	1.20	1	40.17	2	118.13	16	32.80	4	47.8065	6
9.	हिमाचल प्रदेश	6.61	3	100.21	8	118.63	10	0.00	0	93.135	8
10.	जम्मू व कश्मीर	5.02	5	26.82	18	22.50	1	0.00	0	0.00	0
11.	कर्नाटक	82.20	14	58.7	8	101.3	9	0.00	0	42.60	2
12.	केरल	0.124	1	13.01	4	1.50	1	0.00	0	8.44	2
13.	मध्य प्रदेश	62.40	4	152.27	13	115.40	6	18.00	1	219.265	11
14.	महाराष्ट्र	165.00	7	238.43	13	169.04	9	45.08	2	419.23	10
[illegible]	मणिपुर	62.50	5	0	0	22.50	3	0.00	0	92.838	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मेघालय	0.00	0	100.11	5	234.55	5	0.00	0	0.00	0
17.	मिजोरम	57.75	11	136.32	21	30.00	1	59.59	1	0.00	0
18.	नागालैंड	194.00	8	962.46	21	115.98	12	45.00	1	1041.01	9
19.	उड़ीसा	15.50	2	0.05	1	0.75	1	0.00	0	10.75	2
20.	पंजाब	10.00	1	45.00	1	0	0	0.00	0	0.00	0
21.	राजस्थान	10.71	2	25.00	2	8.72	1	23.00	1	46.293	3
22.	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	97.011	8	170.36	22	81.154	13	50.52	2	195.2	9
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	16.29	1	46.94	3	69.23	6	83.30	4	68.015	6
26.	पश्चिम बंगाल	28.00	2	20.07	15	49.70	4	0.00	0	0.00	0
27.	छत्तीसगढ़	0	0	0	4	0	0	0.00	0	0.00	0
28.	झारखण्ड	0	00	0	0	30.00	1	0.00	0	0.00	0
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0	94.80	5	0.00	0	0.00	0
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
32.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
33.	दमन व द्वीव	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
34.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
35.	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	1057.99	85	2906.98	182	1787.99	122	480.00	19	3077.4025	90

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक (31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा।

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	1	0.00	0	20.00	1	0.00	0	0.00	0
2.	हरियाणा	0.00	0	30.00	1	0.00	0	0.00	0	40.00	1
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	1
7.	महाराष्ट्र	0.00	0	50.00	1	15.00	1	0.00	0	0.00	0
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	50.00	1	0.00	0	50.00	1
10.	पंजाब	20.67	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	65.00	1	0.00	0	0.00	0
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	150.00	3	0.00	0
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	0.00	0	20.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	झारखण्ड	0.00	0	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	120.67	2	200.00	4	150	4	150.00	3	190	3

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम

***114. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार कोयले से तरल पदार्थ बनाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्यम को प्रौद्योगिकीय-आर्थिक प्रभावकारिता क्या है;

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आपातकालीन परिचर्या के संबंध में नए

***115. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आपातकालीन परिचर्या के संबंध में नया पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पाठ्यक्रम कब तक शुरू किये जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार ने देश में चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों में एम डी (आपातकालीन चिकित्सा) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 को संशोधित करने का अनुमोदन दे दिया है। उक्त पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए चिकित्सा संस्थानों से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से उपयुक्त निर्णय लेगी।

विकास योजनाओं का मूल्यांकन

***116. श्री कैलाश मेघवाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की प्रभावी निगरानी और उनके कार्यान्वयन के लिए नई मूल्यांकन पद्धति और तंत्र विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य करती रही है, जिससे कि इन परियोजनाओं/स्कीमों के प्रभाव का आकलन किया जा सके तथा कार्यक्रम - डिजाइन में सुधार हेतु सबक ली जा सके। गत वर्षों में, सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ग्यारहवीं योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों तथा अवसंरचना सृजन हेतु कार्यक्रमों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए बजटीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। मुख्य चिंता कार्यक्रम कार्यान्वयन के गुणवत्ता की है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि योजना आयोग प्रमुख परिणामी क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसकी सार्वजनिक मानीटरिंग करने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में, परंपरागत कार्यान्वयन आधार पहल से ध्यान हटा कर, आउटपुट और परिणामोन्मुख पहल पर बल दिया गया है।

योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) कार्यान्वयन निष्पादन, डिलीवरी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का आकलन करने हेतु मूल्यांकन करता है। ये अध्ययन स्वाभाविक रूप से नैदानिक होते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता और/अथवा असफलता में सहायक कारकों की पहचान करते हैं और मिड-कोर्स सुधारों तथा भावी कार्यक्रमों हेतु बेहतर डिजाइन के माध्यम से स्कीमों के निष्पादन में सुधार हेतु शिक्षा देते हैं। योजना आयोग से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) की क्षमता को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है, जिससे कि सरकार की बढ़ी हुई मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सरकार से बाहर विद्यमान मूल्यांकन क्षमता को नेटवर्किंग से जोड़ने पर भी बल दिया जाएगा, जिससे कि ठोस

मूल्यांकन निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें। विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के गुणवत्ता मूल्यांकन से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र निष्पादन में सुधार होगा बल्कि अर्थव्यवस्था, दक्षता धारणीयता एवं सार्वजनिक क्षेत्र निधिकरण और विकास हस्तक्षेप की प्रासंगिकता से संबंधित व्यापक मुद्दों का समाधान होगा।

पोत निर्माण उद्योग को राजसहायता

*117. **श्री हरिन पाठक : क्या पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में पोत निर्माण उद्योग को राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या मानक/मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शिपयार्डों को दी गई राजसहायता का शिपयार्ड वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास राजसहायता प्रदान करने संबंधी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में पोत निर्माण उद्योग को राजसहायता प्रदान करना बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन, और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के शिपयार्डों सहित सभी शिपयार्डों के लिए 25 अक्टूबर, 2002 को लागू की गई पोत निर्माण सब्सिडी स्कीम 14 अगस्त, 2007 को समाप्त हो गई। 25 अक्टूबर, 2002 को पत्र सं. एस वाई-12025/3/98-एस बी आर द्वारा अधिसूचित इस समाप्त हो गई स्कीम और दिनांक 7 मार्च, 2003 के पत्र सं. एस वाई-12025/3/98-एस बी आर द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) विभिन्न शिपयार्डों को दसवीं योजना के दौरान मंजूर की गई सब्सिडी का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों से पोत निर्माण सब्सिडी का सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने हेतु पोत निर्माण आवेदनों में निहित लगभग 35 मामले लम्बित हैं। आवश्यक स्पष्टीकरणों, पर्याप्त समर्थनकारी दस्तावेजों की कमी, शिपयार्ड से देर से उत्तर मिलने आदि के कारण उपर्युक्त मामलों के संबंध में मंत्रालय द्वारा वह स्कीम समाप्त होने से पहले सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया जा सकता। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निजी क्षेत्र के शिपयार्ड जलयान की सुपुर्दगी के बाद ही सब्सिडी की मंजूरी के लिए पात्र हैं जिनका ब्यौरा शिपयार्ड को देना होता है।

(घ) और (ङ) पोत निर्माण सब्सिडी स्कीम को फिर से लागू किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण-I

समाप्त हो चुकी पोत-निर्माण सब्सिडी स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. **घरेलू आदेश पर पोत-निर्माण सब्सिडी**

निम्नलिखित शर्तों के अधीन घरेलू आदेश पर 30% पोत-निर्माण सब्सिडी देय हैं:

(i) केवल विश्वव्यापी निविदा आधार पर प्राप्त किए गए घरेलू आदेशों के लिए पोत-निर्माण सब्सिडी देय होगी।

(ii) वाणिज्यिक पोत-परिवहन-अधिनियम, 1958 की धारा 3(41) में परिभाषित समुद्र में जाने वाले जलयानों के लिए ही सब्सिडी देय होगी। इस तरह का जलयान न्यूनतम 80 मीटर लंबाई वाला वाणिज्यिक जलयान होगा।

(iii) सब्सिडी का परिकलन उस कीमत पर किया जाएगा जिस पर भारतीय शिपयार्ड ने विश्वव्यापी टेंडर प्राप्त किया हो। घरेलू आदेश के लिए कीमत का नियतन संबंधित विदेशी मुद्रा के अनुसार होगा और केन्द्रीय और गैर केन्द्रीय शिपयार्डों को भुगतान किस्तों में भुगतान की वास्तविक तारीख को प्रचलित बाजार निर्धारित विदेशी मुद्रा के तुल्य दर पर किया जाएगा। सब्सिडी, अनुबंध में सहमत स्तर भुगतानों के अनुसार दी जाएगी। सब्सिडी उस कीमत पर ही देय होगी जिस पर टेंडर प्राप्त किया गया हो और बाद की बढ़ोतरी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। निजी शिपयार्ड के मामले में, अनुसरण

किए जाने वाला सिद्धांत वही होगा सिवाय इसके कि सब्सिडी का भुगतान केवल जलयान की सुपुर्दगी के बाद किया जाएगा।

2. निर्यात आदेश पर पोत-निर्माण सब्सिडी

निर्यात आदेश पर इस स्कीम के अंतर्गत जलयान की किस्म और आकार का ध्यान किए बिना प्रत्येक निर्यात आदेश के मामले में 30% की पोत निर्माण सब्सिडी देय होगी। यह टेंडर अथवा वार्तातय आधार पर प्राप्त किए गए आदेश पर देय होगी और यह निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार्य होगी :

(i) सब्सिडी उस कीमत पर परिकलित की जाएगी जिस पर भारतीय शिपयार्ड ने विश्वव्यपी निविदा प्राप्त की है।

(ii) जहां जलयान की कीमत वार्तातय हो, कीमत का औचित्य इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2 में इसके बाद उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक (नौवहन), मुंबई द्वारा निर्धारित की जाएगी। सब्सिडी अनुबंधित कीमत अथवा यथाप्रमाणित कीमत, जो भी कम हो पर देय होगी।

3. सब्सिडी का दावा करने से पहले शिपयार्ड को पोत-निर्माण की पात्रता के बारे में सैद्धांतिक अनुमोदन मंत्रालय से प्राप्त करना होगा।

4. बजट प्रावधान की उपलब्धता और सब्सिडी स्कीम में निर्धारित शर्तों के अनुसार संतुष्टि हो जाने की शर्त पर प्रशासनिक मंत्रालय (रक्षा यार्डों के संबंध में रक्षा मंत्रालय और अन्य भारतीय यार्डों के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा संबंधित शिपयार्ड को सब्सिडी दी जाएगी।

5. यह स्कीम अधिसूचना की तारीख से 14 अगस्त, 2007 तक वैध थी।

विवरण-II

दसवीं योजना के दौरान विभिन्न शिपयार्डों को दी गई सब्सिडी

(करोड़ रु. में)

शिपयार्ड का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	—	—	—	50.53	40.52
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	25.37	10.00	15.00	51.00	70.00
योग	25.37	10.00	15.00	101.53	110.52

[अनुवाद]

पंचायत प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण

*118. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार में पंचायतों के सशक्तिकरण, ई-गवर्नेंस में पंचायत के प्रतिनिधियों विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य में विशेषकर

झारखंड और बिहार में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। पंचायती राज मंत्रालय महिलाओं सहित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को ई-गवर्नेंस के प्रशिक्षण सहित, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना कार्यान्वित करता रहा है। इसी प्रकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए प्रत्येक जिले की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के क्षमता निर्माण घटक के तहत 1.00 करोड़ रुपए की दर से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इन कार्यक्रमों को बिहार सहित संविधान के भाग IX के तहत आवृत होने वाले सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत विशिष्ट आबंटन नहीं है। राज्यों को निधियां उनसे द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती हैं। तथापि, उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाए हैं। बी.आर.जी.एफ. के तहत प्रत्येक जिले को पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के लिए प्रति वर्ष 1.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एवं बी.आर.जी.एफ. के प्रशिक्षण घटक के तहत राज्य-वार जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है:—

विवरण-I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (2006-2007) के तहत निधियों की निर्मुक्ति

क्र.सं.	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	400.00
2.	असम	77.60
3.	अरुणाचल प्रदेश	47.57
4.	बिहार	439.00
5.	हरियाणा	189.00
6.	हिमाचल प्रदेश	79.50
7.	केरल	44.00
8.	कर्नाटक	182.00
9.	मध्य प्रदेश	62.50
10.	सिक्किम	41.33
11.	त्रिपुरा	45.00
12.	उत्तर प्रदेश	899.80
13.	पश्चिम बंगाल	100.00
14.	लक्षद्वीप	12.72
15.	पुद्दुचेरी	3.00
	योग	2623.02

विवरण-II

2006-07, 2007-08 में बी.आर.जी.एफ. के तहत क्षमता निर्माण अनुदान की निर्मुक्तियां

क्र. सं.	राज्य	जिले	2006-07 में जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	2007-08 में जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13	1300.00	1300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	50.00	—
3.	असम	11	912.00	—

1	2	3	4	5
4.	बिहार	36	1446.00	—
5.	छत्तीसगढ़	13	910.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	2	—	200.00
7.	कर्नाटक	5	—	1000.00
8.	केरल	2	—	200.00
9.	मध्य प्रदेश	24	1496.00	2400.00
10.	महाराष्ट्र	12	619.00	—
11.	उड़ीसा	19	—	1900.00
12.	राजस्थान	12	787.00	—
13.	सिक्किम	1	95.00	—
14.	उत्तर प्रदेश	34	—	2530.00
15.	पश्चिम बंगाल	11	1050.00	—
16.	झारखंड	21	—	2100.00
	योग		8665.00	11630.00

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण घटक के तहत बिहार सरकार को 439.00 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहायता मुहैया करायी गई थी लेकिन झारखंड राज्य को कोई निधियां नहीं करायी जा सकीं क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हुए थे।

वर्ष 2006-07 के दौरान बिहार को 1446.00 लाख रुपए दिए गए एवं वर्ष 2007-08 के दौरान झारखंड को 2100.00 लाख रुपए बी.आर.जी.एफ कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण के लिए दिए गए।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना हासिल करना

*119. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री नवीन जिन्दल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि सोसाइटी आफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक आम भारतीय के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना हासिल करना आसान नहीं है जैसा कि 30 जनवरी, 2008 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी कार्यालय ग्रामीण लोगों से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को तंग किए जाने से रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) दि सोसाइटी आफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में ग्रामीण जनसाधारण कम जागरूकता के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम का व्यापक रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

(ग) से (ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, इस अधिनियम में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान निहित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यालय द्वारा किसी आवेदन को स्वीकार न करने की किसी भी शिकायत पर तदनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा की शिक्षा

*120. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त कितने महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा की शिक्षा दी जा रही है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें वर्ष-वार और संस्थानवार कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) इन महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा की शिक्षा के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) देश में प्राकृतिक चिकित्सा और योग की शिक्षा देने वाले 11 मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। ये कॉलेज प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में (बीएनवाईएस) स्नातक पाठ्यक्रम चलाते हैं। इन कॉलेजों की सूची विवरण-I में दी गई है।

ये 11 कॉलेज निम्नवत् उल्लिखित 5 विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं:

(i) डा. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गुनाडाला, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश;

(ii) प. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अमानक जी ई मार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़;

(iii) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, जामनगर, गुजरात;

(iv) राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर, कर्नाटक; और

(v) तमिलनाडु डा. एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय, 69, अन्ना सलाई, गुइंडी, चेन्नई

केंद्र प्रायोजित स्कीम आयुष संस्थानों का विकास के जीर्णोद्धार और स्नातकपूर्व (यूजी) घटकों के अंतर्गत आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 144.00 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इस संबंध में वर्षवार और संस्थानवार विस्तृत अदायगी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र प्रायोजित स्कीम आयुष संस्थानों का विकास के पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरओटीपी) और अनवरत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) घटक के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान 3.44 लाख रु. दिए गए हैं। इस संबंध में वर्ष वार और संस्थान वार विस्तृत अदायगी ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ख) पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या बनाने की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होती है। संबंधित विश्वविद्यालयों ने बीएनवाईएस पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या बनाई हैं। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, इस संबंध में कोई और कदम उठाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

विवरण-I

योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक और स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की सूची

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	विश्वविद्यालय संबद्धता/सरकारी मान्यता	प्रवेश क्षमता	स्थापना
1	2	3	4	5
1.	राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, अमीरपेट, हैदराबाद-500016 (आंध्र प्रदेश)	एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकार	30	1970
2.	एस.डी.एम. कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, उजीरे-574240 (डी.के.) कर्नाटक	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसिज, बंगलौर, कर्नाटक सरकार	60	1989

1	2	3	4	5
3.	जेएसएस इंस्टीटयूट ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, मैसुर रोड, ओटकामंड-643001 (तमिलनाडु)	तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु सरकार	60	1997
4.	शिवराज नेचुरोपैथी एण्ड योग मेडिकल कॉलेज, सिद्धर कोविल रोड, तुंबातुलीपत्ती, सेलम-636307	तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल, चेन्नई, तमिलनाडु सरकार	40	1997
5.	राजकीय नेचुरोपैथी एण्ड योग मेडिकल कॉलेज, अन्ना भारतीय चिकित्सा राजकीय अस्पताल, अन्ना नगर चेन्नई-600106	तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल, चेन्नई, तमिलनाडु सरकार	20	2001
6.	एसआरके मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, कुलसे धरम-629161, तमिलनाडु	तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल, चेन्नई, तमिलनाडु सरकार	40	2002
7.	महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, पगपुरा, जिला-दुर्ग-491001, छत्तीसगढ़	पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार	40	2002
8.	अलवस कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, मुदबिदी-574227 (डीके), कर्नाटक	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईसिज, बंगलौर, कर्नाटक सरकार	25	2003
9.	केएलईएस कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिक साइंस, साहापुर, बेलगांव-590003, कर्नाटक	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईसिज, बंगलौर, कर्नाटक सरकार	25	2004
10.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान, बड़ोदरा-390022, गुजरात	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, गुजरात सरकार	50	2005
11.	राजकीय नेचर क्योर एण्ड योग कॉलेज पीकेटीआर होस्पीटल, केआरएस रोड, मैसुर-570002	आरजी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईसिज, बंगलौर, कर्नाटक सरकार	25	2006

विवरण-II

गत तीन वर्षों अर्थात 2004-05 से 2006-07 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "आयुष संस्थानों का विकास" के अंतर्गत योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेजों को निर्गत अनुदान

क्र. सं.	कॉलेज/संस्थान का नाम	राज्य का नाम	उप स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	वित्तीय वर्ष
1.	—	—	—	शून्य	2004-05
2.	गांधी नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बेगमपेट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	यूजी	62.00	2005-06
3.	गांधी नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बेगमपेट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	जीर्णोद्धार	20.00	2006-07
4.	राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	तमिलनाडु	यूजी	62.00	2006-07
	कुल			144.00	

विवरण-III

गत तीन वर्षों अर्थात 2004-05 से 2006-07 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "आयुष संस्थानों का विकास" के अंतर्गत योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेजों को निर्गत अनुदान

क्र. सं.	कॉलेज/संस्थान का नाम	राज्य का नाम	उप स्कीम का नाम	संस्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	वित्तीय वर्ष
1.	—	—	—	शून्य	2004-05
2.	राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	तमिलनाडु	आरओटीपी/सीएमई	0.97	2005-06
3.	गांधी नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बेगमपेट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	1.50	2006-07
4.	गांधी नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बेगमपेट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	आरओटीपी/सीएमई	0.97	2006-07
	कुल			3.44	

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

972. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ ग्रामीण उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जैसा कि 21 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए/करने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी नहीं। जहां पंचायती राज मंत्रालय ने, जैसा कि 21 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है, वाणिज्य मंत्रालय के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है, वहीं पंचायती राज मंत्रालय ने केंद्रीय पंचायती राज व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री की सह-उपस्थिति में 20 फरवरी, 2008 को नागापट्टनम में भारतीय निर्यात व आयात बैंक (एक्सिम बैंक) के साथ सहयोग ज्ञापन (एम.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर किया है। सहयोग ज्ञापन निम्नलिखित गतिविधियों में पारस्परिक सहयोग के जरिए ग्रामीण भारत से निर्यात को समर्थन देने में ग्रामीण व्यवसाय केंद्र (आर.बी.एच) पहल को एक्सिम बैंक पहल के साथ जोड़कर पंचायती राज मंत्रालय के निर्यात संवर्धन गतिविधियों के उन्नयन पर केंद्रित है:—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में, खास कर एस.एम.ई. सेक्टर में, अपने विकेंद्रित उत्पादन गतिविधियों को संचालित करने की इच्छा रखने वाले उपयुक्त निर्यातकों की पहचान को सुकर बनाना;

(ii) पंचायतों के सहयोग व सुविधाओं को प्राप्त करते हुए ऐसे निर्यातकों व ग्रामीण उत्पादकों के मध्य पारस्परिक लाभकारी व्यवसाय को प्रोत्साहन देना;

(iii) ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों के निर्माण के लिए व्यवसाय योजनाओं की तैयारी पर संबंधित स्थानीय/राज्य निकायों को एक्सिम बैंक द्वारा शुल्क-आधारित परामर्शदात्री व सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रामीण व्यवसाय केंद्र की चिहि्नत उत्पादों की व्यापक दृश्यता व उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर व पारस्परिक सहमति होने योग्य नियम व शर्तों के साथ एक्सिम बैंक के ग्रामीण पोर्टल के साथ इन उत्पादों को जोड़ने व एक्सिम बैंक के विदेशी कार्यालयों में ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किए जाने को सुकर बनाना;

(v) एक्सिम बैंक अपने नेटवर्क के माध्यम से अंतराष्ट्रीय रूप से व्यापार करने लायक उत्पादों को चिन्हित करने में सहयोग करेगा;

(vi) नये ग्रामीण व्यवसाय केंद्र के नये परिदृश्य पर औचित्य अध्ययन में ग्रामीण व्यवसाय केंद्र सिद्धांत में रुचि प्रदर्शित करने वाली कंपनियों को सहयोग देना;

(vii) चुनिंदा ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों को एथिकल ट्रेडिंग, फेयर ट्रेड तथा सोशल ऑडिट (एस.एस. 2000) हासिल करने की प्रक्रिया से अवगत कराना;

(viii) संयुक्त कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, तकनीकी सत्र व बैठकें आयोजित करना जहां दोनों संगठनों के पदाधिकारियों तथा चुनिंदा देशों के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन संगठनों के प्रतिनिधि संकायकर्मी/प्रतिभागी के रूप में भाग ले सकें।

इस सहायता ज्ञापन से संबंधित शुल्क व व्यय, यदि कोई हो, तो जैसा भी मामला बनता हो उसका भुगतान पार्टियां करेंगी अथवा वे अपने बीच उसका साझा कर लेंगी।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका संपूर्ण देश में पंचायत-पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप मोड में ग्रामीण उद्योगों की स्वयं स्थापना न करके इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। ग्रामीण व्यापार केन्द्र औद्योगिक प्रसंस्करण तथा स्व-शासन के प्रतिनिधियों के स्थानीय संस्थानों को सम्मिलित करते हुए समावेशक शासन के जरिए समावेशक विकास को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादन से मूल्य-संवर्द्धन को जोड़ने पर लक्षित पहल है। इस पहल

का अनुवर्ती, क्षेत्र की संसाधन संपन्नता, लोगों की अनुभूत आवश्यकता व सापेक्षिक अज्ञ हो सकने वाली क्षमता, जिसे भिन्न-भिन्न ढंग से लिए जाने की जरूरत है, पर आधारित समेकित अभिगम है। इस प्रकार, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के माध्यम से पब्लिक-प्राईवेट-पंचायत-पार्टनरशिप के विकास व प्रोत्साहन का प्रयास कर रहा है जहां पंचायतें, पंचायतों के वित्तीय संस्थानों और उन्नायक निकायों के साथ राज्य और केन्द्रीय सरकार की व्यापक स्कीमों के अभिसरण को मुकर बनायेंगी। यह विकंद्रित ग्रामीण उत्पादन इकाइयों एवं बृहत्तर कॉरपोरेट इकाईयों की एक संपूर्ण व एकीकृत साझेदारी को विकसित करेगा।

मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिलों में कम से कम एक ग्रामीण व्यवसाय केंद्र गठित करने में पंचायतों व राज्य सरकारों को मदद करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए मॉडल को चिन्हित, विकसित व परिवर्धित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर ग्रामीण व्यवसाय केंद्र की शुरूआत की जानी है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए 2 करोड़ रु. आबंटन के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 24.90 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन प्राप्त है। मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 25 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव कर रहा है।

ग्रामीण व्यवसायिक केंद्र की स्थापना के लिए अब तक विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, जट्रोफा रोपण, कालीन बुनाई, हस्तशिल्प, प्रस्तर उत्कीर्णन इत्यादि में 10 राज्यों ने 110 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है।

औषधि अनुसंधान परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव

973. **श्री के.एस. राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधि अनुसंधान परियोजना स्थापित करने तथा अनुसंधानकर्ताओं, कारपोरेटों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु नई औषधि अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास समिति (पीआरडीसी) डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के आर एंड डी आधार को मजबूत करने के लिए अपेक्षित उपायों का अध्ययन एवं पहचान करने के लिए गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, नवीन औषधियों के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में एक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पीआरडीएसएफ) स्थापित की गई है। औषध विकास संवर्धन मंडल भी (डीडीपीबी) पीआरडीएसएफ के उपयोग के संचालन हेतु गठित किया गया है। इस कार्यक्रम में अन्य के साथ-साथ सहयोगी आर एंड डी परियोजनाओं में सहायता करना, फार्मास्युटिकल औद्योगिक आर एंड डी परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना, अच्छी गुणता वाली औषधियां उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, घरेलू कंपनियों को जीएमपी, जीएलपी और अन्य संस्थापित अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए समर्थ बनाना और भारत को फार्मास्युटिकल आर एंड डी और विनिर्माण गतिविधियों इत्यादि के लिए अधिमान्य वैश्विक गंतव्य के रूप में विकसित करना इत्यादि शामिल हैं।

पर्यटन संवर्धन के उपाय

974. **श्री मणि कुमार सुब्बा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छुट्टी यात्रा रियायत नियमों तथा इस संबंध में दिशा निर्देशों में छूट देकर सरकारी कर्मचारियों को विमान यात्रा की अनुमति देने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) सरकार ने रेल की हकदार श्रेणी के किराये की प्रतिपूर्ति की सीमा के अध्यधीन गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को एल.टी. सी. पर यात्रा करते समय राष्ट्रीय और निजी एयर लाइनों द्वारा यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है।

जानवरों की खाल तथा अन्य वन्य उत्पादों को जब्त करना

975. **श्री एम. अप्पादुरई** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बड़ी मात्रा में जानवरों की खाल तथा अन्य वन्य उत्पाद जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इन वन्य जीवों विशेषरूप से संकटापन्न प्रजातियों के शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा सूचित किए गए वन्यजीव और वन्यजीवों से बनी हुई वस्तुओं की हाल ही में की गई प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। चूंकि ये अवैध प्रवृत्ति की हैं, इसलिए जब्त की गई वस्तुओं के आर्थिक मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है।

(घ) भारत सरकार द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर कठोर दंड लगाया गया है।

2. वन्यजीव सुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

4. संकटापन्न प्रजातियों सहित वन्यजीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत, कन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

6. वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए भारत की चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों ने वन्य पशुओं की सुरक्षा व अवैध शिकार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।

2. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।

3. हथियार और गोला बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

4. जनता के लिए प्रकृति के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।

5. स्थानीय समुदायों से सहयोग मांगना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	मणिपुर	हिरण बारहसिंघा-304 टुकड़े	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार शमन किया गया।

1	2	3	4
2.	केरल	बाघ की खाल-1, हाथी दांत-3 जोड़ी, सर्पदंश-2.45 लीटर और 30.85 ग्राम	अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
3.	कर्नाटक	बाघ की खाल-3, तेंदुए की खाल-22, ऊदबिलाव की खाल-43	कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।
4.	दिल्ली	नेवलें के बालों से बनी हुई कूचियां (ब्रुशें)-660, हाथी दांत से बनी कलाकृतियां-32	कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

[हिन्दी]

भ्रामक विज्ञापनों पर रोक

976. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों तथा प्रचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) कतिपय मामलों तथा उपचारों में औषधों के भ्रामक विज्ञापनों, जिनमें औषधों में चमत्कारिक गुणवत्ता का होना बताया जाता है, पर विनियामक नियंत्रण, औषध एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन हेतु युवक संगठनों को प्रशिक्षण

977. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपदा प्रबंधन हेतु युवा स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कुछ युवक संगठनों की पहचान की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन युवक संगठनों का पता लगाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई;

(ङ) युवा स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण देने के लिए किन-किन एजेंसियों को शामिल किया गया;

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए; और

(छ) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कितने युवा स्वयंसेवियों को नामांकित किया गया?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य देखने के लिए गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय है और इसने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को आपदा जोखिम में कमी लाने और प्रबंधन के लिए युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए अभिनिर्धारित किया है।

(घ) इन युवा संगठनों को गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में लगभग दो वर्ष तक इन संगठनों के साथ विस्तृत पारस्परिक क्रियाकलापों के बाद अभिनिर्धारित किया गया है। विद्यार्थी स्वयंसेवकों के बीच एनएसएस की विस्तृत पहुंच और ग्रामीण युवाओं के बीच एनवाईकेएस को बुनियादी स्तर तक पहुंच, इनको शामिल करने के मुख्य कारण हैं।

(ङ) और (च) इन संस्थानों के स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर उनके संबंधित नोडल विभागों/संगठनात्मक संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनके अधिकारियों को संवेदनशील और अभिमुख किए जाने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण राष्ट्रीय, जिला प्रबंधन संस्थान, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास हेतु राजकीय संस्थान और आपदा प्रबंधन पर कार्य कर रहे अन्य संस्थान/संगठनों जैसे महाराष्ट्र में याशदा, के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जीओएल - यूएनडीपी के आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ज्ञानसाधन व्यक्तियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों से संबंध कुशल/विशेषज्ञों को विशेषत: गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग देते हैं। इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण सुगम बनाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को उनके संबंधित नोडल संगठनों द्वारा एकत्रित किया जाता है।

(छ) नेहरु युवा केन्द्र संगठन ने आपदा प्रबंध पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 314 युवाओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 5000 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों और नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा तैनात 6000 नेहरु युवा साथियों को आपदा प्रबंधन पर सीधे अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना ने आपदा जोखिम और बचाव अभियान पर 652 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 1,732,220 स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय सुविधा केन्द्र स्थापित करना

978. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए एक भारतीय सुविधा केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक गैर-लाभार्जक ट्रस्ट के रूप में प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र स्थापित किया है। केन्द्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- भारत में प्रवासी भारतीय निवेशों का संवर्धन और व्यवसाय दर व्यवसाय साझेदारियों को कारगर बनाना।
- निवेश संबंधी सभी सूचनाओं के लिए क्लियरिंग हाऊस के रूप में कार्य करना।
- डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क की स्थापना और उसका रख-रखाव।
- संरचना और सामाजिक क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के परियोजना निवेश अवसरों में भारत के राज्यों की सहायता करना।
- परामर्शी प्रश्नों, भारत में आवास, निवेश और वित्तीय मामलों आदि जैसे विषयों पर भारतीय मूल के व्यक्तियों और अप्रवासी भारतीयों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र प्रवासी भारतीय समुदाय के हितों की सेवा के लिए एक सभी सेवाओं के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता है। केन्द्र ने काम करना आरंभ कर दिया है और प्रवासी भारतीय दिवस 2008 के दौरान जनवरी, 2008 में एक मार्किट प्लेस का सफल आयोजन किया जिसमें निवेश और संरचना संबंधी क्षेत्रों के बारे में अनेक आमने-सामने व्यवसाय बैठकें आयोजित की गई।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से परियोजनाओं का कार्यान्वयन

979. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन के लिए 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 जो अन्य बातों के अलावा केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण तथा स्थानीय स्व-सरकार (अनुच्छेद 243 जो) के संस्थान के रूप में कार्य करने को संस्थागत किए जाने को अभिकल्पित करता है, के द्वारा त्रिस्तरीय प्रशासन का गठन पंचायती राज संस्थाएं (पी.आर.आई) करती हैं। कार्यों, कर्मियों एवं कोषों के अंतरण सहित पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न मानदण्डों का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ताकि पंचायती राज संस्थाएं ऐसे विकासात्मक एवं कल्याणकारी स्कीमों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक तरीके से कार्यान्वित करने में अपनी भूमिका निभा सकें। समावेशक विकास पर बल देकर सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को महत्व दिया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाएं

980. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा स्थानवार कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में स्थानवार खोले जाने वाले प्रस्तावित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के नये औषधालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) कर्नाटक का एक मात्र शहर बंगलौर ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा से कवर है। यह योजना 16.12.1976 को कर्नाटक में कार्यान्वित की गई है जिसका विस्तार नहीं किया गया है।

(ख) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी नए औषधालय को खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर विगत तीन वर्षों में वर्षवार व्यय निम्नवत् है:

वर्ष	व्यय (हजार रुपए में)
2004-05	216472
2005-06	181116
2006-07	234407

[हिन्दी]

देश में प्राणी उद्यान

981. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने प्राणी उद्यान हैं;

(ख) क्या इन प्राणी उद्यानों के जानवरों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) देश में 180 मान्यताप्राप्त प्राणी उद्यान हैं। प्राणी उद्यानों की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली, जिसका प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है को छोड़कर, अधिकांश प्राणी उद्यानों का प्रबंधन राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर नियमावली, 1992 को मान्यता के अंतर्गत चिड़ियाघरों द्वारा अनुपालन हेतु 51 मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं जिसमें चिड़ियाघरों में पशुओं की विभिन्न

आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है जिसके तहत, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 38 एच के अंतर्गत सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पशुओं की देखभाल को बेहतर तरीके से करने के लिए मान्यताप्राप्त चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण मान्यता प्रदान करते समय सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियाघरों का नियमित मूल्यांकन का कार्य भी करता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिड़ियाघरों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	15
3.	अरूणाचल प्रदेश	4
4.	असम	4
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ़	3
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दिल्ली	2
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	9
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	6
13.	झारखंड	6
14	कर्नाटक	17
15.	केरल	10
16.	मध्य प्रदेश	3
17.	महाराष्ट्र	14
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	2
20.	मिजोरम	2
21.	नागालैंड	2
22.	उड़ीसा	8
23.	पंजाब	5
24.	राजस्थान	7
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	9
27.	त्रिपुरा	1
28.	उत्तर प्रदेश	11
29.	उत्तराखंड	3
30.	पश्चिम बंगाल	23
	कुल योग	180

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लोगों के लिए विश्व सलाहकार परिषद स्थापित करना

982. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना भारतीय मूल के लोगों के लिए विश्व सलाहकार परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या होंगे; और

(ग) यह परिषद कब तक कार्य करने लगेगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2008 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की भारतीय मूल के व्यक्तियों की विश्व परिषद की स्थापना की घोषणा की थी। परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में, न केवल उनके निवास के देश में बल्कि विश्व स्तर पर जाना जाता है, को शामिल किया जाएगा। परिषद प्रधानमंत्री के लिए अनुभव, ज्ञान और सर्वोत्तम भारतीय मस्तिष्कों, चाहे वे कहीं भी बसे हों, के एक उच्च स्तरीय मंच रूप में कार्य करेगी। परिषद (क) प्रवासी भारतीयों की चिंताओं और समस्याओं के प्रभावी समाधान करने और (ख) प्रवासी भारतीयों को अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को बांटने के लिए प्रोत्साहित करने और (ग) भारत में विकास कार्यों के लिए प्रवासी भारतीयों के संसाधनों को आकर्षित करने के लिए वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ बोर्ड और "चिन्तन सागर" के रूप में कार्य करेगी। परिषद की स्थापना की प्रक्रिया जारी है और इसके अगले प्रवासी भारतीय दिवस से पहले कार्य आरंभ कर देने की संभावना है।

पंचायत चुनाव हेतु दो बच्चों का मानदंड

983. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में पंचायत का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो बच्चों का मानदंड शुरू करने का है जिन राज्यों ने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी नहीं। पंचायत राज मंत्रालय का देश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए दो-बच्चों के मानदण्ड को पुरःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इसके विपरीत, पंचायती राज मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने अपने पंचायत कानूनों में इस प्रावधान को पुरःस्थापित किया है, इसे वापिस लेने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश व हरियाणा सरकारों ने पहले ही अपने पंचायती राज अधिनियमों से इस प्रावधान को हटा लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तदन्तर, 'दो-बच्चों' के प्रावधान को सुधार कर 'तीन-बच्चों' का मानदण्ड कर दिया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में अभी भी पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों को मानदण्ड प्रचलन में है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में चिरंजीवी योजना शुरू करना

984. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चिरंजीवी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से शुरू की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई तथा व्यय की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

985. श्री जीवाभाई ए. पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गैर-सरकारी संगठनों संगठनवार कितनी राशि की कथित सहायता प्रदान की गई.

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है.

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिनकी पुनरीक्षा के दौरान सरकार ने कमी पाई; और

(ङ) अब तक सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी हां। गैर-सरकारी संगठनों के लिए निधियां केन्द्र के प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, गुजरात के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा संवितरित किए जाते हैं जो उनका रिकार्ड रखती है। इस प्रयोजन के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, गुजरात को 285 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) गुजरात राज्य की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी गुजरात राज्य में गैर-सरकारी संगठनों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करती है।

(घ) गुजरात राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय प्रदूषण में भारत का स्थान

986. **श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में पर्यावरणीय प्रदूषण में भारत का स्थान ऊपर आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : (क) से (ग) विश्व में पर्यावरणीय प्रदूषण से ऊपर दर्शाने वाली निर्णायक रिपोर्टें उपलब्ध नहीं है। तथापि 2005 के पर्यावरणीय सततता सूचकांक (ई एस आई) के अनुसार भारत का स्थान 146 देशों में 101 वें स्थान पर है।

पर्यावरणीय प्रदूषण के उपशमन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों पर अधिसूचना;
- स्वच्छतर ईंधनों और उन्नत वाहनीय प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना;
- प्रदूषण फैला रहे उद्योगों की सत्रह श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निगमित उत्तरदायित्वों पर चार्टर (सी आर ई पी) का क्रियान्वयन; और
- पर्यावरणीय अनुपालन हेतु नियमित निगरानी।

उड़ीसा में परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

987. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय तथा वन मंजूरी के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा संस्तुत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) अब तक कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(घ) लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मंजूरी में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से एक सिंचाई परियोजना, तटीय विनियमन जोन अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 9 परियोजनाओं और चार खनन परियोजनाओं सहित कुल 14 परियोजनाएं प्राप्त हुई है। इनमें से 10 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है और 4 परियोजनाओं पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभी निर्णय लिया जाना है। इसी प्रकार उड़ीसा सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी के लिए 152 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनमें से 76 प्रस्ताव

अंतिम वन स्वीकृति और 39 प्रस्ताव सिद्धांत रूप से मंजूरी के लिए अनुमोदित किए गए हैं। 20 परियोजनाएं अधूरी सूचना के कारण लंबित हैं।

(घ) और (ङ) शीघ्र निर्णय के लिए किए गए उपायों में स्थिति की निरंतर मानीटरिंग, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकों की बढ़ाई गई अवधि और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार राज्य स्तर पर 'बी' श्रेणी के प्रस्तावों का आकलन करना शामिल है।

पोलियो रोग के संबंध में आई.ई.ए.जी. की सिफारिशें

988. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार दल, जिसकी हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी, ने भारत से पोलियो के समाप्त होने की आशा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेषज्ञ दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) पोलियो की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पोलियो संबंधी भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आई ई ए जी) की बैठक 19-20 दिसंबर, 2007 को हुई। आई ई ए जी की टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:—

— 2007 में त्वरित प्रतिरक्षण दौर तथा मोनोवैलेन्ट ओरल पोलियो वैक्सीन 1 (एम ओ पी वी 1) के प्रयोग के कारण वाइल्ड पोलियो वाइरस टाइप 1 (डब्ल्यू पी वी 1) संचरण निम्न स्तर पर है।

— भारत में बच्चों में डब्ल्यु पी वी 1 से लोगों की प्रतिरक्षा उच्च है।

— पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 'प्रमुख' जिलों (मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ तथा बरेली अनुमण्डलों में) ने नवंबर, 2006 से डब्ल्यु पी वी 1 की सूचना नहीं दी है।

सिफारिशें

— 2008 के पूर्वार्द्ध में कार्यकलापों का प्रधान उद्देश्य निम्न संचरण मौसम में वाइल्ड पोलियो वाइरस टाइप 3 (डब्ल्यु पी वी 3) पर उचित नियंत्रण रखते हुए निम्न डब्ल्यु पी वी के 1 के संचरण की रोकथाम होनी चाहिए।

— 2008 के पूर्वार्द्ध में पांच प्रतिरक्षण दौर एवं उत्तरार्द्ध में तीन दौर निम्नवत चलाए गए—

  — उत्तर प्रदेश, बिहार, वृहत मुंबई, दिल्ली तथा उच्च जोखिम वाले अन्य क्षेत्रों में एम ओ पी वी 1 तथा सभी अन्य क्षेत्रों में टी ओ पी वी का प्रयोग करते हुए जनवरी और फरवरी' 08 में राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर।

  — उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आसपास के वाइरस प्रसार के जोखिम वाले क्षेत्रों में उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दौर के दो दौर- मार्च; मोनोवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन 3 (एम ओ पी वी 3) का प्रयोग करते हुए,

  — अप्रैल:— एम ओ पी वी 1 का प्रयोग करते हुए तथा मई/जून: एम ओ पी वी 3 का प्रयोग करते हुए

— 2008 के उत्तरार्द्ध में- एम ओ पी वी 1 का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आसपास के वाइरस प्रसार के जोखिम वाले क्षेत्रों में एक उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस दौर तथा एम ओ पी वी 3 का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आसपास के वाइरस प्रसार के जोखिम वाले क्षेत्रों में 2 उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस।

— उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर किसी डब्ल्यु पी वी 1 डब्ल्यु पी वी 3 तथा उत्तर प्रदेश या बिहार में डब्ल्यु पी वी 1 की अनुक्रिया में संपूर्ण उन्मूलन किया जाना चाहिए।

— बिहार में पर्याप्त प्रतिरक्षण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम वाले खंडों तथा आसपास के खंडों पर विशेष बल एवं ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

– पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली तथा मुंबई में उत्तर प्रदेश एवं बिहार की चल जनसंख्या तक पहुंचने के प्रयास जारी रखे जाने चाहिए। योजनाबद्ध उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दौरों के दौरान इन जनसंख्या/क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश एवं बिहार के साथ कवर किया जाना चाहिए।

– सभी पोलियोमुक्त राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाइल्ड पोलियो वाइरस के प्रसार को न्यूनतम करने के लिए नेमी प्रतिरक्षण कवरेज उच्चतम संभावित स्तरों पर कायम हो सके। इसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गैस्ट्रो इसोफेजीयल रिफ्लक्स डिजीज के मामलों में वृद्धि

989. श्री सुभाष महरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस्ट्रो इसोफेजीयल रिफ्लक्स डिजीज का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी जानें गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा बताए गए अनुसार गैस्ट्रो इसोफेजीयल रिफ्लक्स डिजीज विविध कारणों से उत्पन्न होने वाली नैदानिक स्थिति है। इस विषय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि गैस्ट्रो इसोफेजीयल रिफ्लक्स डिजीज सामान्य विश्वव्यापी समस्या है। इंडियन सोसायटी आफ गैस्ट्रोएंटरोलाजी की सूचना के अनुसार देशभर के 33 केन्द्रों में 4500 मनुष्यों पर किए गए सर्वेक्षण का अनुमान है कि लगभग 10-20 प्रतिशत आम जनसंख्या इरीटेबल बावल डिजीज और डिसपेप्सीया सहित फंक्शनल बावल डिजीज से पीड़ित थी।

चूंकि कतिपय खाद्यों और जीवनशैलियों को गैस्ट्रो इसोफेजीयल रिफ्लक्स डिजीज के उत्पन्न करने का कारण समझा जाता है, अतः चिकित्सक औषधि की सिफारिश नहीं करते हुए जीवनशैली में बदलाव लाने की सिफारिश करते हैं।

न्याय पंचायतों की स्थापना

990. श्री संतोष गंगवार : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्षेत्राधिकार क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय, समुदाय की सहभागिता से तृणमूल स्तर पर मध्यस्थता, सुलह व समझौते के जरिए झगड़ों के निपटारे के एक वैकल्पिक मंच को उपलब्ध कराने की दृष्टि से न्याय पंचायत बिल पर सक्रियता के साथ विचार कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा प्रख्यात न्यायविद् प्रोफेसर उपेन्द्र बक्शी की अध्यक्षता में गठित प्रारूपण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ सलाह-मशविरों का एक दौर पूरा हो चुका है। उनके साथ सलाह-मशविरे का दूसरा दौर चल रहा है। न्याय पंचायत की शक्तियों वे अधिकार क्षेत्र पर अंतिम तस्वीर, प्राप्त सुझावों पर विचार करने के उपरांत सामने आएगी।

[अनुवाद]

दृष्टिहीनता नियंत्रण

991. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दृष्टिहीनता नियंत्रण हेतु दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों का विशेषतः मुंबई और महाराष्ट्र में कितना क्रियान्वयन किया गया है; और

(ग) मुंबई, में मोतियाबिन्द के आपरेशन में कार्यरत प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों (राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटियों में पहले ही विलयित) और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों (जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटियों में पहले ही विलयित) के जरिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम कार्यान्वयन निधियों को कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों को सम्पन्न करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटियों को संवितरण के लिए राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटियों को निर्गत की जाती हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटियों के प्रधान कार्य निम्नवत् हैं:–

(1) दृष्टिहीन व्यक्तियों के रजिस्टरों में दर्ज और उल्लिखित किए जाने हेतु ग्रामवार सक्रिय रोग का पता लगाने के जरिए जिले में दृष्टिहीनता की मात्रा और प्रसार का जायजा लेना;

(2) मोतियाबिंद सर्जरी की जरूरत वाले व्यक्तियों और दृष्टिहीन करने वाले अन्य विकारों की पहचान के लिए जांच शिविर लगाना, परिवहन की व्यवस्था करना और सरकारी सुविधा केंद्रों या इस कार्यक्रम में सहायता करने वाले गैर-सरकारी संगठनों में गरीबों की मोतियाबिंद सर्जरी सहित मुफ्त चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना;

(3) समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और नेत्र परिचर्या सेवाओं में संलग्न नेत्र चिकित्सा सहायकों/नर्सों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाकर उसे आयोजित करना;

(4) सरकारी सुविधा केंद्रों में अपेक्षित सूक्ष्म शल्य चिकित्सीय औजारों सहित औषधों तथा उपभोज्य वस्तुओं का प्रापण करना;

(5) सरकारी और अन्य एजेंसियों/दाताओं से निधियों, उपस्करों और सामग्रियों को प्राप्त करना और उनके उपयोग का अनुवीक्षण करना;

(6) जिले में मुफ्त/इमदादी नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान कर रहे शैक्षिक और निजी अस्पतालों का सहयोग लेना तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान देने के लिए विचार की जा सकने वाली गैर-सरकारी संगठनों की सुविधाओं की पहचान करना;

(7) अपवर्तक दोषों और अन्य आर टी वाई ई समस्याओं की पहचान के लिए स्कूली बच्चों की जांच करना और निर्धन बच्चों को चश्मे प्रदान करना;

(8) विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए नेत्रदान को बढ़ावा देना और नेत्रदान केंद्रों तथा नेत्र बैंकों द्वारा एकत्रित नेत्रों के संग्रहण एवं उपयोग की मानीटरिंग करना।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में चिह्नित गैर सरकारी संगठनों की भूमिका निम्नवत है:–

(1) नेत्रदान पर जन और पेशेवर जागरूकता लाना;

(2) नेत्रदान के लिए जन अनुकूलता तंत्र की व्यवस्था करना;

(3) उनको आबंटित गांवों/शहरों में 50+ जनता की जांच करना;

(4) मोतियाबिंद सर्जरी के उपयुक्त मामलों की पहचान करना, उनका अभिप्रेरण करना तथा बेस अस्पताल में उन्हे ले जाना;

(5) जटिलताओं आदि के प्रबंधन सहित शल्यक्रियोत्तर परिचर्या की व्यवस्था करना;

(ख) इस कार्यक्रम में अनुमोदित क्रियाकलापों पर राज्य/जिला सोसायटियों और मुंबई सहित महाराष्ट्र में चिह्नित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उनपर बताए अनुसार अमल किया जाता है;

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि मुंबई के ये गैर-सरकारी संगठन शहर के विविध भागों विशेषकर मलिन बस्तियों एवं सघन आबादी वाले क्षेत्रों में नैदानिक एवं उपचारात्मक शिविर लगाते हैं। इन शिविरों में रोगियों में मोतियाबिंद की जांच की जाती है। मोतियाबिंद के आपरेशन की जरूरत वाले रोगियों की जांच की जाती है तथा इन रोगियों का विविध अस्पतालों में मुफ्त आपरेशन करने को उपयुक्त समय-सारणी बनाई जाती है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुंबई में मोतियाबिंद के आपरेशनों में संलग्न प्रमुख गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित हैं:–

(1) विजन फाउंडेशन आफ इंडिया 5, बाबुलनाथ रोड, मुंबई-7;

(2) हाजी बच्चो अली चैरिटेबल आप्थालमिक हास्पिटल परेल, मुंबई-12;

(3) डा. सी.एम. शाह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल, बोरीवली (डब्ल्यु), मुंबई-12

(4) के.जी. सोम्मया हास्पिटल, चुनाभाटी, मुंबई;

(5) बी.एस.ई.एस. एम जी हास्पिटल, एस.वी. रोड, अंधेरी स्टेशन (डब्ल्यू) के सामने, मुंबई-58

अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के दौरे पर चीन का विरोध

992. श्री निखिल कुमार :
श्री अनंत नायक :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री सूरज सिंह :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. एम. रामदास :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन सरकार ने कोई विरोध दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन सरकार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के मामले को चीन ने सरकार के साथ उठाया है। इस तथ्य से चीनी पक्ष को अवगत करा दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन विवाद करता है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय भू-भाग पर वह अवैध दावा करता है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि सीमा प्रश्न के एक ऐसे समाधान की रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जो कि पक्षपातपूर्णरहित, विवेकसंगत, परस्पर स्वीकार्य हो और अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षरित मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं राजनीतिक मानदंडों के करार पर आधारित हो।

जंगल में वनस्पति की तस्करी

993. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विशेषत: महाराष्ट्र के चंदोली जंगल से नार्क्या जैसे औषधीय पादपों की बड़े पैमाने पर तस्करी का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) नोर्क्या की अत्यधिक मात्रा वाले राज्यों, अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से प्राप्त सूचना के अनुसार, नोर्क्या की अधिक पैमाने पर तस्करी की जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार महाराष्ट्र के चन्दौली वनों से नोर्क्या की तस्करी के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

अप्रैल 2005 के दौरान, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और बंबई वन नियमावली, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत पन्द्रह (15) प्राथमिक अपराध रिपोर्टें (पी ओ आर) पंजीकृत की गई थी। 15 पी ओ आर में से, 7 मामलों में आरोप पत्र दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त, छ: ट्रकों, ट्रालियों सहित छ: ट्रैक्टरों, दो जीपों, तीन मोटरसाइकिलों और 10 गधों को भी कब्जे में लिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत संयत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति

994. **श्री राकेश सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कोयला कंपनियां मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत संयत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्युत संयत्रों को बढ़िया कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल), कोयले के उन ऐसे ग्रेडों जो संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, के लिए मध्य प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत संयत्रों को लिंकेज के अनुसार कोयले की आपूर्ति कर रही है। गुणवत्ता आश्वासन के लिए, वास्वत में आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए तापीय विद्युत गृहों को संयुक्त नमूनाकरण सुविधा प्रदान की जाती है। समय-समय पर कोयले की कोटि के संबंध में कतिपय शिकायतों प्राप्त होती हैं, जिनकी संबंधित कोयला उत्पादक कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि ऐसी शिकायतें न्यूनतम की जा सकें। तथापि, न तो कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और न ही कोयला मंत्रालय को मध्य प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत संयत्रों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता पर कोई गंभीर शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) से (च) तापीय विद्युत संयत्रों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएल ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) एक मीटर से अधिक मोटाई के बैंडों का चुनिंदा खनन।

(ii) संदूषण से बचने के लिए ओवरबर्डन और कोयला बेंचों का उचित स्थान निर्धारण।

(iii) ब्लास्टिंग से पहले कोयला बेंचों की समाप्ति/सफाई।

(iv) कोयला लदान से पहले चालू कन्वेयरों पर मेटल डिटेक्टरों/मैग्नेटिक सेपरेटरों की स्थापना करना।

(v) उपभोक्ताओं की जरूरतों को उपयुक्त बनाने के लिए आकारीकृत और समरूप गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण के लिए उच्च क्षमता वाले कोयला संचालन संयंत्रों वाली सभी प्रमुख परियोजनाएं।

(vi) नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए सभी परियोजनाओं में सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(vii) उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त नमूनाकरण तथा तीसरे पक्ष के नमूनाकरण के लिए व्यवस्था, जिसके आधार पर उपभोक्ताओं की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(viii) कोयले की गुणवत्ता के महत्व के संबंध में कोयला के उत्पादन में शामिल कार्मिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम की व्यवस्था करना/प्रशिक्षण देना और खनन प्रचालनों के दौरान इसमें सुधार और रखरखाव की आवश्यकता।

(ix) खान के मुहाने, स्टॉक साइडिंग पर तथा वैगनों से शेल, यदि कोई हो, चुनना।

[अनुवाद]

घटते वन क्षेत्र

995. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष दर वर्ष वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं जैसा कि दिनांक 13 फरवरी, 2008 के 'द लाइव मिंट' समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2003 की तुलना में वर्तमान में देश में वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके घटने के क्या कारक हैं; और

(घ) वन क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण, दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रति दो वर्ष में वन क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और अपने निष्कर्षों को वनस्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। 2001, 2003 और 2005 के मूल्यांकनों के अनुसार देश का वन क्षेत्र नीचे दिया गया है।

मूल्यांकन वर्ष	2001	2003	2005
वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	653,898	677,816	6,77,088

यह देखा जा सकता है कि देश का वनक्षेत्र वर्ष 2001 और 2003 के मूल्यांकनों के बीच 23,918 वर्ग कि.मी. बढ़ गया है, और 2003 और 2005 के मूल्यांकनों के बीच 728 वर्ग कि.मी. सीमान्त रूप से घट गया है।

(ग) वर्ष 2005 मूल्यांकन के अनुसार वन क्षेत्र में सीमान्त कमी के मुख्य कारण दिसंबर 2004 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी के कारण आई तबाही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बांधों के निर्माण के कारण वन भूमि का जलमग्न होना और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती के साथ-साथ बांस पुष्पण हैं।

(घ) वन क्षेत्र को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

1. राष्ट्रीय वनीकरण योजना (एन ए पी) स्कीम के अंतर्गत 9.36 लाख हैक्टेयर, कुल वन क्षेत्र को उपचारित करने के लिए 24,215 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से 729 एफडीए परियोनाओं को सहायता देने के लिए 1180.72 करोड़ रु. जारी किए गए।

2. उत्पादन और वृक्ष रोपण में गुणवत्ता रोपण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में हरित भारत के लिए सहायता अनुदान के लिए एक पुन: तैयार की गई स्कीम प्रारंभ की गई थी।

3. दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप मेंद वनेतर भूमियों पर वृक्ष आयोजना के लिए पंचायती राज संस्थान को शामिल करते हुए वनीकरण के लिए एक नई स्कीम चलाई गई है।

4. अवक्रमित वनों के पारि पुनरूद्धार के लिए, मौजूदा चार इको टास्क फोर्स बटालियनों को सहायता देने के साथ दो नई इको टास्क फोर्स बटालियनों की स्थापना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।

5. वन और वन क्षेत्र में वृद्धि में योगदान देने के लिए सभी भू-स्वामित्व विभागों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने की सलाह दी गई है।

6. मंत्रालय ने वनीकरण के लिए बहु-स्टेक होल्डर भागीदारी (एम एस पी) फ्रेमवर्क तैयार किया है।

7. भारत सरकार ने 15.12.2004 को निजी भूमियों पर उगाए जाने वाले वृक्षों की कटाई और ढुलाई के बारे में विनियामक उपबंधों के पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए है।

8. राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए व्यापक मीडिया योजना तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अस्पतालों से चिकित्सा सुविधाएं नहीं लेना

996. श्री रनेन बर्मन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2007 के दौरान अस्पतालों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सा सुविधाएं नहीं लेने वाली माताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान अस्पतालों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में गए बिना परंपरागत तरीकों से शिशु जन्म का प्रतिशत

कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान कम वजन वाले नवजात शिशुओं का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसव अवधि में चिकित्सा सुविधाएं नहीं लेने वाली महिलाओं के वर्ग की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) प्रशासनिक रिपोर्टिंग प्रणाली उन व्यक्तियों के लिए आंकड़े सृजित करती है जिन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाया है। इन सेवाओं का लाभ न उठाने वालों के लिए आंकड़ों का जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षणों तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों जैसे आवधिक वृहत सर्वेक्षणों के जरिए अधिग्रहण किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के अनुसार राज्यों के अस्पताल या अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थानों से प्रसवपूर्व जांच का लाभ उठाने वाली गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में प्रसव कराने वाली महिलाओं की प्रतिशतता उन महिलाओं के लिए जिन्हें कोई शिक्षा नहीं दी गई थी या अनुसूचित जनजातीय या न्यूनतम धन सूचक अन्तराल वाली महिलाओं के लिए न्यूनतम थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के अनुसार घर पर जन्में जीवित बच्चों की प्रतिशतता लगभग 61% थी जबकि स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में लगभग 39% जीवित बच्चों को जन्म दिया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-2006) के अनुसार कुल जन्में बच्चों में से 21.5% न्यून भार वाले थे जिनका भार जन्म के समय 2.5 कि.ग्रा. से कम था।

भारत सरकार ने सुरक्षित मातृत्व सेवाओं सहित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर की ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। यह मिशन 2005 से 2012 तक सात वर्षों की अवधि तक चलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005 से 2012) और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण II (2005 से 2010 तक) के अंतर्गत निम्नलिखित के जरिए सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है:–

– गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता सहित उपयुक्त रेफरल परिवहन प्रणाली के साथ गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसव के ठीक बाद की अवधि के दौरान गुणवत्तायुक्त मातृत्व परिचर्या प्रदान करके मातृ मृत्यु अनुपात तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु एक योजना, जननी सुरक्षा योजना। इस योजना में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं तथा प्रत्यायित निजी संस्थाओं में प्रसव कराने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

– 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव के लिए एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति। आशा समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या, सेवाओं तक पहुंच में सहायता करेगी तथा उस पर गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व परिचर्या संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर जांच और बच्चों के रोग प्रतिरक्षण के लिए जुटाने की विशिष्ट जिम्मेवारी होगी।

– समुदाय तथा संस्थाओं, दोनों में प्रत्येक प्रसव के समय दक्ष परिचर सुनिश्चित करना।

– आपातकालीन प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एकक के रूप में प्रचालित करना।

– सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 50% केंद्रों को 24x7 के आधार पर प्रसव सेवाओं के लिए 2010 तक उपकरणों से सक्रिय करना।

– प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं, जिनमें अवसंरचना, विशेषीकृत जनशक्ति और उपकरणों की उपलब्धता शामिल है के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों पर अमल करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

– प्रथम परामर्श केन्द्रों में आपाती प्रसूति परिचर्या की जीवन रक्षक संवेदनाहरक दक्षताओं में एमबीबीएस डाक्टरों को प्रशिक्षण देना।

– शल्य प्रसव अनुभाग सहित आपाती प्रसूति परिचर्या में एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को प्रशिक्षण देना। यह कार्यक्रम

भारतीय प्रसूति चिकित्सा और स्त्री रोग सोसायटी परिसंघ की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

– सेवा प्रदाय के सुधार के लिए उप केन्द्र में उपयोग हेतु 10,000/-रु. की खुली निधि प्रदान करके उप केंद्रों को सुदृढ़ करना। यह निधि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं सहायक उपचर्या धात्री द्वारा मिलाजुलाकर प्रयोग में लाई जाएगी।

– ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस को आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक महीने कम-से-कम एकबार आयोजित करना।

– गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में खून की कमी न होने देना, आयरन एवं फालिक एसिड (100 एमजी एलिमेंटल आयरन) की एक गोली सभी गर्भवतियों को 100 दिनों तक रोजाना दी जाती है तथा खून की गंभीर कमी को क्लिनिकल रूप से सलक्षण दर्शाने वाली गर्भवतियों को आयरन एवं फौलिक एसिड की दो गोलियां 100 दिनों तक रोज़ाना दी जाती है।

विवरण

माताओं जो अपने पिछले प्रसव से कम-से-कम एक बार एएनसी में गई हैं, की प्रतिशतता राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस (2005-06)

क्र.सं.	राज्य	कई एएनसी
1	2	3
	अखिल भारत	76.4
I.	**बड़े राज्य (आबादी 20 मिलियन से अधिक)**	
1.	आंध्र प्रदेश	94.3
2.	असम	70.7
3.	बिहार	34.1
4.	छत्तीसगढ़	88.5
5.	गुजरात	86.7
6.	हरियाणा	88.3
7.	झारखंड	58.9
8.	कर्नाटक	89.3
9.	केरल	94.4
10.	मध्य प्रदेश	79.5
11.	महाराष्ट्र	90.8
12.	उड़ीसा	86.9
13.	पंजाब	88.9
14.	राजस्थान	74.9
15.	तमिलनाडु	98.6
16.	उत्तर प्रदेश	66.0
17.	पश्चिम बंगाल	91.9
II.	**छोटे राज्य**	
1.	अरुणाचल प्रदेश	52.6
2.	दिल्ली	88.8
3.	गोवा	97.3
4.	हिमाचल प्रदेश	86.4
5.	जम्मू व कश्मीर	84.6
6.	मणिपुर	86.3
7.	मेघालय	67.6
8.	मिजोरम	74.3
9.	नागालैंड	57.8

1	2	3
10.	सिक्किम	89.3
11.	त्रिपुरा	78.3
12.	उत्तराखंड	69.4

[हिन्दी]

चिकित्सा सेवाओं पर प्रतिशत व्यय

997. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) वर्ष 2007-08 सहित गत दो वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितना प्रतिशत व्यय किया गया/किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित है कि सरकार स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम-से-कम 2-3% तक अगले पांच वर्षों में करेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यापक प्राथमिक, द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के स्तरों में वृद्धि करना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं विकसित करना तथा एचआईवी/एड्स और अन्य संचारी एवं जीवन शैली अन्य रोगों की रोकथाम करने के ठोस उपायों को तैयार करना इसकी अंगीकृत कार्यनीति है।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार पीने का पानी तथा पोषण जैसे सामाजिक निर्धारकों सहित स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय 2006-07 और 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमश: 1.36% एवं 1.39% है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनियमितताएं

998. श्री ए. साई प्रताप :
श्री रघुनाथ झा :
श्री पी. मोहन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री निखिल कुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री नवीन कुमार जिन्दल :
श्री विजय कृष्ण :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदत्त धनराशि के संबंध में अनियमितताओं तथा दुर्विनियोजन का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) विश्व बैंक ने 11 जनवरी, 2008 को हमें एक रिपोर्ट नामत: डीआईआर प्रदान की है। यह रिपोर्ट उन पांच स्वास्थ्य क्षेत्रक परियोजनाओं की समीक्षा पर आधारित है जो 1997 से 2006 के अंत तक विभिन्न अवधियों में कार्यान्वित की जा रही थीं। एक परियोजना राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रक में थी।

इस रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने प्रापण, निरीक्षण और कार्यान्वयन संबंधी कमियों - जैसे कि सांठगांठ, बोली लगाने में हेरफेर, सिविल कार्य में दोष, स्टाफ के अभाव में नहीं लगाए गए उपकरण आदि का उल्लेख किया है। अधिकांश सूचित कमियां जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रापणों जो राज्य स्तर पर किए जाते हैं के बारे में हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट अनेक अवगुणों से भरी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा अंगीकृत प्रणाली विज्ञान में विद्यमान कमजोरियों पर अपनी प्रतिक्रिया यह जोर देते हुए पहले ही सूचित कर दी है कि विश्व बैंक ने समीक्षा के दौरान या समीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पूर्व कार्यक्रम अधिकारियों में से किसी के साथ भी सलाह मशविरा नहीं किया। इन चर्चाओं से इस रिपोर्ट में उल्लिखित अधिकांश मुद्दे स्पष्ट हो जाते। यदि ऐसा होता तो अधिकतर निष्कर्ष अलग तरह के होते।

भारत सरकार किन्हीं कमियों या अनियमितताओं का पता लगने पर दूर करने पर प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में दृश्यमान ढांचागत न्यूनताओं को ध्यान उत्तरवर्ती कार्यक्रमों में रखा गया है। यह कुछ अनियमितताओं से अवगत कराई गई है तथा इसने जरूरत पड़ने पर अतीत में कार्रवाई की है। अनेक आपराधिक, दंडात्मक और अनुशासनिक कार्रवाइयां की गई हैं, अर्थात्:—

(i) सांठगांठ के आरोपों की सूचना पर दो कंपनियों नामत: मेसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल्स एंड मेसर्स प्योर फार्मा. का व्यवसाय जुलाई, 2005 में स्थगित करना।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मेसर्स प्योर फार्मा, एंड मैसर्स नेस्टर फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ 21.8.2006 को एक मामला दर्ज किया तथा यह मामला जांच के अग्रवर्ती स्तर पर है।

(iii) प्रापण सहायता अभिकरणों के दो अधिकारियों, (हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंशी कारपोरेशन के श्री एम.पी. गुप्ता तथा हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के श्री वसंत भट्ट) जो प्रापण की अनियमितताओं में कथित तौर पर संलिप्त थे, को 2006 में निलंबित कर दिया गया था और उनका निलंबन जारी है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां भी प्रगामी चरण पर हैं।

विश्व बैंक रिपोर्ट में इन कार्रवाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

विश्व बैंक रिपोर्ट में संरचनात्मक परिवर्तनों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है जो 2005 के बाद शुरू किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली में निम्नलिखित ढांचागत सुधार करना शुरू किया है:

— राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में राज्य/जिला/उप-जिला स्तरों पर अन्तर्निर्मित संस्थागत एवं वित्तीय मानीटरिंग तंत्र अर्थात कार्यक्रम प्रबंधन एकक हैं जिनमें प्रबंधन, वित्तीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं।

— ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियों तथा उप-जिला एवं जिला अस्पताल स्तरों पर रोगी कल्याण समितियों जिनमें पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसायटी और सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं शामिल हैं, के जरिए सामुदायिक, स्वामित्व, उत्तरदायित्व एवं निरीक्षण।

— मिशन में प्सेवा गारंटियोंड पर और न केवल भवनों के सृजन एवं उपकरणों की खरीद पर बल दिया गया है।

— विकेन्द्रीकृत प्रापण के लिए राज्यों का क्षमता निर्माण।

— निधियों का भारत सरकार से राज्यों तथा राज्यों से जिलों में इलेक्ट्रानिक अंतरण और वास्तविक समय वित्तीय रिपोर्टिंग एवं मानीटरिंग के लिए ई-बैंकिंग।

इसके अलावा, केन्द्रीकृत प्रापण में, निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं:—

(i) बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रचालनों के लिए परियोजना सेवाओं हेतु प्रापण सहायता अभिकरणों से प्रापण उत्तरदायित्व संयुक्त राज्य कार्यालय को अंतरित किया गया।

(ii) प्रापण अभिकर्ताओं द्वारा संचालित प्रापण का निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारप्राप्त प्रापण विंग का गठन। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित प्रापण नीतियां तथा मानक और राज्य प्रापण क्षमता निर्माण के संबंध में कार्यकरण।

(iii) बैंक द्वारा 2006 में सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए सम्मत अभिशासन एवं उत्तरदायित्व कार्य योजना के जरिए प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए उपाए शुरू किए गए।

(iv) चिकित्सीय उपकरणों (800 से अधिक) के लिए तकनीकी विनिर्देशनों का एक कम्पेंडियम तैयार किया जो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है।

(v) स्वास्थ्य मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन समूह का सृजन किया, राज्य एवं जिला स्तरों पर वित्तीय स्टाफ की सहायता की, विस्तृत परियोजना विशिष्ट वित्तीय प्रबंधन मैनुअलों को तैयार किया।

(iv) एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक निजी सहभागिताओं के प्रापण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों और (प्रचालनात्मक) मैनुअलों को तैयार किया।

(vii) विस्तृत प्रापण और वित्तीय मैनुअलों को तैयार किया और प्रशिक्षित राज्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

(viii) एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक बाहरी मूल्यांकनकर्त्ता वाली समिति द्वारा गैर-सरकारी संगठन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन आरंभ किया; और लगभग 25% गैर-सरकारी संगठनों की संविदाओं को समाप्त किया जो दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थीं।

(ix) विश्व स्वास्थ्य संगठन जीएमपी के अधिनिर्णय-पूर्व वैधीकरण/प्रमाणीकरण को सभी मामलों में अनिवार्य बनाया गया।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं:—

(i) प्रापण, क्रियान्वयन और निरीक्षण से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताई गई प्रणालीगत कमियों पर ध्यान देने हेतु विशिष्ट कार्यकलापों और समय-सीमा का ध्यान रखते हुए विश्व बैंक के साथ गहन विचार-विमर्श करने के उपरांत एक संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से संबंधित तीन नये मामले आगे की जांच के लिए सीबीआई को भेजे गये। इनमें से एक की पहचान लेखा परीक्षा रिपोर्ट के विश्लेषण के माध्यम से हुई थी। ऐसे ही एक मामले में उड़ीसा सरकार ने एक आपराधिक मामला दायर किया है और विभागीय कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं।

(iii) उड़ीसा सरकार ने अब राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताई गई सभी कमियों की जांच करने के लिए एक पूरी सतर्कता जांच करने के आदेश दे दिये हैं।

कर्मचारी कल्याण सोसाइटी

999. श्री रघुनाथ झा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याणार्थ स्थापित पंजीकृत सोसाइटी हेतु डी.ओ.पी.टी. एक नोडल एजेन्सी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक कल्याणकारी परियोजना के रूप में केन्द्रीय भंडार उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है;

(घ) क्या शहरी विकास मंत्रालय केन्द्रीय भंडार से सरकारी जगह खाली करा रहा है; और

(ङ) यदि हां, इसके क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याणार्थ उपायों के लिए स्थापित पंजीकृत सोसाइटियां निम्नलिखित हैं:—

(i) सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड

(ii) गृह कल्याण केन्द्र

(iii) केन्द्रीय भण्डार

(iv) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इन्स्टीच्यूट

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भण्डार के लिए सामान्य पूल आवासीय स्थान (जी.पी.आर.ए.) तथा सामान्य पूल कार्यालय स्थान से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वीजा जारी करने में विलंब

1000. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वीजा जारी करने में असाधारण विलंब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वीजा जारी होने में विलंब से बचने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) सितंबर और अक्टूबर, 2007 माह में वीजा आवेदनों में लगभग 27,000 प्रति माह से 50,000 प्रतिमाह की अचानक उछाल आने और डाक वीजा आवेदनों पर यूनाइटेड किंगडम में रॉयल मेल के हड़ताल के प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारतीय उच्चायोग, लंदन की वीजा सेवाओं में थोड़े समय के लिए कुछ बाधा आयी थी। तथापि, बढ़ती मांग का सामना करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को तैनात करने और रॉयल मेल सेवा को फिर से शुरू होने के परिणामस्वरूप उच्चायोग अब निम्नलिखित सेवा स्तरों को कायम रखा है:—

(i) वहां आने वाले आवेदकों के वीजा आवेदनों की जांच 30 से 45 मिनटों के अंदर की जाती है।

(ii) वीजा के लिए डाक से आने वाले आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में निरुद्ध/बंद भारतीय

1001. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री पी. मोहन :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में बड़ी संख्या में भारतीय जलों में निरुद्ध/बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) इसके परिणामत: अन्य देशों की जेलों से कितने भारतीय रिहा कराए गए हैं; और

(ङ) देश-वार कैद में मरने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जारी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेल में मिलावट

1002. **श्री शिशुपाल एन. पटले :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों में मिलावट की जा रही है जैसा कि दिनांक 28 जनवरी, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां बड़ी मात्रा में ऐसे मिलावटी तेल वितरित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गयी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खाद्य तेलों में ऐसी मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) दिनांक 28.1.2008 के ''दैनिक जागरण'' में छपी रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य अममिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वियन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सौंपा गया है जो बाज़ार में बेचे जा रहे खाद्य तेलों सहित सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लेते हैं और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती हैं जहां नमूनों को मिलावटी/गलत ब्रांड का अथवा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लेबलिंग उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

[अनुवाद]

पलावरम सिंचाई परियोजना

1003. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से संबंधित पलावरम अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना, जिसे पहले पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दे दी गई थी, को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण को दी गई स्वीकृति को वापस लेने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से संबंधित पलावरम अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना को 25 अक्टूबर, 2005 को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 19 दिसंबर, 2007 के अपने आदेश के तहत इस आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित लोगों को परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर अतिक्रमण के संबंध में अपना दृष्टिकोण/राय आदि व्यक्त करने के लिए सूचना और अवसर नहीं दिया गया है।

अफगानिस्तान में भारतीय सुरक्षाकर्मियों पर हमले

1004. **श्री रेवती रमन सिंह** :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री के.एस. राव :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के काफिले पर किए गए एक आत्मघाती हमले में कुछ भारतीय सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और कुछ अन्य सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गऐ थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अफगानिस्तान में विभिन्न राहत और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत भारतीय कामगारों और सुरक्षा कर्मियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अफगानिस्तान में स्थानीय सरकार विरोधी शक्तियों द्वारा मारे गए भारतीय कामगारों और सुरक्षाकर्मियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशों में सुरक्षाकर्मियों और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। 3 जनवरी, 2008 को सीमा सड़क संगठन के एक दस्ते पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आईटीबीपी के दो कार्मिकों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। इस हमले में 19 अफगानी असैनिक सुरक्षा कार्मिक और नागरिक भी मारे गए तथा 15 से अधिक घायल हुए।

(ग) अफगानिस्तान ने विभिन्न राहत और पुनर्निर्माण परियोजनाओं में लगभग 4000 भारतीय कामगार और सुरक्षा कार्मिक कार्य कर रहे हैं।

(घ) नवंबर, 2005 में सीमा सड़क संगठन के एक अधिकारी श्री मणिअप्पन रमण कुट्टी की तालिबान उग्रवादियों द्वारा अपहरण के

बाद हत्या कर दी गयी। फरवरी, 2006 में अमरीकी कंपनी मैसर्स लुई बर्गर ग्रुप इंक के लिए कार्यरत श्री के भरत कुमार की मृत्यु बारूदी सुरंगों के विस्फोट में हो गयी। बहरीन की अल मोयाएद कंपनी में कार्यरत श्री के. सूर्यनारायण को अप्रैल, 2006 में अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में संदिग्ध तालिबान उग्रवादियों द्वारा बंधक बना लिया गया और उनकी हत्या कर दी गयी। 3 जनवरी, 2008 को सीमा सड़क संगठन की जरांज परियोजना में हुए आतंकवादी हमलों में दो भारतीय सुरक्षाकार्मिक श्री मनोज कुमार सिंह और श्री देशा सिंह की मौत हो गयी।

(ङ) अफगानिस्तान सरकार ने बड़ी परियोजनाओं के लिए स्थानीय सुरक्षा मुहैया करायी है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील निमरोज/हेलमेंड प्रांत में सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित की जा रही जरांज-डेलारम सड़क परियोजना के लिए भारत सरकार ने अफगानिस्तान सरकार द्वारा मुहैया करायी गयी स्थानीय सुरक्षा को संपूरित करने के लिए आईटीबीपी सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया गया। अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों को भारतीय राजदूतावास, काबुल द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा चेतावनियों के जरिए उस देश के वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के बारे में नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है।

राष्ट्रमंडल खेल-2010 के दौरान नागरिक अनुशासन और मर्यादित व्यवहार

1005. **डा. के. धनराजू :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल-2010 को देखने हेतु भारत आने वाले विदेशियों के साथ अनुशासनपूर्ण और मर्यादित व्यवहार करने के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रबंध किए जा रहे हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ मीडिया विद्यालयों और महाविद्यालयों, एनएसएस स्वयंसेवियों, स्काउटों और गाइडों का सरकार किस प्रकार उपयोग करेगी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति द्वारा खेलों के दौरान नियुक्ति के लिए लगभग 25000 स्वयंसेवकों की कुल आवश्यकता को परियोजित किया गया है। विभिन्न स्थलों/स्थानों पर तैनात किये जाने वाले स्वयंसेवकों की एक अच्छी टीम का चयन और प्रशिक्षण देने के लिए आयोजन समिति द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस प्रयोजन के लिए महाविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एवं गाइड्स तथा अन्य संस्थानों से छात्रों की सेवाएं इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान इन स्वयंसेवकों में से यातायात विनियमन, कार्य स्थलों पर और उसके आसपास पैदल यात्रियों के प्रबंधन, सुरक्षा सहायता, पंक्ति बनाना, डेस्कों की मदद करना, पार्किंग सहायता, पताका लहराने आदि के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 8700 स्वयंसेवकों का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपने पुलिस कार्मिकों को अपनी ड्यूटी के निर्वहन में विशेषकर राष्ट्रमंडल खेल के दौरान शिष्टाचार और विनम्रता के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की है और इस संबंध में, पहले ही तीन माह की अभ्यास कक्षा का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया है। अगले चरण में, इस संबंध में, लगभग 40,000 पुलिस कार्मिकों को मार्च, 2008 से एक वर्ष के कैप्सूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली पर्यटन/आईटीडीसी के सहयोग से मुख्य स्थानों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। वह संबंधित स्वामित्वधारियों जैसे टीएसआर, टैक्सी और बस आदि के ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने के लिए भी योजना बना रही है।

और अधिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना

1006. **श्री अन्नासाहेब पाटील शिवाजीराव :**
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री उदय सिंह :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने देश की जरूरत को पूरा करने के लिए तीस और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है जैसा कि दिनांक 17 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिश की जांच की है और उसका नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है;

(च) सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर क्या कदम उठाए गए हैं, और

(छ) इस संबंध में कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों से संबंधित सार संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें उसके बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

(ग) से (छ) ज्ञान आयोग की सिफारिशें की जांच की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का सार: उच्चतर शिक्षा से संबंधित सिफारिशों का संकलन।

50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

एनकेसी ने 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की है जो उच्च स्तर की शिक्षा मुहैया कराएंगे। शेष राष्ट्र के लिए आदर्श के रूप में वे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मौलिक विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों सहित ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न डिसप्लिनस में प्रशिक्षित करेंगे। 50 की संख्या एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। कम अवधि में आगामी तीन वर्षों में कम से कम ऐसे दस विश्वविद्यालयों को शुरू करना आवश्यक है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की दो तरीकों से स्थापना की जा सकती है, सरकार द्वारा, या निजी स्पोंसरिंग निकाय द्वारा जो सोसाइटी, धर्मार्थ न्यास या खण्ड 25 के तहत कंपनी की स्थापना करता है। चूंकि विश्वभर में सार्वजनिक वित्त विश्वविद्यालयों का एक अंगीभूत घटक होता है, इसलिए अधिकांश नये विश्वविद्यालयों को सरकार से पर्यापत प्रारम्भिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इसकी स्थानिक आवश्यकता से अधिक पर्याप्त सार्वजनिक जमीन उपलब्ध कराई जाए। यह अतिरिक्त जमीन बाद में आय सृजन का स्रोत बन सकती है। अधिक मात्रा में धर्मदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान आय कर कानूनों में छूट दिए जाने की आवश्यकता है। किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत आय खर्च करने या उपयुक्त वित्तीय साधनों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के फीस स्तर निर्धारित करने और निधियां सृजित करने के लिए अन्य स्रोतों का उपयोग करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। एनकेसी का प्रस्ताव है कि ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अखिल भारत स्तर पर प्रवेश देंगे। ये विश्वविद्यालय जरूरतमंदों को प्रवेश के (नीड्स-ब्लाइंड एडमिशन) सिद्धांत को अपनाएंगे। इस प्रयोजनार्थ जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक व्यापक प्रणाली की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय कार्यक्रम के तहत स्नातक उपाधियां (डिग्रीज) विभिन्न पाठयक्रमों में अपेक्षित क्रेडिट संख्या पूरी करने के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। अत: शैक्षिक वर्ष सत्र आधारित होगा और विद्यार्थियों का प्रत्येक पाठयक्रम के अंत में आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। क्रेडिट संख्या का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण भी संभव होगा। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय की संख्या को बढ़ाने के लिए नियुक्तियों एवं प्रोत्साहनों की एक समुचित प्रणाली की आवश्यकता है। पठन-पाठन और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और उद्योगों, तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच मजबूत सम्पर्क स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विभाग आधारित होंगे और इनका कोई संबद्ध महाविद्यालय नहीं होगा।

वेरना से मरमुगावों पत्तन तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाना

1007. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वेरना से मरमुगावों पत्तन एक वाया डेबोलिम विमानपत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मरमुगावों पोर्ट ट्रस्ट का विचार इस परियोजना का वित्त पोषण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय पत्तन सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 17बी के वर्णा जंक्शन (0.0 किमी.) से मुरगांव पत्तन (सादा जंक्शन) तक 18.3 किमी. में 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) मुरगांव पत्तन न्यास इस परियोजना का आंशिक वित्तपोषण कर रहा है क्योंकि मुरगांव पत्तन न्यास इस परियोजना के निष्पादन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल - मुरगांव पोर्ट रोड कंपनी लि. में इक्विटी होल्डर है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 17बी के 0.0 से 13.1 किमी. तक 4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। 5.2 किमी. में शेष कार्य गोवा सरकार से ऋण भार मुक्त भूमि प्राप्त करने के बाद 18 महीनों में पूरा किया जा सकता है।

गिर वन हेतु वन विकास अभिकरण परियोजना

1008. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से गिर (पूर्व) और गिर (पश्चिम) के वन विकास अभिकरणों की परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के लिए शेष धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की आशा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, गुजरात से दो प्रस्ताव अर्थात् गिर (पश्चिम) और गिर (पूर्व) वन विकास अभिकरणों से क्रमशः 224.86 लाख रुपये और 254.18 लाख रुपये के लिए प्राप्त हुए हैं। गुजरात वन विभाग को अद्यतन मजदूरी दरें और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य से अपेक्षित दस्तावेज और उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली से देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना और उसे पुनः बनाना

1009. **श्री रशीद मसूद :**
श्री जे.एम. आरून रशीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-रुड़की-हरिद्वार-देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और उसे पुनः बनाने का काम धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 4 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड में 4 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा वृक्षों की कटाई एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रारंभिक समस्याओं के कारण इस कार्य में विलंब हुआ है और इसे मार्च, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड में 4 लेन बनाने का कार्य केवल एक निविदा प्राप्त होने के कारण सौंपा नहीं जा सका और इस निविदा को रद्द कर दिया गया था। इस खंड की पुनः निविदा प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार नए आदर्श रियायत करार के अनुरूप विशेष परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाने का कार्य प्रगति पर है। हरिद्वार-देहरादून खंड राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता है और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति से स्वीकृति प्राप्त की जानी है। अधिकार

प्राप्त केंद्रीय समिति और सार्वजनिक - निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् 4 लेन का बनाने का कार्य सौंपने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना

1010. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराइ :**
श्री मदनलाल शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं को परिवार नियोजन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं। यद्यपि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किसी स्तर पर महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, बुनियादी स्तर पर परिवार नियोजन सेवाएं सहायक नर्सधात्रियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इनमें सहायता दी जाती है तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात प्रत्यायिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) द्वारा इनका प्रचार किया जाता है। बुनियादी स्तर पर ये तीन महिलाएं परिवार नियोजन सेवाओं की प्रमुख पात्र बन जाती हैं।

(ख) और (ग) उत्तरदायी एवं योजनाबद्ध पेरेंटहुड के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्वैच्छिक एवं सुविदित परिवार नियोजन विधि की पसंद को अपनाया गया है जैसा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में परिकल्पना की गई है और इसके अतिरिक्त इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II के कार्यान्वयन कार्य ढांचे में शामिल किया गया है। सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं अर्थात्; (i) गर्भ-निरोधन के लिए अपूरित आवश्यकता को पूरा करना, (ii) बन्ध्यीकरण के स्वीकारकर्ताओं के लिए बीमा कवर, डाक्टरों को क्षतिपूर्ति और (iii) सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों में बन्ध्यीकरण अर्थात् वैसेक्टोमी करवाने वाले व्यक्तियों को पारिश्रमिक के नुकसान के लिए मौजूदा 800/-रु. से 1500/-रु. तथा टयूबेक्टामी करवाने वालों के लिए 800/-रु. से 1000/-रु. तथा अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में सभी श्रेणियों को तथा अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्यों में बीपीएल/एससी/एसटी को प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वैसेक्टामी तथा टयूबेक्टामी दोनों के लिए 1500/-रु. संशोधित मुआवजा पैकेज।

चिल्का झील का विकास

1011. **श्री अनन्त नायक :**
श्री जुएल ओराम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिल्का झील में बढ़ते जल-प्रदूषण का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार है;

(ग) जल प्रदूषण कम करने और चिल्का झील के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार अथवा चिल्का विकास प्राधिकरण को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) उक्त वर्षों के दौरान इस संबंध में शुरू किए गए विभिन्न विकास संबंधी कार्यों का ब्यासैरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : (क) से (ग) चूंकि चिल्का लेगून में और इसके आसपास कोई बड़े उद्योग और शहरी केन्द्र/नगर स्थित नहीं है, लेगून का जल आमतौर पर प्रदूषण रहित है। चिल्का विकास प्राधिकरण (सी डी ए) प्रत्येक माह अनेक फिजियो-केमीकल्स पैरामीटरों, जोकि स्वीकार्य सीमा के भीतर पाए जाते हैं, के लिए 30 विभिन्न केन्द्रों से लेगून जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। प्रदूषण के कारण मछली, पक्षी और डोल्फिनों के व्यापक स्तर पर मारे जाने की किसी घटना की सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय तथा 12वें वित्त आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार को 1785.2 लाख रु. की वित्तीय सहायता आवंटित की गई थी जिसमें से 1306.35 लाख रु. की राशि संलग्न विवरण अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए खर्च की जा चुकी है जिनमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमैंट, सामुदायिक विकास, शिक्षा जागरूकता, मत्स्यपालन विकास, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, संचार नेटवर्क आदि शामिल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा 12वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों तथा चिल्का झील के संबंध में किए गए विभिन्न संरक्षण कार्यों के लिए हुए व्यय का तुलनात्मक विवरण।

राशि (लाख रु.)

क्र. सं.	वर्ष	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		12वां वित्त आयोग	
		आवंटित राशि	किया गया व्यय	आवंटित राशि	किया गया व्यय
1.	2005-06	140.25	140.25	शून्य	शून्य
2.	2006-07	54.95	54.95	750.00	605.56
3.	2007-08	90.00	41.93	750.00	463.66
	कुल	285.2	237.13	1500	1069.22

चीन द्वारा जल संसाधनों का युक्तिसंगत प्रयोग

1012. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अपनी ओर हिमालय के ऊपरी हिस्से से भारत में बहने वाली ट्रांस हिमालयन नदियों के जल संसाधनों की सुरक्षा करने और उसका युक्तिसंगत प्रयोग करने का आश्वासन किया है जैसा कि दिनांक 15 जनवरी, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है या किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) 13 से 15 जनवरी, 2008 तक प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआपाओ के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने सितंबर, 2007 में बीजिंग में विशेषज्ञस्तरीय तंत्र की पहली बैठक के आयोजन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री वेन ने सूचित किया कि चीन आपदा नियंत्रण और राहत सहित अन्य क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रहा है और वह इस क्षेत्र में और सहयोग करने के लिए तैयार है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से कहा, "दोनों पक्षों ने वर्ष 2002 में सहयोग आरंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों का स्वागत किया। भारतीय पक्ष ने बाढ़ के मौसम के जल विज्ञान आंकड़ों के संबंध में चीन द्वारा दी गयी सहायता की काफी सराहना की जिससे भारत को इन नदियों के आस-पास रहने वाली जनसंख्या की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इससे आपसी समझबूझ और विश्वास बढ़ाने में सकारात्मक योगदान मिला है"।

चीन द्वारा भारत को बाढ़ मौसम में यालुंगजांगबू/ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में जल विज्ञान सूचनाओं के प्रावधान पर भारत और चीन के जल संसाधन मंत्रालयों के बीच जनवरी, 2002 में एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया था। अप्रैल, 2005 में सतलज नदी के संबंध में भी बाढ़ मौसम के दौरान चीन द्वारा भारत को ऐसे आकड़े उपलब्ध कराने पर एक सहमति हुई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर हालत

1013. श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्री टेक लाल महतो :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके कुछ हिस्सों की हालत जर्जर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके हिस्सों विशेषकर झारखंड में हजारीबाग से दुमका और रांची से बरही तक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में किए गए/किए जाने मरम्मत कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु कितनी राशि आबंटित की गई और खर्च की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। तथापि, अधिक भार लदान, बारिश, बाढ़ आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति पहुंचती रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और क्षति की सीमा, यातायात की सघनता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

(घ) चालू वर्ष के साथ साथ गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

चालू वर्ष के साथ साथ गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे

धनराशि करोड़ रु. में

वर्ष	आबंटन	व्यय
1	2	3
2004-2005	745.56	678.95
2005-2006	868.10	838.34
2006-2007	814.38	784.56
2007-2008	1001.68	484.17*

* 31.1.2008 तक व्यय

[अनुवाद]

होम्योपैथी और आयुर्वेद में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1014. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को केरल सरकार से होम्योपैथी और आयुर्वेद में चिकित्सा और फार्मेसी में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मंजूरी देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) आयुष विभाग को नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केरल सरकार से 2007-08 में 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके ब्यौरें निम्नवत् हैं;

(i) वैद्यरत्नम पीएस वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाकल में द्रव्यगुण, पंचकर्म और स्वस्थवृत्त में स्नातकोत्तर पाठयक्रम;

(ii) राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, त्रिपुनीतुरा में पंचकर्म, रस शास्त्र, शालक्य तंत्र और द्रव्यगुण में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; और

(iii) राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर में रचना शरीर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(ग) सभी मामले आयुष विभाग के विचाराधीन हैं। आयुष विभाग द्वारा संबंधित विनियमों के संबंध में आवेदन पत्रों की अनुमोदित अथवा गैर अनुमोदित स्थिति को 31 मार्च, 2008 तक जारी किया जाना है।

भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा हेतु कतर के साथ करार

1015. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वासित भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा भर्ती एजेंटों के कदाचार को रोकने हेतु कतर के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कतर में भारतीयों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) सरकार ने 11.04.1985 को भारतीय जनशक्ति के रोजगार के विनियमन के संबंध में कतर के साथ एक करार किया था। इस करार के संबंध में एक अतिरिक्त न्याचार (प्रोटोकॉल) 20.11.2007 को किया गया।

कतार के साथ हुए अतिरिक्त न्याचार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) यह संयुक्त समिति के शासनादेश का विस्तार करता है और इसमें भारत से कतर में उत्प्रवास के संवर्धन और भारतीय कामगारों के संरक्षण/कल्याण के लिए ऐसे अनेक विषयों की व्यवस्था है जिन पर संयुक्त समिति द्वारा समीक्षा की जा सकती है;

(ii) इसमें यह व्यवस्था है कि संयुक्त समिति की बैठक एक वर्ष में दो बार होंगी;

(iii) इसमें यह व्यवस्था है कि यदि कतर राज्य भारतीय कामगारों को उनकी संविदा अवधि पूरी होने से पूर्व भारत भेजने का निर्णय करता है तो कतर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी स्वदेश वापसी से पूर्व रोजगार की संविदा तथा करत राज्य के श्रम कानूनों के अंतर्गत पूरी मजदूरी और संविदा की पूरी बकाया अवधि के लिए उन्हें मिलने वाली अन्य पात्रताओं का उन्हें भुगतान कर दिया गया है;

(iv) असंगठित क्षेत्र में भारतीय कामगारों के कल्याण हेतु विशिष्ट प्रावधान है।

(v) इसमें कतर से काम कर रहे अथवा वहां काम की इच्छा रखने वाले कामगारों के कल्याण को क्षति पहुंचाने वाले तरीकों को रोकने के लिए समुचित उपायों की व्यवस्था है।

(ग) विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके हमारे कामगारों विशेष रूप से महिला उत्प्रवासियों जैसे उपेक्षित वर्गों के संरक्षण और कल्याण के लिए उपाय किये गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

9. सातों दिन चौबीस घंटे की हैल्पलाइन स्थापित करना।

10. उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले पासपोर्टों पर सभी महिला उत्प्रवासियों के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करना।

11. घरेलू महिला कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी परिभाषित करना।

12. भारतीय कामगारों की सीधी भर्ती करने वाले विदेशी नियोक्ता से प्रति कामगार 2500 अमरीकी डालर की सुरक्षा राशि जमा करना।

13. उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट वाली सभी महिला उत्प्रवासियों के रोजगार दस्तावेजों का अनिवाय सत्यापन।

14. उत्प्रवासियों को सूचना प्रदान करने और उनकी सहायता करने के लिए एक स्थान पर सेवा प्रदान करने के रूप में मेजबान देशों में प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र खोलना।

15. विस्थापित उत्प्रवासियों के लिए 'आश्रय' खोलना।

16. अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों को श्रम कानूनों का संरक्षण दिलाने के लिए मेजबान देशों पर राजनयिक दबाव डालना:

मंत्रालय का यह मानना है कि कामगारों का अन्ततः संरक्षण उनके कौशल और जागरूकता की मार्फत उन्हें सशक्त बनने पर निर्भर करता है। मंत्रालय ने संभावित उत्प्रवासियों के कौशल उन्नयन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय की भागीदारी में कार्यान्वित किया जा

रहा है। इसके कार्यान्वयन में औद्योगिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।

मंत्रालय उत्प्रवासियों के लिए एक पलायन पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि उन्हें उनके पलायन से पूर्व मेजबान देशों के कानूनों, भाषा और संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी हो सके।

मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम-बाजार में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से समुचित नीतियां तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना कर रहा है। मंत्रालय उत्प्रवासियों के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है।

उत्प्रवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन किया जा रहा है।

गैंडों की सुरक्षा हेतु धनराशि

1016. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सामान्य तौर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और विशेष रूप से गैंडे की संकटापन्न प्रजाति की सुरक्षा हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य वन विभाग द्वारा इस धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि के अन्यत्र उपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास के अंतर्गत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

2004-05	2005-06	2006-07
153.00	83.60	59.15

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के अंतर्गत अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजनाओं के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को भारत सरकार सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों से पहले से जारी की गई धन-राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद ही भिन्न-भिन्न किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं।

दिल्ली से मुंबई तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग

1017. **श्री काशीराम राणा :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए वाया श्यामलजी से वडोदरा, राजपिपला से सोनगढ़, विरार से वापी तक, दिल्ली से मुंबई तक एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 और प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है और प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा कौन-कौन से कस्बे कवर किए जाएंगे; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली से मुंबई तक एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की लंबाई 1375 किमी. है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बालिका भ्रूण हत्या

1018. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्री संजय धोत्रे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां बालिका भ्रूण हत्या के मामले तुलनात्मक रूप से काफी अधिक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों को रोकने हेतु और अधिक कठोर नियम बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 1951 से 927 से बढ़कर 2001 में 933 हो गया है। तथापि शिशु लिंग अनुपात उसी अवधि के दौरान 945 से घट कर 927 रह गया है।

जनगणना 2001 के आंकड़ों से आगे पता चलता है कि शिशु लिंग अनुपात धनाढय क्षेत्रों अर्थात पंजाब (798), हरियाणा (819), चंडीगढ़ (845), दिल्ली (868), गुजरात (883), और हिमाचल प्रदेश (896), में अपेक्षाकृत कम है। 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने देश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट) बनाया है। इस अधिनियम में संशोधन करने का कार्य चल रहा है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उसमें दांडिक प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।

विवरण

1991 और 2001 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात और शिशु लिंग-अनुपात

भारत और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात		शिशु लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	927	933	945	927
जम्मू एंड कश्मीर	896	892	NA	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963
अरुणाचल प्रदेश	859	893	982	964
नागालैण्ड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966

1	2	3	4	5
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960
झारखण्ड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932
गुजरात	934	920	928	883
दमन और द्वीव*	969	710	958	926
दादरा और नगर हवेली*	952	812	1013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1,036	1,058	958	960
तमिलनाडु	974	987	946	942
पांडिचेरी*	979	1,001	963	967
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	818	846	973	957

स्रोत: 1991 और 2001 की जनगणना, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

संघ राज्य क्षेत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु निधियों का उपयोग

1019. प्रो. एम. रामदास :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु आबंटित निधियों का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु आबंटित एवं व्यय की गयी निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित निधियां सामान्यत: निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही उपयोग की जाती हैं। 2006-07 के दौरान, आबंटित निधियों की लगभग 84% निधियों का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य के तहत केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित बड़े कार्यक्रमों के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये आबंटन और किया गया व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निधियों के बेहतर उपयोग के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

— निधियों की निर्मुक्ति, उपयोग प्रमाण-पत्रों की मानीटरिंग और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रालय से एक वित्तिय प्रबंधन समूह की स्थापना;

— राज्य/जिला स्तर के कार्यक्रम प्रबंधन एककों की स्थापना करना;

– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर लेखा जनशक्ति का संवर्धन;

– योजना गतिविधियों के समय पर पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित मानीटरिंग;

– निधियों के लिए उपयोग को सरल बनाने एवं लेखों के समुचित अनुरक्षण के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करना;

– कार्मिकों की कार्य कुशलता के विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य योजनाओं के संदर्भ में बजट अनुमान और किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2004-2005		2005-2006		2007-2008	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अवसंरचना अनुरक्षण	2293.22	2281.81	2277.27	1663.94	1867.70	1249.44
2.	गर्भनिरोधकों का निःशुल्क वितरण	97.70	76.45	172.52	163.61	100.00	91.25
3.	नेमी टीकाकरण	259.00	149.23	507.00	162.58	345.00	228.83
4.	पल्स पोलियो टीकाकरण	1011.70	924.83	877.00	918.07	1049.00	1064.60
5.	आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	116.59	139.39	129.10	122.89	130.140	134.60
6.	राज्य पी आई पी हेतु फ्लेक्सिबल पूल	956.69	500.24	955.74	2011.76	3648.90	3496.39
7.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	296.00	212.17	348.45	260.45	371.58	318.13
8.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	140.00	133.63	186.00	188.12	202.17	220.62
9.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	88.00	86.64	89.00	92.97	90.00	110.34

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	476.00	404.50	533.50	520.82	705.67	669.49
11.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (तम्बाकू मुक्त पहलों सहित)	60.00	62.85	70.00	71.99	87.00	44.58

जेसारे रोड को चौड़ा किया जाना

1020. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार बांग्लादेश से जोड़ने वाले मुख्य संपर्क सड़क, जेसोर रोड को चौड़ा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क को चौड़ा करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत-बांग्लादेश सीमा तक 68.4 किमी. लंबा जैसोर सड़क खंड केंद्र सरकार के पास है। इसमें हवाई अड्डे से बारासत तक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की 8.80 किमी. लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की संपूर्ण 59.60 किमी. लंबाई शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और राष्ट्रीय राजमार्ग 35 को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है किंतु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य में गंभीर बाधा आई है चूंकि ये लोग सर्वेक्षण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए इसके पूरा होने के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उम्र-सीमा में छूट

1021. **श्री मदन लाल शर्मा :**

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग अपने द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उम्र-सीमा में छूट देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उम्र-सीमा में संबंधित छूट स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) कर्मचारी चयन आयोग जो समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, केन्द्रीय सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों को जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, समूह 'ग' पदों के लिए 40 वर्ष की आयु होने तक की छूट प्रदान करता है और समूह 'ख' पदों के लिए निर्धारित आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की और छूट प्रदान करता है।

(ग) और (घ) आयु सीमा में छूट प्रदान करने के प्रयोजन से स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह नहीं माना जाता।

[हिन्दी]

दामोदर रिवर डाइवर्जन एरिया प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना

1022. **श्री टेकलाल महतो :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में दामोदर रिवर डायवर्जन एरिया (डी.आर.डी.ए.) परियोजना में विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया गया है तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उनको रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) उक्त परियोजना को शुरू करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) चलकारी, जरीडीह तथा फुसरो गांवों के 96 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा 631 रोजगार प्रदान किए गए।

(ग) सरकार ने वर्ष 1983 में 2 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय तथा वर्ष 1993 में 5.59 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान से दामोदर नदी डाइवर्जन हेतु अग्रिम कार्य प्रस्ताव अनुमोदित किया था। मार्च, 2007 तक पूंजीगत व्यय 7.69 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) कंपनी की आर एंड नीति के प्रावधानों से हटकर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग के कारण परियोजना में विलंब हुआ है। दामोदर नदी कारपोरेशन (डीवीसी) द्वारा तैयार दामोदर नदी डाइवर्जन परियोजना (डीआरडीपी) की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट को भी व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) भी उस समय इतनी राशि का निवेश करने की वित्तीय स्थिति में नहीं थी।

तथापि, इसी बीच कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीटयूट लि. (सीएमपीडीआईएल)/सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। सीएमपीडीआईएल ने इस परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण शुरू कर दिया है। सीएमपीडीआईएल ने 8705.7 मीटर के कुल मीटरेज वाले डीआरडी ब्लाक में 31 बोरहोल ड्रिल किए हैं। भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रगति पर है। सीएमपीडीआईएल द्वारा जून, 2008 में डीआरडी ओसी की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और संशोधित परियोजना रिपोर्ट की वित्तीय व्यवहार्यता की शर्त पर वर्ष 2010-11 से इस परियोजना से कोयला उत्पादन शुरू होने की आशा है।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि

1023. **श्री नन्द कुमार साय :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान अशिक्षा, भूख व गरीबी दूर करने, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अधिक समय लगेगा जैसाकि 23 दिसंबर, 2007 के हिन्दी दैनिक, 'हिंदुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु निर्धारित समय-सीमा से इनके पीछे चलने के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) में निरक्षरता

और गरीबी कम करने के लिए तथा स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। साक्षरता के लिए, इस योजना में योजना अवधि के दौरान साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य था। 62वें दौर, (रिपोर्ट नं. 522'62)10/1) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 में 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच साक्षरता की दर 68.3 प्रतिशत थी। भुखमरी के उन्मूलन के लिए दसवीं योजना में कोई विशेष लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया था। एनएसएस के 61वें दौर (जुलाई 2004 से जून 2005) के घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2004-05 के कुछ महीनों में 2.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 0. 5 प्रतिशत शहरी परिवारों ने खाद्यान्न की कमी की शिकायत की थी। गरीबी के लिए दसवीं योजना में वर्ष 2007 तक गरीबी के अनुपात (अर्थात् कुल जनसंख्या की तुलना में गरीबों की संख्या) को 5 प्रतिशतता बिन्दु तक कम करने का लक्ष्य था। वर्ष 1993 और 1994 के लिए उपलब्ध गरीबी के प्रसार के दो नवीनतम अनुमान जो एनएसएसओ द्वारा इसके 50वें (जुलाई 1993 - जून 1994) और 61वें (जुलाई 2004 - जून 2005) दौर के घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी कराए गए वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से अनुमानित है, की तुलना करते हुए इस अवधि में गरीबी का अनुपात घटकर 8.5 प्रतिशतता बिन्दु तक होने का अनुमान लगाया गया है। पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के लिए दसवीं योजना में वर्ष 2007 तक वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2002 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित वन/वृक्ष आच्छादित क्षेत्र संबंधी वर्तमान सूचना से 23.68 प्रतिशत हरित क्षेत्र होने का पता चलता है। वर्ष 2000 और 2002 के बीच 0.65 प्रतिशत का निवल सुधार रहा है।

स्वास्थ्य के संबंध में इस योजना में वर्ष 2007 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटा कर 45 तक तथा वर्ष 2007 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्युदर (एमएमआर) को घटाकर 2 तक करने का लक्ष्य था। वर्ष 2006 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आईएमआर 57 था तथा वर्ष 2001-03 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एमएमआर 3 था। इस प्रकार इससे यह पता चलता है कि कुछ मामलों में उपलब्धियां दसवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने वाली थीं जबकि कुछ दूसरे मामलों में उपलब्धियां लक्ष्य से कम रहीं। ''हिन्दुस्तान'' में अन्य कारकों जैसे स्कूल न जाने वाले बच्चों, पेय जल आपूर्ति और साफ-सफाई सुविधाओं का भी उल्लेख था। इनके लिए सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और सम्पूर्ण साफ-सफाई अभियान जैसे अलग-अलग कार्यक्रम चल रहे हैं।

(घ) और (ङ)कार्यक्रम दिशा निर्देश के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी रोधी कार्यक्रमों के क्षेत्र में अधिकांश कार्यक्रमों की केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं मूल्यांकन कार्य प्रणालियां हैं। योजना आयोग वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। ग्यारहवीं योजना में इन कारकों पर विचार किया गया है, इसमें योजना अवधि (2007-2012) के लिए इनमें से कुछ परिवर्तियों (वैरिएबल्स) के वास्ते निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। साक्षरता के लिए, साक्षरता दर (7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए) को 85 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। गरीबी के लिए, उपभोग गरीबी के प्रति व्यक्ति अनुपात को घटाकर 10 प्रतिशतता बिन्दु तक लाने का लक्ष्य है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, (1) वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाकर 10 प्रतिशतता बिन्दु तक करना; (2) वर्ष 2011-12 तक सभी बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता को डब्ल्यूएचओ के मानकों तक लाना (3) नदियों के जल को साफ करने के लिए वर्ष 2011-12 तक सभी शहरी अपशिष्टों को संसाधित करना (4) ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2016-17 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करना। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, (1) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घटाकर 28 तक करना और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को घटाकर 1 तक करना (2) 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण को इसके वर्तमान स्तर से आधा करना (3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक महिलाओं और बालिकाओं में रक्ताल्पता को घटाकर 50 प्रतिशत तक करना।

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए प्रति वर्ष 9 प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य इस योजना अवधि के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत के विकास के संधारणीय पथ पर अर्थव्यवस्था को लाना है। सामान्य विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होने के अलावा, सरकार निरक्षरता और गरीबी का उन्मूलन करने तथा पर्यावरणीय संधारणीयता एवं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इस संबंध में प्रमुख स्कीमों और कार्यक्रमों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना शामिल है। सामाजिक क्षेत्र के

विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बहुत से कार्यक्रम और स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें से कुछ है: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत निर्माण आदि हैं। ग्यारहवीं योजना की परिकल्पना में विकास प्रक्रिया का अनुगमन करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता है जो कि पर्यावर्णीय रूप से संधारणीय है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण

1024. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री रघुनाथ झा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों का निष्पादन इस मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यों का निष्पादन मंत्रालय के विनिर्देशों और इंडियन रोड कांग्रेस के संबंधित प्रकाशनों के अनुरूप हो, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास सुस्थापित गुणवता नियंत्रण व्यवस्था है। निर्माण के दौरान गुणवता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पर्यवेक्षण परामर्शदाता/स्वतंत्र इंजीनियरों की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के परियोजना निदेशकों द्वारा जांच भी की जाती है। कुछ परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गुणता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी परीक्षकों की भी नियुक्ति कर रहा है। राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा देखे जा रहे कार्यों के लिए, गुणता नियंत्रण जांच क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ग) से (ङ) कार्यान्वयन एजेंसियां निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक गुणवता नियंत्रण जांच कर रही हैं। यदि कोई दोष पाए जाते हैं तो पूर्ण गुणता नियंत्रण के अनुरूप उनका सुधार कराया जाता हे और उनकी पुन: जांच की जाती है।

कार्बन उत्सर्जन पर यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट

1025. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) रिपोर्ट में वर्ष 2050 के अंत तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 20% घटाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा घटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की मानव विकास रिपोर्ट में खतरनाक जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए "पोस्ट 2012 क्योटो प्रोटोकाल (के पी)" के अंतर्गत एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क तैयार करने की सिफारिश की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) वर्ष 1990 के स्तर से वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में 50 प्रतिशत कमी के उद्देश्य से वैश्विक सतत उत्सर्जन पद्धति पर सहमति।

(ii) विकसित देशों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाले क्योटो प्रोटोकाल के तहत 2020 तक 20-30 प्रतिशत की कटौती के साथ 2050 तक गैस उत्सर्जनों में कम से कम 80 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य रखा गया है।

(iii) विकासशील देशों में मुख्य उत्सर्जनों ने वर्ष 2050 तक 20% की कमी के साथ वर्ष 2020 में सबसे अधिक उत्सर्जन सीमा का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) भारत के एक विकासशील देश होने के बावजूद इसकी कोई न्यूनीकरण वचनबद्धताएं नहीं है, तथापि जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से एक सतत विकास पथ का अनुसरण किया जा रहा है, इसमें शामिल है:

(i) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित करना।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

(iii) पॉवर सैक्टर सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम।

(iv) परिवहन के लिए स्वच्छतर और न्यून कार्बनयुक्त इंटेंसिव फ्यूल का उपयोग।

(v) ईंधन के स्थान पर स्वच्छतर ऊर्जा का उपयोग।

(vi) वनीकरण और वन संरक्षण।

(vii) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(viii) गैस की लौ कम करना।

(ix) मास रैपिड ट्रांसमिशन प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

(x) सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन।

स्वचालित मौसम विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

1026. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इसरो के विस्तारण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वचालित मौसम विज्ञन केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में दूरसंवेदी (रिमोट सैंसिंग) विषय पर किसी भारत-आस्ट्रेलिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस कार्यशाला में चर्चा की गयी है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भारत को किस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। इसरो ने स्वचालित मौसमी संबंधी केन्द्रों (ए डब्ल्यू एस) का विकास किया है, जो कि प्रति घंटा दाब, तापमान, आर्द्रता, पवन और जलवृष्टि जैसे स्वस्थाने मौसम संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और इन्हें इन्सैट संचार उपग्रहों के माध्यम से केंद्रीय स्टेशन को संप्रेषित करने में सक्षम हैं। दक्षिण भारत के मानसून क्षेत्रों और उत्तर पूर्व के आपदा संभावित क्षेत्रों को आवृत करते हुए अब तक 360 स्वचालित मौसम संबंधी केंद्रों की स्थापना की गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी (आई एन ए ई) और आस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी विज्ञान और इंजीनियरी अकादमी (ए ए टी एस ई) के तत्वावधान में सुदूर संवेदन पर बेंगलूर में दिसंबर, 2007 में भारत-आस्ट्रेलिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अंशांकन और मान्यकरण संबंधी क्रियाकलापों; संख्यात्मक मौसम संबंधी पूर्वानुमान मॉडलों में आंकड़ों के स्वांगीकरण; और परास्पेक्ट्रमी आंकड़ा संसाधन एवं विश्लेषण के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच संयुक्त रूप से कार्य करने की अनुशंसा की गई।

प्रति व्यक्ति कैलरी का उपयोग

1027. **श्री अबु अयीश मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रोटीन और ऊर्जा के उपभोग के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्कूल जाने की उम्र से कम उम्र के बच्चों (प्री स्कूल चिल्ड्रेन) की तुलना में वयस्कों द्वारा किए जा रहे कैलरी उपभोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान

परिषद का राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो देश के 9 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आहार एवं पोषण संबंधी सर्वेक्षण करता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण से स्कूल जाने से पूर्व की उम्र के बच्चों तथा वयस्कों में कैलोरी के माध्यिक अन्तर्ग्रहण का पता चलता है जो निम्नलिखित है:-

(ऊर्जा कैलोरी में)

आयु वर्ग	माध्यिक अन्तर्ग्रहण	आर डी ए
1-3 वर्ष के बच्चे	687	1240
4-6 वर्ष के बच्चे	978	1690
वयस्क पुरुष (स्थानबद्ध कामगार) वयस्क महिलाएं (स्थानबद्ध कामगार)	1964	2425

(ग) सरकार लोगों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आहार पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न मीडिया को संबद्ध करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के जरिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप चला रही है।

पक्षियों का संरक्षण

1028. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पक्षियों के संरक्षण हेतु कोई परियोजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आवंटन किया गया है तथा यह परियोजना कब से क्रियान्वित की जा रही है एवं इसको क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या हाल ही में उक्त परियोजना के कार्यनिष्पादन के संबंध में एक आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) मंत्रालय पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई भी समर्पित परियोजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अंतर्गत पक्षियों सहित वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एमपीलैड योजना के अंतर्गत निधियों में वृद्धि

1029. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमपीलैड योजना के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ग) एमपीलैड योजना के वार्षिक आबंटन में वृद्धि के प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन पर प्रति व्यक्ति व्यय

1030. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यावरण और वन पर किए गए प्रति व्यक्ति व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनाच्छादन में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अवक्रमित गैर-वन भूमि पर वनरोपण हेतु प्रस्ताव

1031. **श्री पी.सी. थामस :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम वन योजना) को शामिल करते हुए अवक्रमित गैर-वन भूमि के वनरोपण हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए गैर-वन भूमियों पर वनीकरण हेतु एक स्कीम बनाई गई है। हालांकि स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है, तथापि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के प्रस्तावित स्कीम के दिशा-निर्देशों का प्रारूप परिचालित कर दिया गया है। केरल वन विभाग को स्कीम अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्ताव पुन: भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना

1032. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में युनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) द्वारा निधिपोषित स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एपीएचएसआरपी) डीएफआईडी और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, कार्यक्रम जिसकी लागत तीन वर्षों में 40 मिलियन पाउंड आएगी, डीएफआईडी द्वारा जून, 2007 में अनुमोदित किया गया था और आर्थिक कार्य विभाग के साथ विनियम पत्रों पर सितम्बर, 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे। 9.5 मिलियन पाउंड की पहली किस्त आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यनीति और 2007-08 की कार्य-योजना की सहमत प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन के लिए निर्मुक्त की गई थी। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च, 2008 तक एक तकनीकी सहयोग सहायता अभिकरण की स्थापना किये जाने की संभावना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र सहायता तीन वर्षों (2007/08-2009/10) के लिए प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनतम लोगों द्वारा और अल्पसेवित क्षेत्रों में गुणवता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोग को बढ़ाना है।

मुख्य परिणाम निम्नलिखित होंगे :-

(क) विशेषकर दूर-दराज के और भीतरी क्षेत्रों में गुणवता युक्त एवं अनुक्रियात्मक सेवाओं तक बेहतर पहुंच;

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र के संचालन और प्रबंधन को मजबूत बनाना;

(ग) समुदाय की सहभागिता के लिए संस्थागत तंत्र और कार्यप्रणाली में जवाबदेही पद्धतियां;

(घ) वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां मजबूत बनेगी और स्वास्थ्य पर बेहतर सार्वजनिक व्यय।

बी.पी.ओ. कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश

1033. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजनैस प्रौसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) कर्मचारियों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे दिशानिर्देशों का विरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन

1034. **श्री विजय कृष्णा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में चल रहे प्रमुख सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, अत: देश में कार्यरत बड़े सरकारी अस्पतालों से संबंधित कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, वहां तीन प्रमुख अस्पताल नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और इससे संबद्ध अस्पताल हैं। इसके अलावा, एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) तथा उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाओं, प्रत्येक में एक-एक संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के अलावा सरकार ने विभिन्न राज्यों में 13 मौजूदा चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन करने का भी निर्णय लिया है।

एफ.डी.सी. दवाओं को वापस लिया जाना

1035. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**
श्री प्रबोध पाण्डा :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफ.डी.सी.) दवाओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों को एफ.डी.सी. दवाओं का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 2007 तक बाजार से वापस ली गई ऐसी दवाओं का ब्यौरा क्या है और विनिर्माताओं के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत के औषध महानियंत्रक ने संबंधित एफ डी सी के लिए प्रदत्त विनिर्माण लाइसेंसों को रद्द करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रकों को नवम्बर, 2007 में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 33(पी) के तहत निर्देश जारी किए थे। तथापि, जनवरी, 2008 में औषध विनिर्माताओं और उनके संगठनों के चेन्नई में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 34777-34781/2007, 35354/07, 35844/07 तथा 36369/07 दायर की थी और मामला न्यायाधीन है।

आयुर्वेद को प्रोत्साहन

1036. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजनाएं तथा परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए निधियों के आबंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आयुर्वेद के शिक्षा स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के संवर्धन हेतु शुरू की गई स्कीमों/परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा पाठ्यक्रम की सावधिक पुनरीक्षा।

(ii) सीसीआईएम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजों का नियमित दौरा किया क्या वे आईएमसीसी अधिनियम, 1970 के उपबंधों का अनुसरण कर रहे हैं।

(iii) आईएमसीसी अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले कॉलेजों को स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने और प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुमति प्रदान करना।

(iv) समय परिवर्तन के कारण उपबंधों में संशोधन अपेक्षित होने पर उन्हें संशोधित करने के प्रयोजनार्थ आईएमसीसी अधिनियम की नियमित पुनरीक्षा।

(v) आईएमसीसी अधिनियम, 1970 और उसके संशोधनों से संबंधित विभिन्न उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	विवरण	आबंटित निधियां
1	2	3	4
1.	आयुष समूहों का विकास	स्कीम के अंतर्गत आयुष क्षेत्रक के उद्यम समूह द्वारा गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को अनुदानों के रूप में सहायता दी जाती है ताकि समूह आधारित प्रयास के द्वारा मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन व नियंत्रण, उत्पादकता, विपणन, अवसंरचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में विद्यमान आयुष क्षेत्रक के अंतरालों को भरा जा सके।	2007-08 के दौरान स्कीम के लिए 27.00 करोड़ रु. चिन्हित किए गए हैं।
2.	सूचना, शिक्षा और प्रसार स्कीम के अंतर्गत बहु मीडिया अभियान का विशेष घटक	स्कीम के अंतर्गत आयुर्वेद और सिद्ध के माध्यम से क्षार सूत्र और जरा चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या पर आरोग्य मेलों और राष्ट्रीय अभियानों को आयोजित किया गया।	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्षारसूत्र पर राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए 14 राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को 62.55 लाख रु. और आयुर्वेद एवं सिद्ध के माध्यम से जरा चिकित्सा परिचर्या पर राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) को 10.00 लाख रु. दिए गए थे। आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और प्रसार के लिए दिल्ली, देहरादून और इंदौर में भी 3 आरोग्य मेले लगाए गए थे।
3.(क)	स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना	स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना का उद्देश्य चिन्हित रोग दशाओं के लिए उत्कृष्ट/उत्कृष्टता आधारित उत्पादों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण हेतु समेकित प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करना है जिसके लिए 3 सर्वोच्च संगठनों यथा आयुष/सीसीआरएएस, सीएमआईआर और आईसीएमआर ने उक्त प्रयोजनार्थ आपस में हाथ मिलाया है।	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना और बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना के लिए कुल 7.25 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

1	2	3	4
3.(ख)	आयुर्वेद के संवर्धन हेतु शुरू की गई बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम	यह आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए अनुसंधान परियोजना है जिसमें विभिन्न विकारों और रोगों के निवारण और उपचार के लिए इन चिकित्सा पद्धतियों में प्रलेखित एवं प्रयुक्त उपचार भी शामिल हैं।	
4.	आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम	(i) आयुर्वेद के विशिष्टता क्लिनिकों की स्थापना करना। इस घटक के अंतर्गत बहिरंग उपचार केंद्रों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को 10.00 लाख रु. का सहायता अनुदान मंजूर किया गया है। (ii) पंचकर्म और क्षार सूत्र जैसे विशेषीकृत उपचार केंद्रों की स्थापना। इस घटक के अंतर्गत पंचकर्म और क्षार सूत्र जैसे विशेषीकृत आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों को स्थापित करने के लिए लाभरहित आधार पर चलने वाले संगठनों और राज्य सरकारों को 22.00 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया जाता है। (iii) राज्य सरकार के जिला एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष स्कंधों की स्थापना। इस घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रत्येक केंद्र के लिए 35.00 लाख रु. का सहायता अनुदान दिया जाता है।	संशोधित अनुमान 2007-08 में 62.00 करोड़ रु.
5.	आयुष औषधालयों के लिए स्कीम	स्कीम के अंतर्गत अपने आयुष औषधालयों हेतु औषधियों के क्रय हेतु राज्य सरकारों को प्रति औषधालय 25,000/- रु. की दर से सहायता अनुदान दिया जाता है।	संशोधित अनुमान 2007-08 में 33.90 करोड़ रु.
6.	आयुष संस्थानों के विकास हेतु स्कीम	इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा शिक्षा और अनिवार्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष कॉलेजों को अनुदान दिए जाते हैं।	2007-08 के दौरान 47.00 करोड़ रु.

1	2	3	4
7.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्कीम	इस स्कीम के अंतर्गत राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण तथा एएसयू औषधियों के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अंतर्गृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने तथा निर्यात प्रयोजनों हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्छी विनिर्माण पद्धतियों/यूएसएफडीए/ईयू की अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उनकी अवसंरचनाओं को उन्नयनकृत करने के लिए भी एएसयू और एच विनिर्माण एकांशों को सहायता दी जाती है।	2007-08 के दौरान 10.00 करोड़ रु.

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना

1037. श्री सूरज सिंह :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रघुनाथ झा :
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा एवं प्रबंध समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना (एन.एच.ए.आर.एस.) के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान संपूर्ण निधि का उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ड्राइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करती है; और

(च) ऐसे संस्थानों का तथा इसके लिए आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस सुंदर की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति ने दिनांक 20.2.2007 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। इस समिति की मुख्य सिफारिशों में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का गठन शामिल है। इस बोर्ड के पास परामर्शी एवं नियामक कार्य होंगे। नियामक कार्यों के अंतर्गत यह बोर्ड मोटर वाहनों के लिए मानक और सड़कों की डिजाइन के लिए मानक निर्धारित करेगा। अपनी परामर्शी भूमिका में यह बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार की सहायता करेगा तथा सड़क सुरक्षा अनुसंधान, सड़क प्रयोक्ता व्यवहारण नीति को बढ़ावा देगा तथा चिकित्सा सुविधा की स्थापना और पुनर्वास आदि के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही निकायों के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इस समिति ने डीजल और पेट्रोल पर उपकर से कुल आय का

न्यूनतम 1% सड़क सुरक्षा कोष के लिए निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। सचिवों की समिति के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत क्रेनों और एंबुलेंसों की खरीद के लिए 14.80 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से इनकी खरीद पर 12.16 करोड़ रु. खर्च किए गए।

(ङ) और (च) वाहन चालन कौशल में सुधार के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करके एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 13 संस्थानों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सराय काले खां में दो संस्थानों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। स्वीकृत संस्थानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/गैर सरकारी संगठन का नाम	केंद्रीय सहायता
1	2	3
1.	असम (बेटकुची)	394.00
2.	मैसर्स केडीएलओए (विजयवाड़ा)	400.00
3.	कर्नाटक (हगरीबोमनहल्ली, जिला बेल्लारी)	269.00
4.	पश्चिम बंगाल (जैसोर रोड पश्चिम बंगाल)	328.00
5.	हिमाचल प्रदेश (जैसूर)	181.00
6.	केरल (इडप्पल)	299.00
7.	आईडीटीआर (सराय काले खां), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	325.00
8.	उत्तरांचल (देहरादून)	325.00
9.	उत्तर प्रदेश (अलेन फॉरेस्ट, कानपुर)	339.00
10.	उड़ीसा (चंडीखोल, जाजपुर)	336.00
11.	नागालैंड (दीमापुर)	354.00
12.	मध्य प्रदेश (इंदौर)	393.96
13.	हरियाणा (बहादुरगढ़)	400.00
	जोड़	4343.96

[अनुवाद]

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना

1038. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना कि क्रियान्वयन के लिए विशेष श्रेणी के अंतर्गत जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त सहायता दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के 13 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें से 10 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिसे अब बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम में सन्निविष्ट कर लिया गया है, के अंतर्गत भी शामिल किया गया था। वर्ष 2003-04 से 29.2.2008 तक आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत 322.50 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान बी.आर.जी.एफ. के तहत विकास अनुदान के रूप में सभी 13 जिलों को 301.88 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये हैं। राज्य को निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के क्षमता निर्माण, प्रत्येक के लिए, वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान 13 करोड़ रुपये निर्गत किए गए। आंध्र प्रदेश को निर्मुक्त की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आर एस वी वाई - के तहत आंध्र प्रदेश राज्य की निर्मुक्ति का सार
(29.02.2008 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	जिलों के नाम	आर एस वी वाई के तहत निर्मुक्तियां			विकास अनुदान	अभियुक्तियां
		2003-04 से 2006-07	2007-08	कुल निर्मुक्त की गई राशि	2007-08	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1.	अनंतपुर	30	7.5	37.5	28.32	
2.	अदिलाबाद				23.89	गैर आर एस वी वाई (नए बी आर जी एफ जिले)
3.	चित्तूर	22.5	7.5	30	26.1	
4.	कुड्डपा				23.85	गैर आर एस वी वाई (नए बी आर जी एफ जिले)
5.	करीम नगर	30	15	45	23.32	आर एस वी वाई पूर्ण की गई
6.	खम्माम	22.5	7.5	30	24.08	
7.	महबूबनगर	15	7.5	22.5	27.5	
8.	मेडक	22.5	15	37.5	20.37	
9.	नालगोंडा	15	7.5	22.5	24.35	
10.	निजामाबाद	22.5	7.5	30	18.63	
11.	रंगारेड्डी				20.87	गैर आर एस वी वाई (नए बी आर जी एफ जिले)
12.	विजयनगरम	15	7.5	22.5	17.01	
13.	वारंगल	37.5	7.5	45	23.59	आर एस वी वाई पूर्ण की गई
	योग	232.5	90	322.5	301.88	

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ

आंध्र प्रदेश-राज्य को घटक-वार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

1.	आर एस वी वाई	322.5
2.	विकास अनुदान	301.88
3.	2007-07 एवं 2007-08 में राज्य को निर्मुक्त क्षमता निर्माण अनुदान	26
4.	2007-08 के दौरान जिला योजना की तैयारी के लिए राज्य को जारी की गई अग्रिम	1.3
	कुल योग	651.68

सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के लिए दिशानिर्देश

1039. **श्री के. सुब्बारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा क्या दिशानिर्देश दिए गए हैं; और

(ख) इन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने भारत में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिकों (ए. आर.टी.) के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इन दिशानिर्देशों को सभी राज्यों में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया है कि वे अपने राज्यों में उनका अनुपालन करें। तथापि देश में इन दिशानिर्देशों की कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने भी सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक तैयार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुरोध किया है। परिषद ने सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक का प्रारूप तैयार किया है जिसमें प्रतिनिधि माता का मामला शामिल है और जिसका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिकों के प्रत्यापन, पर्यवेक्षण और विनियमन से संबंधित सभी नीतिगत मामलों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वास्थ्य और/या परिवार कल्याण विभागों के जरिए राज्य प्रत्यायन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। साथ ही सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिकों के विनियमन संबंधी नीतिगत मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की जाएगी।

कॉस्मेटिक मदों के संघटकों संबंधी अध्ययन

1040. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :**
श्रीमती जयाप्रदा :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री मधु गौड़ यास्खी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश ब्रांडेड कंपनियां लिपिस्टिक, टेल्कम पाउडर, डेव, हेयर डॉय तथा शेम्पू आदि जैसे विभिन्न कॉस्मेटिक मदों में सीसा, तांबा तथा अन्य रसायनों का निर्दिष्ट मात्रा से अधिक उपयोग कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अन्य कैंसर सहित विभिन्न रोग होते हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कॉस्मेटिक विनिर्माता कंपनियों की मात्रा के लिए सरकार के पास कोई एजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औषध एवं प्रसाधन-सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 138 के अनुसार, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को देश में किसी भी प्रसाधन-सामग्री का बिक्री के लिए निर्माण करने के लिए लाइसेंस देने अथवा उसे नवीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। औषध एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार किसी प्रसाधन-सामग्री, जो मानक गुणवत्ता की न हो, अथवा गलत ब्रांड की हो अथवा नकली अथवा हानिकारक अथवा असुरक्षित हो, का बेचने हेतु विर्निमाण करने अथवा उसका वितरण करने अथवा उसे बेचने अथवा स्टॉक में रखने अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शित करने अथवा उसे प्रस्तुत करने अथवा उस संवितरण करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकती है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में कोयला भंडार

1041. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सिंगरेनी कोल माइंस, आंध्र प्रदेश के पास उपलब्ध कोयले का भंडार कितना है;

(ख) वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी कोल माइंस में कितनी खुले मुहाने वाली ओपन कास्ट/भूमिगत खानें हैं; और

(ग) इन खानों में वर्तमान में कितने कार्यबल कार्य कर रहे हैं;

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) गोदावरी घाटी कोलफील्ड में प्रचालन कर रही है और इसकी खानें आंध्र प्रदेश के 4 जिलों अर्थात आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्माम में फैली हुई हैं।

गोदावरी घाटी कोलफील्ड में उपलब्ध प्रमाणित, निर्दिष्ट और अनुमानित कोयला संसाधनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार (मि.टन में)

प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
8791.12	6265.58	2657.75	17714.45

(ख) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार, एससीसीएल, आंध्र प्रदेश राज्य के 4 जिलों आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल तथा खम्माम में 13 ओपनकास्ट और 42 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

(ग) 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार इन खानों का कार्यबल 75,830 है।

स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में वृद्धि

1042. श्री के.एस. राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उप उद्योगों को उद्योग क्षेत्र घोषित करने तथा स्व निम्न लागत उच्च गुणवत्ता सुविधाओं द्वारा तदनुसार सभी सुविधाएं प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र तथा चिकित्सा पर्यटन में दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) इस समय देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को उद्योग का स्टेटस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 के अनुसार पेयजल और पोषण जैसे सामाजिक निर्धारकों सहित स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च 2005-2006, 2006-2007 और 2007-08 वर्षों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का क्रमश: 1.27 प्रतिशत, 1.36 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत है।

भारत में आने वाले मेडिकल टूरिस्ट ट्रैफिक के संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, स्वास्थ्य के संबद्ध सामग्री, फिल्मों, पुस्तिकाओं आदि के व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए चिकित्सीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले ही अनेक पहलें शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

1043. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र के कितने प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं और इसके क्या कारण है; और

(घ) इन सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की सात नदी घाटी और पनविद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) आज की तारीख तक सतारा जिला, महाराष्ट्र की नामत: जिहे कठापुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नामक केवल एक सिंचाई परियोजना, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने के कारण पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित पड़ी है। सामान्यत: परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय पूर्ण सूचना मिलने के बाद 105 दिनों के भीतर लिया जाना होता है।

[अनुवाद]

बंगलौर में पेरिफेरल रिंग रोड/ एअरपोर्ट एक्सप्रेसवे

1044. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केंद्रीय दल ने कर्नाटक सरकार के साथ जनवरी, 2008 में नए एअरपोर्ट एक्सप्रेसवे तथा पेरिफेरल रिंग रोड परियोजनाओं के संबंध में वार्ताएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वार्ता के क्या परिणाम निकले?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत नए विमान पत्तन एक्सप्रेस मार्ग और पेरिफेरल रिंग रोड परियोजनाओं के निर्माण के लिए निर्णय लिया गया है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं का पर्यावरणीय मंजूरी

1045. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की लिफ्ट इरीगेशन तथा विद्युत परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंजूरी को त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने के प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) कर्नाटक की लिफ्ट सिंचाई और जलविद्युत पावर परियोजनाओं

सहित कोई सिंचाई परियोजना मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाघों को जहर दिए जाने के बढ़ते मामले

1046. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बाघों को जहर दिए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में तथा वनों में बाघों की संख्या में कितनी कमी आई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया है; और

(ङ) बाघों तथा अन्य वन्य जीवों की गणना आवधिक रूप से कितने वर्षों के बाद की जाती हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) बाघों को जहर दिए जाने के संबंध में राज्यों के कभी-कभी सूचना प्राप्त होती रही है। ऐसे आंकड़ों से किसी निश्चित रूझान का पता नहीं चलता है। राज्य (असम) ने जहर दिए जाने की शंका में तीन बाघों (राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क के निकट हतीखुली चाय बागान में) के मरने की सूचना मिली है। यद्यपि इस संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघों के मरने का विवरण और वर्ष 2000-2002 के दौरान दस किलोमीटर के दायरे तक बाघ रिजर्व में और इसके आस-पास वन आवरण स्थिति में परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अवैध शिकार के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए अपराधियों के विरुद्ध कानूनी उपबंधों के अनुसार न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में संबंधित राज्य के भीतर संबंधित क्षेत्र में कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार स्तर पर इस संबंध में प्रत्येक मामले का विवरण नहीं रखा जाता है।

(ङ) बाघों का अखिल भारतीय आकलन प्रत्येक चार वर्षों में किया जाता है।

विवरण

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बाघों की मृत्यु

क्र.सं.	स्थान	घटना की तारीख	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम	1.11.05 (पोस्ट मार्टम की प्रतीक्षा)	एक बाघ	–	–
2.	राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, असम	14.11.2005/ 15.11.2005 (पोस्ट मार्टम की प्रतीक्षा)	एक बाघ	–	–
3.	राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, असम	2.10.2007 (जहर देकर मारने का संदेह)	–	–	एक बाघ

1	2	3	4	5	6
4.	राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, असम	4.10.2007 (जहर देकर मारने का संदेह)	–	7	1 सब अठल्ट
5.	हतीखुली चाय बागान निकट राष्ट्रीय काजीरंगा पार्क, असम	27.12.2007 (जहर देकर मारने का संदेह)	–	–	एक बाघिन (बच्चा)
	योग		2		3

वन आवरण और बाघ रिजर्वों में परिवर्तन

भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से बाघ रिजर्व निदेशालय द्वारा 10 किलोमीटर के दायरे में बाघ रिवर्ज के आसपास किए वन आवरण स्थिति के तुलनात्मक आकलन के अनुसार

बाघ रिजर्व	भौगोलिक क्षेत्र	2000	2002	परिवर्तन (2000-2002)
दम्पा	500	479	478	-1
मानस	2,840	1,559	1,555	-4
नामदाफा	1,985	1,858	1,858	0
नामेरी	344	178	169	-9
पाखुई (पाके)	862	846	844	-2

वन क्षेत्र और बाघ रिजर्व में बाहरी परिधि में परिवर्तन

भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से बाघ रिजर्व निदेशालय द्वारा 10 किलोमीटर के दायरे में बाघ रिजर्व के आसपास किए गए वन आवरण स्थिति के तुलनात्मक आकलन के अनुसार

बाघ रिजर्व	भौगोलिक क्षेत्र	2000	2002	परिवर्तन (2000-2002)
1	2	3	4	5
दम्पा	810	754	750	-4
मानस	3,236	452	452	0
नामदाफा	1,421	1,223	1,220	-3
नामेरी	1,265	583	572	-11
पाखुई (पाके)	1,828	1,682	1,682	0

तमिलनाडु में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

1047. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनसे अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या कुछ योजनाएं राज्य में सफल नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके सफल क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तमिलनाडु सहित समूचे देश में विशेषकर निर्धन एवं जनसंख्या के असुरक्षित वर्ग को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ किया

गया है। साथ ही इसका लक्ष्य तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में आरसीएच-II समेत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों के संरक्षण (ओवर आर्किंग अम्ब्रेला) प्रदान करना है।

अन्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन की कमी, फाइलेरिया, काला आजार, क्षयरोग, कुष्ठ रोग एकीकृत रोग निगरानी शामिल हैं। तमिलनाडु में 8683 उप केन्द्रों, 1181 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 236 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से निवारक और रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा रही है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को नये उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन/स्थापना के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं। तथापि, राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को उनके वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के अंतर्गत अपनी निधियों की अपेक्षा को सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है।

तमिलनाडु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्यों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान दिसम्बर, 2007 तक 78.46 करोड़ रुपये की धन राशि आर सीएच फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत और 110.11 करोड़ रुपये की धन राशि मिशन फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत निर्मुक्त की गई है। कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा चैन्ने में 1 मार्च, 2008 को की गई और उसकी प्रगति संतोषजनक थी।

बैंकाक में व्यापार सम्मेलन

1048. **श्री नवीन जिन्दल : क्या उत्तर पूर्व विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यो पूर्वोत्तर क्षेत्र की अत्यधिक क्षमताओं को दर्शाने के लिए अक्टूबर, 2007 में बैंकाक में ''नॉर्थ-ईस्ट इण्डिया इन्वेस्टमेंट अपोरच्युनिटीज वीक'' नामक व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या थाईलैंड प्राधिकारियों तथा कंपनियों ने इसमें कोई रूचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में अब तक थाईलैंड ने कितनी धनराशि का निवेश किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे सम्मेलन अन्य देशों में भी आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) थाईलैंड में आयोजित किया गया ''नार्थ ईस्ट इण्डिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपोरच्युनिटीज वीक'' 10 समझौता ज्ञापनों को मोहरबंद करने तथा भावी व्यापारिक गठबंधनों और सहयोग पर प्रोत्साहित बातचीत के साथ सम्पन्न हुआ। थाई प्राधिकारियों तथा कंपनियों ने क्षेत्र में अन्य सैक्टरों/क्षेत्रों सहित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पन बिजली, बांध, अंतरदेशीय जल परिवहन, सड़क निर्माण, बागवानी उत्पादों, कृषि उत्पाद, चाय, बांस, पर्यटन तथा आतिथ्य में बहुत रूचि दिखाई। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) का भारत-थाई बिजनेस फोरम के साथ समझौता ज्ञापन करना इस आयोजन की एक महान उपलब्धि थी। एक समर्पित सुविधा केंद्र मार्किट स्रोत सृजित करके तथा निवेश प्रौद्योगिकी पार्क बनाकर, नीतिगत पहलों के लिए राज्य सरकारों से समन्वय करके, संयुक्त उद्यमों में सहयोग करके, छह महीने में एक बार रोड शो, सेमिनार, बैठकें आयोजित करके तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयासों द्वारा द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए और व्यापार तथा निवेश अवसरों को खोजने एवं सुगम बनाने के लिए सात सूत्री समझौता ज्ञापन पर बातचीत की गई। भारतीय वाणिज्य परिसंघ, कोलकाता निवेश तथा व्यापार में थाई-उत्तर पूर्वी व्यापार सहयोग के लिए 42 प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

इस आयोजना के साथ ही एक महत्वपूर्ण शुरूआत हो चुकी है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा बेहतर आर्थिक समझ-बूझ और आदान-प्रदान हेतु एक नया मंच मिल गया है।

तत्पश्चात् थाईलैण्ड के उद्योग उप मंत्री जो, थाई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं, के नेतृत्व में थाईलैण्ड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिल्ली में वाणिज्य मामलों के थाई कार्यालय तथा खाद्य पदार्थों, निर्माण बैंकिंग तथा इस्पात उद्योग की कंपनियों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 09 से 12 जनवरी, 2008 तक उत्तर पूर्व के तीन राज्यों (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम) का दौरा किया यह दौरा जून, 2007 में उत्तर पूर्व में थाई वाणिज्य मंत्री द्वारा एक प्रतिनिधिमण्डल सहित त्रिपुरा, असम और मेघालय में किए गए दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में था। इस प्रतिनिधिमण्डल में वाणिज्य मंत्रालय तथा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भारतीय कार्यालय सहित थाई

सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड निगोसिएशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ थाईलैंड, टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन ट्रेड, बिजनेस हाउस ऑफ-फेडरेशन ऑफ थाई इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों, इण्डिया-थाई बिजनेस फोरम (आई टी बी एफ), इण्डिया-थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, च. करनचंग पब्लिक कंपनी लिमिटेड, इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैण्ड, सियांग सीमेंट ग्रुप, थाई ऑरचिड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, एक्वाकल्चर प्रमोशन कंपनी लिमिटेड तथा प्रेशियस शिपिंग कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल थे।

(घ) और (ङ) ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आसियान तथा यू ए ई के साथ चर्चा की जा रही है। यू एस में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रवासी भारतीयों के साथ भी वार्ता चल रही है। यह आवश्यक है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पूरे विश्व में विशेष रूप से पूर्व की ओर देखो नीति के तहत एक आकर्षक एफ डी आई तथा व्यापार गंतव्य के रूप में प्रक्षेपित किया जाए।

स्किन बैंक की स्थापना

1049. **श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्लड बैंकों की तर्ज पर स्किन बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झीलों का विकास

1050. **श्री जुएल ओराम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की झीलों के संरक्षण की योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) झील-वार कौन-कौन सी संरक्षण एवं विकास योजनाएं बनाई गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) मंत्रालय जून, 2001 से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने अभी तक 687.52 करोड़ रु. का अनुमानित लागत में 52 झीलों के संरक्षण हेतु 35 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना इस समय जारी है और ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात वार्षिक योजना 2007-08 के लिए एन एल सी पी परियोजनाओं के लिए 63.21 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) का परिव्यय निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए एन एल सी पी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु परिव्यय (बजट अनुमान) 80 करोड़ रु. है। झीलों के प्राथमिकीकरण तथा उनके संरक्षण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के क्रम में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के आधार पर चल रही और नई परियोजनाओं के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान एन एल सी पी के लिए 800 करोड़ रु. की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

नई झीलों से संबंधित प्रस्तावों पर मंजूरी हेतु एन एल सी पी दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी स्वीकार्यता, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकीकरण और योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका असैन्य परमाणु समझौते पर पुनर्विचार

1051. **श्री संतोष गंगवार : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्लेषकों तथा परमाणु वैज्ञानिकों ने भारत अमरीका परमाणु समझौते पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के समझौतों के अनुसार भारत और

अमरीका के बीच प्रस्तावित सिविल नाभिकीय सहयोग पर विभिन्न विचार देखे हैं। अधिकांश रक्षा विश्लेषकों और नाभिकीय वैज्ञानिक प्रस्तावित सहयोग के कड़े पक्ष में हैं, लेकिन कुछ ने कतिपय चिंताएं व्यक्त की हैं। सरकार उठाए गए मामलों पर विधिवत विचार करती है और देश के सर्वाधिक हित में कार्यवाही करती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार को दी जाने वाली विशेष छूट को वापस लिया जाना

1052. **श्री रघुनाथ झा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 14.7.81 के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद के संबंध में केन्द्रीय भण्डार को दी जाने वाली विशेष छूट को वापस लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकें क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 से सरकारी व्यय में वस्तुओं की खरीद में मितव्ययता लाने में कोई परिणाम नहीं निकले हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार को पुनः छूट देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकारी विभागों के लिए लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद केन्द्रीय भण्डार से किया जाना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 जारी किए जाने के बाद लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 14.7.1981 का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01 जुलाई, 2005 से लागू नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई और उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, अधिकतम किफायती और प्रतियोगी दरों पर सुनिश्चित करवाने के लिए सहकारी गतिविधियों के स्वीकृत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भण्डार आदि से खरीद करने में विशेष छूट को अपनाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, सरकार ने सरकारी विभागों आदि द्वारा लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद किए जाने के संबंध में दिनांक 05.07.2007 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मक्का से पवित्र जल

1053. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों के मक्का से लौट आने के बाद भी उन्हें अब तक अपने हिस्से का जम जम (पवित्र जल) प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) वापस आने के बाद अधिकांश हाजियों को जम जम पानी के डिब्बे प्राप्त हो गए, जबकि लगभग 18,000 हाजियों को यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) हाजियों को ले जाने-लाने वाली एयरलाइनों, अर्थात एयर इंडिया और सऊदी अरब एयरलाइन के साथ भारत में आगमन केन्द्रों पर जम जम पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। स्थानीय तौर पर इस वर्ष जम जम पानी की कमी के कारण दोनों एयरलाइनों के समक्ष हाजियों को जम जम पानी उपलब्ध कराने में कठिनाई आई जिसके कारण यह कमी हुई है।

(ग) जद्दा स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास द्वारा इस मामले को सऊदी प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है कि वे एयर इंडिया को जम जम पानी के 18,000 कैन भारत लाने की अनुमति दें, जिन्हें संबंधित हाजियों को वितरित किया जाएगा। इस मामले पर सऊदी प्राधिकारियों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

जैव विविधता बोर्ड

1054. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही बोर्ड की स्थापना करने के लिए किसी राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) जी नहीं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसा बोर्ड स्थापित करने के लिए उन्हें किसी राज्य सरकार या किन्हीं अन्य संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण गठित किया गया है और सभी राज्य सरकारों द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड गठित किए जाने हैं। अभी तक 18 राज्यों ने राज्य जैवविविधता बोर्डों का गठन कर लिया है। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल।

[हिन्दी]

मियाद समाप्त होने के बाद आयातित खाद्य वस्तुओं की बिक्री

1055. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्य वस्तुओं की मियाद समाप्त होने के बाद भी देश में इनकी बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) आयातित खाद्य पदार्थों के उपयोग की अवधि की समाप्ति के बाद उनको बेचने संबंधी ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनी नियमावली का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों को सौंपा गया है। उनको बाजार में बेची जा रही है आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने और उन मामलों में अपराधियों पर मुकदमा चलाने सहित कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है जहां ये नमूने अपमिश्रित/गलत ब्रांड के या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनी नियमावली में लेबल लगाने संबंधी उपबन्धों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं।

इसके अलावा, निवारक उपाय के रूप में, वाणिज्य विभाग ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के अधीन एक इस आशय की अधिसूचना जारी की है कि खाए जाने वाले/खाद्य उत्पाद जिनकी घरेलू बिक्री और विनिर्माण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 द्वारा नियंत्रित किया जाता है पर भी यह शर्त लागू होगी कि उत्पादों की वैध उपयोग लायक अवधि उनके आयात के समय उनकी मूल उपयोग की अवधि के 60% से कम न हो। तदनुसार पोत पत्तनों/विमान पत्तनों के सभी पत्तन/विमान पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सीमाशुल्क संग्राहकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सभी आयातित खाद्य वस्तुओं को मानव उपयोग के लिए किसी देश को जारी करने से पूर्व खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 की लेबल लगाने की अपेक्षा सहित तमाम उपबन्धों के अनुसार हों तथा उनकी वैध उपयोग लायक अवधि मूल उपयोग लायक अवधि के 60% से कम न हो।

[अनुवाद]

भारत द्वारा म्यांमार में पत्तनों का विकास

1056. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार म्यांमार में कतिपय पत्तनों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार का म्यांमार में कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के भाग के रूप में म्यांमार में सित्तवे पत्तन को विकसित करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त परियोजना में (i) सित्तवे पत्तन टर्मिनल का निर्माण (ii) सित्तवे पत्तन तक पहुंच चैनल के लिए ड्रेजिंग और (iii) पहुंच चैनल में बोयाज की व्यवस्था का प्रावधान है। कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना में कोलकाता/हल्दिया से म्यांमार में सित्तवे पत्तन तक तटीय मार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिजोरम राज्य को कोलकाता/हल्दिया पत्तनों से और तत्पश्चात् कलादान नदी में नदी मार्ग से कलेत्वा और वहां से मिजोरम को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम है। इससे पूर्वोत्तर भारत को सामान के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होती है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालयों में औषधियों की कमी

1057. **श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीजीएचएस औषधालयों में औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण क्या हैं; और

(ग) सीजीएचएस औषधालयों में औषधियां समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोस्कोपिक लेजर किरणों से पथरी का उपचार

1058. **श्री सुभाष महरिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रोस्कोपिक लेजर किरणों की सहायता से पथरी का उपचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश विशेषकर राजस्थान में ऐसे कुल कितने अस्पताल हैं जिनमें उक्त तकनीक के माध्यम से पथरी का उपचार किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, होल्मियम लेजर किरणों से पथरी के उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

[अनुवाद]

एस सी और एस टी जातियों की जनसंख्या के लिए एमपीलैड धनराशि का आबंटन

1059. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्धारित वार्षिक आबंटन में से एमपीलैड धनराशि की 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर खर्च किया जाना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मार्गदर्शी सिद्धांत ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिशतता के आधार पर धनराशि आबंटित और खर्च की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (घ) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अधिसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सांसदों को अपनी एमपीलैड्स निधि से अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कम-से-कम 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत राशि के ऐसे कार्यों की प्रत्येक वर्ष अनुशंसा करनी होती है। ये प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत पर ध्यान दिए बिना सभी निर्वाचन-क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

(ङ) और (च) चूंकि, एमपीलैड योजना जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कार्यों सहित सभी एमपीलैड्स कार्यों तथा आबंटित निधि/किए गए खर्च का सम्पूर्ण ब्यौरा उनके द्वारा रखा जाता है और उनके पास उपलब्ध होता है।

(छ) इस संबंध में दिशा-निर्देशों में पर्याप्त प्रावधान पहले से है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

1060. **श्री अमिताभ नन्दी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में हुई अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारणों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत कोयला खानों में 2 बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं। एक जलभराव के कारण हुई और दूसरी मीथेन गैस के विस्फोट के कारण घटी। अन्य दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला कि भूमिगत खानों में घातक दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण रूफ तथा साइड फाल है जबकि ओपनकास्ट खानों में डम्परों एवं ट्रकों की आवाजाही प्रमुख कारण हैं।

(ग) कोयला खानों में सुरक्षा से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा कोयला खानों में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित व्यापक उपाय किए गए हैं:

1. सुरक्षा से संबंधित मामलों में विभिन्न स्तरों पर लाइन प्रबंधन की सहायता के लिए कोयला कंपनियों ने एक संरचित बहु-विधा आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) की स्थापना की है।

2. संभावित खतरों में कमी लाने के लिए कोयला कंपनियों ने अपनी खानों के लिए जोखिम आकलन आधारित सुरक्षा प्रबंध योजना लागू की है।

3. सभी खानों के लिए नियमित रूप से सुरक्षा आडिट आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में दो स्तरीय सुरक्षा आडिट पद्धति लागू की गई है जिसमें पहले स्तर पर सुरक्षा पद्धति में त्रुटियों, यदि कोई हों, का पता लगाया जाता है तथा उपचारात्मक उपायों के अनुपालन की जांच की जाती है।

4. आपदा की रोकथाम के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

   (क) जल भराव: जल निकायों का पता लगाने तथा पृथककरण प्रमाणित करने आदि के लिए सुरक्षा आडिट, जांच सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय प्रणालियों के ट्रायलों पर बल।

   (ख) खानों में आग: खनन की पैनल (विभाजित) प्रणाली को अपनाना ताकि यदि आग लगती है तो इसे तत्काल पृथक किया जा सके; पृथककरण स्टापिंग्स को सुदृढ़ करना आग अवरोधक सीलेंट आदि का उपयोग।

   (ग) विस्फोट: आधुनिक उपकरणों के द्वारा गैस का शीघ्र पता लगाना, अत्यधिक गैसीय और ज्वलनशील खानों की सतत गैस मॉनीटरिंग।

5. छत और साइड के गिरने की दुर्घटना में कमी के लिए: छत/साइड के गिरने की दुर्घटना भूमिगत खानों में घातक दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। कोयला कंपनियां निम्नलिखित के द्वारा रूफ सपोर्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता देती है:

– ऊपरी रूफ स्ट्राटा की रॉक-मास-रेटिंग (आर एमआर) पर आधारित व्यवस्थित सपोर्ट प्लान को अपनाना।

– रूफ सपोर्ट की रूफ बोल्टिंग स्टिचिंग प्रणालियों का अधिक उपयोग।

– रूफ बोल्टिंग मशीनों के द्वारा यंत्रीकृत ड्रिलिंग को लागू करना।

– रूफ पर संभावित लोड के लिए संकेतकों के विकास पर बल

6. ओपनकास्ट खानों में तथा खानों की सतह पर सांघातिकताओं में कमी के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

– खान विशिष्ट ट्रैफिक नियम को अपनाना।

– हैम प्रचालकों, अनुरक्षण स्टाफ और अन्यों के लिए व्यवहार संहिता को अपनाना।

– जोखिम मूल्यांकन करना तथा सुरक्षा प्रबंधन योजना विकसित करना।

– आउटसोर्स किए गए कार्यों में शामिल ठेकेदार के कामगारों को प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा शुल्क को बढ़ाना

1061. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा हेतु शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा क्षेत्र/छात्रों पर इसके संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का संगत विवरण के रूप में संलग्न है जो उसके ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

(ग) से (ङ) सिफारिश की जांच की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों का सार-शिक्षा संबंधी सिफारिशों का संकलन।

खंड 5- **फीस का सुव्यवस्थीकरण :** औसतन हमारे विश्वविद्यालयों में फीस कुल व्यय की 10 प्रतिशत से कम बनती है, और, अधिकांश विश्वविद्यालयों में कई दशकों से फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिद्धांत रूप में विश्वविद्यालयों फीस संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, व्यवहार्यत: विश्वविद्यालयों ने इस स्वतंत्रता का प्रयोग अंशत: पहुंच संबंधी कुछ वास्तविक सरोकारों के कारण नहीं, लेकिन वृहत् रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में वाहवाही लूटने की वजह से नहीं किया है। आय और व्यय के बीच अंतर को पाटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सहायता अनुदान मुहैया कराने की पद्धति ने समस्या और गम्भीर बना दी है। परिणामस्वरूप, फीस बढ़ाने के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता क्योंकि यह राशि उनके यूजीसी (अथवा राज्य सरकार) अनुदानों में से काट ली जाती है। आय की जांच किए बिना सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की कम फीस का अर्थ है अनभिप्रेत लाभभोगियों के लिए अननुमान्य लाभ। किन्तु निजी और विदेशी संस्थानों को बाजार द्वारा वहन की जा सकने वाली फीस प्रभारित करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस पर पुन: विचार करने का वक्त आ गया है क्योंकि हमारे पास फीस के सुव्यवस्थीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फीस का स्तर निर्धारित करना विश्वविद्यालयों का काम है, लेकिन मानदंड के रूप में, विश्वविद्यालयों में फीस से कुल खर्च का कम से कम 20 प्रतिशत खर्च पूरा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फीस को कीमत सूचकांकन के माध्यम से प्रत्येक

दो वर्षों में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के लघु, सतत् समायोजन लम्बी अवधि के पश्चात् बड़े, असतत् परिवर्तनों की तुलना में अधिक सरलता से समाहित और स्वीकार कर लिए जाएंगे। फीस का यह सुव्यवस्थीकरण दो शर्तों के अधीन होना चाहिए: पहली जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनके खर्च पूरे करने के लिए फीस माफी और छात्रवृत्तियां मुहैया कराई जानी चाहिए; दूसरे, विश्वविद्यालयों को उच्च फीस द्वारा संसाधन बढ़ाने के लिए उनके सहायता अनुदान से मैचिंग कटौती करके यूजीसी द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

वाडिनार क्षेत्र को कांडला पत्तन से अलग करना

1062. **श्री पी.एस. गढ़वी :**

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाडिनार क्षेत्र को कांडला पत्तन की सीमा से अलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वाडिनार क्षेत्र को गुजरात राज्य में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गुजरात राज्य सरकार को कितना मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वाडीनार जो पहले गैर महापत्तन सलाया का एक हिस्सा था को भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा (4) की उपधारा (2) की उपधारा (झ) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन न्यास के अंतर्गत और उसके क्षेत्राधिकार में वाडीनार में एक अपतटीय तेल टर्मिनल स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार की पूर्व सहमति से, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.05.1978 की राजपत्र अधिसूचना सं. पी जी के. 44/74. II के द्वारा कांडला महापत्तन की सीमाओं में शामिल किया गया था। गुजरात सरकार ने भी तद्नुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.05.1978 के सरकारी गजट के पैरा IV-क प्रकाशित दिनांक 11.05.1978 की अधिसूचना द्वारा सलाया पत्तन की संशोधित सीमाओं को परिवर्तित और घोषित किया। इन दो अधिसूचनाओं के द्वारा भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार ने महापत्तन कांडला प्राधिकरण अर्थात् कांडला पत्तन न्यास को बिना किसी पूर्व शर्त के वाडिनार का क्षेत्राधिकार प्रदान किया था। भारतीय पत्तन अधिनियम और महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कांडला पत्तन किसी अन्य पक्ष के साथ अनुबंध करने के लिए पूरी तरह अधिकृत है और इसलिए इस संबंध में गुजरात राज्य सरकार को किसी मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नकली दवाएं

1063. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री चिनय कृष्ण :

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचैम की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकली दवाओं का व्यापार चल रहा है, जैसाकि 11 फरवरी, 2008 के दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों विशेषकर बिहार में नकली दवाएं जब्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस व्यापार में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) नकली दवाओं का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) एसोचैम की उक्त रिपोर्ट की प्रमाणिकता की जांच की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मिलावटी/नकली दवाएं जब्त की गई। इन दो राज्यों में की गई कार्रवाई की बाबत रिपोर्ट संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य की बाबत कोई रिपोर्ट नहीं हुई है तथापि उस राज्य से संगत स्थिति की सूचना मांगी गई है जो अभी आनी बाकी है।

(च) केन्द्र एवं राज्यों की औषध जांच प्रयोगशालाओं की सूचियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार ने घटिया, नकली एवं बिना ब्रांड वाली औषधों के विनिर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध अभियान चलाने और घटिया एवं नकली औषधों के विनिर्माताओं और डीलर के विरूद्ध औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने के लिए दिनांक 4.6.2007 एवं दिनांक 31.7.2007 को अनुदेश जारी किए हैं। दिनांक 20.7.2007 एवं 2.8.2007 के बीच मेरठ, बहराइंच, लखनऊ, जे.पी. नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, फैजाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर जिलों में छापे मारे गए। इस अभियान के दौरान, बिक्री के 122 परिसरों में छापे मारे गए तथा 238 नमूने लिए गए। 10 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी नए थोक एवं खुदरा लाइसेंस देने के कार्य को दिनांक 24.7.2007 के आदेश द्वारा अगले आदेशों तक रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के औषध नियंत्रक एवं मेरठ के औषध निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाइयां शुरू की गई हैं।

उड़ीसा

राज्य के एक विशेष स्थान नामतः बोलनगीर जिले के कांटाबानझी में नकली/मिलावटी दवाओं के विनिर्माण की सूचना राज्य सरकार को दी गई है। इस मामले को राज्य अपराध शाखा को सौंप दिया गया और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनको जेल में भेज दिया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के बोलनगीर जिले के कांटाबानजी राज्य पुलिस ने बोलनगीर जिले के कांटाबानझी स्थित श्री संकरलाल अग्रवाल के परिसरों में छापे मारे। राज्य पुलिस ने बोलनगीर, कालाहांडी एवं नौपाड़ा जिलों के आसपास लगभग 40 परिसरों के साथ-साथ श्री संकरलाल अग्रवाल के परिसरों को सील कर दिया तथा इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए इसकी सूचना इस निदेशालय को दी। आरोपी और उसके पुत्र एवं दो कामगारों को गिरफ्तार किया गया है। जिस औषध निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में उसको पता चला है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने नकली दवाओं को पता लगाने के लिए दवा बिक्री केन्द्रों पर भी छापे मारना शुरू कर दिया है जिससे औषध विक्रेता में भय पैदा हो गया है।

सरकार के एक नियंत्रण एवं निगरानी कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता और प्रधान सचिव (गृह), प्रदान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और अन्य की सदस्यता वाला राज स्तरीय कार्यदल गठित किया है। जिला स्तर पर भी औषध बिक्री केन्द्रों की पूरी जांच करने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया है जिसके सदस्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और औषध निरीक्षक हैं। जिला और राज्य स्तरीय कार्यदल समिति कथित एलोपेथिक, मिलावटी/नकली औषधों के विनिर्माण का पता लगाने के लिए राज्यवार छापे मारे। दिनांक 14.8.2007

की स्थिति के अनुसार 822 परिसरों पर छापे मारे गए, 2424 नमूने लिए गए, स्टाक फ्रीज करने के लिए 89 फार्म 15 और 27 फार्म 16 (जब्ती ज्ञापन) जारी किए गए।

विवरण-II

केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला थाने, मुम्बई, 400804
2.	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता-700016
3.	केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
4.	केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चैन्नई-600003
5.	क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम
6.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश)
7.	चंडीगढ़ में एक क्षेत्रीय औषध जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है जो शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगी।
	राज्यों की औषध जांच प्रयोगशालाओं की सूची
1.	संयुक्त खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, दिल्ली-35
2.	औषध नियंत्रण प्रयोगशाला औषध नियंत्रण प्रशासन हैदराबाद-500038 (आंध्र प्रदेश)
3.	औषध नियंत्रण प्रयोगशाला, औषध नियंत्रण प्रशासन, विजयवाड़ा-520008 (आंध्र प्रदेश)
4.	औषध प्रयोगशाला, बिहार, पटना
5.	संयुक्त खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषध प्रशासन निदेशालय, पण्जी, गोवा 403001
6.	राज्य खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, बड़ौदा (गुजरात)
7.	औषध जांच प्रयोगशाला, बंगलौर 560001 (कर्नाटक)

1	2
8.	राज्य औषध नियंत्रण प्रयोगशाला, मुम्बई-400051
9.	राज्य औषध नियंत्रण प्रयोगशाला, औरंगाबाद
10.	राज्य औषध जांच प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर
11.	राज्य औषध नियंत्रण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, 2, कानवेंट लेन, कलकत्ता-700015
12.	राज्य सरकार जांच प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषध प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल 462001 (मध्य प्रदेश)
13.	राज्य औषध प्रयोगशाला, हरियाणा, चंडीगढ़
14.	खाद्य एवं औषध प्रशासन, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
15.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून, उत्तरांचल
16.	राज्य औषध नियंत्रक सहमुख्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी, रांची, झारखंड
17.	खाद्य एवं औषध प्रशासन, पांडिचेरी-605011
18.	राज्य औषध जांच प्रयोगशाला, अगरतला-799006 त्रिपुरा
19.	औषध जांच प्रयोगशाला, सोलन, हिमाचल प्रदेश
20.	राज्य औषध जांच प्रयोगशाला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
21.	राज्य औषध प्रयोगशाला, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
22.	औषध जांच प्रयोगशाला, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
23.	औषध जांच प्रयोगशाला, शिलांग, मेघालय
24.	औषध जांच प्रयोगशाला, कोहिमा, नागालैंड

[अनुवाद]

नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क

1064. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ जोड़ने वाली सड़क परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जैसा कि दिनांक 4 जनवरी, 2008 के 'हिंदुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा सुझाए गए इस मार्ग में कुछ परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) इस समय, सिलीगुड़ी के निकट एशियाई राजमार्ग (एएच) रूट एएच-2 बंगलाबंध-सिलीगुड़ी-ककड़भिट्टा से गुजरता है। इसके अतिरिक्त, इस समय एएच-48 थिम्फु-फ्यूंटशालिंग-भारत की सीमा तक ही है। सरकार ने फरवरी, 2008 में उपर्युक्त एशियाई राजमार्गों के रूटों में संशोधन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूनेस्केप) का प्रस्ताव करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। एएच-2 के संशोधन में बंगलाबंध और सिलीगुड़ी से गुजरने वाले रूट के बीच 'फूलबाड़ी' को शामिल करना और इस स्थान पर एएच-2 के रूट को '...बंगलाबंध-फुलबाड़ी-सिलीगुड़ी-ककड़भिट्टा...' के रूप में परिभाषित करना शामिल है। अन्य संशोधन में एएच-48 के रूट को 'थिम्फु-फ्यूंटशालिंग-जयगांव-हसिमारा-जलपाईगुड़ी-फूलबाड़ी' तक विस्तार करके भूटान तक सड़क संपर्क व्यवस्था करना शामिल है और इसके परिणामस्वरूप यह भारत में फुलबाड़ी में एएच-2 से जुड़ता है।

इसमें भारत, बंगलादेश, नेपाल और भूटान के बीच व्यापार और पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सुधार करने की परिकल्पना की गई है। भूटान की राजधानी अर्थात् थिम्फु को एशियाई राजमार्ग के माध्यम से भारत से सड़क संपर्क प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

वैक्टर जनित रोगों हेतु धनराशि का आबंटन

1065. श्री पुष्प जैन :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगू और वायरल बुखार के उन्मूलन हेतु राज्यवार, वर्षवार कितनी धनराशि, आबंटित की गई है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी अन्य विदेशी एजेंसी ने देश से इन बीमारियों के उन्मूलन हेतु धनराशि दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उपरोक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वैक्टर जन्य रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए नकद और सामग्रीगत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 से समेकित विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आबंटन		जारी धनराशि	
	नकद	सामग्रीगत	नकद	सामग्रीगत
2004-05	50.01	190.50	45.34	148.63
2005-06	56.85	265.72	82.67	161.25
2006-07	107.11	241.12	111.48	177.96
2007-08*	137.39	223.69	90.72	166.22

*जनवरी, 2008 तक जारी धनराशियां

पिछले तीन वर्षों में सरकारों को राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) मलेरिया के निवारण और नियंत्रण के लिए वैश्विक एड्स क्षयरोग और मलेरिया निधि (जी एफ ए टी एम) से 63 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी सहायता प्राप्त की गई है। यह जी एफ ए टी एम सहायता-प्राप्त तीव्रीकृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (आई एम पी सी) को पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कुछ जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार मलेरिया नियंत्रण और काला-अजार के उन्मूलन के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर की एक नई परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ भी बातचीत कर रही हैं।

(घ) भारत सरकार इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए कारगर उपाय कर रही है और देश में निम्नलिखित कार्यनीति को क्रियान्वित कर रही है:

1. रोग उपचार

- रोगी का शुरू में ही पता लगाना और पूरा उपचार।
- रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- महामारी तैयारी/तत्परता और तीव्र कार्रवाई करना।

2. एकीकृत वैक्टर प्रबंधन

- उच्च जोखिम वाले चयनित क्षेत्रों में अंतरंग अवशिष्ट छिड़काव।
- कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का प्रयोग।
- लार्वाभक्षी मछली का प्रयोग।
- जैव नाशकों सहित शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी उपाय।

3. कार्यकलापों में सहायता देना

- आचरण परिवर्तन सम्प्रेषण।
- सार्वजनिक निजी साझेदारी और अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता।
- क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास।
- औषध प्रतिरोधिता और कीटनाशक अतिसंवेदन-शीलता के बारे में अध्ययनों समेत प्रचालनात्मक अनुसंधान।
- समय-समय पर समीक्षा संबंधी क्षेत्रीय दौरों और वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से मॉनीटरिंग और मूल्यांकन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने जापानी एंसेफेलाइटिस के निवारण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

- 50 प्रहरी स्थलों और 12 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से ए ई एस/जापानी एंसेफेलाइटिस निगरानी का सुदृढ़ीकरण।
- ए ई एस/जापानी ऐंसेफेलाइटिस निगरानी के लिए मानक दिशानिर्देश परिचालित किए गए।
- बी आर डी मेडिकल कालेज गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में वैक्टरजन्य रोग नियंत्रण निगरानी एकक स्थापित किया गया।
- गोरखपुर में उप कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, लखनऊ की स्थापना की गई।
- वर्ष 2006 में 4 राज्यों (असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) के 11 जिलों में 1-15 वर्ष के आयु वर्ग में जापानी ऐंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। वर्ष 2007 में-इसका 10 राज्यों (असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल के 28 जिलों में विस्तार किया गया।
- प्रहरी केन्द्रों के सूक्ष्म जीव विज्ञानियों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

– जापानी ऍसेफलाइटिस रोगी उपचार में कौशलों में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश और असम राज्यों हेतु नैदानिकविदों और उपचारिकाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

– तीव्र कार्रवाई दलों का गठन।

सरकार ने इसी प्रकार डेंगू, चिकुनगुनिया के निवारण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पहलें की हैं:

– राज्यों को निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों के लिए रोगी का शुरू में ही पता लगाने, रोग उपचार, वैक्टर निगरानी प्रौढ़ मच्छर नाशकों और लार्वानाशकों के प्रयोग के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना परिचालित की गई।

– राज्यों को व्यापक परिचालन हेतु डेंगू/डी एच एफ रोगियों के नैदानिक उपचार के बारे में दिशानिर्देश भेजे गए।

– डेंगू और चिकुनगुनिया रोगियों के उन्नत/अग्रिम निदान और नियमित निगरानी हेतु 13 शीर्षस्थ रेफरल प्रयोगशालाओं का पता लगाया गया।

– डेंगू और चिकुनगुनिया के लिए सक्रिय निगरानी हेतु 110 प्रहरी निगरानी अस्पतालों की पहचान की गई।

– शीर्षस्थ रेफरल प्रयोगशालाओं और प्रहरी निगरानी अस्पतालों के डेंगू/चिकुनगुनिया का पता लगाने के लिए आई जी एम एम सी परीक्षण किटों की आपूर्ति की गई।

– प्रहरी निगरानी अस्पतालों और शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के लिए आकस्मिक अनुदान जारी किया गया।

– तीव्रकृत सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण/बी सी सी कार्यकलाप तेज किए गए।

– प्रभावित राज्यों में लार्वानाशकों और प्रौढ़ मच्छर नाशकों जैसे अतिरिक्त संभार तंत्रों की आपूर्ति।

विवरण

वर्ष 2004-2005 से 2007-08 तक आबंटन और व्यय

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित	2004-05						2005-06					
		आबंटन			जारी धनराशि			आबंटन			जारी धनराशि		
		नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल	नकद	सामग्रीगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	80.44	724.50	822.94	80.44	514.69	595.13	225.94	1757.64	1983.58	498.00	521.25	109.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	152.00	312.71	464.71	152.00	347.38	499.38	152.00	253.44	405.44	226.03	258.63	484.66
3.	असम	550.00	1684.40	2234.40	550.00	1438.29	1988.29	550.00	1414.82	1964.82	443.37	916.69	1360.06
4.	बिहार	1209.11	3170.14	4379.25	906.83	2595.13	3501.96	1330.02	4231.58	5561.60	549.29	2334.12	2883.42
5.	छत्तीसगढ़	513.12	1335.58	1848.70	513.11	1265.22	1778.33	569.42	1473.03	2042.45	633.53	1427.38	2060.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गोवा	0.00	16.15	16.15	0.00	9.65	9.65	0.00	26.85	26.85	37.42	1.22	38.64
7.	गुजरात	0.00	345.09	345.09	310.62	397.71	708.33	333.82	1410.97	1744.79	420.20	320.33	740.53
8.	हरियाणा	310.62	95.33	405.95	0.00	91.49	91.49	0.00	266.43	266.43	44.64	24.58	69.22
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	16.00	16.00	0.00	13.52	13.52	0.00	20.90	20.90	15.48	2.64	18.12
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	70.23	70.23	0.00	27.63	27.63	0.00	45.13	45.13	15.83	1.68	17.51
11.	झारखंड	156.59	1690.15	1846.74	136.74	1035.97	1172.71	233.84	1504.66	1738.50	380.65	1366.06	1746.71
12.	कर्नाटक	0.00	453.96	453.96	0.00	316.77	316.77	0.00	372.25	372.25	164.44	356.29	520.73
13.	केरल	0.00	78.00	78.00	0.00	109.71	109.71	0.00	158.45	158.45	211.96	70.64	282.60
14.	मध्य प्रदेश	343.54	1366.24	1709.78	343.54	720.27	1063.81	414.45	2408.48	2822.93	527.31	905.36	1432.67
15.	महाराष्ट्र	218.38	866.48	1084.86	218.38	374.86	593.24	196.60	1821.98	2018.58	444.54	370.57	815.11
16.	मणिपुर	56.78	133.28	190.06	0.00	73.39	73.39	64.99	111.78	176.77	164.61	105.05	269.66
17.	मेघालय	49.00	386.89	435.89	49.00	241.81	290.81	49.00	249.30	298.30	182.56	240.10	422.67
18.	मिजोरम	32.00	248.57	280.57	32.00	121.17	153.17	176.99	137.94	314.93	218.40	169.47	387.87
19.	नागालैंड	58.15	364.15	422.30	58.15	220.38	278.53	158.95	221.00	379.95	205.31	227.10	432.41
20.	उड़ीसा	550.40	2121.21	2671.61	550.40	1744.92	2295.32	382.71	4367.96	4750.67	678.57	2125.90	2804.47
21.	पंजाब	0.00	63.16	63.16	0.00	45.85	45.85	0.00	104.79	104.79	39.19	21.22	60.41
22.	राजस्थान	157.64	1043.75	120.39	157.65	858.32	1015.97	204.84	1382.10	1589.94	207.84	709.20	917.04
23.	सिक्किम	8.00	8.30	16.30	0.00	10.00	10.00	8.00	16.27	24.27	20.95	4.21	25.16
24.	तमिलनाडु	0.00	270.23	270.23	0.00	310.20	310.20	0.00	355.81	355.81	284.12	63.19	347.31
25.	त्रिपुरा	105.45	413.97	519.42	105.45	284.58	390.03	160.35	322.89	483.24	201.86	446.58	648.44
26.	उत्तर प्रदेश	61.87	808.27	870.14	46.40	910.03	956.43	68.06	1140.14	1208.20	730.99	2207.64	2938.63
27.	उत्तरांचल	0.00	48.20	48.20	0.00	31.06	31.06	0.00	53.01	53.01	32.87	33.95	66.82
28.	पश्चिम बंगाल	149.62	709.03	858.65	112.22	495.63	607.85	167.02	710.67	874.69	297.60	730.23	1027.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	दिल्ली	0.00	55.62	55.62	0.00	144.07	144.07	0.00	62.39	62.39	22.47	53.27	75.74
30.	पांडिचेरी	1.46	29.92	31.38	0.00	19.70	19.70	1.46	33.42	34.88	32.66	6.94	39.60
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	177.00	48.71	225.71	177.00	47.11	224.11	177.00	51.29	228.29	216.49	81.13	297.61
32.	चंडीगढ़	26.00	23.78	49.78	13.00	18.67	31.67	26.00	22.70	48.70	31.08	21.16	52.24
33.	दादरा व नगर हवेली	19.00	21.09	40.09	9.50	22.41	31.91	19.00	27.35	46.35	42.39	1.32	43.71
34.	दमन और दीव	9.00	5.17	14.17	9.00	2.42	11.42	9.00	19.59	28.59	24.14	0.01	24.15
35.	लक्षद्वीप	6.00	4.356	10.36	3.00	3.02	6.02	6.00	15.53	21.53	20.23	0.06	20.29
	कुल	5001.17	19050.62	24051.79	4534.43	14863.03	19397.46	5685.46	26572.54	32258.00	8267.03	16125.17	24392.20

[अनुवाद]

अरमेड कंसोर्टियम का आरम्भ किया जाना

1066. डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल स्कॉलर्स को ऑनलाइन जनरल साहित्य उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में "इलेक्ट्रॉनिकी रिसॉसेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम" (अरमेड) आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य कर रहे 39 चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थानों के लिए ई आर एम ई डी-भारत ई-जर्नल कन्जोर्टियम को आरंभ किया है। इससे निम्न लागत पर शिक्षा एवं सूचना के निःशुल्क प्रसार के माध्यम से प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या का विकास होगा। इस कन्जोर्टियम से प्रत्येक सदस्य के लिए उसके चिकित्सीय भ्रातृत्व के लिए 150 जर्नल से अधिक से लाभान्वित होना सुगम होगा।

हज यात्रियों को सहायता

1067. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 2007 के दौरान हज समितियों तथा विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से राज्यवार कितने भारतीयों ने वास्तव में हज अदा किया;

(ख) क्या उक्त तीर्थ यात्रा के दौरान अनेक भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बीमार हज यात्रियों तथा दिवंगत हज यात्रियों के निकट संबंधी को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) भारत की हज समिति के माध्यम से हज-2007 में भाग लेने वाले 110,415 हज यात्रियों वालों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विभिन्न निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से हज-2007 के दौरान लगभग 47,000 हज यात्रियों ने हज किया। हज-2007 के लिए निजी टूर आपरेटरों को आबंटित कोटा के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) हज-2007 के दौरान कुल 290 हजयात्रियों की (191 पुरुष और 99 महिलाएं) सऊदी अरब में मृत्यु हो गई। इनमें से 212 भारतीय हज समिति के माध्यम से और बाकी 78 विभिन्न निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से गए थे। सड़क दुर्घटनाओं में 11 व्यक्तियों की और शेष 279 व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई।

(घ) भारत सरकार ने 2007 के दौरान हजयात्रियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं:-

(i) सरकार द्वारा कुल 115 डॉक्टर और 141 पराचिकित्सक सऊदी अरब में प्रतिनियुक्त किए गए।

(ii) भारतीय यात्रियों के लिए मक्का में 75 बिस्तर वाली दाखिला सुविधाएं और मदीना में 15 बिस्तर वाली दाखिला सुविधा की व्यवस्थाएं की गई थी। मक्का में 30 बिस्तर वाले अस्पताल के अलावा 12 शाखाओं वाली डिस्पैंसरियों और मदीना में 6 शाखाओं वाली डिस्पैसरियों की स्थापना की गयी। 24 घंटे चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए जद्दा हवाई अड्डे पर चिकित्सीय दल उपलब्ध थे। हजयात्रियों की सेवा के लिए 17 एंबुलेंसों की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार द्वारा लगभग 1.28 करोड़ रुपए की औषधियां भेजी गई और लगभग 4.2 लाख रुपए की औषधियां स्थानीय तौर पर हासिल की गईं।

(iii) उन हजयात्रियों के लिए जो भारत की हज समिति के माध्यम से गए और जिनकी ट्रैफिक दुर्घटनाओं, इत्यादि जैसे अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। भारत की हज समिति की दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा उनके निकटतम संबंधी को स्वीकार्य प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी टूर आपरेटरों से भी यह अपेक्षित है कि वे भारत की हज समिति की दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना के अनुरूप यात्रियों का दुर्घटना बीमा करेंगे और दुर्घटनाओं जैसे अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले यात्रियों के निकटतम संबंधी को प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

विवरण-I

भारतीय हज समिति हज 2007 के लिए कोटे के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	हज 2007 के लिए हज यात्री
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (केंद्र शासित प्रदेश)	75
आंध्र प्रदेश	6992
असम	2599
बिहार	3260
चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	45
छत्तीसगढ़	680
दादरा और नगर हवेली (केंद्र शासित प्रदेश)	23
दमन दीव (केंद्र शासित प्रदेश)	33
दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)	1909
गोवा	113
गुजरात	4565
हरियाणा	1303
हिमाचल प्रदेश	108
जम्मू कश्मीर	8102

1	2
झारखंड	1631
कर्नाटक	6576
केरल	7811
लक्षद्वीप (केंद्र शासित प्रदेश)	292
मध्य प्रदेश	3789
महाराष्ट्र	10467
मणिपुर	249
उड़ीसा	573
पांडिचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)	205
पंजाब	580
राजस्थान	4783
तमिलनाडु	3447
त्रिपुरा	54
उत्तर प्रदेश	29639
उत्तरांचल	1081
पश्चिम बंगाल	5634
सरकारी कोटा	3797
कुल	110415

विवरण-II

निजी टूर आपरेटर जो हज के लिए पंजीकृत हो चुके हैं

क्रमांक	निजी टूर आपरेटर का नाम	राज्य	विदेश मंत्रालय द्वारा हज 2007 के लिए आवंटित कोटा
1	2	3	4
	असम		
1.	मदीना हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स एजेन्सी, बांगीगांव	असम	50
	आंध्र प्रदेश		
2.	आल्टन ट्रवल्स एण्ड कारगो, हैदराबाद	आ.प्र.	150
3.	आर्क इंटरप्राइजेज ट्रवल्स एजेंसी, हैदराबाद	आ.प्र.	85
4.	शरीफ टूर्स एंड ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	100
5.	अल हीरा टूर्स एंड ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	150
6.	रज्जाक इंटरप्राइसेस (डेक्कन हज ग्रुप) हैदराबाद	आ.प्र.	100

1	2	3	4
7.	अल-यासीन टूर्स एंड ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	250
8.	गोल्डन ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	225
9.	रॉयल ट्रवल्स एंड कारगो सर्विस, हैदराबाद	आ.प्र.	50
10.	मदीना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	80
11.	बादशाह टूर्स एंड ट्रवल्स, कडपा	आ.प्र.	100
12.	अतीक हज टूर्स एंड ट्रवल्स, कादिरी	आ.प्र.	150
13.	अराफत टूर्स हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	आ.प्र.	100
14.	अल-अजाम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद	आ.प्र.	50
15.	हाजीर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, सिकंदराबाद	आ.प्र.	60
	दिल्ली		
16.	आसिया टूर्स एण्ड ट्रवल्स, दिल्ली	दिल्ली	200
17.	युनाइटेड ट्रवल्स सर्विस, दिल्ली	दिल्ली	300
18.	अनाम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, दिल्ली	दिल्ली	135
19.	सुल्तान जी इंटरप्राइजज प्रा.लि. दिल्ली	दिल्ली	100
20.	ईएल बराक ट्रवल्स, नई दिल्ली	दिल्ली	200
21.	ए.एस इंटरप्राइजज, दिल्ली	दिल्ली	300
22.	नवाब ट्रवल्स लि. दिल्ली	दिल्ली	50
23.	अहलान हज एंड उमराह सर्विस, नई दिल्ली	दिल्ली	50
24.	फैजल टूर्स एंड ट्रवल्स, टॉलस्टाय मार्ग, दिल्ली	दिल्ली	50
25.	इफ्तेखार ट्रवल्स सर्विस, दिल्ली	दिल्ली	150
	गुजरात		
26.	तवक्कल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	150
27.	संबर ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100

1	2	3	4
28.	हजरत ख्वाजा गरीब नवाब हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	225
29.	रज्जाक एंड सन, अहमदाबाद	गुजरात	200
30.	जम जम टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	175
31.	ख्वाजा गरीब नवाब टूर्स एंड ट्रवल्स, हिम्मतनगर	गुजरात	130
32.	अल-हासिम हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	90
33.	अल मिनार टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	125
34.	सफर हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
35.	अल-अक्शा टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
36.	जिगर टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	130
37.	एडेनवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	125
38.	अलिफ टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	50
39.	नोबल टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	75
40.	अल-मंसूर टूर्स एंड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	50
41.	अकबरी टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
42.	द वफादार टूर्स, हिम्मतनगर	गुजरात	75
43.	अल-खिजर टूर्स, वडोदरा	गुजरात	80
44.	ताशकंद टूर्स एंड ट्रवल्स, सूरत	गुजरात	80
45.	लब्बेक हज टूर्स एंड ट्रवल्स, नवसारी	गुजरात	50
46.	एस-सौद टूर्स, नवसारी	गुजरात	100
47.	तवक्कल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, वडोदरा	गुजरात	215
48.	दर्वेश टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	175
49.	सूज इंटरनेशनल, नवसारी	गुजरात	180
50.	बीलाल हज एंड उमराह टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भारूच	गुजरात	80

1	2	3	4
51.	गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	300
52.	मोहगमीडिया टूर्स, एण्ड ट्रवल्स अहमदाबाद	गुजरात	200
53.	अल फारूखी हज उमराह टूर्स आईडीएआर, सबरकांठा	गुजरात	125
54.	मौलवी हज उमराह टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भारूच	गुजरात	100
55.	अमन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, आनंद	गुजरात	70
56.	अल हिजाज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भारूच	गुजरात	350
57.	रिलीफ ट्रवल्स एंड टूर्स, गोधरा	गुजरात	150
58.	मासूम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भारूच	गुजरात	50
59.	सूरत हज टूर, सूरत	गुजरात	80
60.	अराफात हज टूर्स विरामगम, अहमदाबाद	गुजरात	100
61.	अल फरीद टूर्स एण्ड ट्रवल्स, नवसारी	गुजरात	125
62.	अस-साफा हज टूर, नवसारी	गुजरात	175
63.	पिरजादा ट्रवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
	जम्मू और कश्मीर		
64.	ग्लोबल टूर्स एंड ट्रवल्स, श्री नगर		50
65.	अल खुदाम हज एंड उमराह सर्विसेज, श्री नगर	ज. और क.	150
	कर्नाटक		
66.	साहिब हज सर्विसेज, गुलबर्गा	कर्नाटक	100
67.	सायडीना टूर्स एंड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	225
68.	जे एस टूर्स एंड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	50
69.	बायतुल्ला: टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	कर्नाटक	350
70.	मूसे टूर्स एंड ट्रवल्स, बलरी	कर्नाटक	150
71.	हज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंगलौर	कर्नाटक	100

1	2	3	4
72.	मुकदास टूर्स एंड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
73.	सेर हज सर्विसेज, बंगलौर	कर्नाटक	200
74.	अल सैयद टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	कर्नाटक	200
75.	लाबैक टूर्स एंड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	225
76.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर	कर्नाटक	100
77.	तवक्कल टूर्स एण्ड ट्रवर्ल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
78.	अल मदीना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
79.	अल्लाह हू अकबर टूर्स एण्ड ट्रवर्ल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
80.	अल तैयबा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
81.	अल मनासी टूर्स इंटरनेशनल बंगलौर	कर्नाटक	100
82.	अल रहमान हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	80
83.	विश्मिल्लाह टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	70
84.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्गा	कर्नाटक	175
	केरल		
85.	अल हरामने हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	300
86.	अल तवाफ हज उंमरा ट्रवल्स एंड टूरिज्म, कोलम	केरल	150
87.	अकबर ट्रवल्स एंड टूर्स, मल्लापुरम	केरल	450
88.	अल अमल हज उमरा सर्विस, ऐराकुलम	केरल	100
89.	एसबाईएस हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	200
90.	इंडिया हज सर्विस कार्पोरेशन तिरुवेंद्रम	केरल	150
91.	असलम हज ट्रवल्स एंड टूर्स, मल्लापुरम	केरल	150
92.	अलहिंद टूर्स एंड ट्रवल्स, प्राइवेट लिमिटेड, कालीकट	केरल	1700
93.	पीकेएम ट्रवल्स, पुनाथल	केरल	150

1	2	3	4
94.	जम जम हज सर्विस, कालीकट	केरल	150
95.	उमूल खुरा हज सर्विस, मल्लापुरम	केरल	150
96.	एसबाईएस हज सेल, कालीकट	केरल	700
97.	अल रिफाई हज उमरा सर्विस, पलाकड	केरल	100
98.	अल इरशाद हज ग्रुप, पलाकड	केरल	250
99.	नुशरत हज सर्विस ट्रवल्स एंड टूर्स, मल्लापुरम	केरल	285
100.	माबुक हज ग्रुप पुनाथल	केरल	175
101.	हिजरा हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	200
102.	मालाबार हज ग्रुप सर्विस, मल्लापुरम	केरल	300
103.	नजत खिडमायुल हुजज पलाकड	केरल	350
104.	अल जामी हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	130
105.	अल फलाह ट्रवल्स एंड हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	600
106.	केरल इस्लाम हज एंड उमराह सर्विस, कालीकट	केरल	575
107.	अल फारूख हज सर्विस, फेरोख	केरल	200
108.	अल हुसम इंडिया हस एंड उमराह सर्विस मैनेजमेंट, कोची	केरल	395
109.	अल माबुक हज ग्रुप (सोसल टूर्स एंड ट्रवल्स), मल्लापुरम	केरल	170
110.	अल हिदाय हज सर्विज, पलाकड	केरल	100
111.	अराफत हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	220
112.	द ग्रेट इंडिया, टूर कंपनी. प्राइवेट लि., त्रिवेंदरम	केरल	50
113.	एयर ट्रवल इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, त्रिवेंदरम	केरल	95
114.	अल हरामह हज उमरा ट्रवल, कोलम	केरल	100
115.	फर्दहिल ग्रुप टूर्स एंड ट्रवल्स, कंनुर	केरल	50
116.	अलतिमा टूर्स एंड ट्रवल्स, त्रिवेंदरम	केरल	400

1	2	3	4
117.	बका हज उमराह सर्विस, मल्लापुरम	केरल	50
118.	अलवान हज उमरा सर्विस, कोची	केरल	200
	महाराष्ट्र		
119.	हमीदिया टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	300
120.	हिजाज टूर्स एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
121.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुंबई,	महाराष्ट्र	100
122.	कोकन टूर कारपोरेशन, थाणे	महाराष्ट्र	100
123.	फयाज ई हुसायने ट्रस्ट मुंबई	महाराष्ट्र	2300
124.	शुक्रिया ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
125.	क्रियेटिव टूर एंड ट्रवल्स प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	185
126.	जम जम हज टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
127.	अलिफया टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
128.	3 एन ट्रवल्स एंड टूरिस्ट ब्यूरो, मुंबई	महाराष्ट्र	250
129.	बिस्मिलाह हज टूर एंड ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	100
130.	हादी टूर्स हज उमराह, मालेगांव	महाराष्ट्र	80
131.	क्लासिक टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	180
132.	खादिन टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
133.	दारूल हराम टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	120
134.	दयार ए हबीब टूर्स एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	225
135.	दयार ए हरम टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	80
136.	लाबैक टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
137.	रहवार टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
138.	अलाइंस इंटरनेशनल टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100

1	2	3	4
139.	किबलाह हज उमराह सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	50
140.	अल हुसामी हज एंड उमरा टूर्स, थाणे	महाराष्ट्र	50
141.	अल अकरम हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	60
142.	ए-1 टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	125
143.	अल मदीना हज उमराह टूर्स, मालेगांव	महाराष्ट्र	50
144.	अल कबीर टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
145.	कोटवाला टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
146.	सउदी टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
147.	मुस्लिम टूर्स कारपोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	400
148.	कासमिक ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	365
149.	बखला टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	225
150.	एटलस टूर एंड ट्रवल्स प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	800
151.	मर्चेंट टूर सर्विसेज प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	100
152.	अल मेहदी टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	350
153.	अल खालिद टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	350
154.	अरफा टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
155.	तंबोली टूर एंड ट्रवल्स, अहमदनगर	महाराष्ट्र	400
156.	मक्का हज कारपोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	300
157.	अल इरफान टूर ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
158.	रिगल टूर सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	100
159.	एमके ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
160.	अल हफीज टूर ट्रवल्स, धुले	महाराष्ट्र	100
161.	अराफात ट्रवल्स सर्विस, थाणे	महाराष्ट्र	85

1	2	3	4
162.	अल साफा टूर्स, पुणे	महाराष्ट्र	180
163.	एयर फ्लोट ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
164.	वेलकम टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
165.	साफी हज एंड उमरा टूर्स, अहमदनगर	महाराष्ट्र	100
166.	बखला इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	160
167.	हाजी पीर हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
168.	तवाह ए मकाह टूर ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
169.	एशियन टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
170.	अल हमजा ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
171.	अल हम्द हज एंड उमरा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
172.	मार्शल ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
173.	स्काईशिप इंटरनेशनल प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	300
174.	अरेबियन टूर ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	160
175.	अलवाह हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
176.	अजीम टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	140
177.	रूमानी इंटरप्राइजेज, मुंबई	महाराष्ट्र	100
178.	मुकदाश हज कारपोरेशन, थाणे	महाराष्ट्र	100
179.	इकराम हज कारपोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	125
180.	अल हसन ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
181.	कादरी हज एंड उमरा टूर्स आर्गेनाइजेशन, अहमदनगर	महाराष्ट्र	90
182.	अरेबिया टूर ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	200
183.	अल इखलाश हज कारपोरेशन पुणे	महाराष्ट्र	50
184.	इमान इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	100

1	2	3	4
185.	महुलाना टूर्स कारपोरेशन (रजि.), मुंबई	महाराष्ट्र	125
186.	अल अमीन हज कारपोरेशन, रायगढ़	महाराष्ट्र	75
187.	अल अकबर टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
188.	मीजब ए रहमत हज उमरा एंड जियारत टूर्स, नासिक	महाराष्ट्र	130
139.	मुल्तजम टूर्स प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	200
190.	मोमिन हज उमरा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
191.	अनसार टूर ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	150
192.	अल अय्यूब ट्रवल्स सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	100
193.	खान देश हज कारपोरेशन, जलगांव	महाराष्ट्र	125
194.	मुल्तजिम हज कारपोरेशन, थाणे	महाराष्ट्र	50
195.	पुना टूर ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	100
196.	इंडियन हज कारपोरेशन, थाणे	महाराष्ट्र	80
197.	असरफ हज उमरा टूर्स, अमरावती	महाराष्ट्र	90
198.	असलम हज उमरा टूर्स, अकोला	महाराष्ट्र	100
199.	रूबी टूर एंड ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	140
200.	अकबर ट्रवल्स ऑफ इंडिया प्रा.लि., मुंबई	महाराष्ट्र	600
201.	अल कोबी इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	150
202.	मास्टर ट्रवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	120
203.	मुखलिश हज एंड उमरा टूर्स, थाणे	महाराष्ट्र	50
204.	माहदी टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
205.	डेल्टा टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	600
206.	अल हबीब टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
207.	अल हिदायत टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	80

1	2	3	4
208.	बैनजी टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	600
209.	अल मादनी टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
210.	कोलापुर हज कारपोरेशन, कोलापुर	महाराष्ट्र	70
211.	अल मुल्तजिम हज टूर एंड ट्रवल्स, थाणे	महाराष्ट्र	50
212.	मातिन टूर एंड ट्रवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
213.	मीरा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रवल्स, अहमदनगर	महाराष्ट्र	50
214.	अल अराफत एंड उमरा टूर्स, नागपुर	महाराष्ट्र	75
215.	अल मुल्तजिम हज उमरा सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	50
216.	अल अंसार हज उमरा आयोजक, मुंबई	महाराष्ट्र	100
217.	अमन टूरीज्म हज उमरा, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	90
218.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुंबई	महाराष्ट्र	395
219.	अल सेरात टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
220.	अल जमील हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	125
221.	अल अख्तर हज कारपोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	75
222.	अल उमेर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
223.	मरहबा हज उमरा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
224.	मरहबा मुकद्दस हज उमरा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
225.	रिलायबल हज उमरा टूर्स, थाणे	महाराष्ट्र	75
226.	अल कूबा टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	70
227.	रोशन हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स, थाणे	महाराष्ट्र	50
228.	अस्फाहान टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
229.	तवक्कल टूरिज्म कारपोरेशन, नागपुर	महाराष्ट्र	90
230.	अकोला हज टूर्स, अकोला	महाराष्ट्र	200

1	2	3	4
231.	हुडा हज टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
232.	अल सफा टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
233.	रैपिड ट्रैवल्स एंड टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	185
234.	रबीता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	150
235.	अल अजीज टूर एंड ट्रैवल्स, नासिक	महाराष्ट्र	50
	मध्य प्रदेश		
236.	हज टूर्स कारपोरेशन, इंदौर	मध्यप्रदेश	100
237.	काजी सरकार ट्रैवल्स, नीमच	मध्यप्रदेश	60
238.	अवलिया हज टूर, इंदौर	मध्यप्रदेश	50
239.	अल बुरहान टूर एंड ट्रैवल्स, बुरहानपुर	मध्यप्रदेश	100
240.	ट्रैवल हाऊस, भोपाल	मध्यप्रदेश	50
241.	मरियम हज टूर्स, इंदौर	मध्यप्रदेश	110
242.	कादिरी हज सर्विस, जबलपुर	मध्यप्रदेश	85
	उड़ीसा		
243.	मैट्रो टूर एंड ट्रैवल्स, कटक	उड़ीसा	50
	राजस्थान		
244.	अजमेरी टूर एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	राजस्थान	150
245.	सम्राट टूर एंड ट्रैवल्स, जयपुर	राजस्थान	300
246.	रजा टूर एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	राजस्थान	100
247.	सरकार ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	राजस्थान	100
248.	अल मेराज टूर एंड ट्रैवल्स, जोधपुर	राजस्थान	100
	तमिलनाडु		
249.	मौलान हज सर्विस, चेन्नई	तमिलनाडु	100

1	2	3	4
250.	अल मिसबाह हज एंड उमरा सर्विसेस, चेन्नई	तमिलनाडु	50
251.	अल हुदा हज सर्विस प्राइवेट मिलिटेड, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	75
252.	रिचवे टूर एंड ट्रैवल्स, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	75
253.	अल सफा हज सर्विस, पुदुकोट्टई	तमिलनाडु	115
254.	बशरा हज सर्विस, चेन्नई	तमिलनाडु	75
255.	कलंधर हज ट्रैवल्स, पुदुकोट्टई	तमिलनाडु	100
256.	फातिमागनी हज सर्विस, रामानाथपुरम	तमिलनाडु	100
257.	अल मदिना हज सर्विस, चेन्नई	तमिलनाडु	50
258.	त्रिचि सन शाइन हज सर्विस, त्रिचिरापल्ली	तमिलनाडु	100
259.	सलामत हज सर्विस, मयीलादुथुराई	तमिलनाडु	80
260.	शा हज सर्विस, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	100
261.	अल फतह हज सर्विस प्रा. लिमिटेड, कयालपतनम	तमिलनाडु	150
262.	अल हुरसम ट्रैवल्स एंड टूर्स इंडिया प्रा.लि. चेन्नई	तमिलनाडु	300
263.	अल हरामाइन हज सर्विसेस प्रा.लि., चेन्नई	तमिलनाडु	150
264.	अल अमानत हज सर्विससे इंडिया प्रा.लि., चेन्नई	तमिलनाडु	395
265.	मिल्लत हज सर्विस, चेन्नई	तमिलनाडु	150
266.	अफजल हज टूर एंड ट्रैवल्स प्रा.लि., चेन्नई	तमिलनाडु	100
267.	अल नूर हज सर्विसेस इंडिया प्रा.लि., तंजौर	तमिलनाडु	250
268.	धीन हज सर्विस, चेन्नई	तमिलनाडु	395
	उत्तर प्रदेश		
269.	मेंहदी टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50
270.	युनाइटेड टूर एंड ट्रैवल्स, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	75
271.	इस्लामिक टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	100

1	2	3	4
272.	हिना ट्रैवल्स सर्विस, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50
273.	मिर्जा टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	120
274.	शाहीन हज टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	100
275.	अल उकबा टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	100
276.	सागर टूर एंड ट्रैवल्स, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	70
277.	फैज ट्रैवल्स, मेरठ	उत्तर प्रदेश	150
278.	अल अमीन टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	80
279.	अल जुनैद हज उमरा कंपनी, मेरठ	उत्तर प्रदेश	200
280.	जी.बी. टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	120
281.	मदनी ट्रैवल्स, बनारस	उत्तर प्रदेश	50
282.	चिश्ती टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	100
283.	जन्नत टूर एंड ट्रैवल्स, फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	75
	उत्तराखण्ड		
284.	नूर उल हरम टूर एंड ट्रैवल्स, रुड़की	उत्तराखण्ड	50
285.	अल हरम टूर एंड ट्रैवल्स, रुड़की	उत्तराखण्ड	300
	पश्चिम बंगाल		
286.	हम्दान ट्रैवल्स सर्विसेस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	100
287.	मार्डन टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	75
288.	अल- अक्साह टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	100
289.	एम.के.हज एंड उमरा ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	100
290.	एम.जी. टूर एंड ट्रैवल्स, परगना	पश्चिम बंगाल	60
291.	अल बुराक टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50
292.	ताज टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	125
293.	कोलकाता टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50
	कुल		46980

[हिन्दी]

हिमालय के हिमनदों का पिघलना

1068. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे पर्यावरण में संभावित परिवर्तनों से पारिस्थितिकी प्रणाली को होने वाले खतरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सरकार को हिमालयी ग्लेशियर्स के पिघलने के बारे में जानकारी है। ग्लेशियरों के धरती के तरल स्थिति में खिसकने संबंधी आंकड़ों के संकलन से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र के अधिकांश ग्लेशियर पीछे हटने के दौर से गुजर रहे हैं जोकि एक विश्वव्यापी घटना है। भारतीय भू-सर्वेक्षण से ग्लेशियरों के असामान्य गति से पीछे हटने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न जलवायविक जोनों में ग्लेशियरों के खिसकने की गति औसत रूप से तथा वर्ष दर वर्ष आधार पर परिवर्तनशील पाई गई है। 35 ग्लेशियरों के खिसकने के पैरामीटरों से यह पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र में स्थित 43 प्रतिशत ग्लेशियर्स 10 से 20 मीटर प्रतिवर्ष की गति से आकार में कम हो रहे हैं। ग्लेशियरों के आकार में कमी होने के अलग कारणों में सामान्य से कम हिमपात, गर्मी के मौसम में अधिक तापमान, सर्दी कम होना अथवा इन सबका होना आदि कारण हो सकते हैं। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग, एक ऐसा विषय जिस पर अभी भी बहस हो रही है, आदि भी इसके कारण भी हो सकते हैं।

(ग) पिघलते ग्लेशियरों का पर्यावरण पर प्रभाव तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली को होने वाले खतरों के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) ग्लेशियरों का खिसकना एक प्रक्रिया है जिसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। भारतीय भू-सर्वेक्षण ने बर्फ पिघलन की रिटार्डेशन पर कुछ पायलट अध्ययन कराए हैं। लेकिन अधिकांश हिमालयी ग्लेशियरों पर ऊपरी मोटे ग्लेशियल मोरेनिक कवर से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस तरह आर्थिक व्यवहार्यता, आप्रेशन स्केल तथा प्रदूषण खतरों के कारण पिघलन गति में कृत्रिम कमी करना संभव नहीं हो सकता।

तथापि, भारत सरकार ने गलेशियरों के खिसकने की गति में कमी करने संबंधी संभव उपायों की पहचान की है जिनमें संरक्षण संबंधी कार्य जैसे कि वनीकरण, कचरा हटाना, गलेशियरों पर मानव हस्तक्षेपों पर नियंत्रण तथा सतत पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना आदि भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे

1069. **श्री हरिन पाठक :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वडोदरा और मुंबई के बीच एक्सप्रेस-वे का निर्माण आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत वडोदरा से मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

(ख) संरेखण अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को जुलाई, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 6672 करोड़ रु. है।

(घ) इस परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

एड्स जागरूकता अभियान को नया रूप देने की आवश्यकता

1070. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री अनन्त नायक :
श्री वी. करुणाकर रेड्डी :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते एड्स/एच आई वी मामलों को नियंत्रित करने हेतु जागरूकता अभियान को नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है;

(ग) जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप देश में एड्स/एच आई वी मामलों की संख्या कम करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई; और

(ङ) एड्स/एच आई वी प्रभावित व्यक्तियों को गरिमापूर्ण सामाजिक जीवन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तीसरे चरण में सम्प्रेषण कार्यनीति का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले वर्गों एवं असुरक्षित लोगों में सुरक्षित आचरण को बढ़ावा देना तथा निवारक परिचर्या एवं सहायता सेवाएं बढ़ाना, कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा एच आई वी/एड्स से जुड़े कलंक एवं भेदभाव को कम करना है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रह रही महिलाओं एवं युवाओं तक पहुंचने के लिए सम्प्रेषण के अन्तर्वैयक्तिक चैनलों पर अधिक जोर दिया जाता है। लक्षित लोगों में एच आई वी/एड्स से संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार करने में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है।

(ग) वार्षिक प्रहरी निगरानी सर्वेक्षण के निष्कर्षों से एच आई वी व्यापकता में थोड़ी कमी की प्रवृत्ति का पता चला है। वर्ष 2002 में एच आई वी व्यापकता 0.45 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2006 में 0.36 प्रतिशत हो गई है।

(घ) राज्य-वार आबंटित निधि और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करने एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनको निःशुल्क एन्टीरिट्रोवायरल थेरेपी एवं परिचर्या और सहायता सेवाएं प्रदान कर रही है। एच आई वी/एड्स से जुड़े कलंक एवं भेद-भाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों, सामुदायिक नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं, अन्य सरकारी विभागों, सिविल समाज एवं निगमित क्षेत्र के लिए प्रचार-प्रसार एवं विषय परिचायक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विवरण

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण के लिए वित्तीय व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	एस.ए.सी.एस. का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	40	29.6	100	81.82	110	138.52

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	60	28.05	170	144.34	80	130.64
3.	पंजाब	100	18.19	120	60.95	112	141.52
4.	झारखंड	75	23.68	120	57.69	50	139.22
5.	राजस्थान	150	74.71	272	190.98	185	175.73
6.	चंडीगढ़	35	21	39.2	38.47	50	46.37
7.	दमन और दीव	15	10.75	23.9	22.07	43	27.85
8.	मुंबई	150	131.7	250	238.62	200	213.39
9.	मिजोरम	70	74.55	100	105.34	150	115.99
10.	दिल्ली	150	143.9	557	327.16	500	344.93
11.	गोवा	60	25.41	125	45.56	65	48.62
12.	हरियाणा	100	32.55	100	54.99	50	30
13.	मेघालय	30	4.83	60	2.98	120	4.57
14.	गुजरात	200	51.54	585	172.87	605	312.81
15.	सिक्किम	23	20.61	45.6	38.04	50.4	21.04
16.	कर्नाटक	250	154.1	300	181.05	419	245
17.	असम	150	175.3	443.54	350	450	577.16
18.	पांडिचेरी	20	18.85	30	35.57	70	70.67
19.	उड़ीसा	107.7	28.8	257	197.2	159.89	94.63
20.	त्रिपुरा	30	50.2	60	47.97	80	51
21.	उत्तर प्रदेश	400	218.4	424.5	355.76	700	330
22.	अहमदाबाद एम सी	41	35.27	50	42.84	45	21
23.	चेन्नई एम सी	60	14.99	200	146.85	150	85.95
24.	उत्तराखंड	50	17.77	50	68.12	120	105.82

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	आंध्र प्रदेश	300	160.5	3000	1555.4	1800	1445.7
26.	मध्य प्रदेश	200	120.7	340	104.89	250	224.34
27.	नागालैंड	150	206.4	315	364.35	362	329.06
28.	दादरा व नगर हवेली एच	10	3.47	6	5.98	10	5.59
29.	केरल	150	99	306	95.65	250	268.5
30.	महाराष्ट्र	300	277	530	512.14	700	397.74
31.	मणिपुर	120	127	200	430.03	600	918.92
32.	तमिलनाडु	300	328	620	767	400	473
33.	बिहार	150	67.88	310	370.77	500	180
34.	पश्चिम बंगाल	250	293.1	700	872.56	1200	1423
35.	अंडमान और निकोबार	20	15.39	20	15.04	56	11.22
36.	लक्षद्वीप	15	1.03	15	1.35	10	2.5
37.	जम्मू और कश्मीर	70	32.66	74	65.4	90	51.79
38.	छत्तीसगढ़	70	51.89	250	201.93	30.5	51.67
	कुल	4471.7	3188.6	1168.7	8369.7	10822.8	9255.4

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या पर और अधिक निवेश की आवश्यकता

1071. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी विभिन्न एजेंसियों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल आदि की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वास्थ्य परिचर्या में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए तत्काल और निवेश किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारत सरकार विशेष रूप से जनसंख्या के गरीब एवं संवेदनशील हिस्सों को पहुंच वाली, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हाल ही में प्रोफेसर जैफरी सेचेज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल ने राष्ट्रीय ग्रामीण

स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की पुनरीक्षा की जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विश्व में सबसे अधिक महत्वकांक्षी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है और इसकी सफलता को विश्व के अन्य भागों में प्रसारित करना आवश्यक है विशेषरूप से अल्मा अता उद्घोषण "सभी के लिए स्वास्थ्य" की 30वीं वर्षगांठ के वर्ष में। इसके अतिरिक्त माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने आशा प्रशिक्षण, आशा औषधी किटों में गर्भ किटें प्रदान करना, अभिघात केन्द्र, मां के दूध के महत्व, सर्वोत्तम अभ्यासों को प्रचारित करने, आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा पोषण विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना, नई वैक्सीनों का आरंभ, कोल्ड चेन/एडी सिरिंजों के माध्यम से गुणवत्ता प्रतिरक्षण के प्रयास, तम्बाकू विनियमन प्राधिकारी के गठन हेतु विधि निर्माण आदि जैसे विषय वस्तु के क्षेत्रों में मंत्रालय/राज्यों द्वारा पहले से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या केन्द्र

1072. डा. के. धनराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिला मुख्यालय अस्पतालों में अभिघात परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ विकसित करने हेतु धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि और खर्च न की गई धनराशि के कारणों का राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित एवं खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

वर्ष	आबंटित निधियां (बजट अनुमान) (रुपये करोड़ में)	खर्च की गई निधियां (रुपये करोड़ में)
2004-05	20.00	24.19
2005-06	32.00	35.87
2006-07	42.00	42.73

भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु बजटीय परिव्यय

1073. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु बजटीय परिव्यय में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के अध्ययनों तथा स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों के उन्नयन हेतु नए संस्थानों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। 11वीं योजना के दौरान बजट परिव्यय 10वीं योजना के मुकाबले में पर्याप्त रूप से बढ़ गया है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

(रु. करोड़ में)

योजनावधि	परिव्यय
10वीं पंचवर्षीय योजना	775
11वीं पंचवर्षीय योजना	3988

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन करने के प्रयोजनार्थ निम्नांकित दो संस्थानों को स्थापित करने की संस्वीकृत प्राप्त हुई है।

1. भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली।

2. उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट।

महानदी कोलफील्ड्स द्वारा कोयले की आपूर्ति

1074. श्री अनन्त नायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.)

प्राथमिकता के आधार पर उड़ीसा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कोयला आवंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.सी.एल. राज्य में स्थानीय इकाइयों की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ीसा में स्थापित इकाइयों को एम.सी.एल. से कोयले की आपूर्ति विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ङ) कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है और केवल कुछ राज्यों में पाया जाता है। यह विवेकपूर्ण और न्यायोचित रहेगा कि इस संसाधन में सभी राज्यों के उपभोक्ताओं की भागीदारी हो। इसलिए, मौजूदा कोयला वितरण नीति के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार भारत संघ में कहीं भी स्थित उपभोक्ताओं को कोयला आवंटित किया जाता है। महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने उड़ीसा राज्य के भीतर स्थित औद्योगिक यूनिटों को अप्रैल, 2007 से जनवरी 2008 के दौरान कुल 68.70 मिलियन टन के प्रेषण में से 37.38 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की है। इसके अलावा, महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ने अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 तक के दौरान छोटे और मध्यम उद्योगों में वितरण के लिए उड़ीसा के छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए उड़ीसा लघु उद्योग विकास निगम नामक राज्य नामित एजेंसी को 2.50 लाख टन कोयला तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को 1.10 लाख टन कोयला आबंटित किया है। तथापि, इस आबंटन के मुकाबले राज्य नामित एजेंसी द्वारा तथा एनसीसीएफ द्वारा केवल क्रमश: 0.59 लाख टन और 0.01 लाख टन कोयला उठाया गया। अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 के दौरान एमसीएल द्वारा संचालित इलेक्ट्रानिक बुकिंग/इलेक्ट्रानिक नीलामी के तहत भी 8 मिलियन टन की कुल पेशकश के मुकाबले, उड़ीसा में स्थित उपभोक्ताओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा 7.3 मिलियन टन की मात्रा बुक की गई।

खुले बाजार में सी.जी.एच.एस. दवाइयों की बिक्री

1075. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अण्णासाहेब पाटील शिवाजीराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालयों के लिए खरीदी गई दवाइयों को खुले बाजार में बेचा जा रहा है, जैसा कि दिनांक 20 जनवरी, 2008 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) किसी भी जांच एजेंसी ने सी जी एच एस या इसके कर्मचारियों के औषधियों की बिक्री में लिप्त होने की कोई सूचना नहीं दी है जैसा कि सूचित किया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के पास दवाओं की खरीद, वितरण एवं एक्सपायरी तिथि से पहले उनके उपभोग को मॉनीटर करने के लिए एक अंतरनिहित तंत्र उपलब्ध है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर

1076. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के गलत आकलन के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को गहरा झटका लगा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इससे कितनी सफलता मिली है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों में 1999-2000 में उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें निम्न तालिका में दी गई हैं:-

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)
2002-03	-7.2
2003-04	10.0
2004-05	0.0
2005-06	5.9
2006-07	3.8
दसवीं पंचवर्षीय योजना औसत	2.5
2007-08	2.6

स्रोत: आर्थिव सर्वेक्षण, 2007-08, भारत सरकार, नई दिल्ली।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों की वार्षिक वृद्धि दर में लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने के अनुमान किया गया है। इस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रकों के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) आबंटन में 10वीं पंचवर्षीय योजना के 50,639 करोड़ रुपये के वास्तविक आबंटन की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,21,556 करोड़ (वर्ष 2006-07 के मूल्यों पर) रुपये की बढ़ोत्तरी करने का अनुमान किया गया है।

[अनुवाद]

भारत निर्माण योजना की समीक्षा

1077. श्री ए. साई प्रताप : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण हेतु भारत निर्माण योजना की प्रगति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत निर्माण कार्यक्रम की संबंधित मंत्रालयों, योजना आयोग और ग्रामीण अवसंरचना समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है। विभिन्न घटकों के निष्पादन के आधार पर, दो घटक आवास और टेलीफोन भारत निर्माण के अंतर्गत, निर्धारित अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अन्य घटकों के लिए, समीक्षा के दौरान पहचान किए गए अवरोधों को, विकास में तेजी लाने हेतु दूर किया जा रहा है।

डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम

1078. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक कार्यक्रम चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम कुछ चयनित राज्यों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) ऐसे कार्यक्रम को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय मधुमेह, कोर्डियो वैस्कुलर रोगों और आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण वर्ष 2008 में 9 राज्यों के 9 जिलों में शुरू किया गया है जो निम्नवत हैं:-

राज्य	जिला
असम	कामरूप
पंजाब	जालंधर
राजस्थान	भीलवाड़ा
कर्नाटक	शिमोगा
तमिलनाडु	कांचीपुरम
केरल	तिरूअनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	जबलपुर
सिक्किम	सिक्किम का पूर्वी जिला
आंध्र प्रदेश	नैल्लोर

कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं (i) गैर-संचारी रोगों के लिए जोखिम कारकों की व्याप्तता का निर्धारण, (ii) गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर रोग और आघात) की रोकथाम के लिए जोखिम में कमी और (iii) मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर रोग और आघात का शीघ्र निदान और उपयुक्त उपचार। कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां बनाई गई हैं- (क) गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारकों की निगरानी, (ख) सामान्य लोगों का स्वास्थ्य संवर्द्धन और (ग) अधिक जोखिम समूहों के लिए रोग रोकथाम।

योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के लिए 1620.50 करोड़ रुपए का अंतरिम आबंटन किया है। प्रायोगिक चरण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

[हिन्दी]

पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र

1079. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्तमान में स्थान-वार कितने पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2005-06 से आज तक राजस्थान में नए पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना ग्रामीण विकास राज्य संस्थान के रूप में की गई है तथा अजमेर, डूंगरपुर एवं मंदोर (जोधपुर) में अवस्थित तीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों को ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उन्हें अम्ब्रेला आर्गेनाइजेशन बनाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में वन अकादमी

1080. श्री पी. करूणाकरन :
श्री पी.सी. थामस :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में वन अकादमी की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां। केरल वन अकादमी की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्तावित अकादमी का लक्ष्य केरल वन विभाग की सभी मूलभूत प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए अम्ब्रेला संगठन के

रूप में कार्य करना है। यह प्रस्तावित है कि अकादमी इन सर्विस फ्रंटलाइन वन स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग पाठ्यक्रम "पदोन्नत किए जाने वाले" अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यकारी प्रबंध कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगी। प्रस्ताव में पूंजीगत व्यय 13.75 करोड़ रु. और आवर्ती वार्षिक व्यय 4.35 करोड़ रुपए परिकल्पित है।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास प्रस्तावित कार्यकलाप की सहायता के लिए कोई स्कीम नहीं है।

वन कर्मियों के रिक्त पद

1081. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन कर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) हर वर्ष भारतीय वन सेवा के वानिकी कार्मिकों की भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती कोटा के तहत, सीधी भर्ती के माध्यम से और राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति के माध्यम से भी की जाती है। भारतीय वन सेवा के संदर्भ में रिक्त पदों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। प्रोन्नति कोटा में रिक्त पदों का भरा जाना, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विभागीय प्रोन्नति बैठकों के आयोजन/अदालती मामलों से जुड़ा हुआ है।

अन्य वन कार्मिकों के संबंध में, राज्य सरकारों को सभी रिक्त पद भरने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य-वार सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दिनांक 1.1.2007 तक भारतीय वन सेवा के संदर्भ में संवर्ग-वार सूचना दर्शाता विवरण

क्र. सं.	संवर्ग	कुल संख्या	वर्तमान संख्या	वर्तमान रिक्त पद	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	ए जी एम यू	156	140	16	—
2.	आंध्र प्रदेश	139	141	—	अधिकता
3.	असम-मेघालय	118	112	6	—
4.	बिहार	58	42	16	—
5.	छत्तीसगढ़	131	117	4	—
6.	गुजरात	107	104	3	—
7.	हरियाणा	69	66	3	—
8.	हिमाचल प्रदेश	102	106	—	अधिकता
9.	जम्मू एवं कश्मीर	106	95	11	—
10.	झारखंड	130	129	1	—
11.	कर्नाटक	164	158	6	—
12.	केरल	94	83	11	—
13.	मध्य प्रदेश	270	274	—	अधिकता
14.	महाराष्ट्र	185	172	13	—
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	87	84	3	—
16.	नागालैंड	33	28	5	—
17.	उड़ीसा	127	113	14	—
18.	पंजाब	58	47	11	—

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	112	109	3	—
20.	सिक्किम	30	25	5	—
21.	तमिलनाडु	148	139	9	—
22.	उत्तर प्रदेश	199	157	42	—
23.	उत्तरांचल	84	69	15	—
24.	पश्चिम बंगाल	112	106	6	—
	कुल	2819	2616	203	—

संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को छह लेन का बनाया जाना

1082. **श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बी ओ टी आधार पर संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क को छह लेन का बनाने के लिए 1,75,000 करोड़ रु. की एक मेगा परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत उन सड़कों की लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन पर कार्य पूरा कर लिया गया है तथा जिन पर कार्य लंबित है; और

(ङ) इसके अंतर्गत शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 किमी. लंबाई जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5,700 किमी. लंबाई और निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर अन्य खंड की 800 किमी. लंबाई शामिल है, में 41,210 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 6 लेन बनाने के कार्य को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) एनएचडीपी चरण-V के अंतर्गत सात ठेके सौंपे जा चुके हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत दी गई रियायत

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रारा सं.	लंबाई (किमी.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	वड़ोदरा-भरूच	8	83.00	बीओटी रियायतग्राही द्वारा कार्य किया जा रहा है।
2.	भरूच-सूरत	8	65.00	

1	2	3	4	5
3.	चेन्नै-टाडा	5	43.40	रियायत दिनांक 21.02.2008 तक दी गई।
4.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर	8	225.60	
5.	सूरत-दहीसर	5	239.00	
6.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा	5	82.50	
7.	पानीपत-जालंधर	1	291.00	
	जोड़		1029.50	

विवरण-II

पूर्ण परियोजनाएं-स्वर्णिम चतुर्भुज

क्र. सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
	स्वर्णिम चतुर्भुज		
	आंध्र प्रदेश		
1.	श्रीकाकुलम-चंपावती (एपी-1) (शेष कार्य) कि.मी. 97-कि.मी. 49	5	48.00
2.	चिलकालूरीपेट-ओंगोल (एपी-13) कि.मी. 357.9-कि.मी. 291	5	66.00
3.	इच्छापुरम-कोरलम (एपी-4बी) कि.मी. 233-कि.मी. 200	5	33.00
4.	ओंगले-कावली (एपी-12) कि.मी. 291-किमी. 222	5	72.00
5.	कोरलम-पलासा (एपी-4ए) कि.मी. 200-कि.मी. 171	5	29.00
6.	तुनी-धरमवरम (एपी-16) कि.मी. 300-कि.मी. 253	5	47.00
7.	पुल खंड (एपी-6) कि.मी. 233-कि.मी. 98	5	0.00
8.	पलासा-श्रीकाकुलम (एपी-2) कि.मी. 171-कि.मी. 97	5	74.00
9.	पुल खंड (एपी-20) कि.मी. 80-कि.मी. 162	5	0.00
10.	कावली-नेल्लौर (एपी-11) कि.मी. 222-कि.मी. 178	5	43.80
11.	धर्मवरम-राजमुन्द्री (एपी-15) कि.मी. 253-कि.मी. 200	5	53.00
12.	दिवानचेरू (राजमुंद्री के नजदीक)-गोवधामी (एपी-17) कि.मी. 200-कि.मी. 164.5	5	34.95
13.	पुल खंड (एपी-19) कि.मी. 162-कि.मी. 200	5	2.45
14.	चंपावती-विशाखापत्तनम (एपी-3) कि.मी. 49-कि.मी. 2.8	5	46.20

1	2	3	4
15.	अंकापल्ली-तुनी कि.मी. 359.2-कि.मी. 300	5	58.95
16.	नेल्लौर बाइपास कि.मी. 178.2-कि.मी. 161	5	17.17
17.	गोवथामी-गुंडुगोलानू (एपी-18) कि.मी. 164.5-कि.मी. 80	5	81.08
18.	नेल्लौर-डाटा (एपी-7) कि.मी. 163.6-कि.मी. 52.8	5	110.52
19.	पुल खंड (एपी-5) कि.मी. 49-कि.मी. 97	5	0.00
20.	विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज I कि.मी. 355-कि.मी. 380	5	25.00
21.	विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज II कि.मी. 380-कि.मी. 396.8	5	32.00
22.	विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज III कि.मी. 408-कि.मी. 420.5	5	23.78
23.	विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज IV कि.मी. 10.8-कि.मी. 13.68	5	2.88
24.	विजयवाडा-राजमुन्द्री खंड (एलूरू के नजदीक) कि.मी. 75-कि.मी. 80	5	5.00
25.	एलूरू-विजयवाडा पैकेज 5 कि.मी. 75-कि.मी. 3.4	5	72.00
26.	विशाखापत्तनम-एंकापल्ली कि.मी. 397-कि.मी. 359	5	38.00
	राज्य कुल:		1015.77 कि.मी.
	बिहार		
27.	औरंगाबाद-बाराचट्टी (टीएनएचपी/V-ए) कि.मी. 180-कि.मी. 240	2	60.00
28.	मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी) कि.मी. 65-कि.मी. 110	2	45.00
29.	देहरी ऑन सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी) कि.मी. 140-कि.मी. 180	2	40.00
	राज्य कुल:		145.00 कि.मी.
	बिहार (10)/झारखंड (70)		
30.	बाराचट्टी-गोरहार (जीटीआरआईपी/V-बी) कि.मी. 240 - कि.मी. 320	2	80.00
	राज्य कुल:		80.00 कि.मी.
	दिल्ली (12)/हरियाणा (74)/उत्तर प्रदेश (59)		
31.	दिल्ली-मथुरा कि.मी. 0-कि.मी. 145	2	145.00
	राज्य कुल:		145.00 कि.मी.
	दिल्ली (13)/हरियाणा (23)		
32.	दिल्ली-गुडगांव कि.मी. 0-कि.मी. 36	8	36.00
	राज्य कुल:		36.00 कि.मी.
	गुजरात		
33.	हिम्मतनगर-चिलोडा (अहमदाबाद के नजदीक) (यूजी-IV) कि.मी. 443-कि.मी. 495	8	52.00
34.	सूरत (चलथान)-अतुल कि.मी. 263.4-कि.मी. 343	8	79.60

1	2	3	4
35.	अहमदाबाद-बडोडरा एक्सप्रेस चरण-II कि.मी. 43.3 (नडियाड-दाकोर एसएच)-कि.मी. 93.302	एनई1	50.00
36.	अतुल-कजाली कि.मी. 343-कि.मी. 381.6	8	38.60
37.	रतनपुर-हिम्मतनगर (यूबी-III) कि.मी. 388-कि.मी. 443	8	54.60
38.	अहमदाबाद-बडोडरा एक्सप्रेस मार्ग चरण-I कि.मी. 0.0-कि.मी. 43.4	8	43.40
39.	अहमदाबाद बापास कि.मी. 495-कि.मी. 510	8	15.00
40.	बडोडरा-सूरत	8	152.00
	राज्य कुल:		485.20 कि.मी.
	हरियाणा(55)/राजस्थान(71)		
41.	गुडगांव-कोटपूतली कि.मी. 36-कि.मी. 162	8	126.00
	राज्य कुल:		126.00 कि.मी.
	झारखंड		
42.	बरुवा अड्डा-बाराकर कि.मी. 398.75-कि.मी. 442	2	43.00
	राज्य कुल:		43.00 कि.मी.
	कर्नाटक		
43.	बेलगाम-धारवाड	4	62.00
44.	बेलगाम बाइपास कि.मी. 515-कि.मी. 495	4	18.00
45.	सिरा-तुमकुर कि.मी. 116.4-कि.मी. 75	4	41.40
46.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम कि.मी. 592-कि.मी. 515	4	77.00
47.	तुमकुर-नीलमंगला कि.मी. 62-कि.मी. 29.5	4	32.50
48.	सीरा बाईपास कि.मी. 122-कि.मी. 116	4	5.80
49.	धारवाड-हुबली कि.मी. 433-कि.मी. 404	4	29.00
50.	नीलमंगला-बंगलुरू कि.मी. 30-कि.मी. 0	4	30.00
51.	बंगलुरू-हाथीपल्ली कि.मी. 0-कि.मी. 33	7	33.00
	राज्य कुल:		328.70 कि.मी.
	महाराष्ट्र		
52.	कटराज-सारोल (पीएस-3) कि.मी. 825.5-कि.मी. 797	4	28.50
53.	कटराज पुर्नसरेखण (पीएस-4) कि.मी. 825-कि.मी. 30 बाईपास का	4	9.00
54.	सतारा-कगल कि.मी. 725-कि.मी. 592.24	4	133.00
55.	सरोल-ब्राथर (पी एस-2) कि.मी. 797-कि.मी. 760 कि.मी. (773-कि.मी. 781 को छोड़कर)	4	29.00
56.	वाथर-सतारा (पी एस-1) कि.मी. 760-कि.मी. 725	4	35.00

1	2	3	4
57.	काजीली-मनोर कि.मी. 381.6-कि.मी. 439	8	57.40
58.	वेस्टरली डिवीजन कि.मी. 0-कि.मी. 34.25	4	34.25
59.	मुम्बई पूणे एक्सप्रेस मार्ग	4	10.00
60.	मुम्बई पूर्ण एक्सप्रेस मार्ग कि.मी. 958-कि.मी. 878	4	80.00
61.	मनोर-बेसीम क्रीक खंड कि.मी. 439-कि.मी. 496	8	58.00
62.	खंभावती घाट कि.मी. 772-कि.मी. 781	4	9.00
63.	बेसीम-क्रीक पुल-दहीसर	8	2.00
64.	दहीसर-मुम्बई	8	4.00
	राज्य कुल:		489.15 कि.मी.
	उड़ीसा		
65.	लक्ष्मीनाथ-बालेश्वर (उड़ीसा-4) कि.मी. 0-कि.मी. 53.41	60	53.41
66.	पुल खंड (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल-I) कि.मी. 0-कि.मी. 119.275	60	0.00
67.	खुर्दा-सुन्नाखाला (उड़ीसा-VI) कि.मी. 388-कि.मी. 338	5	52.06
68.	भद्रक-चांडीखोल (उड़ीसा-II) कि.मी. 61-कि.मी. 136	5	75.50
69.	चांडीखोल-जगतपुर कि.मी. 28-कि.मी. 61	5	27.80
70.	जगतपुर-भुवनेश्वर कि.मी. 0-कि.मी. 28	5	28.00
	राज्य कुल:		236.77 कि.मी.
	राजस्थान		
71.	जयपुर बाईपास चरण II रा.रा. 8 के कि.मी. 221- रा.रा.-11 के कि.मी. 246	8	34.70
72.	महापुरा (जयपुर के नजदीक)- किशनगढ़ (6 लेन) कि.मी. 273.5-कि.मी. 363.885	8	90.38
73.	मंगलवार-उदयपुर (के यू-VI) कि.मी. 172-कि.मी. 113.825	76	58.18
74.	केसरियाजी-रतनपुर (यू जी-II) कि.मी. 340-कि.मी. 388.4	8	48.40
75.	गुलाबपुरा-भीलवाडा बाइपास (के यू-III) कि.मी. 70-कि.मी. 120	79	50.00
76.	भीलवाडा बाइपास-चित्तौडगढ़ (के यू-IV) कि.मी. 120-कि.मी. 183	79	66.00
77.	किसनगढ-नसीराबाद (के यू-I) कि.मी. 363.9 (रा.रा.-8)- कि.मी. 15 (रा.रा.-79)	79A	36.23
78.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (के यू-II) कि.मी. 15-कि.मी. 70	79	55.87
79.	चित्तोडगढ़-मंगलवार (के यू-V) कि.मी. 220-कि.मी. 172	76	48.00
80.	उदयपुर-केसरियाजी (यूजी-I) कि.मी. 278-कि.मी. 340	8	62.00

1	2	3	4
81.	जयपुर बाइपास खंड । कि.मी. 283-कि.मी. 297	8	14.00
82.	किसनगढ़ में आरओबी	8	1.00
83.	कोटपुली-आमेर कि.मी. 162-कि.मी. 248	8	86.00
	राज्य कुल:		650.76 कि.मी.
	तमिलनाडु		
84.	कांचीपुरम-पूनामल्ली कि.मी. 70.2-कि.मी. 13.8		
85.	विनयाम्बडी-पल्लीकोंडा (केरल-2) कि.मी. 49.0-कि.मी. 100.0	46	51.00
86.	पल्लीकोडा-रानीपेट और वल्लाजापेट बाईपास (केरल-3) कि.मी. 100.0-कि.मी. 145.0	46	45.00
87.	टाडा-चैन्नै (तमिलनाडु-1) कि.मी. 52.8-कि.मी. 11	5	41.80
88.	किशनगिरी-बनियामबाड़ी (केरल-1) कि.मी. 0.0-कि.मी. 49.0	46	49.00
89.	ह्रसूर-कृष्णगिरी कि.मी. 48.6-कि.मी. 94.0	7	45.40
90.	बेलेलापेट-कांचीपुरम कि.मी. 106.4-कि.मी. 70.2	4	36.20
91.	हाथीपालो-होसूर कि.मी. 33-कि.मी. 48.6	7	16.00
	राज्य कुल:		340.80 कि.मी.
	उत्तर प्रदेश		
92.	सिकंदरा-भौंटी (टीएनएचपी/III-ए) कि.मी. 393-कि.मी. 470 एमडीआर रूट के माध्यम से 16 कि.मी.	2	62.00
93.	खागा-कोखराज (टीएनएचपी/III-ए) कि.मी. 115-कि.मी. 158	2	43.00
94.	मथुरा-आगरा कि.मी. 145-कि.मी. 199	2	54.00
	राज्य कुल:		159.00 कि.मी
	पश्चिम बंगाल		
95.	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	2	6.00
96.	धनकोनी-कोलाघाट (पश्चिम बंगाल-I) कि.मी. 17.6-कि.मी. 72	6	54.40
97.	खड़गपुर-लक्ष्मणनाथ (पश्चिम बंगाल-IV) कि.मी. 53.41-कि.मी. 119.275	60	65.86
98.	पालसीट-दनकोनी कि.मी. 581-कि.मी. 646	2	65.00
99.	पानागढ़-पालसीट कि.मी. 517-कि.मी. 581	2	64.46
100.	कोलाघाट-खडगपुर (पश्चिम बंगाल-II) कि.मी. 72-कि.मी. 132.45	6	60.45
101.	रानीगंज-पानागढ़ कि.मी. 475-कि.मी. 517	2	42.00
102.	बाराकर-रानीगंज कि.मी. 442-कि.मी. 475	2	33.00
103.	दनकोनी-रा.रा.-2/रा.रा.-6 जंक्शन के नजदीक कोलकाता	2	5.00
	राज्य कुल:		396.17 कि.मी.
	कुल:		4677.31 कि.मी.

पूर्व परियोजनाएं: उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम

क्र. सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	थोंडापल्ली से फारूखनगर (एन एस/9) कि.मी. 22.3-कि.मी. 34.8	7	12.50
2.	कलकालू गांव से गुंडला पोचम्पल्ली (एन एस-8) कि.मी. 447-कि.मी. 464	7	17.00
3.	बोवनपल्ली (हैदराबाद शहर) से शिवरामपल्ली कि.मी. 0.00-कि.मी. 9.200	7	9.20
	राज्य कुल:		38.70
	असम		
4.	गुवाहटी बाइपास (पूर्व पश्चिम-14/एएस) कि.मी. 156.00 से कि.मी. 146.00	37	10.50
5.	गुवाहटी बाइपास (पूर्व पश्चिम/7) कि.मी. 163.895-कि.मी. 156	37	8.00
	राज्य कुल:		18.50
	दिल्ली		
6.	मुकरबा चौक से मालरोड तक आठ लेन बनाना (दिल्ली) (उत्तर दक्षिण 3/दिल्ली) कि.मी. 16.2-कि.मी. 8.2	1	8.50
	राज्य कुल:		8.50
	गुजरात		
7.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-1) कि.मी. 52.50 से कि.मी. 2.00	8बी	50.50
8.	पालनपुर से दीसा (पूर्व पश्चिम-11/गुजरात) कि.मी. 350.00 से कि.मी. 372.70	14	22.70
9.	रिबदा से गोंडल खंड (पूर्व पश्चिम-10/गुजरात) कि.मी. 160-कि.मी. 143	8बी	17.00
10.	पालनपुर के नजदीक आबूरोड दीसा खंड (पूर्व पश्चिम/1) कि.मी. 340-कि.मी. 350	14	10.00
11.	बामनबोर से राजकोट कि.मी. 216-कि.मी. 185	8बी	31.00
12.	राजकोट से रिबदा कि.मी. 175-कि.मी. 160	8बी	15.00
	राज्य कुल:	·	146.20

पूर्व परियोजनाएं: पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण

	हरियाणा		
13.	हरियाणा/दिल्ली सीमा से कामसपुर तक छह लेन बनाना (एनएस/2) कि.मी. 44.3-कि.मी. 29.3	1	15.00
14.	अंबाला-पानीपत कि.मी. 212-कि.मी. 96	1	116.00
	राज्य कुल:		131.00

1	2	3	4
	कर्नाटक		
15.	आवाथी गांव से नन्दहिल क्रॉस देवनहल्ली-मीनकुंटे को छह लेन का बनाना (एनएस) कि.मी. 524-कि.मी. 527 और कि.मी. 535-कि.मी. 539	7	7.00
	राज्य कुल:		7.00
	केरल		
16.	अंगमाली से अलुवा (एन एस-28/केरल) कि.मी. 332.6 से कि.मी. 316.70	47	16.60
17.	थ्रिसूर से कोचि खंड कि.मी. 332.0-कि.मी. 349.0	47	17.00
	राज्य कुल:		33.60
	मध्य प्रदेश		
18.	मुरैना-रैरू (ग्वालियर बाइपास का प्रारंभ) (एनएस-21/एमपी) कि.मी. 85.00 से कि.मी. 103.00	3	18.00
19.	सराई चोला से मुरैना (एनएस-20/एमपी) कि.मी. 70.00 से कि.मी. 85.00	3	15.00
20.	म.प्र./राज. सीमा से सराइचौला (एनएस/6) कि.मी. 61-कि.मी. 70	3	9.00
	राज्य कुल:		42.00
	महाराष्ट्र		
21.	चिचगुवां-बूटीबोरी-बोरखेड़ी (एनएस-7) कि.मी. 9.2-कि.मी. 22.85 और कि.मी. 24.65-कि.मी. 36.6	7	25.60

1	2	3	4
22.	नागुपर-चिचगुवां कि.मी. 0.00-कि.मी. 9.200	7	9.20
	राज्य कुल:		34.80
	पंजाब		
23.	रा.रा. 1 पर फगवाड़ा जंक्शन (वर्तमान चार लेन रोड पर फ्लाईओवर)	1	1.00
24.	भोगपुर से जालन्धर (एनएस-16/पंजाब) कि.मी. 26-कि.मी. 4.23	1A	21.77
25.	जालन्धर बाइपास (एनएस/1) रा.रा. की कि.मी. 387.1-रा.रा.-1ए का कि.मी. 4.23 कि.मी.	1	14.40
26.	जालन्धर अंबाला कि.मी. 372.7-कि.मी. 212	1	160.70
	राज्य कुल:		197.87
	राजस्थान		
27.	मानिया-धौलपुर (एनएस/5) कि.मी. 41-कि.मी. 51	3	10.00
	राज्य कुल:		10.00
	तमिलनाडु		
28.	बंगलौर-सलेम-मदुरई (एनएस-27/तमिलनाडु) कि.मी. 248.0-कि.मी. 259.6	7	8.40
29.	सलेम बाइपास (एनएस/12) कि.मी. 199.2-कि.मी. 207.6	7	8.40

1	2	3	4
30.	अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को चार लेन का बनाना	7	9.36
31.	करूर आरओबी का निर्माण	7	0.84
32.	थोपुरघर खंड (एनएस/14) कि.मी. 156-कि.मी. 163.4	7	7.40
	राज्य कुल:		34.40
	उत्तर प्रदेश		
33.	लखनऊ कानपुर खंड (पूर्व पश्चिम-8/यूपी) कि.मी. 21.80-कि.मी. 44.00	25	22.20
34.	लखनऊ कानपुर खंड (पूर्व पश्चिम-9/यूपी) कि.मी. 44-कि.मी. 59.5	25	15.50
35.	लखनऊ कानपुर खंड (पूर्व पश्चिम/2) कि.मी. 11.38-कि.मी. 21.8	25	10.42
36.	आगरा उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा (एनएस-4) कि.मी. 8-कि.मी. 24	3	16.00
	राज्य कुल:		64.12
	उत्तर प्रदेश(7)/राजस्थान (10)		
37.	राजस्थान/उ.प्र. सीमा से मानिया (एनएस-19/यूपी/राजस्थान) कि.मी. 24-कि.मी. 41	3	17.00
	राज्य कुल:		17.00
	पश्चिम बंगाल		
38.	डकोला से इस्लामपुर उप खंड 2 (पूर्व पश्चिम/6) कि.मी. 500 से कि.मी. 476.15	31	23.85
39.	डकोला से इस्लामपुर (पूर्व पश्चिम/5) कि.मी. 470-कि.मी. 447	31	23.00
	राज्य कुल:		46.85
	सर्व योग:		830.54

क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण : स्वर्णिम चतुर्भुज

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूरी की गई लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5
	बिहार			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
1.	सासाराम-देहरी आन सोन (जीटीआरपीआई/IV-सी) कि.मी. 110-कि.मी. 140	2	30	26.3

1	2	3	4	5
	झारखंड			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
2.	गोरहार-बरवा अड्डा (टीएनपीएच/V-सी) कि.मी. 320-कि.मी. 398.75	2	78.75	71.69
	कर्नाटक			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
3.	हुबली-हावेरी कि.मी. 404-कि.मी. 340	4	64.5	62.52
4.	हावेरी-हरिहर कि.मी. 340-कि.मी. 284	4	56	46.85
5.	हरिहर-चित्रदुर्ग कि.मी. 284-कि.मी. 207	4	77	62.92
6.	चित्रदुर्ग बाइपास कि.मी. 207-कि.मी. 189	4	18	3.86
7.	चित्रदुर्ग-सीरा कि.मी. 189-कि.मी. 122.3	4	66.7	66.7
8.	तुमकुर बाइपास कि.मी. 75-कि.मी. 62	4	13	9.7
	उड़ीसा			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
9.	बालासोर-भद्रक (ओडिशा-III) कि.मी. 136.5-कि.मी. 199.141	5	62.64	35.56
10.	पुल खंड (ओडिशा-V) कि.मी. 199.141-कि.मी. 61	5	11.587	10.046
11.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओडिशा-I) कि.मी. 387.7-कि.मी. 418	5	26.3	26.3

1	2	3	4	5
12.	सुनाखला-गंजम (ओडिशा-VII) कि.मी. 338-कि.मी. 284	5	55.713	21.202
13.	गंजम-इच्छापुरम (ओडिशा-VIII) (विशेष कार्य) कि.मी. 284-कि.मी. 233	5	50.8	3.36
	उत्तर प्रदेश			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
14.	आगरा शिकोहाबाद (जीटीआरपीआई/I-ए) कि.मी. 199.66-कि.मी. 250.50	2	50.83	49.29
15.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरपीआई/I-बी) कि.मी. 250.5-कि.मी. 307.5	2	59.02	55.5
16.	इटावा बाइपास (शेष कार्य) कि.मी. 307.5-कि.मी. 321.1	2	13.6	13.5
17.	इटावा-रायपुर (जीटीआरपीआई/I-सी) कि.मी. 321.1-कि.मी. 393	2	72.825	72.83
18.	कानपुर-फतेहपुर (जीटीआरपीआई/II-बी) कि.मी. 470-483(0) कि.मी. 0-कि.मी. 38	2	51.5	51
19.	फतेहपुर-खंगा (टीएनएचपी/II-सी) कि.मी. 38-कि.मी. 115	2	77	64.75
20.	इलाहाबाद बाइपास संविदा-I (पुल) कि.मी. 158-कि.मी.-कि.मी. 159.02	2	1.02	0
21.	इलाहाबाद बाइपास संविदा-II कि.मी. 158-कि.मी.-कि.मी. 198	2	38.987	33.49
22.	इलाहाबाद बाइपास संविदा-III कि.मी. 198-कि.मी.-कि.मी. 242.708	2	44.708	31.28
23.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी) कि.मी. 245-कि.मी. 317	2	72	72
	उत्तर प्रदेश (55)/बिहार (21)			

1	2	3	4	5
24.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरपीआई/IV-ए) कि.मी. 317-329(0) कि.मी. 0-कि.मी. 65	2	76	73.97
	पश्चिम बंगाल			
	स्वर्णिम चतुर्भुज			
25.	पुल खंड (पश्चिम बंगाल-III) 6 कि.मी. 17.6-कि.मी. 136	1.732	0.48	
	कुल लंबाई		1170.212	965.10
	आन्ध्र प्रदेश			
	उत्तर दक्षिण			
1.	इस्लाम नगर से कदतल (एनएस-2/BOT/एपी-7) कि.मी. 230-कि.मी. 278	7	48	0
2.	महा./आंध्र प्रदेश सीमा से इस्लामनगर (एनएस-2/BOT/एपी-6) कि.मी. 175-कि.मी. 230	7	55	0
3.	काडलूर येलारेड्डी से गुडंला पोचमपल्ली (एनएस-2/BOT/एपी-2) कि.मी. 367 से कि.मी. 447	7	85.74	0
4.	कांडल से अरमूर (एनएस-2/BOT/एपी-8) कि.मी. 278 से कि.मी. 308	7	31	0
5.	गुंडला पोच्च्मपल्ली से बोवेनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस-23/एपी)-शेष कार्य कि.मी. 464.00- कि.मी. 474.00 और कि.मी. 9.40-कि.मी. 22.30	7	23.1	7.93
6.	फारूखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस-2/एपी-3) कि.मी. 34.140 से कि.मी. 80.050	7	46.162	0
7.	फारूखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस-2/एपी-4) कि.मी. 80.050 से कि.मी. 135.469	7	55.74	0

1	2	3	4	5
8.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) कि.मी. 135.469 से कि.मी. 211	7	74.65	0
9.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10) कि.मी. 211 से कि.मी. 251	7	40	0
10.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11) कि.मी. 251 से कि.मी. 293.4	7	42.4	0
11.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-12) कि.मी. 293.4 से कि.मी. 336	7	42.6	0
12.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13) कि.मी. 336 से कि.मी. 376	7	40	0
13.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14) कि.मी. 376 से कि.मी. 418	7	42	0
14.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15) कि.मी. 418 से कि.मी. 463.6	7	45.6	0
	दिल्ली			
	उत्तर दक्षिण			
15.	मुकरबा चौक से हरियाणा दिल्ली सीमा तक आठ लेन का बनाना (एनएस-18/डीएल) कि.मी. 29.3 से कि.मी. 16.5	1	12.9	0
	हरियाणा			
	उत्तर दक्षिण			
16.	पानीपत उत्थापित मार्ग कि.मी. 96.00 से कि.मी. 86.00	1	10	0
17.	पानीपत से पंची गुजरान (छह लेन बनाने का कार्य) (एनएस-89/हरियाणा) कि.मी. 86.00 से कि.मी. 66.00	1	20	0
18.	पंचीगुजरान से कामसपुर (सोनीपत) छह लेन बनाना (एनएस-17/हरियाणा) कि.मी. 66.00 से कि.मी. 44.30	1	21.7	0

1	2	3	4	5
	जम्मू कश्मीर			
	उत्तर दक्षिण			
19.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (एनएस-30) कि.मी. 286 से कि.मी. 303.8	1ए	17.8	19
20.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए) कि.मी. 286 से कि.मी. 303.8	1ए	1.23	0
21.	जम्मू से कुंजवाणी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जेएण्डके कि.मी. 0.00 से कि.मी. 15	1ए	15	0
22.	कुंजवाणी से विजयपुर (एनएस-15/जेएण्डके) कि.मी. 97-कि.मी. 80	1ए	17.2	16
23.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जेएण्डके) कि.मी. 16.35 से कि.मी. 50.00	1ए	33.65	0
24.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जेएण्डके) कि.मी. 50 से कि.मी. 80	1ए	30	0
25.	पठानकोट से जम्मू कश्मीर सीमा (एनएस-36/जेएण्डके) कि.मी. 110.45 से कि.मी. 117.6 और कि.मी. 4.0 से कि.मी. 16.5	1ए	19.65	0
	कर्नाटक			
	उत्तर दक्षिण			
26.	एपी/कर्नाटक सीमा-नंदीहिल क्रॉसिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव कि.मी. 463.6 से कि.मी. 527 और कि.मी. 535-कि.मी. 539	7	61.38	0
27.	नंदीहिल क्रॉस से देवनहल्ली और हब्बल से मीनुकुंटे को छह लेन का बनाना (एनएस-24/कर्नाटक) कि.मी. 539-556 और कि.मी. 527-कि.मी. 535	7	25	25

1	2	3	4	5
	केरल			
	उत्तर दक्षिण			
28.	थ्रिसूर से अंगामाली (केरल-I) कि.मी. 270.000 से कि.मी. 316.70	47	40	0
	मध्य प्रदेश			
	उत्तर दक्षिण			
29.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1) कि.मी. 0 से कि.मी. 42.033	75.3	42	0
30.	ललितपुर-सागर (एडीबी-II/सी-4) कि.मी. 132 से कि.मी. 187	26	55	0
31.	सागर बाइपास (एडीबी-II/सी-5) कि.मी. 187 से कि.मी. 211	26	26	0
32.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6) कि.मी. 211 से कि.मी. 255	26	44	0
33.	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-7) कि.मी. 255 से कि.मी. 297	26	42	0
34.	राजमार्ग चौराहे से लखांडन (एडीबी-II/सी-8) कि.मी. 297 से कि.मी. 351 (रा.रा. 7 के कि.मी. 544 के साथ जंक्शन	26	54	0
35.	राजमार्ग चौराहे से लखांडन (एडीबी-II/सी-9) कि.मी. 351 से 405.7	26	54.7	0
36.	लखांडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2) कि.मी. 547.4 से कि.मी. 596.75	7	49.35	0
37.	लखांडन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3) कि.मी. 596.75 से कि.मी. 653.225	7	56.475	0

1	2	3	4	5
	मध्यप्रदेश(1)/राजस्थान (9)			
	उत्तर दक्षिण			
38.	धौलपुर-मुरैना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/राज-एमपी/1 कि.मी. 51 से कि.मी. 61	3	10	0
	मध्य प्रदेश(68.5)/उत्तर प्रदेश (11.5)			
	उत्तर दक्षिण			
39.	ग्वालियर-झांसी कि.मी. 16 से कि.मी. 96.127	75	80	0
	महाराष्ट्र			
	उत्तर दक्षिण			
40.	बूतिबोरी आरओबी(एनएस-29/महाराष्ट्र) कि.मी. 22.850 से कि.मी. 24.650	7	1.8	0
41.	बोरखेडी-जाम (एनएस-22/महाराष्ट्र) कि.मी. 36.6-कि.मी. 64.0	7	27.4	0
42.	जाम-वाडनेर (एनएस-59/महाराष्ट्र) कि.मी. 64 से कि.मी. 94	7	30	0
43.	वाडनेर से देवधारी (एनएस-60/महाराष्ट्र) कि.मी. 94 से कि.मी. 123	7	29	0
44.	देवधारी से केलापुर (एनएस-61/महाराष्ट्र) कि.मी. 123 से कि.मी. 153	7	30	0
45.	केलापुर से पिम्पलखुट्टी (एनएस-62) कि.मी. 153 से कि.मी. 175	7	22	0
	पंजाब			
	उत्तर दक्षिण			
46.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पंजाब) कि.मी. 26 से कि.मी. 70	1A	44	0

1	2	3	4	5
	पंजाब(29)/हिमाचल प्रदेश (11)			
	उत्तर दक्षिण	**201**		
47.	पठानकोट से भोपुर (एनएस-38/पीबी) कि.मी. 70 से कि.मी. 110	1ए	40	0
	तमिलनाडु			
	उत्तर प्रदेश			
48.	किशनागिरी से थोपुरघाट (एनएस-2/टीएन 1) कि.मी. 94.000 से 156	7	62.5	0
49.	थोपुरघाट से थुंपीपाडी (एनएस-25/टीएन) कि.मी. 163.40 से कि.मी. 180.00	7	16.6	0
50.	थुंपीपाडी से सलेम (एनएस-26/टीएन) कि.मी. 180.00 से कि.मी. 199.20	7	19.2	18.02
51.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-2) कि.मी. 207.050 से कि.मी. 248.625	7	41.55	0
52.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-3) कि.मी. 258.645 से कि.मी. 292.6	7	33.48	0
53.	करूर से मदुरई (टीएन-4) कि.मी. 305.6 से कि.मी. 373.275	7	68.125	0
54.	करूर से मदुरई (टीएन-5) कि.मी. 373.275 से कि.मी. 426.6	7	53.525	0
55.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6) रा.रा. 7 पर कि.मी. 203.96 से रा.रा. 47 पर कि.मी. 53.00	47	53.525	0
56.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7) कि.मी. 53.000 से कि.मी. 100	47	48.51	0
57.	मदुरई बाइपास सहित मदुरई त्रिरूनेलवेली खंड के मदुरई के 120 कि.मी. (एनएस-39) कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.000	7	42	24

1	2	3	4	5
58.	मदुरई कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन) कि.मी. 42.000 से कि.मी. 80.000	7	38.86	23
59.	मदुरई कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन) कि.मी. 80.00 से कि.मी. 120.00	7	39.51	18
60.	मदुरई कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन) कि.मी. 120 से कि.मी. 160	7	42.7	17.5
61.	मदुरई त्रिरूनेलवेली खंड के कि.मी. 120 से पानागुडी (कि.मी. 2003) (एनएस-43) कि.मी. 160 से कि.मी. 203	7	43	2.5
62.	कन्याकुमारी से पानागुडी (एनएस-32) कि.मी. 203 से कि.मी. 233.6	7	30.6	6
	उत्तर प्रदेश			
	उत्तर दक्षिण			
63.	आगरा बाइपास की नई चार लेन (एनएस-1/-यूपी1) रा.रा. 2 के कि.मी. 176.8 से रा.रा. 3 कि.मी. 13.03 तक	2,3	32.8	0
64.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी2) कि.मी. 0 से कि.मी. 49.79	25,26	49.7	0
65.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी3) कि.मी. 49.7 से कि.मी. 99	26	49.3	0
66.	ललितपुर-सागर (एडीबी-II/सी-3) कि.मी. 94 से कि.मी. 132	26	38	0
	असम			
	पूर्व पश्चिम			
67.	सिलचर से उदरबंद (एएस-1) कि.मी. 309 से कि.मी. 275.00	54	32	0
68.	हारनगाजू से मैबांग (एएस-21) कि.मी. 165.4.00 से कि.मी. 190.587	54	26	0

1	2	3	4	5
69.	हारनगाजू से मैबांग (एएस-22) कि.मी. 140.70 से कि.मी. 164.08	54	24	0
70.	हारनगाजू से मैबांग (एएस-23) कि.मी. 126.450 से कि.मी. 140.700, कि.मी. 164.080 से कि.मी. 165.400	54	16	0
71.	मैबांग से लुमडिंग (एएस-27) कि.मी. 40.000 से कि.मी. 60.500	54	21	0
72.	मैबांग से लुमडिंग (एएस-26) कि.मी. 60.500 से कि.मी. 83.400	54	23	0
73.	मैबांग से लुमडिंग (एएस-25) कि.मी. 83.400 से कि.मी. 111.000	54	28	0
74.	मैबांग से लुमडिंग (एएस-24) कि.मी. 111.000 से कि.मी. 126.450	54	15	0
75.	लुमिडिंग से दबोका (एएस-15) कि.मी. 40.00 से कि.मी. 22.00	54	18.5	0
76.	लंका से दबोका (एएस-16) कि.मी. 22.00 से कि.मी. 2.4	54	24	0
77.	दबोका से नौगांव (एएस-17) कि.मी. 36 से कि.मी. 5.5	36	30.5	0
78.	नौगांव बाइपास (एएस-18) कि.मी. 5.5 (रा.रा.-36) से कि.मी. 262.7 (रा.रा.-37) और कि.मी. 262.70 से कि.मी. 255	37	23	0
79.	नौगांव से धर्मातुल (एएस-2) कि.मी. 255 से कि.मी. 230	37	25	0
80.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-19) कि.मी. 230.5 से कि.मी. 205	37	25	0
81.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-20) कि.मी. 205.00 से कि.मी. 183	37	22	0

1	2	3	4	5
82.	सोनापुर से गुहावाटी (एएस-3) कि.मी. 183 से कि.मी. 163.895	37	19	0
83.	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28) कि.मी. 1126.00 से कि.मी. 1121.00	31	5	0
84.	गुहावाटी से नलबाड़ी (एएस-4) कि.मी. 1121.00 से कि.मी. 1093.00	31	28	0
85.	गुहावाटी से नलबाड़ी (एएस-5) कि.मी. 1093.00 से कि.मी. 1065.00	31	28	0
86.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-6) कि.मी. 1065.00 से कि.मी. 1040.3	31	25	0
87.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-7) कि.मी. 1040.3 से कि.मी. 1013.00	31	27.3	0
88.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-8) कि.मी. 1013.00 से कि.मी. 983.00	31	30	0
89.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-9) कि.मी. 983.00 से कि.मी. 961.5	31	21.5	0
90.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10) कि.मी. 93.00 से कि.मी. 60.00	31सी	33	0
91.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11) कि.मी. 60.00 से कि.मी. 30.00	31सी	30	0
92.	बिजली से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12) कि.मी. 30.00 से कि.मी. 0.00	31सी	30	0
	बिहार			
	पूर्व पश्चिम			
93.	पूर्णिया-गयाकोटा (पूर्व पश्चिम/4) कि.मी. 476.15-कि.मी. 470 और कि.मी. 419-कि.मी. 410	31	15.15	13.3

1	2	3	4	5
94.	पूर्णिया-गयाकोटा (पूर्व पश्चिम-12/बिहार) कि.मी. 447 से कि.मी. 419	31	28	5
95.	पूर्णिया-फोरबेसगंज (बिहार-1) कि.मी. 309.0 से कि.मी. 268	57	41	10
96.	पूर्णिया-फोरबेसगंज (बिहार-2) कि.मी. 268.0 से कि.मी. 230	57	38	0
97.	फोरबेसगंज से सिमराही (बिहार-3) कि.मी. 230 से कि.मी. 190	57	40	0
98.	सिमराही से रिंगबंड (मिसिंग लिंक) (बिहार-4) कि.मी. 190 से कि.मी. 165	57	15	0
99.	पहुंच मार्ग सहित कोसी पुल गाइड बांड और एफलेक्स बांड (बीआर-5) कि.मी. 115 से कि.मी. 165	57	10	0
100.	रिंगबंड से झंझारपुर (बिहार-6) कि.मी. 155 से कि.मी. 110	57	45	0
101.	झंझारपुर से दरभंगा (बिहार-7) कि.मी. 110 से कि.मी. 70	57	40	0
102.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बिहार-8) कि.मी. 70 से कि.मी. 30	57	40	0
103.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बिहार-9) कि.मी. 30 से कि.मी. 0	57	30	0
104.	मुजफ्फरपुर से महसी (एलएमएनएचपी-12) कि.मी. 520 से कि.मी. 480	28	40	0
105.	महसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11) कि.मी. 480 से कि.मी. 440	28	40	0
106.	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी-10) कि.मी. 440 से कि.मी. 402	28	38	0
107.	देवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9) कि.मी. 402 से कि.मी. 360.915	28	41.085	0

1	2	3	4	5
	गुजरात			
	पूर्व पश्चिम			
108.	दीसा से राधांपुर (पैकेज-VI) कि.मी. 372.60 से कि.मी. 458.0	14	85.4	75
109.	राधांपुर से गंगोधर (पैकेज-V) कि.मी. 138.80 से कि.मी. 245.00	15	106.2	102
110.	गागोधर से गारामोर (पैकेज-IV) कि.मी. 245.0 से कि.मी. 281.3 और कि.मी. 308.00 से कि.मी. 254.00	15,8A	90.3	63
111.	गारोमोर से बामनमोर (पैकेज-III) कि.मी. 254.00 से कि.मी. 182.60	8A	71.4	54
112.	राजकोट बाइपास और गोंडल जेतपुर (पैकेज-VII) कि.मी. 117.00 से कि.मी. 143.00 और कि.मी. 175.00 से कि.मी. 185.00	8B	36	35
113.	जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II) कि.मी. 117 से कि.मी. 52.50	8B	64.5	40
	गुजरात(34)/राजस्थान (42)			
	पूर्व पश्चिम			
114.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान- 42 कि.मी. और गुजरात-34 कि.मी.) कि.मी. 264 से कि.मी. 340	14	76	0
	मध्यप्रदेश			
	पूर्व पश्चिम			
115.	झांसी-शिवपुरी (पू.प.-II-एमपी-2) कि.मी. 50 से कि.मी. 15	25	35	17
116.	शिवपुरी बाइपास और म.प्र./राज. सीमा (पू.प.-II-एमपी-1) रा.रा. 25 का कि.मी. 15 से कि.मी. और रा.रा. 76 का कि.मी. 610 से कि.मी. 579	2,576	53	42

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
	पूर्व पश्चिम			
117.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राज-11) कि.मी. 579 से कि.मी. 509	76	70	41
118.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राज-10) कि.मी. 509 से कि.मी. 449.15	76	59,85	26.8
119.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राज-9) कि.मी. 449.15 से कि.मी. 406	76	43.15	10.2
120.	कोटा बाइपास (राज-4) कि.मी. 406 से कि.मी. 381	76	25	0
121.	चम्बल पुल (राज-5)	76	1.4	0
122.	कोटा से चित्तौड़ गढ़ (राज.-8) कि.मी. 381 से कि.मी. 316	76	65	23
123.	कोटा से चित्तौड़ गढ़ (राज.-7) कि.मी. 316 से कि.मी. 253	76	63	34
124.	चित्तौड़ गढ़ बाइपास (राज.-6) कि.मी. 253 से कि.मी. 213	76	40	20.5
125.	गोगुंडा से उदयपुर (राज.-3) कि.मी. 104 कि.मी. से कि.मी. 73	76	31	10
126.	बाकरिया से गोगुंडा (राज.-2) कि.मी. 73 से कि.मी. 29	76	44	10
127.	स्वरूपगंज से बाकरिया (राज.-1) कि.मी. 29 कि.मी. 0 (रा.रा. 76) और कि.मी. 264 से कि.मी. 249.7 (रा.रा. 14)	76,14	43	0
	उत्तर प्रदेश			
	पूर्व पश्चिम			
128.	उ.प्र./बिहार सीमा से कासिया (एलएमएनएचपी-8) कि.मी. 360.915 से कि.मी. 319.8	28	41.115	0

1	2	3	4	5
129.	कासिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7) कि.मी. 319.8 से कि.मी. 279.8	28	40	0
130.	गोरखपुर बाइपास कि.मी. 251.7 से कि.मी. 279.8	28	32.6	0
131.	गोरखपुर से अयोध्या (एलएमएनएचपी-6) कि.मी. 251.70 से कि.मी. 208.00	28	43.7	0
132.	गोरखपुर से अयोध्या (एलएमएनएचपी-5) कि.मी. 208.00 से कि.मी. 164.00	28	44	0
133.	गोरखपुर से अयोध्या (एलएमएनएचपी-4) कि.मी. 164.00 से कि.मी. 135.00	28	29	0
134.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3) कि.मी. 135.00 से कि.मी. 93.075	28	41.925	0
135.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2) कि.मी. 93.075 से कि.मी. 45	27	47	0
136.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1) कि.मी. 45.00 से कि.मी. 8.250	28	36	0
137.	लखनऊ बाइपास (पूर्व पश्चिम-15/यूपी) रा.रा. 25 और रा.रा. 28 को वाया रा.रा. 56 से जोड़ना	56ए और बी	22.85	10
138.	लखनऊ कानपुर (पू.प./3ए) कि.मी. 59.5-कि.मी. 75.5	25	16	14
139.	गंगापुल से रामदेवी क्रॉसिंग (यूपी-6) कि.मी. 75.0-कि.मी. 80.06	25	5.6	0
140.	बारह से उरई रा.रा. 2 पर कि.मी. 449 से 422 और कि.मी. 255 से कि.मी. 220	2,25	62.8	0
141.	उरई से झांसी (यूपी-5) कि.मी. 220.0-कि.मी. 170.0	25	50	0

1	2	3	4	5
142.	उरई से झांसी (यूपी-4) कि.मी. 170.0-कि.मी. 104.0	25	66	0
143.	झांसी बाइपास (यूपी-3) कि.मी. 104.0-कि.मी. 91.0	25	15	0
	उत्तर प्रदेश(11)/मध्य प्रदेश (30)			
	पूर्व-पश्चिम			
144.	झांसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1) (यूपी-11 कि.मी. और एमपी-30 कि.मी.) कि.मी. 91 से कि.मी. 50 (यूपी-11 कि.मी. और एमपी-30 कि.मी.)	25	41	24
	पश्चिम बंगाल			
	पूर्व-पश्चिम			
145.	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकट्टा (प.बं.-1) कि.मी. 255.00 से कि.मी. 223.00	31सी	32	0
146.	सिलीगुडी से इस्लामपुर (प.बं.-6) कि.मी. 551.00 से कि.मी. 526.00	31	25	0
147.	सिलीगुडी से इस्लामपुर (प.बं.-7) कि.मी. 526.00 से कि.मी. 500	31	26	0
	कुल लंबाई		5490.037	839.65

सौंपने के लिए शेष कार्य : उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम

क्र. सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	आरमूल से काडलूर ऐल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) कि.मी. 308 से कि.मी. 367	7	60.25
	राज्य कुल:		60.25

1	2	3	4
	असम		
2.	उदरबंद से हरनगाजो (एएस-14) कि.मी. 275.00 से कि.मी. 244.00	54	31.00
	राज्य कुल:		31.00
	जम्मू और कश्मीर		
3.	श्रीनगर-खानबल-बनीहाल (मैदान) -एनएस-88/जेएण्डके कि.मी. 286 से कि.मी. 256	1ए	30.00

1	2	3	4
4.	श्रीनगर-खानबल-बनीहाल-एनएस-92/ जेएण्डके कि.मी. 256 से कि.मी. 220	1ए	30.00
5.	श्रीनगर-खानबल-बनीहाल (केवल सुरंग) एनएस-93/जेएण्डके कि.मी. 220 से कि.मी. 188	1ए	7.00
6.	श्रीनगर-खानबल-बनीहाल (सुरंगों के अलावा)-एनएस-93/जेएण्डके कि.मी. 220 से कि.मी. 188	1ए	32.00
7.	उधमपुर-बनीहाल-एनएस-94/जेएण्डके कि.मी. 171 से कि.मी. 188	1ए	17.00
8.	उधमपुर-बनीहाल-एनएस-95/जेएण्डके कि.मी. 151 से कि.मी. 171.00	1ए	20.00
9.	उधमपुर-बनीहाल-एनएस-96/जेएण्डके कि.मी. 130 से कि.मी. 151	1ए	21.00
10.	उधमपुर-बनीहाल-एनएस-97/जेएण्डके कि.मी. 67 से कि.मी. 89	1ए	21.00
11.	उधमपुर-बनीहाल (केवल सुरंग)-एनएस-99 ए/जेएण्डके कि.मी. 90 से कि.मी. 130.00	1ए	9.00
12.	तवी पुल और नगरोटा बाइपास सहित जम्मू बाईपास के कि.मी. 15 से कि.मी. 19 को चार लेन का बनाना (एनएस-101/जेएण्डके) कि.मी. 15 से कि.मी. 20.4/9.2 से 9.9/0 से 24.4/18.8	1ए	20.10
13.	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना (एनएस-102/ए जेएण्डके) कि.मी. 27.5 से कि.मी. 53.3	1ए	15.48
14.	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना (तीन सुरंगो सहित) (एनएस-102/ए जे एण्ड के) कि.मी. 20 से कि.मी. 27.50	1ए	8.50
15.	जम्मू-उधमपुर खंड को चार लेन का बनाना (एनएस-103/जे एण्ड के) कि.मी. 53 से कि.मी. 67	1ए	33.86
	राज्य कुल:		264.94
	केरल		
16.	वडक्कांचेरी-त्रिसूर खंड को छह लेन का बनाना कि.मी. 240 से कि.मी. 270	47	30.00
17.	वलायार-वडक्कांचेरी खंड को चार लेन का बनाना कि.मी. 182.000 से कि.मी. 240.000	47	58.00
	राज्य कुल:		88.00
	महाराष्ट्र		
18.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर आई/सी कंपटी कानून और नागपुर बाइपास को चार लेन बनाना कि.मी. 689 से कि.मी. 723	7	95.00
	राज्य कुल:		95.00
	तमिलनाडु		
19.	सलेम कि.मी. 100 और सलेम से कोयम्बटूर-केरल सीमा खंड कि.मी. 100 से कि.मी. 182	47	82.00
	राज्य कुल:		82.00

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
20.	घोशुकूर (रा.रा. 31सी का कि.मी. 351) से सलसालाबारी (रा.रा. 31सी का कि.मी. 226) वाया 31सी फुलबारी-मैनागंरी-धुम्पगिरी-फलकाटा (3 पैकेज)	31,	201.00
	राज्य कुल:		201.00
	सर्व योग:	822.19	0.00

विवरण-III

जनवरी, 2008 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अधीन स्वर्णिम चतुर्भुज/उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम परियोजना पर हुए व्यय का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	संबंधित राज्य	जनवरी, 2008 तक हुआ संचित व्यय (करोड़ रुपए में)		
		स्वर्णिम चतुर्भुज	उत्तर दक्षिण महामार्ग	पूर्व पश्चिम महामार्ग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4781.16	1625.87	0.00
2.	आसाम	0.00	0.00	877.82
3	बिहार	1107.96	0.00	1415.45
4.	दिल्ली	0.00	118.67	0.00
5.	गुजरात	1690.17	0.00	2146.46
6.	हरियाणा	0.00	427.19	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.00	682.51	0.00
8.	झारखंड	1037.29	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	3029.51	332.06	0.00
10.	केरल	0.00	186.25	0.00
11.	मध्य प्रदेश	0.00	966.78	0.00
12.	महाराष्ट्र	1660.00	277.08	0.00
13.	उड़ीसा	1796.14	0.00	0.00
14.	पंजाब	0.00	325.64	0.00
15.	राजस्थान	2993.90	115.45	1925.89
16.	तमिलनाडु	1743.60	1800.63	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	4426.16	236.87	1956.31
18.	पश्चिम बंगाल	3447.17	0.00	365.74
	कुल	27713.06	7095.00	8687.67

पर्यावरणीय दबावों के अत्यधिक भार से घिरी पारिस्थितिकीय प्रणाली

1083. श्री रेन बर्मन :
श्री जोयाकिम बखला :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिकीय प्रणाली व्यावसायीकरण, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट के अंधाधुंध पाटन के कारण पर्यावरणीय दबावों के अत्यधिक भार से घिरी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) विकास कार्यों में सामान्यतया प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल होता है और यदि पर्यावरणीय प्रबंधन उपायों को आयोजना और डिजाइन स्तर पर समाहित न किया जाए तो इससे अपशिष्ट

पैदा होता है। विकास प्रक्रिया का संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विभिन्न वैधानिक, विनियामक और नीतिगत उपायों को लागू किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और परिसंकटमय अपशिष्ट (हथालन और प्रबंधन) नियम, 1989 सहित अन्य सम्बद्ध पर्यावरण विधानों तथा उसमें हुए संशोधनों को अधिसूचित करना।
- उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय उत्सर्जन ओर बहिस्राव मानकों को अधिसूचित करना।
- पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, 2006 पर अधिसूचना।
- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006, पर्यावरण और विकास संबंधी संरक्षण कार्यनीति और नीतिगत विवरण, 1992 और प्रदूषण उपशमन पर नीतिगत विवरण; 1992 आदि को अंगीकृत करना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथकर का संग्रहण

1084. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पथकर का संग्रहण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का किलोमीटर में ब्यौरा क्या है, जिन पर पथकर संग्रहित किया जाता है/किए जाने का विचार है;

(घ) वर्तमान में देश के पथकर राजस्व का ब्यौरा क्या है और क्या दो लेन के राजमार्गों को जोड़ने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन पर खर्च किए जाने वाले पथकर राजस्व का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(च) क्या किसानों से अपने कृषि उत्पाद को ले जाने के लिए पथकर संग्रहित किया जाता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) किसानों को पथकर में छूट दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस पर विचार कर रही है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर लगाया जाना है। दिनांक 28.2.2008 की स्थिति के अनुसार उन राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन पर पथकर लगाया जा रहा है।

(घ) इस समय, राष्ट्रीय राजमार्गों के दो लेन के खंडों पर कोई प्रयोक्ता शुल्क की वसूली नहीं है और इसलिए इसके कारण राजस्व में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता। जनवरी, 2008 तक गत चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर संग्रहीत शुल्क के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा

लोक वित्तपोषित परियोजनाएं		1146.61 करोड़ रु.
बीओटी/एसपीवी परियोजना	:	401.66 करोड़ रु.
राज्यों द्वारा		6254.55 लाख रु.

(ङ) पथकर राजस्व का प्रयोग प्रत्यक्षतः राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए नहीं किया जाता है। यह सरकार के सामान्य राजस्व का भाग होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों का वित्तपोषण बजटीय सहायता से केंद्र सरकार द्वारा अलग से किया जाता है।

(च) प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रयोग करने वाले वाहनों पर लगाया जाता है न कि उत्पाद ले जा रहे वाहनों पर।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन खंडों की सूची जिन पर दिनांक 28.02.2008 की स्थिति के अनुसार इस समय शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है

क्रम सं.	खंड	पथकर योग्य खंड (किमी.)	एनएच	लंबाई किमी.
1	2	3	4	5
	एनएचडीपी चरण I			
I	स्वर्णिम चतुर्भुज			
ए	दिल्ली-मुंबई			
ए	लोक वित्त पोषित परियोजनाएं			
1.	गुड़गांव-कोटपुतली	किमी. 42.0–किमी. 162.5	8	120.500
2.	कोटपुतली-चांदवाजी	किमी. 162.5–किमी. 220	8	57.500
3.	जयपुर बाइपास चरण I व II	चरण I रारा 11 के किमी. 246.00 पर प्रारंभ होता है और रारा 8 के किमी. 273.50 पर मिलता है (13.70 किमी.) और चरण II रारा 8 किमी. 220.00 से प्रारंभ होता है और रारा 11 के किमी. 246.00 पर मिलता है (34.70 किमी.)	8 व 11	48.400
4.	किशनगढ़-कवाली गांव (भीलवाड़ा)	किमी. 0.00–किमी. 35.00 व किमी. 65.00–किमी. 81.00	79 व 79ए	101.000
5.	भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़	किमी. 81.00–किमी. 163.900	79	82.900
6.	रिठोला गांव-उदयपुर	किमी. 213–किमी. 113.830	76	99.170
7.	उदयपुर-खेरवाड़ा	किमी. 278.00–किमी. 348.00	8	70.000
8.	खेरवाड़ा-रतनपुर	किमी. 348.00–किमी. 388.180	8	40.180
9.	रतनपुर-हिम्मनगर	किमी. 388.180–किमी. 443.00	8	54.820
10.	हिम्मनगर-चिलोडा	किमी. 443.00–किमी. 495.00	8	52.000
11.	चलथन (सूरत)-वाघलधारा	किमी. 263.4–किमी. 318.6	8	55.200

1	2	3	4	5
12.	वाघलधारा-कजली	किमी. 318.60-किमी. 381.60	8	63.000
13.	कजली-मनोर	किमी. 381.6-किमी. 439.0	8	57.400
14.	मनोर-बसीन क्रीक दहीसार	किमी. 439.00-किमी. 502.00	8	63.000
	जोड़ ए			965.070
बी	एसपीवी परियोजनाएं			
15.	ए वी एक्सप्रेसवे चरण I	किमी. 0.00-किमी. 43.4	एनई-1	43.40
16.	ए वी एक्सप्रेसवे चरण II	किमी. 43.40-किमी. 93.302	एनई-1	49.902
	जोड़ बी			93.30
सी	बीओटी परियोजनाएं			
17.	जयपुर-किशनगढ़	किमी. 273.50-किमी. 363.885	8	90.385
	जोड़ सी			90.385
	जोड़ ए (ए+बी+सी+डी)			1148.757
बी	मुंबई-चेन्नै			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
18.	पश्चिमी डायवर्जन, कटराज पुनर्संरेखण और कटराज-सरोल	किमी. 2.80-किमी. 30.0व किमी. 834.50-किमी. 781.00	4	80.70
19.	खंडाला-सतारा	किमी. 772.00-किमी. 725.00	4	47.000
20.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगांव	किमी. 592.24-किमी. 537	4	55.240
21.	हट्टारगी-हीरेबागेबाड़ी	किमी. 537.00-किमी. 483.60	4	51.60
22.	हीरेबागेबाड़ी-धारवाड़	किमी. 483.60-किमी. 433.10	4	50.50
23.	तवाराकेरे-अंतरासनाहल्ली	किमी. 132.00-किमी. 72.00	4	60.00
24.	होसूर-कृष्णागिरी	किमी. 34.00-किमी. 89.00	7	55.000
25.	कृष्णागिरि-अंबूर	89.00-92.380व किमी. 0.00-70.[illegible]	7व 46	73.380

1	2	3	4	5
26.	अंबूर-वालजापेट	किमी. 70.00-किमी. 145.352	46	78.201
27.	वालजापोट-कांचीपुरम	किमी. 107.200-किमी. 60.100	4	47.115
28.	कांचीपुरम-चेन्नै	किमी. 60.10-किमी. 13.80	4	46.300
	जोड़ ए			645.036
बी	बीओटी परियोजनाएं			
29.	नीलमंगला-तुमकुर	किमी. 29.5-किमी. 62.0	4	32.5
30.	सतारा-कागला	किमी. 592.240-किमी. 725.00	4	132.76
	जोड़ बी			165.260
	जोड़ बी (ए+बी+सी)			810.296
सी	दिल्ली-कोलकाता			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
31.	बदरपुर-कोसी	किमी. 18.8-किमी. 108.9	2	90.100
32.	कोसी-आगरा	किमी. 108.9-किमी. 199	2	90.100
33.	सिकंदरा-भौंटी (कानपुर)	किमी. 393.0-किमी. 470.00	2	61.000
34.	फतेहपुर-खोखराज	किमी. 100.00-किमी. 158.00	2	58.000
35.	बरुण-बाराचट्टी	किमी. 140.00-किमी. 240.00	2	100.000
36.	बरवा अड्डा-पानागढ़	किमी. 398.75-किमी. 515.236	2	116.486
37.	कुदकुद-पलसित	किमी. 525.853-किमी. 587.853	2	62.000
38.	पलसित-दनकुनी	किमी. 587.853-किमी. 651.602	2	63.749
	जोड़ ए			641.435
बी	बीओटी परियोजनाएं			
39.	दूसरा विवेकानंद पुल व पहुंच मार्ग		2	6.00
	जोड़ बी			6.00
	जोड़ सी (ए+बी)			647.435

1	2	3	4	5
डी.	कोलकाता-चेन्नै			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
40.	दनकुनी-कोलाघाट	किमी. 18.50-किमी. 72.00	6	53.500
41.	खड़गपुर-दंतन	किमी. 69.450-किमी. 119.737	60	50.287
42.	दंतन-बालासोर	किमी. 69.450-किमी. 0.00	60	69.450
43.	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर	किमी. 00-किमी. 27.8	5	27.800
44.	जगतपुर-चंडीखोल	किमी. 27.8-किमी. 61.0	5	33.200
45.	इच्छपुरम-नंदीगांव	किमी. 226.15-किमी. 160.00 (नया चैनेज किमी. 477.054-543.204)	5	66.150
46.	नंदीगांव-श्रीकाकुलम	किमी. 160.00-किमी. 97.00 (नया चैनेज किमी. 543.204-किमी. 606.204)	5	63.000
47.	श्रीकाकुलम-चंपावती	किमी. 97.00-किमी. 49.00	5	48.000
48.	चंपावती/कोपेरला-विशाखापत्तनम	किमी. 49.00-किमी. 2.837 (नया चैनेज किमी. 700.544-किमी. 654.204)	5	46.340
49.	विशाखापत्तनम-अंकापल्ली	किमी. 2.837-किमी. 0.00व किमी. 395.870-किमी. 358.00	5	40.707
50.	अंकापल्ली-तुनी	किमी. 358.00-किमी. 272.00 (नया चैनेज किमी. 830.535-किमी. 741.255)	5	89.270
51.	तुनी-राजमुंदरी (धुमरू)	किमी. 272.000-किमी. 187.600 (नया चैनेज किमी. 914.883-किमी. 830.525)	5	84.400
52.	धुमरू-गुंडुगोलानू	किमी. 187.6-किमी. 81.6	5	107.611
53.	गुंडुगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित बाइपास	किमी. 81.60-किमी. 42.5	5	39.100
54.	गुंडुगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित बाइपास	किमी. 42.50-किमी. 3.4	5	39.100
55.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट	किमी. 354.775-किमी. 434.150	5	83.000

1	2	3	4	5
56.	चिलकालूरीपेट-ऑंगोल	किमी. 358.00-किमी. 291.00	5	67.664
57.	ऑंगोल-कवाली	किमी. 291.00-किमी. 222.00	5	72.059
58.	कवाली-नेल्लोर	किमी. 222.000-किमी. 161.034	5	60.963
	जोड़ ए			1141.601
बी	बीओटी परियोजनाएं			
59.	टाडा-नेल्लोर	किमी. 52.8-किमी. 163.6	5	110.517
	जोड़ बी			110.517
	जोड़ डी (ए+बी)			1252.118
	जोड़ 1 जीक्यू (ए+बी+सी+डी)			3858.606
ई	उत्तर-दक्षिण महामार्ग			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
60.	पानीपत-अंबाला	किमी. 96-किमी. 206	1	110.000
61.	अंबाला-खन्ना	किमी. 206-किमी. 272	1	66.000
62.	खन्ना-जालंधर	किमी. 272-किमी. 372	1	100.000
63.	आगरा-धौलपुर	किमी. 8.00-किमी. 51	3	43.000
64.	मुरैना-ग्वालियर	किमी. 61.00-किमी. 103.00	3	42.000
	जोड़ ई (ए)			361.000
बी	बीओटी परियोजनाएं			
65.	गोंडल-राजकोट	किमी. 143.00-किमी. 175.00	8बी	32.000
	जोड़ बी			32.000
	जोड़ ई (ए+बी+सी)			393.000
एफ	पत्तन संपर्क परियोजनाएं			
66.	समखयाली-गांधीधाम	किमी. 306-किमी. 362.16	8ए	56.160

1	2	3	4	5
67.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क परियोजना (चरण-1) (एसपीवी आधार पर)	किमी. 5.000 से किमी. 26.987 (ए1-ई खंड और किमी. 0.00 से किमी. 4.400 (डी-जी खंड) और किमी. 106.000 से किमी. 109.500	4बी व 4	30.000
	जोड़ एफ			86.160
जी	अन्य परियोजनाएं			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
68.	गाजियाबाद-हापुड व हापुड बाइपास	किमी. 27.643-किमी. 48.638 व बाइपास के 11.250 किमी.	24	32.245
69.	ताम्बरम-टिंडीवनम	किमी. 28.00-किमी. 74.50	45	46.500
70.	ताम्बरम-टिंडीवनम	किमी. 74.50-किमी. 121.00	45	46.500
71.	नैनी और उसके पहुंचे मार्ग पर केबल आधारित पुल	किमी. 0.00-किमी. 5.410	27	5.410
	जोड़ ई (ए)			130.655
बी	बीओटी परियोजनाएं			
72.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	किमी. 217.00-किमी. 265.00	9	48.00
73.	दिल्ली-गुड़गांव	किमी. 14.30-किमी. 42.00	8	27.70
	जोड़ (बी)			75.700
	जोड़ जी			206.355
	जोड़ चरण I			4544.121
एच	पूर्व-पश्चिम महामार्ग चरण II			
ए	लोक वित्तपोषित परियोजनाएं			
74.	पोरबंदर-भिलाडी	किमी. 2.00-किमी. 52.50	8बी	50.500
	जोड़ चरण II			50.500
I	एनएचडीपी चरण III			
75.	पुणे-खेड	किमी. 12.190-किमी. 42.00	50	30.000
	जोड़ चरण III			30.000
	कुल जोड़ (चरण I + II = III)			4624.621

[अनुवाद]

असम में एन एच डी पी परियोजना

1085. डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री सर्बानन्द सोनोवाल :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और उन्नयन की योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चार लेन के कार्य का डिब्रूगढ़ से आगे विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और उन्नयन कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-II, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) स्कीमों के अंतर्गत किया जता है। असम में सिलचर से श्रीरामपुर (असम/पश्चिम बंगाल सीमा) तक राष्ट्रीय राजमार्गों की 678 किमी. लंबाई को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्व-पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-'क' के अंतर्गत असम में पेव्ड शोल्डर सहित/रहित चार लेन/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की 1049 किमी. लंबाई का सुधार और उन्नयन कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत सुधार और उन्नयन कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है और ये कार्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष सीमा सड़क संगठन और असम लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित निधियां राज्य विशिष्ट के लिए नहीं होती हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान पूरे देश के लिए जीबीसी (बीई) के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुल 8777.06 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को भी राज्य विशिष्ट के लिए आबंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान सीमा सड़क संगठन को कुल राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 150 करोड़ रु. और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 450 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत असम लोक निर्माण विभाग को क्रमशः 150 करोड़ रु. और 100 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। कार्यों की प्रगति से जुड़ी कार्यनिष्पादन एजेंसियों को ये निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी हां। नौगांव से डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 37 की 315 किमी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बीओटी (वार्षिकी) के आधार पर अनुमोदित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कानूनी स्वीकृति आदि प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की दी है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

1086. **श्री टेक लाल महतो :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य में कोयला खनन के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रोजगार और पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे विस्थापित व्यक्तियों की कंपनी-वार सूची क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा पुन:स्थापना और पुनर्वास से संबंधित कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) :** झारखंड राज्य में अब तक कुल 1344 पात्र विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

(ii) **भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) :** 1852 पात्र विस्थापित परिवारों में से 1730 को पुनर्वास स्थलों पर मकान दे दिए गए हैं और शेष 122 परिवारों को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में कंपनी के क्वार्टर दिए गए हैं।

(iii) **सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) :** सभी 1837 विस्थापित परिवारों को पूरी तरह से बसा दिया गया है।

(ग) लंबित मामलों के कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

ईसीएल : इस समय कोई मामला लंबित नहीं है।

बीसीसीएल : विस्थापित व्यक्तियों के लिए हाल ही में स्वीकृत 465 रोजगारों में से अब तक 24 रोजगार दे दिए गए हैं। शेष 441 व्यक्तियों के दावा दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।

सीसीएल : इस समय कोई मामला लंबित नहीं है।

(घ) खान परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापन और पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में विस्थापित किए जाने वाले परिवारों की पहचान कर ली गई है और प्रत्येक परियोजना हेतु पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रत्येक परियोजना की अवधि के दौरान इसको आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है/कार्यान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

एन एच डी पी का सातवां चरण

1087. श्री नन्द कुमार साय :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सातवें चरण को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवें चरण की अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए धनराशि किस प्रकार जुटाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने दिसंबर, 2007 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII की परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। स्टैंड अलोन रिंग रोड, बाइपास, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शनों और फलाई ओवरों के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से पारस्परिक प्राथमिकता और अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की तत्परता को देखते हुए ये परियोजनाएं प्रांरभ की जाएंगी।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII की अनुमानित लागत 16,680 करोड़ रु. (सरकार से 6,302 करोड़ रु. और निजी क्षेत्र से 10,378 करोड़ रु.) है। इन परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) आधार पर निष्पादित किया जाना है।

विवरण

स्टैंड अलोन रिंग रोड, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरिटिड इंटरसेक्शनों और फलाई ओवरों के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	शहर/परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	हैदराबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास	आंध्र प्रदेश
2.	तिरूनवेली के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु

1	2	3
3.	कानपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	उत्तर प्रदेश
4.	रारा-75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फलाई ओवर	झारखंड
5.	तिरुचिरापल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु
6.	नासिक के लिए रिंग रोड/बाइपास	महाराष्ट्र
7.	रारा-9 और रारा-211 के जंक्शन पर शोलापुर में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फलाई ओवर	महाराष्ट्र
8.	चेन्नै के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु
9.	जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	राजस्थान
10.	अमृतसर के लिए रिंग रोड/बाइपास	पंजाब
11.	रारा-211 और रारा-222 के जंक्शन पर पदलसिंगी और गांधी में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फलाई ओवर	महाराष्ट्र
12.	मदुरै के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु
13.	पटना के लिए रिंग रोड/बाइपास	बिहार
14.	तिरुवनंतपुरम के लिए रिंग रोड/बाइपास	केरल
15.	सूरत के लिए रिंग रोड/बाइपास	गुजरात
16.	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड/बाइपास	उत्तर प्रदेश
17.	बंगलौर के लिए रिंग रोड/बाइपास	कर्नाटक
18.	रारा-50 और रारा-222 के जंक्शन पर अलेफाटा में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फलाई ओवर	महाराष्ट्र
19.	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास	गुजरात
20.	विशाखापत्तनम के लिए रिंग रोड/बाइपास	आंध्र प्रदेश
21.	जम्मू और श्रीनगर शहर के लिए रिंग रोड/बाइपास	जम्मू और कश्मीर
22.	कोलकाता के लिए रिंग रोड/बाइपास	पश्चिम बंगाल
23.	चेन्नै पत्तन के लिए उत्थापित लिंक रोड	तमिलनाडु
24.	मेरठ के लिए रिंग रोड/बाइपास	उत्तर प्रदेश
25.	कोयंबतूर के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु
26.	भोपाल के लिए रिंग रोड/बाइपास	मध्य प्रदेश
27.	सलेम के लिए रिंग रोड/बाइपास	तमिलनाडु
28.	नागपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	महाराष्ट्र
29.	इंदौर के लिए रिंग रोड/बाइपास	मध्य प्रदेश
30.	लखनऊ के लिए रिंग रोड/बाइपास	उत्तर प्रदेश
31.	इम्फाल के लिए रिंग रोड/बाइपास	मणिपुर
32.	पुणे के लिए रिंग रोड/बाइपास	महाराष्ट्र
33.	वाराणसी के लिए रिंग रोड/बाइपास	उत्तर प्रदेश
34.	धनबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास	झारखंड
35.	रांची के लिए रिंग रोड/बाइपास	झारखंड
36.	राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और राष्ट्रीय राजमार्ग 204 के जंक्शन पर रतनगिरि के निकट ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फलाईओवर	महाराष्ट्र

जिला योजना समितियां

1088. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला योजना समितियों का गठन करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके फलस्वरूप किस सीमा तक लाभ मिला है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 24 राज्यों, जिन पर संविधान के भाग IX व IX-क के प्रावधान लागू होते हैं, में से 18 राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुरूप जिला योजना समितियों (डी.पी.सी.) का गठन कर लिया है।

(ख) संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डी यह अधिदेशित करता है कि प्रत्येक राज्य द्वारा जिले में पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

जिला योजना समितियों की स्थापना तथा डी.पी.सी. द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुरूप प्रारूप जिला योजनाओं का समेकन, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) की एक 'अनिवार्य शर्त' है। योजना आयोग ने 25 अगस्त 2006 को सहभागितापूर्ण जिला योजनाओं, जो कि बी.आर.जी.एफ. दिशा-निर्देशों का भाग हैं, को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डी.पी.सी. द्वारा समेकित सहभागितापूर्ण जिला योजनाओं के विरूद्ध वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान निर्मुक्त की गई निधि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डी.पी.सी. द्वारा समेकित/अनुमोदित सहभागितापूर्ण जिला योजनाओं के विरूद्ध विकासात्मक अनुदान की निर्मुक्ति

(29.02.2008 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	2006-07 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रुपए में)	2007-08 में निर्मुक्त की गयी राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	301.88
2.	असम	शून्य	46.90*
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	223.15
4.	कर्नाटक	शून्य	84.47
5.	केरल	शून्य	9.25
6.	मध्य प्रदेश	20.04	378.42
7.	उड़ीसा	शून्य	251.21
8.	राजस्थान	शून्य	300.81
9.	पश्चिम बंगाल	शून्य	187.75
10.	बिहार	शून्य	511.39
	योग	20.04	2295.23

*इसमें असम का कोकराझार जिला जो कि संविधान की छठी अनुसूची में आवृत्त है और जिसे डी.पी.सी. की आवश्यकता नहीं है, को निर्मुक्त किए गए 13.08 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

पंचायती राज संस्थानों का मूल्यांकन

1089. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज संस्थानों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए शुरू किये गए आनंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मेनेजमेंट (आई.आर.एम.ए.) ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं। स्वतंत्र मूल्यांकन के परिणामों के अप्रैल, 2008 तक उपलब्ध होने की आशा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फर्जी प्रमाण-पत्र पर नियुक्ति

1090. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर कई व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सरकार द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) उक्त नियुक्तियां करने के बाद जाति/जनजाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की कार्यविधि क्या है;

(ङ) क्या निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति की कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) और (ग) सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति का सत्यापन, शुरूआती नियुक्ति के समय तथा साथ ही कर्मचारी के कैरियर के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर किया जाता है।

(ङ) आरक्षित रिक्त पदों के प्रति नियुक्त अभ्यर्थियों की जाति की स्थिति का सत्यापन न करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रीय में रह रहे मछुआरों के अधिकार

1091. **श्री पी.सी. थामस :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने तटीय विनियमन जोन तथा तटीय क्षेत्र में रह रहे मछुआरों के कुछ अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार को केरल सरकार और केरल राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण से तटीय विनियमन जोन तथा तटीय क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों के कुछ अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठते।

प्रवासी भारतीय दिवस

1092. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री कीरेन रिजीजू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें देश-वार कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ग) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए सामाजिक क्षेत्र के किन्हीं क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे भारतीयों को पेश आ रही समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या रणनीति बनाई गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) छठा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 7-9 जनवरी, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया था। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय 'डायस्पोरा को जोड़ने में बढ़ते कदम' था। सम्मेलन में 'भारत में सामाजिक विकास की चुनौतियां: स्वास्थ्य और शिक्षा', 'निवेश और संरचना', 'व्यापार और व्यवसाय के अवसर', 'राज्यों की विकासात्मक चुनौतियां: साझेदारी के अवसर', 'डायस्पोरा लोकोपकार: ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' विषयों पर पूर्णकालिक सत्र आयोजित किये गये थे। सम्मेलन के भाग के रूप में 'ज्ञान अर्थव्यवस्था', 'सस्कृति' और 'महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां और नेतृत्व' विषयों पर समवर्ती सत्र तथा 'खाड़ी', 'एशिया-प्रशांत', 'अफ्रीका', 'अमरिका' और 'यूरोप' पर क्षेत्रीय कार्यकारी सत्रों का आयोजन भी किया गया था।

सम्मेलन में कुल मिलाकर 1500 लोगों ने भाग लिया। देशवार पंजीकृत प्रतिनिधियों की संख्या दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां, प्रवासी भारतीय दिवस, 2008 की मुख्य विशेषता 'डायस्पोरा लोकोपकार: ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर पूर्ण सत्र का आयोजन थी। यह पहला अवसर था जबकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके स्व-सहायता समूहों की मार्फत सूक्ष्म-ऋण के विस्तार जैसी अभिनव योजनाओं के जरिए प्रवासी भारतीयों को जोड़ने की सम्भाव्यता पर चर्चा की गई। इस सत्र का प्रत्यक्ष निष्कर्ष यह रहा कि एक स्वायतशासी अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में एक 'भारत विकास प्रतिष्ठान' स्थापित किया जाए और इसे बढ़ावा दिया जाए। यह प्रतिष्ठान प्रवासी भारतीय लोकोपकारी भावनाओं को भारत में मानव विकास की कार्यों में लगाने के लिए एक विश्वसनीय संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह प्रतिष्ठान प्रवासी भारतीयों को देश में सामाजिक विकास के क्षेत्र में लगे विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों और लोकोपकारी संगठनों की भागीदारी में उनके तत्कालीन गृह-गांवों, जिलों और राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के कार्यों में सहयोग करने में सहायक करेगी।

(ङ) जी हां।

(च) पूरे विश्व के प्रवासी भारतीयों से संबंधित समस्याओं, जिनमें प्रवासी भारतीय विवाहों, निवेश कठिनाईयों से संबंधित मामले, सांस्कृतिक मामले और प्रवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों संबंधित मामले शामिल है, पर चर्चा की गई थी। विशेष रूप से खाड़ी सत्र में खाड़ी में भारतीय कामगारों के सम्मुख आ रही समस्याओं, जिनमें रहन-सहन की खराब परिस्थितियां, हवाई भाड़ा, नकली भर्ती एजेंट, प्रायोजकों द्वारा दुर्व्यवहार शामिल हैं, पर चर्चा की गई थी। मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें एक प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र की स्थापना जिसमें निशुल्क हैल्पलाइन की व्यवस्था है, संभावित उत्प्रवासियों के लिए अभिमुखीकरण सह कौशल उन्नयन कार्यक्रम, कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए विभिन्न खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, कानूनी और संगठित उत्प्रवास के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान रोजगार दस्तावेजों का सत्यापन और विदेशों में भारतीय मिशनों की सहायता से अन्य मौके पर कई कल्याण उपाय शामिल हैं।

विवरण

प्रवासी भारतीय दिवस, 2008 के लिए देशवार पंजीकृत भागीदारों की संख्या

देश	पंजीकृत प्रतिनिधियों की संख्या
1	2
ऑस्ट्रेलिया	4
बहरीन	5
कनाडा	29
चीन	1
फीजी	9
फ्रांस	5
जर्मनी	7
हांगकांग विशेष प्रशासन	2
भारत	163
आयरलैंड	4
जापान	2

1	2
केन्या	5
कुवैत	12
मलेशिया	141
मॉरिशस	36
मोजाम्बिक	2
नीदरलैंड्स	11
न्यूजीलैंड	6
नाइजीरिया	2
ओमान	6
पुर्तगाल	4
कतर	3
सऊदी अरब	9
सर्बिया एण्ड मोण्टेनेगरो	3
सिसेल्स	4
सिंगापुर	15
दक्षिण अफ्रीका	30
स्वीडन	7
ताईवान	1
संयुक्त अरब अमीरात	28
ब्रिटेन	34
संयुक्त राज्य अमरिका	133
स्वीटरजरलैंड	2
थाइलैंड	2
ब्रूने दारूस्सलाम	1
गुयाना	2
इजराइल	3
रियूनियन आइलैंड	4
दक्षिण अफ्रीका	17
ट्रिनाड एंड टोबेगो	5
श्रीलंका	3
फिनलैंड	2

पंचायतों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना

1093. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के पंचायती राज संस्थानों से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिक शक्तियां प्रदान करने और वित्तीय संसाधनों के आबंटन की मांग करने संबंधी अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में पंचायती राज संस्थाओं की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि, जब पंचायती राज मंत्री मार्च, 2007 में अंडमान एवं निकोबार के पंचायती राज के दौरे पर गए थे तो उन्हें पंचायती राज संस्थाओं से प्रकार्यों, कोषों व कर्मियों के अंतरण के संबंध में कई मौखिक व लिखित अभ्यावेदन मिले। इन्हें

परीक्षित व प्रारूपित करके एक ओर पंचायती राज मंत्री तथा दूसरी ओर संघशासन प्रशासन की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त परिसमापन वक्तव्य में समाहित किया गया। इस संयुक्त वक्तव्य में दिए गए रोडमैप को नियमितता के आधार पर अनुवीक्षित किया जा रहा है। संयुक्त वक्तव्य की प्रति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

अंडमान निकोबार हेतु संयुक्त संकल्प

केंद्रीय पंचायती राज तथा युवा मामले व खेल मंत्री तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बीच 16 मार्च, 2007 को केंद्रीय पंचायती राज एवं केद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे के बाद सम्पन्न हुआ संयुक्त परिसमापन वक्तव्य।

I. अंडमान निकोबार में पंचायती राजः वर्तमान स्थिति

– संविधान के 73वें संशोधन के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) रेग्युलेशन, 1994 अस्तित्व में आया जिससे कि संविधान के भाग IX की भावना के अनुरूप पंचायतों को स्थानीय स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर स्थापित किया जा सके। पंचायती राज के माध्यम से लोक सहभागिता को सांस्थानिक बनाने के लिए अंडमान एवं निकोबार में उठाए गए कदम पंचायती राज को लेकर उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप (स्थानीय जनजातियों का संरक्षण) रेग्युलेशन 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत संरक्षित किए गए अधिसूचित क्षेत्रों को अंडमान एवं निकोबार (पंचायत) रेग्युलेशन 1994 के अनुप्रयोग से अलग रखा गया है।

– ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तरों पर पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अभी तक उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) रेग्युलेशन 1994 के तहत पंचायतों को वैधानिक रूप से शक्तियां व उत्तरदायित्व दिए गए हैं।

(ख) पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके निष्पादन के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है साथ ही उन्हें रेग्युलेशन के दूसरे, पांचवें एवं छठे शिड्यूल में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में भी उत्तरदायी बनाया गया है।

(ग) पंचायतों को उपयुक्त करों, टोलों, उपकरों व शुल्क के लेवी व संग्रहण के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकृत किया गया है।

(घ) रेग्युलेशन, पंचायतों को संघशासित क्षेत्र की समेकित निधि से अनुदान सहायता दिए जाने को उपबंधित करता है।

(ङ) रेग्युलेशन, राज्य को भारत के संविधान की XIवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को कोषों, कार्यों व कर्मियों के अंतरण के लिए सक्षम बनाता है।

(च) ग्राम पंचायत के प्रधान को 10 लाख रुपये तक के कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं, पंचायत समिति के प्रमुख को 25 लाख रुपये तक के तथा जिला परिषद के अध्यक्ष को 75 लाख रुपये तक के अधिकार हैं।

(छ) डी आर डी ए (अंडमान) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है।

(ज) प्रशासन द्वारा जिला परिषद के लिए समूह 'ग' एवं 'घ' के सृजित किए गए पदों के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियोक्ता प्राधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(I) गतिविधि मानचित्रण

यद्यपि अंडमान एवं निकोबार पंचायत राज रेग्युलेशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को प्रकायो के अंतरण का प्रावधान किया गया है पर अंतरित गतिविधियों के आधार पर मूल परिचालनात्मकता को ग्यारहवीं अनुसूची में बद्ध

29 विषयों के संबंध में विस्तृत गतिविधि मानचित्रण के निर्माण व कार्यान्वयन के माध्यम से तीव्र किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के गतिविध मानचित्रण को लाईन विभागों तथा तीन स्तरों के लिए उत्तरदायित्वों के निर्वाह की विद्यमान क्षमता के संबंध में किए गए प्रशासन के आकलन के आधार पर एक प्रणालीबद्ध क्रियाशीलता द्वारा सम्पन्न किया गया है (देखे परिशिष्ट)। इसे हासिल करने के लिए प्रशासन गतिविधि मानचित्रण के सुचारू एवं त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं नियमों व दिशा-निर्देशों को जारी करता है। यह पंचायती राज संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी भाषाओं में कार्यों, कर्मियों व कोषों के अंतरण को प्रोत्साहित करने वाले समस्त सरकारी आदेशों व परिपत्रों के एक समग्र मैनुअल को प्रकाशित किए जाने का भी कार्य करता है। प्रशासन चयनित पंचायती राज प्रतिनिधियों के बीच उन्हें अंतरित की गई गतिविधियों तथा एक प्रणालीबद्ध तरीके के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को सम्हालने के लिए क्षमता निर्माण हेतु जागरूकता को लाने का कार्य भी करता है। अपनी ओर से पंचायती राज मंत्रालय क्षमता-निर्माण हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हैं।

गतिविधियों के अंतरण के तर्ज पर कर्मियों के अंतरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाईन विभागों द्वारा अभी तक कुल 545 कर्मियों को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किया गया है तथा प्रशासन द्वारा इसके अलावा 312 पदों को उपलब्ध कराया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित सभी प्रकार्यों के पूर्ण निर्वाह में सक्षम बनाने के लिए सभी तीन स्तरों को तकनीकी व प्रशासनिक स्टाफ को अंतरित किए जाने की प्रक्रिया नियोजित तीव्रता के साथ जारी रहेगी। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय के परामर्श से गतिविधि मानचित्रण को और प्रगतिशील रूप से बेहतर किए जाने की प्रक्रिया को भी जारी रखा जाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के सचिव का, पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किए गए स्टाफ के ऊपर निम्नलिखित नियंत्रण प्राप्त होगा:-

(1) टूर डायरियों, उपस्थिति पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदनों का नियंत्रण अधिकारी।

(2) रिपोर्टों/रिटर्नों को मंगाने का।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्वालिफिकेशन, अनुभव व विशेषज्ञता के आधार पर कार्य का बंटवारा।

(4) छुट्‌टी मंजूर करने का।

(5) फील्ड ड्यूटी विहित करने, टूर कार्यक्रम इत्यादि को अनुमोदित करने का।

(6) ड्यूटी निष्पादन के संबंध में स्टॉफ के कार्य निष्पादन को उनके अधिकारियों को रिपोर्ट करने का।

हालांकि, उपर्युक्त कर्मचारियों के काम-काज का पर्यवेक्षण करने में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका अभी तय की जानी शेष है तथा प्रशासन इसे संभाव्य न्यूनतम समयावधि के अंदर निष्पादित करेगा।

वर्ष 1995-96 से वर्ष 2005-06 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं को 369.72 करोड़ की सहायता अनुदान राशि निर्मुक्त की गई वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त 76.62 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। यह ध्यातव्य है कि 93.45 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के पास अनअनुप्रयुक्त पड़ा है। प्रशासन अनअनुप्रयुक्त राशि को यथासंभव शीघ्रता से इस शेष राशि को खर्च किये जाने के लिए दबाव डालेगा। इसी बीच, गतिविधि मानचित्रण के जरिए प्रकार्यों के अंतरण के समयरूप वित्त का अंतरण करने के क्रम में संघ शासित क्षेत्र के बजट में एक पंचायत क्षेत्रक

विंडों खोले जाने का प्रस्ताव है। (नीचे के भाग III को देखें)

जिला योजना समिति का प्रारूपण : जिला योजना समिति का गठन, जिला परिषद चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिला परिषद सचिव के साथ वर्ष 1996 में की गई। जिला योजना समिति को पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं व जनजातीय परिषदों की प्रारूप योजनाओं को समेकित करने तथा प्रारूप विकासात्मक योजना बनाने को कहा गया है। जिन मामलों में पंचायती राज संस्थाओं को योजना बनाने की शक्ति है, योजना-निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिन पद्धतियों का अनुसरण किया जाना है तथा डी.पी.सी. बैठकों के आयोजन के संबंध में नियमों को अधिसूचित किया गया है। जिला योजना समिति को प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर से पहले मिल कर समेकित योजना को अंतिम रूप देना होता है तथा प्रशासक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होती हैं।

II. कार्रवाई योजना : अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन

शक्तियों व प्रकार्यों का अंतरण:

राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पंचायती राज के 18 आयामों से संबंधित 150 सिफारिशों पर मतैक्य स्थापित हुआ, के माध्यम से शक्तियों व उत्तरदायित्वों के अंतरण को एक नया राष्ट्रीय बल प्रदान किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने गोलमेज सम्मेलन की उन सिफारिशों को जो उस पर लागू होते हैं, के कार्यान्वयन पर पहल की शुरूआत की है। अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन इन प्रस्तावों से मोटे तौर पर सहमत है।

III. सुधार की गति जारी रखना

अंडमान एवं निकोबार के सामने सुधार की गति को बनाए रखने की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार से प्रभावी सहायता तथा निकट के समन्वय की आवश्यकता होगी। इस प्रयास में अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन इन सिफारिशों में मोटे तौर पर सहमत है।

– **संघ क्षेत्र बजट में प्रत्येक सम्बन्धित लाईन विभाग के लिए पंचायत सेक्टर विंडों खोलना**

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन 1994 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों को सुपुर्द किये गये विभिन्न प्रकार्यों के समुचित कार्यान्वयन व शक्तियों के प्रभावी अंतरण के लिए सड़क, जल आपूर्ति, लघु सिंचाई, शिक्षा, कृषि, मत्स्य, पंचायत, वन इत्यादि सेक्टरों के अंतर्गत पृथक बजट शीर्ष रखा गया है। पंचायतों को अंतरित विषयों में संबंधित निधियों के अंतरण के लिए, जहां आवश्यक हो, एक पृथक बजट शीर्ष भी आरंभ किया जाएगा।

– **समानान्तर निकायें**

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम जैसे सेक्टोरल कार्यक्रमों के लिए पृथक समितियों, सोसाइटियों व अन्य समांतर निकायों की जरूरत पंचायतों की अंतरित शक्तियों के प्रयोग से यह सुनिश्चित करना कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं की स्थायी समितियों द्वारा यह देखा जाएगा, कि दृष्टि से केन्द्र से प्राप्त (अथवा प्राप्त की जाने वाली) संशोधित दिशा-निर्देश के आलोक में पुनरीक्षित किया जाए।

IV. कार्रवाई योजना : भारत सरकार

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

1. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय राजकोषीय अंतरण व कर्मियों के अंतरण के दिशा-निर्देश हेतु आगे पंचायती राज में सुधार लाने में तकनीकी सहयोग करने को राजी है।

2. पंचायती राज मंत्रालय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन के प्रयत्नों को समर्थन व सहयोग करेगा और पंचायतों की डेलिवरी मैकेनिज्म को सशक्त बनाने के लिए निधीयन संबंधी सहयोग सुनिश्चित करेगा।

3. पंचायतों को अपना प्रशासन सशक्त करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय क्षमता व अवसंरचनात्मक विकास स्कीम-ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए तैयार करेगा।

4. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के क्षमता निर्माण व निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन में सहायता करेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण संकाय सदस्य, पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण व एक्सपोजर वजिट हेतु समर्थन भी सम्मिलित है।

5. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सैटेलाईट संचार के जरिए पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए दूर शिक्षा सुविधा की व्यवस्था के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सहायता करेगा।

6. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय युवकों व छात्र समुदाय, महिलाओं, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालयों के अभ्यर्थियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों में पंचायती राज के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन करने में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सहायता करेगा। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों में पदों के इच्छुक व्यक्तियों के अभिविन्यास व प्रशिक्षण में सहयोग करेगा।

7. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय पब्लिक-प्राईवेट-पंचायत पार्टनरशिप के माध्यम से ग्रामीण व्यापार केंद्रों के विकास का समर्थन करेगा जिससे कि स्थानीय कुशलता, पहचान तथा उत्पादन तरक्की को बढ़ावा मिले तथा इन उत्पादों के लिए बाजार निर्धारित किया जाए। ग्रामीण पर्यटन, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तकरघा, बागबानी, फूलों की खेती, बायोडिजल, माइक्रो-हाइडल तथा अन्य नवीनीकरण ऊर्जा तकनीकी के क्षेत्रों में ग्रामीण व्यापार केन्द्रों पर अनवरत प्रयास केंद्रित होगा।

8. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के भाग के रूप में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण तथा ई-गवर्नेन्स की पहलों का समर्थन करता है।

9. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट द्वारा अधिदेशित रिकार्डिंग के दायित्वों को पूरा करने तथा उनके क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी संजोने के लिए पंचायत की क्षमता के निर्माण की दिशा में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन देता है। पंचायत स्तर पर पर्यावरणीय तथा स्थानिक योजना को भी क्षमता निर्माण में शामिल किया जाएगा।

10. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय दिशानिर्देशों के माध्यम से पंचायत बैंक लेखाओं के डाटाबेस के रख-रखाव की रूपात्मकता में संघ क्षेत्र प्रशासन को सहायता करेगा और राज्य कोषों से बिना विलम्ब अथवा विपथन के इन लेखाओं में निधियों के हस्तांतरण का अनुवीक्षण करेगा।

11. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय युवा शक्ति अभियान की सहायता और समर्थन करेगा तथा निधिकरण सहायता की उपलब्धता द्वारा प्रशासन को उत्तरदायित्व सौंपकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर युवा शक्ति अभियान से जोड़ा जायेगा।

12. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय महिला शक्ति अभियान की सहायता एवं समर्थन करेगा तथा निधिकरण सहायता की उपलब्धता द्वारा प्रशासन को उत्तरदायित्व सौंपकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर महिला शक्ति अभियान से जोड़ा जाएगा।

13. केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय, पंचायत सशक्तिकरण प्रोत्साहन तथा उत्तरदायित्व निधि के सृजन को आगे बढ़ाएगा जिसके माध्यम से पंचायतों के कर्मियों का अंतरण एवं भारतीय संविधान के संगत प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के बाद डी.पी.सी. के माध्यम से जिला योजना, गतिविधि मानचित्रण के क्षेत्रों में प्रगति पर आधारित संघ क्षेत्र प्रशासन को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया जाएगा। ग्राम सभा का अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण, अनुवीक्षण एवं अंकेक्षण की पारदर्शी कार्यप्रणाली को अपनाने पर सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले पंचायतों को प्रोत्साहन के रूप में निधियां भी दी जाएगी जिससे कि पंचायतों के सभी स्तरों को जिम्मेवारी के लिए सशक्त किया जा सके।

हस्ता.
(श्री मणिशंकर अय्यर)
मंत्री
केन्द्रीय पंचायती राज, युवा कार्य तथा खेल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास

हस्ता.
(श्री एस. रघुपति)
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री

राष्ट्रीय राजमार्गों की रिसर्फेसिंग

1094. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने किलोमीटर मार्ग का रिसर्फेसिंग कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा आज की तारीख तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) रिसर्फेसिंग के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सक-रोगी अनुपात

1095. श्री के. सुब्बारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सक-रोगी अनुपात अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) चिकित्सक रोगी अनुपात में रोग की किस्म, विशेषीकरण का स्वरूप, अपेक्षित रोगी परिचर्या की किस्म अर्थात् अंतरग/बहिरंग जैसे विभिन्न घटकों पर आधारित रोगी से रोगी के बीच अन्तर होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में कुल पंजीकृत 6,83,583 एलोपैथिक चिकित्सक हैं। इस प्रकार, एलोपैथिक चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1634 का है। इसके अलावा देश में 6 लाख से अधिक भारतीय औषध और होमियोपैथी प्रणालियों के चिकित्सा व्यवसायी हैं। इन सभी संख्याओं को एकत्र करने पर चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1.870 का होता है। देश में 271 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उनमें प्रतिवर्ष 31,172 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है जिनसे मौजूदा चिकित्सा मानवशक्ति में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया गया है जिसका उद्देश्य विशेषकर समाज के गरीब और असुरक्षित वर्ग के लोगों को वहनीय और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धनराशि

1096. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सामान्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) देश में विशेष रूप से बिहार राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उन्नयन करने के निए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 1,36,147 करोड़ रुपए के आबंटन में से 89,478 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आयुष विभाग द्वारा 625 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल 90,103 करोड़ रुपए की राशि हो जाएगी।

(ख) कमजोर स्वास्थ्य सूचकों और स्वास्थ्य संबंधी कम आधारभूत सुविधा वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर के ग्रामीण लोगों को प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्य मिशन का शुभारम्भ किया। बिहार, इस मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में से एक है।

इस मिशन में उत्तम स्वास्थ्य के निर्धारकों से स्वास्थ्य को जोड़कर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है और प्रमुख उद्देश्य विशेषकर निर्धन ओर असुरक्षित वर्ग के लोगों की सुलभ, वहनीय, जवाबदेह एवं भरोसेमंद स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त समुदायों, पंचायती राज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के मौजूदा ढांचे में व्याप्त कमियों को दूर किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के बीच एक कडी का काम करेगा।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत सरकार बिहार सहित देश भर में निम्नलिखित प्रमुख उपाय कर रही है।

- जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एक नकद लाभ योजना है।
- समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का सुगमता से उपयोग में लाने के लिए प्रत्येक गांव के लिए आशा की नियुक्ति।
- वर्ष 2010 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एकक के रूप में तथा 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सातों दिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालित करना।
- कुशल जन परिचर जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण द्वारा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।
- जीवन रक्षक अनैस्थेटिक कौशल और सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण।
- आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों में सम्पूर्ण द्वारा रक्तालपता की रोकथाम एवं उपचार।
- आंगनबाड़ी केन्द्र में ग्राम स्वासथ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकीकृत बाल विकास स्कीम के तहत सम्पूरक पोषण तथा सेवा प्रदानगी बेहतर करने के लिए 10,000 रुपए की असम्बद्ध निधि से प्रत्येक उप-केन्द्र का सुदृढ़ीकरण।

गुर्दा रोग का उपचार

1097. **श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुर्दा रोगों के उपचार के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि एम्स में आयोजित अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 0.78 वयस्क पाए गए जो चरण-3 से अधिक चिरकालिक गुर्दा रोग से ग्रस्त हैं। चिरकालिक गुर्दा रोग के पांच चरण हैं और यदि हम सभी चरणों को देखते हैं तो इसकी अपेक्षा चिरकालिक गुर्दा रोग की व्याप्तता अत्यधिक है। चिरकालिक गुर्दा रोग के रोगियों में चिरकालिक गुर्दा रोग का मुख्य सामान्य कारण मधुमेह था और दूसरा उच्च रक्तचाप था। अध्ययन के प्रत्यक्ष परिणाम के बर्हिवेशन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि चरण-5 चिरकालिक गुर्दा रोग के लगभग 1.5 लाख नए रोगियों (जिसे गुर्दा रोग का अंतिम चरण भी कहा जाता है) को डायलेसिस/गुर्दा प्रत्यारोपण जैसे उपचार की आवश्यकता होगी। वर्तमान अनुमान है कि 10 भारतीय वयस्क में से एक वयस्क में कुछ मात्रा तक चिरकालिक गुर्दा रोग होगा।

यद्यपि प्रत्यक्ष अध्ययन का निष्कर्ष यह नहीं था, परन्तु भारत में यह भलीभांति जाना जाता है कि चरण-5 चिरकालिक गुर्दा रोग के लगभग 5-7 प्रतिशत रोगियों को जीवन पर्यन्त डायलेसिस/या गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, वास्तव में ऐसे नियमित थेरेपी प्राप्त करते हैं। शेष रोगी चरण-5 चिरकालिक गुर्दा रोग का निश्चित रूप से उपचार नहीं करवा पाते।

(ग) और (घ) सरकार जीवन पर्यन्त डायलेसिस अनुरक्षण के लिए अकेले डायलेसिस एककों की सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। सीकेडी निवारण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग होने की संभावना है।

सरकारी अस्पतालों के बेहतर कार्यकरण संबंधी समिति

1098. **श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सरकारी अस्पतालों में सफाई तथा बेहतर कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सफाई व्यवस्था की निगरानी अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित निगरानी समितियों द्वारा समय-समय पर की जाती है और ये समितियां इन अस्पतालों में सफाई सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए उपचारी उपाय भी सुझाती है।

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय

1099. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है;

(ख) क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार पेयजल और पोषण जैसे सामाजिक निर्धारकों सहित स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च वर्ष 2007-08 के सकल घरेलू उत्पाद का 1.39 प्रतिशत है। विशिष्ट रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में स्वास्थ्य व्यय को वर्गीकृत करना संभव नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएं क्षेत्रीय तटस्थ हैं और खर्च की जाने वाली धनराशियां रोगभार की स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अधिदेश दिया गया है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर ध्यान केन्द्रित करने सहित अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2-3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाएगी। 11वीं योजना में अपनाई गई कार्यनीति का उद्देश्य भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देकर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाना है तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं विकसित करना और एचआईवी/एड्स व अन्य संचारी तथा जीवन शैली से संबंधित रोगों की रोकथाम करने के लिए ठोस उपाय करना है।

भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण योजनाएं

1100. **श्री जुएल ओराम :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए कुछ कल्याण योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अप्रवासी भारतीयों का एक महत्वपूर्ण घटक प्रवासी भारतीय कामगारों का है जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत विनियमित है। ऐसे लगभग 4.5 मिलियन कामगार हैं जिनमें से अधिकांश खाड़ी देशों और मलेशिया में हैं। सरकार ऐसे कामगारों के लाभ के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कोष में उत्प्रवासियों को सभी अवस्थाओं में कल्याण सेवाओं-उत्प्रवास पूर्व अवस्था में उत्प्रवास खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता, उनके विदेशों में रहने के दौरान मौके पर आवश्यकता आधारित कल्याण और उनके भारत लौटने पर आवश्यकता आधारित पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान की व्यवस्था है। कल्याण कोष के वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पर्यटन के लिए नए जलमार्गों का विकास

1101. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए जलमार्गों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेष पर्यटक स्थलों की भी पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) कोई भी जलमार्ग पूरी तरह से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित नहीं है। तथापि, जब भी किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाता है तो इसमें आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जो अंतर्देशीय जलयानों की आवाजाही में सहायक होती हैं जिन्हें जहाजी माल के यातायात और यात्रियों/पर्यटकों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

गरीबी संबंधी अनुमानों हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि

1102. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद् में अपनी बैठक के दौरान देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को अर्थशास्त्रियों की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह को भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(च) यदि हां, तो इसमें क्या प्रमुख सुझाव/सिफारिशें दी गई हैं; और

(छ) इस विशेषज्ञ समूह द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की 19 दिसम्बर, 2007 को आयोजित 54वीं बैठक में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योजना आयोग द्वारा लगाए गए गरीबी के सरकारी अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए गरीबों की संख्या के बीच अंतर का उल्लेख किया था।

(ग) और (घ) इस समय यह मामला राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ दल के विचाराधीन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

रानीगंज कोलफील्ड के प्रभावित लोगों का पुनर्वास

1103. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रानीगंज कोलफील्ड के प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। कोल इंडिया द्वारा तैयार किया गया आग, धंसाव और रानीगंज कोलफील्ड के प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन से संबंधित मास्टर प्लान पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया था जिसमें मास्टर प्लान के अधीन प्रस्तावित आर एंड आर पैकेज के संबंध में सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित मास्टर प्लान में कुछ संशोधनों के साथ पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) पैकेज के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(ख) मास्टर प्लान में दस वर्षों की अवधि में दो चरणों में 2256.82 करोड़ रु. की अनुमानित पूंजीगत लागत से 180263 व्यक्तियों के 33196 प्रभावित मकानों/परिवारों का पुनर्स्थापन 7.72 करोड़ रु. की अनुमानित पूंजीगत लागत से सात क्षेत्रों के अस्थिर स्थलों से सड़कों/पाइपलाइनों/रेलवे लाइनों को दूसरी तरफ मोड़ने और 35.88 करोड़ रु. की अनुमानित पूंजीगत लागत से सात क्षेत्रों में आग से निपटना शामिल है।

(ग) आग, धंसाव तथा रानीगंज कोलफील्ड क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन से संबंधित मास्टर प्लान/कार्य योजना सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पोलियो जांच केन्द्र

1104. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत भारत में राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना एवं अन्य संगठन पोलयो प्रभावित बच्चों में पोलियो के विषाणु का पता लगाने हेतु परीक्षण करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पोलियो की जांच करने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थानों की कुल संख्या कितनी है और उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में विशेषकर झारखंड में पोलियो जांच केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना पोलियो विषाणु का पता लगाने के लिए निगरानी में सहयोग देती है। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना फील्ड निगरानी प्रणाली की सहायता करती है जो भारत भर की आठ राष्ट्रीय एवं व्यापक विशिष्ट पोलियो प्रयोगशालाओं के विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता एवं सहायता प्राप्त नेटवर्क से जुडी है।

तीव्र फ्लासिड पैरालिसिस वाले प्रत्येक बच्चे से दो मल के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। इन नमूनों की विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है।

(ग) पोलियो विषाणु की जांच करने वाले आठ संस्थान (प्रयोगशालाएं) हैं।

इन प्रयोगशालाओं के नाम एवं पिछले दो वर्षों के दौरान इनके द्वारा जांचे गए नमूनों की संख्या निम्नलिखित है:

प्रयोगशाला का नाम	2006	2007
बीजेएमसी, अहमदाबाद	8450	9168
एनवाईवी, बैंगलौर	1525	3381
ईआरसी, मुम्बई	3960	5265
आईओएस, कलकत्ता	8906	10197
पीआईआई, कूनूर	440	279
सीआरआई, कसौली	1738	2205
केआईपीएम, चेन्नई	13871	16476
एसजीपीजीआई, लखनऊ	23328	31239

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल गांव में रूफटॉप हैलीपैड का निर्माण

1105. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रमण्डल खेल स्थल पर रूफटॉप हैली पैड का निर्माण करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रमंडल खेल स्थल पर रूफटॉप हैली पैड का निर्माण करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया है।

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं

1106. **श्री आनंदराव विठोबा :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अण्णासाहेब पाटील शिवाजीराव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने मात्र विद्युत परियोजनाओं को कोयला आपूर्ति करने के लिए अनेक खानों का विकास किया है जैसाकि दिनांक 29.1.08 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लि. एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा समूचे देश में कितनी विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) एवं इसकी सहायक कंपनियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री* (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) 2006-07 के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के कुल उत्पादन का 72% से अधिक कोयले का प्रेषण विद्युत उपयोगिताओं को किया गया। सामान्यतः कोयला खानों के बास्केट से सप्लाई किया जाता है। ऐसे कई विद्युत संयंत्र हैं जिनकी कोयले की आवश्यकता एक से अधिक खानों द्वारा पूरी की जाती है। कुछ ऐसी खानें हैं जिन्हें केवल विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सीआईएल द्वारा विकसित किया गया है। ऐसी खानें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) में राजमहल ओपनकास्ट (ओसी), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) में पिपरवाड़ ओसी, के.डी. हेसालांग ओसी, उरिमारी ओसी, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) में अम्लोहरी विस्तार ओसी, बीना विस्तार ओसी, दुधीचुआ विस्तार ओसी, जयंत ओसी, झिंगुरदा ओसी, काकरी ओसी, खादिया ओसी, निगाही विस्तार ओसी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) में अदासा भूमिगत (यूजी), कोलगांव ओसी, भाटडीह विस्तार ओसी, दुर्गापुर विस्तार ओसी, जुनाड़ विस्तार ओसी, वागोडा यूजी, गौरी दीप ओसी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) की गेवरा ओसी तथा दीपिका ओसी आदि हैं।

(ग) 78 (अठहत्तर) कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में से सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियां चौहत्तर विद्युत स्टेशनों को कोयला सप्लाई कर रही हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राजनयिक संबंध

1107. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन देशों के साथ दोस्ताना और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को क्या सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत के उन सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं जिन्हें वह मान्यता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालयों में रात्रि-पाली में चिकित्सकों की तैनाती

1108. **श्री एम. अप्पादुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सीजीएचएस औषधालयों में विशेष रूप से महानगरीय शहरों में आपातकालीन स्थिति के लिए रात्रि-पाली में ड्यूटी पर एक डाक्टर प्रतिनियुक्त करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्प्रवास शुल्क का उद्ग्रहण

1109. **श्री एन.एन. कृष्णदास :**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों से उत्प्रवास शुल्क वसूल करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 दिसम्बर, 2007 तक अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ग) क्या अब तक एकत्र की गई धनराशि का उपयोग विदेशों में इन श्रमिकों के कल्याण के लिए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। एक उत्प्रवासी कामगार को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करने के लिए संसाधन/सेवा प्रभारों के रूप में उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय में 200 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होता है। इस प्रकार एकत्र किये गये शुल्क को भारत की समेकित निधि के अंतर्गत संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया जाता है। उत्प्रवास स्वीकृति हेतु कार्रवाई के लिए वर्ष 2005 से 2007 की अवधि के दौरान उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों द्वारा उत्प्रवास शुल्क के रूप में 42.12 करोड़ (लगभग) की राशि एकत्र की गई है।

(ग) जी नहीं। चूंकि यह शुल्क उत्प्रवासी कामगार को भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/सेवा के लिए है, और सरकार के राजस्व का एक भाग बनता है, इसे इस मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रयोजन पर खर्च हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी

1110. **श्री नन्द कुमार साय : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह इंगित किया है कि देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसर कम हुए हैं जैसा कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत क्या है;

(घ) कृषि क्षेत्र के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार अवसरों के सृजन हेतु सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ङ) रोजगार और बेरोजगारी संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के अनुसार,

वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर वर्ष 1993-94 में 5.61 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 8.28 प्रतिशत हो गई।

कृषि क्षेत्रक में रोजगार अवसर निरपेक्ष रूप से वर्ष 1993-94 से 2004-05 के दौरान 191.58 मिलियन से बढ़कर 200.40 मिलियन हो गए जबकि कृषि क्षेत्रक में लगे कार्यबल का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 1993-94 में 61.03 प्रतिशत से घटकर, वर्ष 1999-2000 में 56.64 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2004-05 में और गिरकर कुल कार्यबल का 52.06 प्रतिशत रह गया।

एनडीसी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में कृषि क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में वृद्धि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। 11वीं योजना में रोजगार के अनुमानों से पता चलता है कि ग्यारहवीं योजना अवधि में 58 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा, मुख्य रूप से सेवा और विनिर्माण क्षेत्रक में, विशेष रूप से श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रकों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर और टेक्सटाइल एवं सेवा क्षेत्रक जैसे पर्यटन व निर्माण में।

मिस्र के साथ प्रत्यर्पण संधि

1111. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संधि पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) जी हां। मिस्र के साथ प्रत्यर्पण संधि पर भारतीय शिष्टमंडल की काहिरा यात्रा के दौरान मई, 2007 में आद्याक्षर किए गए थे। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। दोनों देशों के बीच होने वाली अगली मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर किए जाने के लिए तैयार है। यह बैठक कुछ माह के भीतर होने की आशा है जिसकी तारीखों के संबंध में बातचीत चल रही है।

पंचायत युवा खेल अभियान

1112. **श्री पी.सी. थामस :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत युवा खेल अभियान परियोजना के अंतर्गत केरल में स्थानीय निकायों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानीय निकाय-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है अथवा आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य के किन्हीं स्थानीय निकायों से प्राप्त आवेदन लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) कार्यान्वयन के लिए अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है इसलिए इस योजना के अंतर्गत केरल अथवा किसी अन्य राज्य अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय को निधियों के आबंटन का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

शहरी स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें

1113. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में खराब है जैसा कि 14 जनवरी, 2008 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को परामर्श देने के लिए जून, 2005 में कृतिक बल का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार का शहरी गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मुख्य विशेषताएं

"एक स्नैपशाट (आशु चित्र) पर्यावलोकन"

– मलिन बस्ती (सूचीबद्ध और असूचीबद्ध) वाली आबादियों और अन्य वंचित/अलाभन्वित असुरक्षित वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करने समेत देश की शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करता है।

– प्रति 50,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्तर के सुविधा केन्द्र (शहरी स्वास्थ्य केन्द्र) का प्रस्ताव करता है।

– नवजात परिचर्या एककों की स्थापना के लिए प्रावधान से प्रति 2,50,000 जनसंख्या पर एक प्रथम रेफरल स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र (जोनल अस्पताल) का प्रस्ताव करता है।

– 1500-2000 की मलिन बस्ती की आबादी के लिए "सम्पर्क स्वयं सेवक" के रूप में एक सक्रिय और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध मलिन बस्ती स्तर की महिला की परिकल्पना करता है।

– मिशन में मलिन बस्ती तथा अन्य शहरी आधारित असुरक्षित समूहों के लिए नियमित पहुंच बाह्य स्वास्थ्य सेवाएं देने का अधिदेश दिया गया है। इसके साथ-साथ इन वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं तक सक्रिय रूप से पहुंच बनाना तथा इनकी उन सेवाओं तक कम पहुंच की समस्याओं को हल करने का भी अधिदेश दिया गया है।

– सम्पर्क स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण तथा मलिन बस्तियों में सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्धन कार्यकलापों और महिलाओं की स्वास्थ्य समितियों को चलाने के लिए सहायता करता है और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए बेहतर मांग तथा पहुंच हेतु सामुदायिक क्षमता भी बढ़ाता है।

– 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रकाश में शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करने में शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ी हुई भूमिका को प्रोत्साहित करता है।

– स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित सभी विभागों अर्थात महिला एवं बाल विकास, जल और सफाई, शहरी विकास/शहरी रोजगार एवं गरीबी शमन, नगर कार्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में कारगर एकीकरण पर ध्यान केन्द्रित करता है।

– राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित संस्थागत तंत्र प्रणालियों और प्रबंधन प्रणालियों का प्रस्ताव करता है।

– विकेन्द्रीकृत शहर-विशिष्ट नियोजन, परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन की सिफारिश करता है।

– स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और सेवा प्रदायकों और समुदाय विशेषतौर से इसके असुरक्षित वर्गों में सम्पर्कों को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के अभीष्ट उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

1114. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थितिनुसार कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई एवं व्यय की गई?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) यह मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करवा रहा है। इस समय, कर्नाटक में 85 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य प्रगति पर हैं। इनमें से, 76 कार्य रारा (मूल) स्कीम और 9 कार्य एनएचडीपी से संबंधित हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) स्कीम के लिए इस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के कर्नाटक सरकार को 92.00 करोड़ रु. का आबंटन किया है और संपूर्ण धनराशि का व्यय किया जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कर्नाटक में उपर्युक्त 9 कार्यों पर अब तक एनएचडीपी संबंधी कार्यों पर लगभग 1328 करोड़ रु. का व्यय किया है।

खेलों के लिए प्रशिक्षण उपस्करों की कमी

1115. **श्री नवीन जिन्दल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीय खेल संघों ने खेलों के लिए प्रशिक्षण उपस्करों की कमी के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीजिंग ओलम्पिक खेल, 2008 से मात्र छह माह पूर्व प्रशिक्षण उपस्करों की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अपेक्षित उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा प्रशिक्षण को कवर किए जाने हेतु दीर्घकालीन विकास योजना (एलटीडीपी) अपने उद्देश्यों में असफल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए प्रशिक्षण उपस्करों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) यद्यपि, सामान्यतः प्रशिक्षण उपस्करों की किसी कमी के बारे में राष्ट्रीय खेल परिसंघों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परंतु कुछ परिसंघों ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपभोग सामग्री की कमी के बारे में सूचना दी है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ और भारतीय बैडमिंटन संघ क्रमशः गोला-बारूद एवं शटल काक की कमी के बारे में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस मामले पर मंत्रालय में विधिवत जांच की गयी थी और यह सुविचारित निर्णय लिया गया था कि मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को यह अनुमति देकर खरीद प्रक्रिया को विकेंद्रित किया जाए कि वे प्रतिपूर्ति आधार पर, उचित पद्धति का पालन करते हुए स्वयं उपभोग्य सामग्री खरीदें। मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार उनकी संबंधित दीर्घावधिक योजनाओं के अंतर्गत उपभोग्य सामग्री की खरीद, संबंधित मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है।

(ग) उपरोक्त खेल विधाओं को छोड़कर, एथलीटों की तैयारी के लिए खेल उपभोग्य सामग्री की आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त सरकार उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों की तैयारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ और भारतीय बैडमिंटन संघ को पर्याप्त सहायता प्रदान करती रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को 5.93 करोड़ रु. तथा भारतीय बैडमिंटन संघ को 1.05 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की गई है, जो आवश्यक रूप से उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के अवसर के लिए है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निशानेबाजी हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के लिए गोला-बारूद की खरीद हेतु 2.39 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार बैडमिंटन के लिए उन्हें 54 लाख रु. की उपभोग्य सामग्री प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, सरकार राष्ट्रीय खेल विकास निधि योजना के अंतर्गत आगामी ओलंपिक के लिए संभावित पदक विजेताओं हेतु उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। विशेष रूप से, 9 प्रसिद्ध निशानेबाजों को योजना के अंतर्गत फिलहाल सहायता दी जा रही है।

(घ) से (च) जी नहीं। दीर्घावधिक विकास योजनाएं खेलों के विकास के विभिन्न पक्षों को कवर करती है जिसमें प्रशिक्षण अपेक्षाएं तथा उपस्कर एवं उपभोग्य सामग्री की अपेक्षाएं, कोचिंग संबंधी अपेक्षाएं, खेल चिकित्सा संबंधी अपेक्षाएं और अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ दीर्घावधिक विकास योजनाओं के कार्यान्वयन

के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ जिम्मेदार हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण इस कार्य को सुगम बनाने की भूमिका निभाता है। समग्र रूप से दीर्घावधिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन उसी अनुरूप हुआ है, जैसी योजना बनायी गयी थी।

विकास कार्यों के लिए पंचायतों को निधियां

1116. **श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों को सड़कों व अन्य विकास कार्यों के लिए सीधे तौर पर वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार के पास पंचायतों को सीधे तौर पर निधियां आबंटित करने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गये इस वायदे को पूरा करने के लिए कि पंचायतों को दी जाने वाली निधियों को दिए जाने में न तो विलंब हो न ही विपथन, उसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने बैंकिंग चैनल के माध्यम से पंचायतों को त्वरित निधि के अंतरण की साध्यता हेतु एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने मई, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय इस स्थिति का समर्थन करती है कि पंचायतों के लिए निर्धारित वित्तीय अंतर्प्रवाह को सर्वप्रथम तो राज्य सरकारों की समेकित निधि में पहुंचना चाहिए लेकिन उसके बाद उसे ''बिना विलंब अथवा विपथन के'' बैंकिंग व ट्रेजरी चैनलों के जरिए शीघ्रता से सीधे पंचायतों को अंतरित का दिया जाना चाहिए। वर्तमान में, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां व बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्मुक्त निधियां प्रणाली को अभिपुष्ट करती हैं। ये निधियां पंचायत स्तर के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही हैं, जिनमें सड़कों पर व्यय भी शामिल है।

इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की सुविधा

1117. **श्री के. सुब्बारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी अस्पतालों में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को देने वाले अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी हां। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन एकक को निम्नलिखित में आरम्भ किया गया है:-

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली;

(2) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़;

(3) आर्मी अस्पताल, अर्थात् आरएंडआर अस्पताल, प्रताप चौक, दिल्ली कैंट, दिल्ली।

तपेदिक के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधियां

1118. **श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों के दौरान तपेदिक के उन्मूलन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों/दानदाता एजेंसियों से प्राप्त निधियों और उसमें से खर्च राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : पिछले दो वर्षों में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों/दानी अभिकरणों से प्राप्त प्रतिपूर्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(राशि लाख में)

दानी अभिकरण	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
विश्व बैंक	8489.81	4318.29
डानिडा	197.27	194.31
डीएफआईडी	1309.99	428.95
यूएसएड	400.00	524.50
जीएफ एटीएम	2445.73	5386.80

इसके अतिरिक्त डीएफआईडी से सामग्री सहायता के रूप में 600 लाख रुपए (2005-06) और 3500 लाख रुपए (2006-07) मूल्य की औषधियां प्राप्त की गई थीं।

विदेशों में भारतीय कामगारों की सहायता के लिए नई पहल

1119. श्री मधु गौड़ यास्खी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश में भारतीय कामगारों की सहायता के लिए नई पहल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशों में भारतीय कामगारों की सहायता के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) संभावित उत्प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्र व्यापी कौशल उन्नयन-प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे श्रम आपूर्ति की बड़ी खाई को पाटने के लिए उच्च कौशल वाले कामगारों का एक ठोस संवर्ग बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय इस योजना को निर्माण, इंजीनियरी विनिर्माण, परिचर्या, सूचना प्रोद्यौगिकी और घरेलू सेवाओं आदि जैसे विविध क्षेत्रों में आरम्भ कर रहा है। यह योजना राज्य सरकारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के साथ-साथ उद्योग की शीर्ष संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(ii) संभावित उत्प्रवासी कामगारों को सभी संबंधित सूचना प्रदान करने और सहायता करने के लिए प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र की स्थापना करना। विदेशों में भारतीय कामगारों और जो रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, की सहायता के लिए एक हैल्पलाइन के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस, 2008 के दौरान प्रधनमंत्री ने प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र को आरम्भ किया है। हैल्पलाइन का निशुल्क नम्बर 1800 11 3090 है जिसपर भारत के किसी भी कोने से सम्पर्क किया जा सकता है। इस समय हैल्पलाइन सात भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड और तेलगू में सप्ताह में सातों दिन प्रात: 10 बजे से रात्री 10 बजे तक कार्यरत है।

(iii) एक नीतिगत चिन्तन सागर के रूप में सेवा हेतु प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना करना। मंत्रिमंडल ने परिषद की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। मंत्रालय परिषद को एक अलाभकारी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। प्रक्रिया संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है।

(iv) सरकार उत्प्रवासियों के लाभ के लिए एक कल्याण कोष स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कोष में उत्प्रवासियों को सभी अवस्थाओं में कल्याण सेवाओं-उत्प्रवास पूर्व अवस्था में उत्प्रवास खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता, उनके विदेशों में रहने के दौरान मौके पर आवश्यकता आधारित कल्याण और उनके भारत लौटने पर आवश्यकता आधारित पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान की व्यवस्था है। कल्याण कोष के वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ब्रिटेन में बेरोजगारी का सामना कर रहे भारतीय चिकित्सक

1120. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय चिकित्सक बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) मार्च, 2006 में ब्रिटेन में नए उत्प्रवास और रोजगार विनियमों के कार्यान्वयन के बाद से, चूंकि ब्रिटेन/यूरोपीय समुदाय के डाक्टरों को भर्ती में तरजीह दी जाती है, ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय डाक्टर रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फीजिशियन्स ऑफ इडियन ओरिजिन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नए नियमों के लागू होने से लेकर अब तक 5000 बेरोजगार भारतीय डाक्टरों ने ब्रिटेन छोड़ दिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त विषय को समय-समय पर ब्रिटेन के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है जिनमें फरवरी, 2005 और जनवरी, 2008 में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री की यात्रा के दौरान और जून, 2005 में, ब्रिटेन की तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैडम रोजी विनटरटन की यात्रा के दौरान, 2007 और 2008 में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठकों के दौरान और जनवरी, 2007 में तत्कालीन चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गोर्डन ब्राउन की यात्रा के दौरान उठाया जाना शामिल है। भारतीय उच्चायोग भी समय-समय पर ब्रिटिश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठा रहा है।

उपर्युक्त के संदर्भ में ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि 2007 में लगभग 6000 भारतीय डाक्टर रोजगार पाने में सफल रहे हैं।

मेनिंगोकोकसिमिया के कारण हुई मौतों के मामले

1121. **श्री हेमलता मुर्मू :**
श्री उदय सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोनिंगोकोकसिमिया के कारण हुई मौतों के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, जैसा कि 15 फरवरी, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से प्रभावी उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। 15 फरवरी, 2008 के दैनिक जागरण में राजधानी में मोनिंगोकोकसिमिया रोग के कारण 48 रोगियों और 8 मौतों की सूचना दी गई है।

दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से 1 जनवरी, से 27 फरवरी, 2008 तक मैंनिनगोकोक्कल रोग के कारण 49 संभावित और 9 पुष्ट रोगियों तथा एक मौत की सूचना दी गई है।

(ग) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में मैंनिनगोकोक्कल रोग की सूचना देने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए 13 फरवरी, 2008 को एक विशेषज्ञ दल की बैठक बुलाई। यह विशेषज्ञ दल राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली सरकार)से बना। यह पाया गया कि सभी प्रमुख अस्पताल इस बीमारी के रोगियों का उपचार करने के लिए पूरी तरह से सज्जित हैं और उनके पास औषधों तथा प्रयोगशाला अभिकर्मकों का पर्याप्त भंडार है। सभी अस्पतालों को दिल्ली नगर निगम, जिसकी सभी कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में पहचान की गई है, को रोगियों की नियमित और समय पर सूचना देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम ने पहले ही सूचना, शिक्षा व संप्रेषण संबंधी उपाय शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य परिचर्या/प्रयोगशाला कार्यकर्ता और रोगियों के निकट सम्पर्क जैसे उच्च जोखिम वाले कार्मिकों को रसाय रोगनिरोधक दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान रेफरल नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने 1 जनवरी से 27 फरवरी, 2008 तक विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त 44 नैदानिक नमूनों का परीक्षण किया है। इन 44 नमूनों में से 8 नमूने (18.2%) सीरो टाइप-ए मेनिनगोकोकोज के लिए पॉजीटिव पाए गए।

दिनानुदिन आधार पर रोग की स्थिति को मॉनीटर करने तथा इस रोग के रूझान को जानने के लिए दिल्ली नगर निगम के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से मैंनिनगोकोक्कल रोग के बारे में नियमित

रूप से सूचना एकत्र की जा रही है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान जानपदिक रोग विज्ञानीय विश्लेषण कर रहा है और दिल्ली नगर निगम को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी जा रही है।

राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान अस्पतालों को प्रशिक्षण और प्रयोगशाला सहायता समेत मैंनिनगोकोक्कल रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को तकनीकी दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।

[अनुवाद]

चेचक का उन्मूलन

1122. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के कुछ भागों में चेचक के मामले पता चले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) हाल ही में देश के किसी भी भाग से चेचक के किसी भी रोगी का पता नहीं चला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन/एसईएआरओ से उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में चेचक का अंतिम रोगी वर्ष 1975 में पाया गया था। उसके पश्चात किसी रोगी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अफगानिस्तान में सड़कों का निर्माण और उन्नयन

1123. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफगानिस्तान में सड़कों के निर्माण और उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का विचार अफगानिस्तान में ऐसी सड़क परियोजनाओं के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि का निवेश करने का है; और

(घ) इस संबंध में अफगानिस्तान के साथ तय हुई निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जी हां, भारत सरकार अफगानिस्तान के नीमरोज प्रांत में जरांज से डेलारम तक 215 किमी लंबी सड़क के उन्नयन और निर्माण के लिए 746.79 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। परियोजना जुलाई, 2004 में आरंभ हुई और इसके दिसंबर, 2008 तक पूरा हो जाने की आशा है। भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर इस सड़क परियोजना का कार्य निष्पादित कर रही है। अफगानिस्तान सरकार ने भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक निर्माण सामग्रियों की निकासी/संग्रहण, भारतीय कार्मिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने सहित परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में समर्थन और सहयोग दिया है। चूंकि यह परियोजना सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में चलाई जा रही है इसलिए अफगानिस्तान सरकार ने परियोजना के लिए स्थानीय सुरक्षा भी मुहैया करायी है, जिसे भारत से गए पुलिस कार्मिकों (आईटीबीपी) द्वारा संपूरित किया गया है।

वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले लोगों को अन्यत्र बसाना

1124. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले लोगों को स्वेच्छा से अन्यत्र बसाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार को केरल सरकार से 85 करोड़ रु. की लागत पर वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में रह रहे 983 परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रस्ताव, धनराशि की उपलब्धता, प्रचलित दिशानिर्देशों पर प्रस्ताव की

अनुरूपता और आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं।

खेल-कूद के सामान पर राजसहायता देना

1125. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेल-कूद की कुछ श्रेणियों के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए खेल-कूद के सामान पर राजसहायता देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खेल-वार कुल कितनी राजसहायता राशि खर्च की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं। सरकार के पास किसी भी श्रेणी के खेल के लिए किसी भी खेल के सामान पर राजसहायता देने की कोई योजना नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एवियन फ्लू पर विशेषज्ञों का मत

1126. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने मानव पर ऐवियन फ्लू के प्रभाव को कम करने के रास्ते सुझाए हैं, जैसा कि 18 दिसम्बर, 2007 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनफलुऐंजा फाउण्डेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) 18 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जर्मनी, पाकिस्तान और म्यांमार इत्यादि देशों में एवियन इनफ्लुएंजा के संक्रमण के फैलने से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और राष्ट्रों से अनुरोध किया गया है कि पक्षियों और मनुष्यों दोनों रोगियों की पहचान करने और उनकी सूचना देने में सावधानी बरतें। भारत सरकार ने एविनयन एनफ्लुएंजा प्रबंधन और विश्व व्यापी तैयारी करने संबंधी डब्ल्यू एच ओ संस्तुत दिशा-निर्देशों को अपनाया है। मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इस समय अपनाई जा रही कार्य नीति से पोल्ट्री में रोग को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, प्रभावित क्षेत्र में रोगी का शीघ्र पता लगाने और उसका उपचार करने के लिए सक्रिय निगरानी के तहत मानव जनसंख्या को रखा जा रहा है।

भारत सरकार को इनफ्लुएंजा फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

जच्चा-बच्चा मृत्यु दर

1127. **श्री के. सुब्बारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा जच्चा-बच्चा मृत्यु दर क्या है; और

(ख) इस संबंध में विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत का स्थान कौन-सा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) वर्ष, 2006 में प्रकाशित भारत के महापंजीयक (आरजीआई, एसआरएस 2001-03) की अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 100.000 जीवित जन्मों पर 301 है। अद्यतन एसआरएस अनुमानों (2006) के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 57 है। भारत और राज्यवार मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) 'वर्ष 2005 में मातृ मृत्यु' के प्रकाशन में डब्ल्यू एच ओ, यूनीसेफ, यूएनएफपीए और विश्व बैंक द्वारा किए गए मातृ मृत्यु अनुमानों के अनुसार भारत की अपेक्षा 45 देशों में मातृ मृत्यु दर अधिक है। उनकी मातृ मृत्यु दर सहित इन देशों की सूची विवरण-III में दी गई है।

यूनीसेफ के प्रकाशन ''स्टेट आफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, 2005 के अनुसार भारत की अपेक्षा 51 देशों में बाल मृत्यु दर अधिक है। उनकी बाल मृत्यु दर के अनुसार श्रेणीवार देशों की एक सूची विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

मातृ मृत्यु अनुपात

भारत और राज्यवार

(स्रोत-आरजीआई, (एसआरएस), 1997-98, 1999-01, 2001-03)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997-98)	मातृ मृत्यु दर (1999-01)	मातृ मृत्यु दर (2001-03)
भारत कुल*	398	327	301
असम	568	398	490
बिहार/झारखण्ड	531	400	371
मध्य प्रदेश/चंडीगढ़	441	407	379
उड़ीसा	346	424	358
राजस्थान	508	501	445
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	606	539	517
आंध्र प्रदेश	197	220	195
कर्नाटक	245	266	228
केरल	150	149	110
तमिलनाडु	131	167	134
गुजरात	46	202	172
हरियाणा	136	176	162
महाराष्ट्र	166	169	149
पंजाब	280	177	178
पश्चिम बंगाल	303	218	194
अन्य	—	276	235

*: अन्य शामिल

विवरण-II

बाल मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
	समस्त भारत	63	60	58	58	57
1.	आंध्र प्रदेश	62	59	59	57	56
2.	असम	70	67	66	68	67
3.	बिहार	61	60	61	61	60
4.	छत्तीसगढ़	73	70	60	63	61
5.	गुजरात	60	57	53	54	53
6.	हरियाणा	62	59	61	60	57
7.	झारखंड	51	51	49	50	49
8.	कर्नाटक	55	52	49	50	48
9.	केरल	10	11	12	14	15
10.	मध्य प्रदेश	85	82	79	76	74
11.	महाराष्ट्र	45	42	36	36	35
12.	उड़ीसा	87	83	77	75	73
13.	पंजाब	51	49	45	44	44
14.	राजस्थान	78	75	67	68	67
15.	तमिलनाडु	44	43	41	37	37
16.	उत्तर प्रदेश	80	76	72	73	71
17.	पश्चिम बंगाल	49	46	40	38	38
18.	हिमाचल प्रदेश	52	49	51	49	50
19.	जम्मू व कश्मीर	45	44	49	50	52
20.	अरुणाचल प्रदेश	37	34	38	37	40

1	2	3	4	5	6	7
21.	दिल्ली	30	28	32	35	37
22.	गोवा	17	16	17	16	15
23.	मणिपुर	14	16	14	13	11
24.	मेघालय	61	57	54	49	53
25.	मिजोरम	14	16	19	20	25
26.	नागालैंड	NA	NA	17	18	20
27.	सिक्किम	34	33	32	30	33
28.	त्रिपुरा	34	32	32	31	36
29.	उत्तरांचल	41	41	42	42	43
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	15	18	19	27	31
31.	चंडीगढ़	21	19	21	19	23
32.	दादर एवं नागर हवेली	56	54	48	42	35
33.	दमन और द्वीव	42	39	37	28	28
34.	लक्षद्वीप	25	26	30	22	25
35.	पांडिचेरी	22	24	24	28	28

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, भारत के महापंजीयक, 2006

विवरण-III

भारत की अपेक्षा अत्यधिक मातृ मृत्यु दर वाले देश

(वर्ष 2005 में मातृ मृत्यु प्रकाशन में डब्ल्यू एच ओ, यूनीसेफ, यूएनएफपीए और विश्व बैंक द्वारा किया गया मातृ मृत्यु अनुमान)

क्र.सं.	देश	मातृ मृत्यु दर
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1800
2.	अंगोला	1400
3.	बंगलादेश	570
4.	बेनिन	840
5.	बुरकिना फासो	700
6.	बुरूंदी	1100
7.	कम्बोडिया	540
8.	कैमरून	1000
9.	सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	980
10.	चाड	1500
11.	कांगो	740
12.	कोट डल्वोइरे	810
13.	डजिबाउती	650
14.	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो	1100
15.	इक्वाटोत्यिल गुएना	680
16.	इथोपिया	720
17.	गबोन	520
18.	जाम्बिया	690
19.	घाना	560
20.	गुएना	910
21.	गुएना-बिस्सउ	1100
22.	गुयाना	470
23.	हैति	670

1	2	3
24.	केनिया	560
25.	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	660
26.	लिम्ग्गो	960
27.	लीबेरिया	1200
28.	मदस्कर	510
29.	मालवी	1100
30.	माली	970
31.	मारितानिया	820
32.	मोजाम्बिक	520
33.	नेपाल	830
34.	निगर	1800
35.	निगेरिया	1100
36.	पपुआ न्यु गुइनिया	470
37.	रिवांडा	1300
38.	सेंगल	980
39.	सिएरा लियोल	2100
40.	सोमालिया	1400
41.	टोगो	510
42.	उगांडा	550
43.	यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया	950
44.	जाम्बिया	830
45.	जिम्बाबवे	880

विवरण-IV

बाल मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर) में देशों की श्रेणी

बाल मृत्यु दर के अनुसार स्थान	देश	1990	2005
1	2	3	4
1	भारत	82	57
2	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	120	59
3	गबन	60	60
4	सूडान	74	61
5	भूटान	107	63
6	साओ टोम एण्ड पिन्सिस	65	63
7	मदगस्कर	103	72
8	अजेरबाइजन	84	73
9	म्यांमार	91	74
10	तन्जानियां (यूनाइटेड रिपब्लिक आफ)	102	74
11	यमन	98	75
12	घाना	76	76
13	माल्वी	131	76
14	माउरितानिया	85	78
15	पाकिस्तान	100	78
16	उगांडा	93	78
17	कांगो	67	79

1	2	3	4
18	केनिया	64	79
19	सेंगल	72	60
20	हैति	105	60
21	कम्बोडिया	185	65
22	जिम्बाबवे	52	68
23	टोगो	88	69
24	अजेरबाईजन	84	73
25	इथोपिया	122	77
26	जाम्बिया	100	84
27	डिजीबाउती	116	86
28	केमरून	85	87
29	बेनिन	111	88
30	कोटेड इवोरे	105	90
31	बोस्तवाना	45	90
32	मोजाम्बिक	158	96
33	गुइनिया	139	98
34	रिवांडा	106	98
35	निगेरिया	120	99
36	लेसोथो	81	102
37	जाम्बिया	101	102
38	बर्नदी	114	109
39	स्वीटजरलैंड	78	112
40	सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	114	115
41	माली	140	119
42	गुएनिया-बिस्साउ	142	119
43	बुरकेना फासो	123	122
44	Equatorial Guinea	103	124
45	चाड	120	124
46	कांगो (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफद)	129	129
47	निगर	191	148
48	अंगोला	154	154
49	लिबेरिया	157	157
50	सिरा लियोन	169	159
51	अफगानिस्तान	168	165

स्रोत: स्टेट आफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, 2008 यूनीसेफ पब्लिकेशन

[हिन्दी]

बच्चों में दंत्य रोग

1128. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री रमेश दूबे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 90 प्रतिशत बच्चे दंत रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इलाज उपलब्ध कराने तथा जागरूकता फैलाने हेतु एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में दंत चिकित्सक-रोगी अनुपात क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहुकेन्द्रिक मुख स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2007 (डब्ल्यू एचओ जी ओ आई सहयोगी कार्यक्रम) के अनुसार अध्ययन किए गए सात स्थलों में 12 वर्ष के लगभग 49 प्रतिशत बच्चों और 15 वर्ष के 54 प्रतिशत बच्चों में दंत रोग पाया गया। तथापि, इन दोनों आयु समूहों के बच्चों में 45 प्रतिशत मसूढ़ा रोग है।

(ग) और (घ) मुख्य स्वास्थ्य और सेवा घटक के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग है। भारतीय दंत परिषद के अनुसार 31.8.2007 तक पूरे देश में दंत चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 1:2943 है।

[अनुवाद]

स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव

1129. **श्री के. सुब्बारायण** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थानीय निकायों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच आई वी पाजिटिव लोगों को एक्स डी आर-टीबी

1130. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच आई वी से ग्रस्त व्यक्तियों में बड़ी संख्या में एक्स डी आर-टीबी के मामले पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक एवं उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

वर्ष 2007 में नए क्षय रोगियों के बीच किए गए एच.आई.वी. सर्वेक्षण के अनुसार देश के विभिन्न भागों में एच.आई.वी. पॉजीटिव रोगियों का प्रतिशत 1 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच है। एच.आई. वी. पॉजीटिव रोगियों में क्षय रोग के व्यापक औषध प्रतिरोध पैटर्न की स्थिति ज्ञात नहीं है। क्षय रोग के व्यापक औषध प्रतिरोध का निदान प्रयोगशाला में किया जाता है जिसके लिए विशेषकृत गुणवत्ता आश्वासन वाली प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है तथा संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में क्षयरोग के व्यापक औषध प्रतिरोध के निदान के लिए केवल क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई को ही मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2000 से वर्ष 2005 की अवधि के दौरान बहु औषध प्रतिरोध वाले 66 क्षयरोगियों पर इस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में व्यापक औषध प्रतिरोध वाले केवल एक क्षय रोगी का ही पता चला। इस अध्ययन में रोगियों की एच.आई.वी. स्थिति का आकलन नहीं किया गया।

(ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, एच.आई.वी./क्षय रोग संबंधी सहयोगात्मक कार्यकलाप संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं जिनमें एच.आई.वी. जांच, परामर्श, परिचर्या, सहायता व उपचार करने वाले केन्द्रों में आने वाले एच.आई.वी पॉजीटिव व्यक्तियों में क्षयरोग की तथा क्षयरोग माइक्रोस्कोपी केन्द्रों में आने वाले क्षयरोगियों में एच.आई.वी. की गहन जांच शामिल है। ऐसे क्रॉस रेफरल से दोनों संक्रमणों का पता लगाने तथा क्षयरोग रोधी उपचार एवं एंटीरिट्रोवायरल उपचार शुरू करने में सहायता मिलती है।

होम्योपैथिक उपचार सुविधाएं

1131. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों में होम्योपैथिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) देश में होम्योपैथी उपचार से संबंधित उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 1.4.2007 के अनुसार प्रबंधन द्वारा होम्योपैथी में अस्पतालों, बिस्तरों और औषधालयों का राज्य वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	अस्पतालों की संख्या				बिस्तरों की संख्या				औषधालयों की संख्या			
		सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	कुल	सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	कुल	सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	6			6	300			300	286			286
2.	अरुणाचल प्रदेश	1		1	2	50		50	100	44			44
3.	असम#	3			3	105			105	75			75
4.	बिहार#	2		9	11	70		440	510	179			179
5.	छत्तीसगढ़	1		3	4	30		100	130	52			52
6.	दिल्ली#	2			2	150			150	59	37	2	98
7.	गोवा			1	1			25	25	3			3
8.	गुजरात			16	16			873	873	216			216
9.	हरियाणा			1	1			50	50	20			20
10.	हिमाचल प्रदेश			1	1			25	25	14			14
11.	झारखंड#			2	2			82	82	54			54
12.	कर्नाटक#	10		10	20	135		761	896	42			42
13.	केरल	31		2	33	970		160	1130	525	20	35	580
14.	मध्य प्रदेश	4		18	22	120		1131	1251	146			146
15.	महाराष्ट्र	1		44	45	30		3075	3105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मणिपुर	1			1	10			10	9			9
17.	मेघालय	7			7	70			70	10			10
18.	मिजोरम									1			1
19.	नागालैंड	1			1	10			10	7			7
20.	उड़ीसा	4		2	6	125		60	185	560	26	17	603
21.	पंजाब	1		4	5	10		230	240	107			107
22.	राजस्थान	2		7	9	10		222	232	147		1	148
23.	सिक्किम									1			1
24.	तमिलनाडु	1		8	9	50		410	460	46			46
25.	त्रिपुरा	1			1	10			10	93			93
26.	उत्तर प्रदेश	7		1	8	300		50	350	1482			1482
27.	उत्तरांचल#			1	1			50	50	60			60
28.	पश्चिम बंगाल	4		8	12	200		430	630	545	675		1220
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1			1	10			10	8			8
30.	चंडीगढ़			1	1			25	25	5			5
31.	दादर और नगर हवेली									1			1
32.	लक्षद्वीप#									1			1
33.	पांडिचेरी									7			7
34.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना									34			34
35.	केंद्रीय होम्यापैथी अनुसंधान संस्थान	6			6	85			85	40			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36. रेल मंत्रालय										129			129
37. श्रम मंत्रालय										29			29
38. कोयला मंत्रालय													
कुल—		97	0	140	237	2850	0	8249	11099	5037	758	55	5850

नोट- #वर्तमान वर्ष से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतएव अद्यतन उपलब्ध वर्ष के लिए इसकी पुनरावृत्ति की गई है।

स्रोत: राज्य सरकारें और संबंधित अभिकरण

वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र

1132. **डा. के.एस. मनोज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का प्रस्ताव अल्प्पुझा, केरल में एक वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र (वी.सी.आर.सी.) की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का पांडिचेरी में एक वैक्टर नियंत्रण अनुसंधान संस्थान है। आलापुझा, केरल में एक और केन्द्र स्थापित करने की इसकी कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने 'ज्वर/एंसेफेलाइटिस से जुड़े आरबोवायरसिस और एंटेरोवारेसिस' के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का वायरोलॉजी फील्ड स्टेशन का एक राष्ट्रीय संस्थान आलापुझा, केरल में स्थापित करने की मंजूरी दी है। एनआईवी, पुणे फील्ड स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से भूमि खरीदने की प्रक्रिया में है। यह फील्ड स्टेशन इन वैक्टरों के लिए वैक्टर निगरानी अध्ययनों और कीटनाशी संवेदनशीलता अध्ययनों से सक्रिय रूप से शामिल होगा। व्याप्त वैक्टरों, उनके सूचकांकों और कीटनाशी प्रतिरोधकता के आधार पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुशंसित नियंत्रण उपाय संप्रेषित कर दिये जाएंगे।

भारत द्वारा पड़ोसी देशों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1133. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा पड़ोसी देशों में कुछ मेगा परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में निर्धारित से अधिक लागत एवं समय लग रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) कुछ परियोजनाओं में कई कारणवश जैसे कार्य का विस्तार-क्षेत्र बढ़ जाने, सामानों एवं कच्ची सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि होने, लाभग्राही देशों में मौजूदा राजनीतिक स्थिति एवं गिरते सुरक्षा माहौल और कठिन जलवायु स्थितियों और प्रारंभिक लागत अनुमान तैयार करने और आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात कार्य शुरू करने के बीच समय लगने के कारण समय-सीमा और लागत में वृद्धि हुई है।

(ङ) सरकार ने चल रही परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से इन पर नजर रखने के लिए आवश्यक उपाय को उठाया है।

विवरण

क्र.सं.	देश	परियोजनाओं का विवरण
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1. खाद्यान्न सहायता योजना: भारत ने अफगानिस्तान को 1 मिलियन टन गेहूं की खाद्यान्न सहायता देने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है, जिसका एक भाग विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम के जरिए आपूर्ति करने के लिए उनके स्कूल आहार कार्यक्रम के लिए उच्च प्रोटीनयुक्त बिस्कुटों में परिवर्तित किया जा रहा है।
		2. संचरण लाइन परियोजना: भारत, पुल-ए-खुमरी से काबुल तक एक 220 केवी दोहरी सर्किट संचरण लाइन का और काबुल में एक 220/110/20 केवी उप-स्टेशन का निर्माण कर रहा है। भारत का पावर ग्रिड कारपोरेशन परियोजना निष्पादन कर रहा है।
		3. जरांज-डेलाराम सड़क परियोजना: भारत दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में 218 किमी. लंबी सड़क-परियोजना निष्पादित कर रहा है जो अफगानिस्तान को ईरान के लिए एक मार्ग प्रदान करेगा और अफगानिस्तान में आंतरिक संपर्क भी उन्नत बनाएगा। सीमा सड़क संगठन परियोजना निष्पादित कर रहा है।
		4. सलमा बांध विद्युत परियोजना: हेरात प्रांत में भारत सलमा बांध विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण कर रहा है। यह हेरात प्रांत में सिंचाई सुविधाओं के अलावा 42 एम डब्ल्यू बिजली प्रदान करेगा। जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लि. परियोजना निष्पादित कर रहा है।
2.	भूटान	1. टिनतिबी-ट्रोंग्सा-बूमथांग संचरण लाइन: भारत, 37 किमी. लंबी 132 केवी टिनतिबी-यर्मु संचरण लाइन, 37 किमी. लंबी 66 केवी यर्मु-बूमथांग संचरण लाइन, यर्मु, ट्रोंग्सा और बूमथांग में स्टाफ-क्वार्टरों के साथ-साथ 33 केवी उप-स्टेशन और यर्मु से ट्रोंग्सा तक भूटान में 33 केवी टॉवर लाइन स्थापित कर रहा है।
		2. जिग्मे डोरजी वांगचुक नेशनल रेफरल हॉस्पीटल का विस्तार: इस परियोजना में एक नेशनल रेफरफ हॉस्पीटल स्थापित करने और मौजूदा शय्याओं की संख्या को 350 तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
		3. पसाखा-मनीटार सड़क: थिम्फु-फुंटशोलिंग राजमार्ग पर सोर्चेन में अस्थिर क्षेत्र से बचने के लिए विपथन के रूप में 34 किमी. लंबी सड़क परियोजना की डिजाइन की गई पूरी हो चुकी है और फरवरी, 2008 में भूटान की शाही सरकार को सौंप दी गई है।
3.	नेपाल	आपातकालीन एवं ट्रामा-केयर केन्द्र: काठमांडू में बीर हॉस्पीटल विस्तार परियोजना के भाग के रूप में भारत एक 200 शय्याओं वाला आपातकालीन एवं ट्रामा-केयर केन्द्र स्थापित कर रहा है।
4.	मालदीव	भारत-मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय: भारत मालदीव में भारत-मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय नामक एक होटल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है। इस परियोजना में छात्रों के लिए छात्रावास के अलावा कक्षा, प्रयोगशाला, संकाय अपार्टमेंट, प्रयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र होंगे।
5.	म्यांमा	तामु-कलेवा-कलेम्यों सड़क परियोजना: तामु-कलेवा-कलेम्यो सड़क परियोजना से संबंधित देख-रेख करने, फिर से परत चढ़ाने पुलों और वर्षा से हुई क्षति की मरम्मत करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई है।

केन्या में भारतीयों पर हमला

1134. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या में हिंसा में अनेक भारतीयों पर हमला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जान और माल की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर केन्या सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो वहां रह रहे भारतीयों की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) केन्या में 30 दिसम्बर, 2007 को घोषित चुनाव परिणामों के पश्चात हुई हिंसा और लूट की घटनाओं में भारतीय समुदाय के कुछ लोगों की दुकाने एवं प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। हालांकि, भातीय समुदाय के किसी सदस्य की इसमें जान नहीं गई।

(ग) और (घ) केन्या में भारतीयों को आपातकालीन यात्रा दस्तावेज और वीजा जारी करने सहित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी समुचित उपाय किए गए हैं। प्रभावित भारतीयों के पुनर्वास के लिए स्थानीय भारतीय बैंकों और बीमा एजेंसियों को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों को, जहां आवश्यक हो, मानवीय सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने के लिए समय-सीमा

1135. श्री काशीराम राणा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित समय-सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी न किए जाने के लिए किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) निर्धारित समय सीमा के भीतर पासपोट जारी नहीं किए जाने के अनेक कारण हैं। इनमें शामिल हैं-पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब और प्रतिकूल अपूर्ण पु.स.रि. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण सूचना और/अथवा दस्तावेज पासपोर्ट कार्यालयों में उत्तरोत्तर बढ़ रहा कार्यभार भी लंबित मामलों की संख्या के बढ़ने का कारण है। यदि किसी कर्मचारी के कर्तव्य की उपेक्षा के कारण पासपोर्ट जारी करने में विलंब होता है तो सरकार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

निर्धन लोगों के लिए शहरी स्वास्थ्य परिचर्या

1136. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए शहरी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : जनगणना के अनुसार, 28.6 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं जिनमें से 3.26 करोड़ लोग, 1 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों/नगरों के स्लम क्षेत्रों में रहते हैं और जिसकी संख्या वर्ष 2007-08 तक 5.01 करोड़ तक पहुचने की संभावना है, जिससे शहरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक भार पड़ेगा जिसमें पहले से ही गम्भीर कमियां हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, भारत सरकार का समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी बड़े शहरों के साथ-साथ एक लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों/नगरों की शहरी स्लम आबादी की बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

पी एम एस ए द्वारा मत्स्यन नौकाओं को जब्त किया जाना

1137. **श्री हरिन पाठक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान मेरिन सिक्युरिटी एजेंसी (पीएमएसए) द्वारा भारतीय मछुआरों की जब्त/पकड़ी गई मत्स्यन नौकाओं के पुनर्स्थापना के लिए बीमा या ऋण जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्रालय को मछली पकड़ने वाली नौकाओं की पुनर्स्थापना के लिए मरीन उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण और पशुपालन विभाग के साथ कार्य करने के लिए समुचित सरल ऋण पैकेज विकसित करने के लिए काम करना है।

मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन

1138. श्री निखिल कुमार :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया सरकार ने मलेशिया में रोजगार चाहने वाले भारतीयों पर कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तें तथा प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या मलेशिया में कार्य करने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए दोनों देशों ने किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) से (ग) जी नहीं। कुआला लुम्पुर में भारत के उच्चायोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के गृह मंत्री ने भारत से कामगारों के आगमन को रोकने के कोई कदम उठाये जाने से खासतौर पर इंकार किया है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि सभी विदेशी पुजारियों को अब अधिक कठोर जांच से गुजरना होगा। मलेशिया के गृह मंत्री ने इस बात से भी इंकार किया है कि भारतीय मंदिरों के पुजारियों को मलेशिया आने से रोका जा रहा है।

(घ) दोनों देशों के बीच अभी तक किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ङ) और (च) मलेशिया और भारत के बीच श्रम और जन-शक्ति विकास संबंधी एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर कार्रवाई चल रही है जिसमें मलेशिया में भारतीय कामगारों के रोजगार को कारगर बनाने, उनके संरक्षण और कल्याण के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था होगी। वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं और समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है। समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों द्वारा आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:

(1) (एक) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8155/2008]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8156/2008]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:—

(1) रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8157/2008]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 1921(अ) जो 13 नवंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1971(अ) जो 22 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2087(अ) जो 4 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑफ दिल्ली) (गौतम बुद्ध नगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2182(अ) जो 26 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का.आ. 2146(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 116(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (डलकोला बाइपास खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, बाइपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2145(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (सुकिन्डा-भुवन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2147(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संभलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(नौ) का.आ. 1852(अ) जो 30 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2097(अ) जो 15 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर-लक्ष्मणनाथ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2148(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन गाजियाबाद को प्राधिकृत किया गया है।

(बारह) का.आ. 2149(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन गौतम, बुद्ध नगर को प्राधिकृत किया गया है।

(तेरह) का.आ. 2150(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन, बुलंदशहर प्राधिकृत किया गया है।

(चौदह) का.आ. 2151(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन, अलीगढ़ को प्राधिकृत किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 2158(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 15 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या क.आ. 1971(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया गया है।

(सोलह) का.आ. 2159(अ) जो 18 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या क.आ. 2015(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया गया है।

(सत्रह) का.आ. 2215(अ) जो 28 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन

और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2090(अ) और का.आ. 2091(अ) जो 5 दिसंबर, 2007 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2199(अ) जो 28 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2165(अ) जो 19 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धूले खण्ड) के निर्माण (चार लेने वाला बनाना), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1926(अ) जो 13 नवंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा-पुणे खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेने वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2135(अ) जो 17 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडपे-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चार लेने वाला बनाना), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2166(अ) जो 19 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धूले खण्ड) के निर्माण (चार लेने वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8158/2008]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8159/2008]

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा-जारी

(दो) सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

संसद सदस्यों के विरुद्ध कतिपय कथित टिप्पणियों के कारण विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे आंध्र प्रदेश के क्रमशः करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल और हनमकोंडा संसदीय

निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों सर्वश्री के चन्द्रशेखर राव, श्री मधुसूदन रेड्डी, श्री रविन्दर नाइक धारावत और श्री बी. विनोद कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले दिनांक 3 मार्च, 2008 के पत्र प्राप्त हुए हैं।

मैंने दिनांक 3 मार्च, 2008 को उनके त्याग पत्रों को स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02¼ बजे

प्राक्कलन समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : मैं संस्कृति मंत्रालय-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों का अनुरक्षण के बारे में प्राक्कलन समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के इंजन प्रभाग के कार्यनिस्पादन की समीक्षा के बारे में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2007 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) संख्यांक 9 (निष्पादन लेखा परीक्षा) के अध्यक्ष तीन के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

34वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

5वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

131वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'बंगलौर और हैदराबाद विमान पत्तनों को बंद किया जाना तथा तत्संबंधी मामले' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 131वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी हिंदी मेरी तरह अच्छी या खराब है।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि सोमवार, 10 मार्च, 2008 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएंगा:—

1. आज के आदेश पत्र से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. चर्चा और मतदान के विषय:

(क) लेखानुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2008-09,

(ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2007-08,

(ग) अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) वर्ष 2005-06

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री विजय हान्डिक : जी हां, महोदय में इसे सभा पटल पर रखूंगा।

3. *विभिन्न अनुदानों की मांगों (रेल) से संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन उनपर विचार और उन्हें पारित किया जाना।

4. रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

5. कर्नाटक बजट वर्ष 2008-09 सामान्य चर्चा।

6. चर्चा और मतदान के विषय:

(क) लेखानुदानों की मांगें (कर्नाटक) वर्ष 2008-09

(ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (कर्नाटक) वर्ष 2007-08 ।

*सभा पटल पर रखा गया।

7. कर्नाटक की अनुदानों मांगें से संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, उन पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना।

8. चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार और उसे पारित किया जाना।

9. सामान्य बजट वर्ष 2008-09 पर सामान्य चर्चा।

10. चर्चा और मतदान के विषय:

(क) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) वर्ष 2008-09

(ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) वर्ष 2007-08

11. विभिन्न अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, उन पर विचार और उन्हें पारित किया जाना।*

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:—

1. अलप्पुझा-कायमकुलम रेलवे लाइन के पास वंदनम, अलप्पुझा जिला, केरल स्थित मेडिकल कालेज में नया फ्लैग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता;

2. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के अलप्पुझा बाई-पास पर दो रेल-उपरि पुलों के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं—

1. देश के संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को इसकी दुर्गमता, कठिन भौगोलिक परिस्थिति व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता।

2. देश के समस्त पर्वतीय भू-भाग में सार्वजनिक सड़क, पेयजल, सिंचाई, नहर, विद्युतीकरण, विद्यालय व चिकित्सा भवनों आदि के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

के प्रावधानों कारण कार्य ठप्प रहने से, इन सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी निर्माण कार्यों को इस अधिनियम से छूट प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, निम्नलिखित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करें:

1. केन्द्र सरकार द्वारा सीमान्त तथा छोटे किसानों की ऋणमुक्ति के बाद जो किसान महाजनों तथा साहूकारों की गिरफ्त में फंसे हैं, उन सभी किसानों को महाजनों तथा साहूकारों के ऋण से मुक्त कराने के लिए सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाने की कार्रवाई करे।

2. केन्द्र सरकार द्वारा पारित वनभूमि मान्यता अधिकार विधेयक पारित होने के बाद भी आज की तारीख तक वनवासियों को पट्टे देने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। अत: सरकार इसका गंभीर संज्ञान लेकरर पट्टे देने की कार्रवाई शुरू करने पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:—

1. केरल राज्य के खाद्यान्न कोटे में अत्यंत कमी कर दी गई है। अस्सी प्रतिशत कोटा कम कर दिया गया है। इस स्थिति से राज्य में खाद्यान्नों की अत्यंत कमी हुई हैं और मूल्यों में वृद्धि हुई है। अत: इस कोटे को पहले जितना किया जाए।

2. दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल में कोलांगोड से त्रिचूर तक नई रेल लाइन का निर्माण करने हेतु भारतीय रेल द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है। परंतु निर्माण अब तक आरंभ नहीं हुआ है। अत: इसके निर्माण हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि रखी जाए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मान्यवर, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निमनिलिखित दो विषय सम्मिलित करें।

1. देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम उपभोक्ता परेशान हैं। बढ़ते खाद्यान्न, तेल, चीनी, खाद्य वस्तुएं तथा कुकिंग गैस के मूल्य एवं अभाव की स्थिति को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार प्रभावी उपाय करे।

2. देश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को पर्याप्त पूर्ण अनुदान सहायता करें।

[अनुवाद]

श्री वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए:

1. युवाओं के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा और रोजगारोन्मुखी उद्यमिता विकास की तत्काल आवश्यकता हेतु तकनीकी संकायों के लिए नीति के बारे में चर्चा।

2. भूजल स्तर में गिरावट और सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों हेतु जल की कमी पर विचार करते हुए देश में जल संचयन, जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में चर्चा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. जयपुर में पुरानी वाटर लाइन को बदलकर नई वाटर लाइन डालने हेतु आर्थिक पैकेज की आवश्यकता।

2. जयपुर में कच्ची बस्तियों को व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु आर्थिक पैकेज की आवशकयता।

अध्यक्ष महोदय : आप सब कुछ जयपुर ले जाएंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:

(1) एम्स, आईआईएम और अन्य केंद्रीय संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण को लागू करने के लिए कानूनी और अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता।

(2) सीपीएमटी (सेंट्रल पैरामेडिकल टेस्ट) में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देना।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगमी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

1. देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की वृहद् जांच हो क्योंकि उसमें भारी पैमाने पर धन का दुरूपयोग हुआ है। लोगों के जाब कार्ड न बनाए जाने की शिकायत है। उन्हें 100 दिन को रोज़गार नहीं दिया गया है।

2. देश में एल.आई.सी. अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें प्रमोशन एवं वेतन के साथ ही मानदेय विसंगतियों के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अपराह्न 12.09 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा दिनांक 4 मार्च, 2008 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 4 मार्च, 2008 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)— (2007-08)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय मैं वर्ष 2007-08 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरी अंग्रेजी स्ट्रांग है न?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अंग्रेजी जैसी लगती है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची में कुछ है और माननीय मंत्री कुछ और प्रस्तुत कर रहे हैं। वह उन मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कार्य सूची में नहीं हैं। अतिरिक्त अनुदानों की मांगों वर्ष 2005-06 की है और वह उन्हें वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें यह स्वतंत्रता देंगे।

[हिन्दी]

ये एक साल आगे चल गए हैं।

श्री लालू प्रसाद : ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं।

[अनुवाद]

कृपया आप अंग्रेजी ठीक से पढ़िए।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 8160/2008]

अपराह्न 12.10½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—(2005-06)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय मैं वर्ष 2005-06 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[श्री लालू प्रसाद]

[हिन्दी]

अब करेक्ट हुआ या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनो हो सकती है।

[ग्रथांलाय में रखे गये। *देखिए संख्या एल.टी. 8161/2008*]

अपराह्न 12.12 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति को उनके प्रेरणाप्रद अभिभाषण के लिए इस सम्मानित सभा के सदस्यों के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अपने गणराज्य के 60वें वर्ष में देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अत्यंत प्रतिष्ठित महिला का स्थान प्रापत करना हमारे लिए गर्व का विषय है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका प्रेरणादायक अभिभापण सुनने का अवसर मिला।

महोदय, यह भी संतोष की बात है कि गत तीन दिनों तक हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल किए गए विभिन्न मुद्दों पर रोचक चर्चा की। कुछ माननीय सदस्यों ने कई मोर्चों पर सरकार के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया जबकि अन्य कई सदस्यों ने कुछ विषयों के संदर्भ में हमारे दोष ढूंढने का प्रयास किया है। मेरी समझ में यही लोकतंत्र का सार भी है। जहां तक लोकतंत्र की बात है इसमें वाद-विवाद, तक-वितर्क और रचनात्मक आलोचना तो होती ही है। साथ ही लोकतंत्र में दृष्टिकोणों की भिन्नता, मतविभेद और विभिन्नता के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना और असहमत होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना शामिल है। गत दिनों की चर्चा संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं का एक भाग है। यही बात हमारे देश को अद्वितीय बनाती है और मैं अपने सामूहिक भविष्य के प्रति आशान्वित हो जाता हूं। मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार और वाद-विवाद करते रहेंगे और इसमें कम-से-कम व्यवधान की गुंजाइश रखेंगे जो कि हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक दुखद पहलू बन गया है।

महोदय, इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे इस बात पर अत्यधिक संतोष हुआ कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिस समावेशी विकास की परिकल्पना की गई थी उसके संबंध में सभा के दोनों पक्षों में पूर्ण सहमति है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हमारे देश के लाखों लोगों में व्याप्त अत्यधिक गरीबी, अज्ञान और रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है। हमारी वृद्धि दर ने हमें दुनिया की तेजी से विकसित होने वाली कुछ अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष ला खड़ा किया है, यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

महोदय, समावेशी वृद्धि हेतु विकास एक आवश्यक शर्त है। परंतु हमने हमेशा देखा है कि केवल विकास से ही इतनें अधिक परिमाण में व्याप्त गरीबी से तब तक छुटकारा नहीं पाया जा सकता जब तक हमारे समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों को सशक्त बनाने हेतु नीतियां न हों। माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस परिकल्पना का भी उल्लेख है जिसने गत चार वर्षों से हमारी सरकार के काम-काज का मार्ग प्रशस्त किया है।

वह परिकल्पना क्या है? जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें ठोस और सतत् विकास की आवश्यकता है। रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए विकास जरूरी है और साथ ही कुछ ऐसे ठोस, पुनरूत्थान संबंधी विकास कार्य करने होंगे जिनसे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके और हम सामाजिक सर्व-उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना को सुधारने में अधिकाधिक धन खर्च कर सकें। गत चार वर्षों के दौरान रिकार्ड वृद्धि दर देखी गयी है और यह एक संतोषजनक का बात है।

परंतु हमारी सरकार यह समझती है कि हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि विकास से इसके लाभों का स्वयं ही समान वितरण हो जाएगा। अतः किसी भी लोकप्रिय सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें और समाज के निर्धनतम तबकों को सशक्त बनाए ताकि विकास की प्रक्रियाओं में वे भी सक्रिय भागीदार बन सकें। हमने ठीक यही किया है।

सर्वप्रथम, सभा के दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि कृषि में मजबूती से विकास होना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना

होगा कि हमारे किसानों, विशेषतः लघु एवं सीमान्त किसानों, को लाभप्रद मूल्य मिल सके, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और वे कृषि विकास की प्रक्रिया के साझीदार बन सकें।

सभा के दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि एक ऐसे देश में जहां 90 प्रतिशत जनता असंगठित क्षेत्र में जीवन-यापन कर रही है और जहां सामाजिक सुरक्षा संबंधी संस्थाएं अपर्याप्त हैं, हमें कीमतों पर समुचित नियंत्रण बनाए रखना होगा क्योंकि मुद्रास्फीति एक ऐसा कर है जिससे अमीरों की तुलना में गरीबों को ज्यादा कष्ट होता है। इस बात पर हम सभी सहमत हैं।

पुनः मेरा मानना है कि आम तौर पर सभा के दोनों पक्ष भी इस बात से सहमत होंगे कि समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारे बच्चों को इसका फायदा मिले तथा समान अवसर का लाभ मिले। यह रातोंरात तो नहीं हो सकता परंतु शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को आत्म-सम्मान का जीवन जीना सिखाया जा सकता है साथ ही वे विकास की प्रक्रिया में भी भागीदार हो सकते हैं। अतः हमारी प्रतिबद्धता न केवल प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा के विस्तारण के लिए है बल्कि हम उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए भी कटिबद्ध है। इसका कारण यह है कि हम एक ज्ञान-सघन विश्व अर्थव्यवस्था में रहते हैं और जब तक कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती है तब तक हम पिछड़े रहेंगे। महोदय, यही बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गयी है। यह बताया गया है कि हम किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में योजना बना रहे है और हमने कौन से कदम उठाए हैं।

कुछ देर पहले माननय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर देते समय समाज के गरीब तबकों तक स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने की दिशा में इस सरकार को उपलब्धियों का उल्लेख किया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम बाल मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर में अपेक्षित कमी लाने में सफल हुए हैं। यह कोई लघु-कालिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय लगेगा। परंतु मेरी समझ से आज हमारे पास जितने डाक्टर, जितनी नर्सें और जितने विशेषज्ञ हैं, उनकी संख्या पिछले चार वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया का अनुपालन करते-करते हम निश्चित रूप से अपने बच्चों और देश की महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार ला पाएंगे। यही अपेक्षित भी है।

हमें यह भी मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे भूमिहीन मजदूर हैं जिनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यद्यपि, कृषि के जरिए श्रमिकों को रोजगार मिलता है लेकिन कृषि कार्य में अक्सर वर्ष में ऐसे कई मौके आते हैं जब कोई काम नहीं होता है। अतः हमें कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता है जिससे हम रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अत्यधिक गरीबी को कुछ कम किया जा सके। इसी कारण सौ दिनों की एक राष्ट्रव्यापी रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है। मैं यही नहीं कहता कि केवल इसी एक काम से गरीबी दूर हो जाएगी परंतु मेरा यह मानना है कि इस योजना को यदि ईमानदारी और कुशलता से कार्यान्वित किया जाए तो इससे अवश्य ही कुछ हद तक गरीबी को कम किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने अब न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। यदि सौ दिनों का काम उपलब्ध है तो प्रत्येक परिवार को, चाहे उसमें केवल एक ही कमाऊ सदस्य हो, 8,000 रुपए प्रतिवर्ष पाने का अधिकार होगा। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूं ताकि इससे सामाजिक और आर्थिक स्तर की दृष्टि से निम्नतम तबकों की स्थिति में कुछ सुधार हो सके।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि विकास के फल हमारी आबादी के सभी तबकों तक पहुंचे तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज के दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रियाओं से पर्यापत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हमने कार्य-योजनाएं बनायी हैं। कुछ कार्य योजनाएं तो पहले भी थी, हमने उनका विस्तार किया है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के विस्तार कार्य में हम उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या अधिकतम हैं।

विपक्ष के माननीय नेता ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात कही है। मैं इस आरोप को नहीं मानता हूं। यह तो हमारी आबादी के सुविधाओं से वंचित तबकों के सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि सरकार में इस बात को समझने की हिम्मत है कि हमारे अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रियाओं से समुचित लाभ प्रापत नहीं हुए हैं और इसलिए अब समय आ गया है जब हम उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात मान नहीं रहे हैं। यदि आपको कुछ कहना है और यदि सहमत हों तो मैं अंत में अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कम-से कम देश के प्रधानमंत्री के प्रति तो हमें सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे माननीय विपक्ष के नेता पूरा सम्मान पाने के अधिकारी हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी पूर्ण सम्मान पाने के अधिकारी हैं।

डा. मनमोहन सिंह : अत:, हम अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, हम विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों के बीच की खाई तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह सशक्तीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। यह समावेशी विकास की प्रक्रिया का सार है। वाद-विवाद में अल्पसंख्यकों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में कुछ समस्या रही है, परंतु कुल मिलाकर इस सभा के सभी तबकों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि समावेशी विकास सहभागी लोकतंत्र का सार है, यह हमारी परम्परा, मूल्यों जो कि हमारे शानदार संविधान में निहित हैं का एक अक्षुण्ण भाग है। सरकार ने समावेशी विकास कार्य को आगे बढ़ाया है और मेरी समझ से यह हम सभी के लिए संतोष का एक विषय है।

महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्पूर्ण परिदृश्य सुहावना है। हमने भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के लिए आवंटन में वृद्धि की है। हमने जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के तहत शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और शहरी अवसरंचना के लिए भारी राशियों का आवंटन किया है परंतु यह समझना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार केवल आवंटन बढ़ा सकती है, राज्यों को मार्गनिर्देश दे सकती है, परंतु भारत राज्यों में बसता है और इसलिए समावेशी विकास के इस कार्यक्रम को पूर्ण सदाशयता से लागू करने की संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्यों की है। हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और वह प्रतिबद्ध भी है। आज इस सभा में ऐसी अनेक पार्टियों का प्रतिनिधित्व है जो राज्यों में शासन कर रही है। अत: मैं समझता हूं कि यह आसानी से कहा जा सकता है कि इस सभा के सभी राजनैतिक दलों के अधिकाधिक सक्रिय सहयोग के बिना हम देश के लिए आवश्यक इस समावेशी विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। अत: इस सभा के सभी वर्गों से मेरी अपील है कि वे भारत को मिले इन महान अवसरों की कद्र करें। मैंने अक्सर कहा है कि संसाधनों की कमी आज हमारे देश के लिए समस्या नहीं है। हमने गत चार वर्षों में दिखा दिया है कि किस प्रकार कर-राजस्व बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए मैं अपने मित्र माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस प्रकार हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर अधिकाधिक धन खर्च कर पाए हैं। हमने यह भी दिखा दिया है। यदि इच्छाशक्ति हो तो सरकारी तंत्र के कार्यकरण में भी सुधार लाया जा सकता है। जिस शानदार तरीके से मेरे मित्र माननीय रेल मंत्री ने रेलवे के राजस्व का प्रबंधन किया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, मेरा इस सभा के सभी वर्गों से अनुरोध है कि जब विकास की बात हो तो हमें अपने दलगत मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए। आज, एक ही पीढ़ी के दौरान गरीबी का उन्मूलन करना संभव हो गया है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होती रही तो हम 7-8 वर्षों के दौरान अपनी आय दोगुनी कर लेंगे। विकास संवर्धन कार्य योजनाओं के साथ-साथ यदि हम अपने बच्चों की शैक्षिक स्थिति और महिलाओं के स्वास्थ्य के सुधार हेतु कार्यक्रमों को चलायेंगे तो निश्चित ही गरीबी पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें अपने इस महान देश की अकूत संभावित क्षमता का दोहन करने हेतु इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

महोदय, मैंने इस बात से शुरूआत की थी कि हम सभी अपने किसानों के हितों के विषय में सहमत हैं और हम समग्र विकास की ओर बढ़े या न बढ़े, कृषि हमारा एक प्रमुख निर्धारक घटक है। मैं यह कभी भी नहीं कहूंगा कि कृषि की वर्तमान स्थिति अच्छी है। जब हम 2004 में सत्ता में आए थे तो उस समय कृषि की स्थिति अत्यंत दुखद थी। 2004 में हमें कृषि ऋणों की पुन:संरचना करनी पड़ी और पुन: 2006 में हमें यही काम ऋणग्रस्त जिलों के लिए करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? यदि आप वर्ष 1980-81 से लेकर वर्ष 1996-97 के आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि भारतीय कृषि में 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है।

1996-97 के बाद तथा वर्ष 2003-04 तक के वर्षों में राजग की सरकार थी। इस दौरान कृषि की विकास दर 2.3 प्रतिशत तक गिर गई।...*(व्यवधान)* राजग शासन के दौरान राष्ट्रीय आय के शेयर में कमी आई और कृषि निवेश में भी कमी हुई।

आज हमारे विपक्ष के सहयोगी किसानों के हितों के बात करते हैं वे अपने शासन के दौरान किसानों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रहे थे। 1991 से 1996 के कांग्रेस शासन के दौरान जहां कृषि व्यापार में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई वहीं राजग शासन के दौरान कृषि व्यापार में तथा किसानों को दिए जाने वाले कृषि उपज के मूल्यों में गिरावट आई। उस समय किसानों के लिए चिंता कहा थी? आप खरीद मूल्य देखिए। पांच वर्षों में राजग सरकार ने थोड़ा-थोड़ा करके खरीद मूल्य में कुल 50 रुपए की वृद्धि की। आप हमारी सरकार का रिकार्ड देखिए।

अतः मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया जाए क्योंकि श्री अनंत गंगाराम गीते ने इस समस्या का जिक्र किया है। वर्ष 1999-2000 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपए प्रति क्विंटल था। पिछली सरकार अर्थात् राजग सरकार ने 10 रुपए की छोटी-छोटी किश्त में कुल 50 रुपए बढ़ाए जो कि पिछले 5 वर्षों की अवधि में मात्र 8.6 प्रतिशत होता है। हमारी सरकार की पिछले चार वर्षों की अवधि से इसकी तुलना की जाए तो हमने चार वर्षों की अवधि में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 370 रुपए बढ़ाया, जो कि चार वर्षों में 56 प्रतिशत की वृद्धि है। मैं अपेक्षा करता हूं कि श्री ढींडसा कम से कम इसकी प्रशंसा तो करेंगे...*(व्यवधान)*

धान के मामले में भी चार वर्षों की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 प्रतिशत बढ़ाया गया जबकि इसकी तुलना में राजग सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि में बहुत थोड़ी केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के अनुपात में कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण जो कि वर्ष 2003-04 में 10.2 प्रतिशत था, हमारे शासनकाल अर्थात् वर्ष 2006-07 में बढ़कर यह 12.5 प्रतिशत हो गया। कई वर्षों के पश्चात् पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत हुई। ऐसे लोग जिन्होंने कृषकों के कल्याण की अपेक्षा की, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि व्यापार की अवधि को कम किया, जिन्होंने अतिरिक्त खाद्यान्न का घाटा उठाकर निर्यात किया, उन्हें कृषकों के कल्याण की वकालत करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह बात स्वीकार कर चुकी है कि किसानों की समृद्धि के बिना भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। मैं बचपन में पढ़े हुए ओलिवर गोल्डस्मिथ के शब्दों को याद करता हूं–

"इल फेयरस ट् लैंड, टू हेसनिंग इल्स ए प्रे,
वेयर वेल्थ एक्युमुनेट्स, एंड मैन डिके;
प्रिन्सेज एंड लार्डस में फ्लारिश, ओर में फेड;
ए ब्रेथ कैन मेक दैम, एज ए ब्रेथ हैज मेड;
बट ए बोल्ड पीजेंटरी, दियर कन्ट्रीज प्राइड;
वैन वन्स डिस्ट्रायड कैन नेवर बी स्पलाइड।"

अध्यक्ष महोदय, निर्भीक किसान की पीड़ा के कारण ही संप्रग सरकार सत्ता में आई, जबकि उस समय राजग सरकार "इंडिया शाइनिंग" की बात कर रही थी। यह पीड़ा राजग शासन की विरासत है, यह एक ऐसा शासनकाल था जिसके दौरान किसान विरोधी, कृषि विरोधी नीतियां बनी...*(व्यवधान)* कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमारे किसान और गरीब हुए। श्री ढींडसा को यह बात पता होनी चाहिए...*(व्यवधान)* उन्हें नए ऋण की आवश्यकता थी। हमारे द्वारा ऋण प्रवाह को तिगुना करने से भी उनकी पिछले ऋण की भरपाई नहीं हो पाई।

हमारे द्वारा घोषित ऋण राहत, राजग सरकार के कार्यकाल में किसानों के कंधों पर लदे बोझ को अततः हटाने का प्रयास है। हम कृषि क्षेत्र की पीड़ा को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब तक सभी किसानों के आसूं नहीं पोछ दिए जाते हैं, तब तक हम अपना कार्य जारी रखेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इसी कारण से हमारी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर किसानों के ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। जबकि इतने बड़े पैमाने पर ऋण राहत प्रदान करने का प्रयास पहले कभी नहीं किया गया। यह एक तरह से अभूतपूर्व पैमाने पर आय का हस्तांतरण है। यदि औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसाय में दिवालयान अनुमेय है तो इस ऋण माफी में क्या अनुचित है। इससे किसानों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। इससे बैंकरों के तुलन पत्र व्यवस्थित हो सकेंगे। इससे ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और मैं इस बारे में कोई माफी नहीं मांगूगा...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया उनकी बात ध्यान से सुनें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वह 60,000 करोड़ रुपए कहां हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। उन्हें जवाब देने दें। उन्हें जवाब देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। जब बजट पर डिस्कशन होगा, उस समय आप लोग इसके बारे में बोलिएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान दिखाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। यह बजट में किया गया है और आप बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे उचित तरीके से उठाना चाहिए ताकि उसका जवाब दिया जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। जब तक उनकी बात समाप्त नहीं होती किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है? आप प्रधानमंत्री की बात में व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बताया है कि ऋण राहत की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें सभी अनुसूचित, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। इसमें उत्पादन और प्रत्यक्ष निवेश ऋण दोनों शामिल हैं। यह केवल गैर-निष्पादनकारी अस्तियों के बारे में ही नहीं है। यह बकाया राशि के बारे में भी है। इससे चार करोड़ कृषिकों को लाभ होगा। ऋण राहत एक सरल प्रक्रिया है। जो कि जून माह तक पूरी कर ली जाएगी। यह कोई दीर्घ अवधि तक चलने वाला कार्य नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि संस्थागत ऋण की परिधि से बाहर वाले कृषकों को इस ऋण माफी से लाभ नहीं होगा। उनके लिए हमने वर्ष 2004 से वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान का बैंक खाता खोला जाएगा और उसे संस्थागत ऋण लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2004 में, हमारे सत्ता में आने के लगभग एक माह बाद हमने एक योजना स्वीकार की थी जिसके अंतर्गत जिन किसानों पर साहूकारों का ऋण है वे उस ऋण को समाप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास जा सकते हैं और साहूकारों के ऋण के विकल्प के रूप में संस्थागत ऋण ले सकते हैं। यह योजना अभी भी चल रही है। इस योजना से आंध्र प्रदेश के भी बहुत से किसान लाभान्वित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : ऐसा मत कीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक नहीं है। आप लगातार टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते। मुझे उसका खेद है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि यह गुमराह करने वाला है तो विशेषाधिकार की सूचना दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि यह ठीक बात नहीं है। आप उनसे लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वे सहमत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप यहां लगातार प्रश्न पूछना जारी नहीं रख सकते। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी पक्षों से संबंधित माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? आप इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप लंबे समय से यहां हैं। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण समाप्त करेंगे। यह क्या हो रहा है। श्री अनंत कुमार जी यह बहुत अनुचित है। मैं केवल यही कह सकता हूं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पहले उनकी शाउटिंग ब्रिगेड को बिठाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप तो शांत रहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां खड़े मत होइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है। मुझे बहुत खेद है। यह बहुत दुखद घटनाक्रम है।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : हम केवल यह कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री अनंत कुमार जी, आप नियम पुस्तिका देखिए। यदि वे गुमराह कर रहे हैं तो आप विशेषाधिकार की सूचना दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते रहेंगे। आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से नहीं पूछ सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा फिर, आप चिल्लाते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, हम चिल्ला नहीं रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जी अपना भाषण पूरा करेंगे और चले जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य करने का तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. बब्बर, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े दुख की बात है।

(व्यवधान)

प्रधानमंत्री महोदय, अपनी बात जारी रखिए।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जो सद्भावना दर्शाई है, उससे किसानों के प्रति और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को उसका सही स्थान पुनः दिलाने की हमारी इच्छा का पता लगता है।

महोदय, श्री आडवाणी जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आने वाला है। इस ऋण माफी के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में संदेह प्रकट किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं विपक्ष के माननीय नेता को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने केवल राजग सरकार द्वारा छोड़े गए और भुगतान न किए गए बिलों को ही लिया है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पैकेज के लिए धन का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जबकि किसानों

को इस राहत पैकेज के लाभ तुरंत मिल जाएंगे, बैंकों को इन ऋणों के देय होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उत्पादन और निवेश ऋण सहित बैंकों का ऋण तीन से चार वर्षों से देय होगा...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप तब तक यहां नहीं रहेंगे ...*(व्यवधान)*

डा. मनमोहन सिंह : हम इस अवधि के दौरान कर और गैर-कर राजस्व से इस पैकेज को वित्त-पोषित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान कर देंगे...*(व्यवधान)* इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ेगा और तरलता की कोई समस्या नहीं होगी...*(व्यवधान)*

जैसाकि वित्त मंत्रीजी ने इस सभा से अनुरोध किया है कि हमें इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु समूची सभा के पूरे समर्थन की आवश्यकता है। हमें किसानों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उनका हक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय बहुत से सदस्यों ने महंगाई की समस्या का उल्लेख किया है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यदि महंगाई की दर 4 से 5 प्रतिशत की सहनीय सीमा से ऊपर चली जाए तो इस देश की प्रत्येक सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह उसके बारे में चिंता करे...*(व्यवधान)* मैं इस प्रतिष्ठित सभा में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे सम्मुख उपस्थित परिदृश्य और परिस्थितियों की तुलना में मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। जब, राजग सरकार...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, प्रत्येक बात के लिए राजग से तुलना की जा रही है। यह क्या है?...*(व्यवधान)* वे सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है। आप अवश्य ही इसे प्रकट कीजिए, परंतु अभी नहीं। आप बाद में इसे व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में बजट पर चर्चा होने वाली है। आप उस समय यह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले उनकी बात सुन लेते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्वाभाविक है कि इस पर आम सहमति नहीं हो सकती परंतु अपने विचार व्यक्त करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निष्ठापूर्वक अनुरोध करता हूं कि हम उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष जैसे विशिष्ट व्यक्ति भाषण दे रहे हों तो हमें पूरी तन्मयता से और बिना व्यवधान उत्पन्न किए उनकी बात सुननी चाहिए। दोनों को सभा में इसका हक है। मैं आपसे इस बात के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : हम सिर्फ यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। श्री अनंत कुमार जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप यह जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधानमंत्री को इस सभा में बोलने नहीं दिया जाएगा।?

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वे राजग का उल्लेख कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है और आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपने संप्रग की आलोचना की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत अप्रसन्न हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रधानमंत्री जी की टिप्पणियों को ही नोट किया जाए और बिना अनुमति के और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस बात की पृष्ठभूमि का उल्लेख कर रहा था कि एक अवधि विशेष से दूसरी अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति की दर क्यों बदल जाती है। जब राजग की सरकार सत्ता में थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सबसे कम थी। हम वर्ष 2004 में सत्ता में आए और तेल की कीमत प्रति बैरल 36 अमरीकी डॉलर थी; आज यह लगभग 100 अमरिकी डॉलर है। राजग सरकार ने किसानों को देय कीमतों को कम करके कीमतों में थोड़ी स्थिरता बनाए रखी है। हम उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते कि... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विचित्र बात है। आप क्या कर रहे हैं? मैं नेता प्रतिपक्ष से अपील कर रहा हूं क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे नहीं पता कि श्री अनंत कुमार जी आपको क्या हो गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है? आज आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर मुझे आश्चर्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान के दौरान के एक भी शब्द को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मुझे आपको व्यवधान न डालने के लिए कहना पड़ेगा। यदि आप उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका यहां रहने की जरूरत नहीं है; आप जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी इसमें सम्मिलित न होइए। आप भी इसमें सहयोग क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : हम उचित मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन हम उस तथाकथित मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में सहयोगी नहीं होंगे, जिससे हमारे किसानों को देय मूल्यों की अनदेखी होती हो। उचित मूल्य स्थिरता के प्रति हमारी वचनबद्धता, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए। पिछले चार वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तीन गुणा से ज्यादा बढ़

गई है लेकिन हमने मिट्टी के तेल का दाम नहीं बढ़ाया है। हमने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मामूली वृद्धि की है। इन चार वर्षों के दौरान हमने किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले उर्वरक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर, किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे व्यवधान पैदा करेंगे, तो मैं क्या करूं? फिर मैं क्या कर सकता हूं। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो आप हमेशा आपत्ति करते हैं और परस्पर सहयोग नहीं करते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या गलत बोल रहे हैं। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन चार वर्षों में लागत बढ़ने के बावजूद किसानों द्वारा दी जाने वाली उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ायी हैं। हमने नहीं बढ़ाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं कि आप इस सभा को कैसे चलाना चाहते हैं। यह संसदीय प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जिस पर सरकार के प्रधान द्वारा जवाब दिया जा रहा है। आप सुनने को तैयार नहीं हैं और बीच-बीच में टिप्पणियां करते जा रहे हैं और उनसे प्रत्येक वाक्य की व्याख्या करने को कह रहे हैं। सभा में काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। यदि आप प्रधानमंत्री जी की बात सुनना नहीं चाहते, तो मैं उनसे अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध कर दूं।

(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : वे इस तरह हुक्म नहीं चला सकते।

अध्यक्ष महोदय : बीच में टोका-टोकी रोकी जानी चाहिए।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को अच्छी कीमत दी है। लेकिन समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति हमारी वचनबद्धता के उपाय के रूप में हमने इन अंतिम चार वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से बीच या गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह अतुलनीय रिकार्ड है और मैं समझता हूं कि इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। यह अपने आप में कीमतों को स्थिर बनाए रखने तथा हमारे समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की गंभीरता और वचनबद्धता को दर्शाने के लिए काफी है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य के बावजूद हम उचित मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। आव वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं; आयातित खाद्य तेलों की कीमतें आकाश छू रही हैं; आयातित खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे, कि हमारी जनसंख्या के कमजोर वर्गों को विदेशों से आने वाली इन विपत्तियों से कोई हानि न हो।

महोदय, श्री आडवाणी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख किया और मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मेरे लिए यह बहुत ही दु:ख की बात है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राज्य विधानमंडलों और संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के प्रति गंभीर है। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में हमने व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को किसी परामर्शतंत्र के बारे में जानकारी है, जिसे हमने स्वीकार किया है। हमें इससे सफलता नहीं मिली है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह भी एक वचनबद्धता है। अब नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात कही है; अब हमारे सी.पी.आई. (एम) के सहयोगी भी यह बात कह रहे हैं, इसलिए, मैं एक बार पुन: व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम इस दिशा में भी आगे बढ़ सकें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न की जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी जी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। आतंकवाद और विभिन्न प्रकार के आतंकवादी समूहों से निपटने में हमारी सरकार के कार्यनिष्पादन के बारे में श्री आडवाणी जी ने कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष को गलत साबित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है और इन बातों से बहुत ऊपर है। मैं इस सभा को भरोसा दिलाता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारा संकल्प दृढ़ है। भारत काफी समय से आतंकवाद को झेल रहा है। मुझे सभा को 2001 के उस काले दिन की इस घटना को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे सुरक्षा और वॉच एंड वॉर्ड कर्मचारियों की सजगता के कारण एक बहुत बड़े खून-खराबे को रोका जा सका था। मैं यहां एन.डी.ए. सरकार की विफलता को उजागर नहीं करना चाहता हूं। मैं सदस्यों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक खतरनाक... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

डा. मनमोहन सिंह : मैं सदस्यों को केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद हमारे सामने एक बड़ा खतरा है तथा हमें सदा सजग रहना होगा ताकि हम आतंकवादियों की योजनाओं को विफल कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों तथा श्री एल.के. आडवाणी ने हाल ही के कुछ आतंक की घटनाओं के बारे में हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा जानना चाहा। मुंबई विस्फोट जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था इस मामले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना में सिनेमाघर के विस्फोट में दस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में सी.आर.पी.एफ. कैम्प में हमला तथा उत्तर प्रदेश के न्यायालय में हुए विस्फोटों के संबंध में भी गिरफ्तारियां की गई हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूं। नागपुर में आर.एस.एस. मुख्यालय सहित विफल किए गए हमलों का मैं ब्यौरा दे सकता हूं। हमारी सरकार अन्य किसी भी प्रजातंत्रीय सरकार की तरह अतिवादियों और आतंकवादियों को हराने के प्रति दृढ़ संकल्प है। हमारी बहु-पक्षीय रणनीति से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में काफी कमी आई है तथा आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। मैं बताना चाहता हूं कि आतंक के विरुद्ध युद्ध जीतने में काफी समय लगेगा। हम आतंक के खिलाफ जरा भी ढील देने के विरुद्ध हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने आतंकवाद संबंधी कानून को उदार बनाया है। इस झूठ का हर हाल में खंडन किया जाना चाहिए। कानूनी प्रावधानों से आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता है। यदि ऐसा होता तो अक्षरधाम और रघुनाथ मंदिर पर हमले ही नहीं होते। कठोर कानून भी आई.सी.-814 के अपहरण को नहीं रोक सके। सच्चाई यह है कि इस घटना ने यह संकेत दिया है कि यदि आतंकवादी ठोस इरादे के हैं तो क्या सरकार उनके आगे घुटने टेक देगी। हमें वह दिन भी देखना पड़ा जब तत्कालीन विदेश मंत्री ही कट्टर आतंकवादियों को छोड़ कर आए।

अध्यक्ष महोदय, हल्ला मचाने से आतंक पर नियंत्रक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षमता से निगरानी तथा आसूचना की आवश्यकता होती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल ऊंचा है तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे चुनौतियों का सामना करने हेतु पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार : आप अफजल के बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कमेंट कीजिए बाद में बताएंगे।

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह : महोदय, विदेश नीति के बारे में कुछ कहना है। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। हमारे समक्ष अपने बाहरी वातावरण को इस प्रकार बनाने की भी चुनौती है ताकि यह हमारे दीर्घकालीन और सतत आर्थिक विकास के अनुकूल हो। हम अपने सभी पड़ोसियों, सभी बड़ी ताकतों और अपने सभी आर्थिक सहयोगियों के साथ परस्पर लाभ के रिश्ते कायम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य हेतु हम सभी देशों के साथ बातचीत कर रहें हैं तथा विश्व भर में मित्रता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम इस दिशा में हर संभव प्रयास

कर रहे है ताकि परमाणु ऊर्जा का अधिकतम शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत से संबंधित विशेष सुरक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अगली कार्यवाही हेतु हम देश में अधिक से अधिक सहमति बनाने हेतु भी प्रयास कर रहे हैं। मेरा विचार है कि इस प्रकार का सहयोग हमारी ऊर्जा सुरक्षा और विश्व के लिए लाभदायक है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खुशी हुई जब कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा ने खुल कर परमाणु सहयोग समझौते का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त महोदय, श्री स्ट्रोब टेलबोट जिन्होंने इस बारे में एनडीए सरकार के साथ वार्ता की थी, ने कहा कि एनडीए सरकार वर्तमान समझौते के पचास प्रतिशत के लिए भी तैयार थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नहीं रोकूंगा आप सही समय पर अपनी बात कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कमेंट कीजिए, हम मना नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सही समय पर अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने पड़ोसियों के प्रति हमारी नीतियों के बारे में कुछ कहना है। हमारे पड़ोसी देश हमारी पहली प्राथमिकता हैं। हम दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संपन्नता चाहते हैं।

सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी तरह लोकतंत्र का रास्ता चुना। मुझे विश्वास है कि सभा उन्हें बधाई देने में मेरा साथ देगी क्योंकि ऐसा कर उन्होंने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की एक महान बेटी को इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था। बेनजीर भुट्टो की मृत्यु पर हमें अत्यंत दुख हुआ है। पाकिस्तान के लोगों ने चुनाव के द्वारा के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

महोदय, मैं पाकिस्तान के नव निर्वाचित नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है। मैंने अनेक बार कहा है कि हमारे देशों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें अतीत को भुलाना होगा। हमें अपने साझे भविष्य, सुरक्षा और संपन्नता के बारे में सोचना होगा।

पाकिस्तानी चुनाव के बाद पहली घोषणा में भी वहां के मुख्य दलों के नेताओं ने भी हमारे साथ नजदीकी रिश्ता कायम कर स्थायी शांति के लिए इच्छा जताई है। दिवंगत बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे तो पाकिस्तान के साथ वार्ता आरंभ की गई थी।

शांति स्थापित करने का सबसे बड़ा कदम प्रधान मंत्री नावज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया था। मेरा विश्वास है कि दोनों देशों में यह सहमति है कि स्थायी शांति हेतु हमें नजदीकी रिश्ते तथा आपसी सहयोग अवश्य ही स्थापित करना चाहिए।

मुझे आशा है कि पाकिस्तान के नव निर्वाचित नेता इस दिशा में हमारे साथ शीघ्र ही आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सभा भी चाहेगी कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए तथा उनके साथ दोस्ती बढ़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि यह सरकार नेतृत्वहीन और दिशाहीन है और सरकार में दृढ़ संकल्प और निर्णायक क्षमता होनी ही चाहिए। मुझे नहीं पता की हमारी सरकार के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों किया उजा रहा है। श्री आडवाणी जी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसी बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। वे गलत साबित हुए हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

न खंजर उठेगा, न तलवार चलेगी, ये मेरे बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे जैसे लोगों के लिए इसे अंग्रेजी में कहें।

डा. मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत चार वर्षों में हमने देश की जिस दिशा में प्रगति की है उसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्पष्ट वर्णन किया गया है। देश ने समावेशी विकास की दिशा में प्रगति की है; समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को अधिकार

[डा. मनमोहन सिंह]

देने की दिशा में प्रगति की है। यह इस महान देश के प्रत्येक नागरिक में सहज उद्यमिता और सृजनात्मकता का विकास करने की दिशा में है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। यह सबको साथ लेकर चलने और गरीबी, अज्ञानता और रोग का उन्मूलन करने की दिशा में है। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में है। मुझे आशा है कि अब दिशा बिल्कुल साफ है, जिससे कि सभी देख सकें।

नि:संदेह मुझे मालूम है कि कुछ सदस्य चाहते हैं कि यह सरकार गिरे और जब से हम सत्ता में आए हैं तभी से उनकी यह इच्छा चली आ रही है। यह उनका दुर्भाग्य और राष्ट्र का सौभाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ है। परंतु महोदय, इतने पसंदीदा अपने आसानी से नहीं टूटते हैं। इसलिए, वे ऐसे ख्यालों में रहते हैं, जहां कोई नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, भविष्य भारत की ओर संकेत कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी राष्ट्रीय दलों के नेता एक ऐसा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं जो हमारे विकास के विकल्पों को व्यापक बनाए। मैं राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों के लिए प्रतिबद्धता चाहता हूं। हमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों पर संकीर्ण संदर्श अपनाकर अपने आपको नहीं बांटना चाहिए। इस वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभावक में ऐसे ही संदर्श का उल्लेख है। इसलिए, मुझे संसद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हार्दिक आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने का निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे। चूंकि विपक्ष के माननीय नेता कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि यह संभव है, तो आप एक-एक करके बोल सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, जो कुछ अभी-अभी कहा गया है, उसके आधार पर मेरे मन में कई प्रश्न पूछने का प्रलोभन हो आया है। परंतु मेरे विचार से विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है। इससे भी बढ़कर मेरा विचार है कि राजग सरकार के कार्यनिस्पादन के बारे में विशेषकर किसानों आंतरिक सुरक्षा से निपटने और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के संबंध में की गई टिप्पणियां पूर्णत: असत्य और निराधर हैं। आप राजग सरकार की सफलता का श्रेय उस कदम को दे रहे हैं, जिसका इन सभी छह-आठ वर्षों में किसी ने कभी सुझाव भी नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नाजुक मुद्दा एक ऐसा प्रश्न है कि यह सरकार संसद पर हमले की साजिश रचने वाले व्यक्ति से कैसे निपटी है। उन्होंने अफज़ल के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान क्यों नहीं किया गया है इसलिए प्रधानमंत्री के इस भाषण के विरोध में मैं चाहूंगा कि विपक्ष बहिर्गमन करे। .

अपराह्न 01.13 बजे

इस समय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, यह बहुत अनुचित बात है कि विपक्ष के नेता चले गए हैं। जब उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि उन्हें प्रश्न पूछने का प्रलोभन हो रहा है तो मेरा मानना है कि इस आयु में प्रलोभन अच्छी बात नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बोलिए। आप लोग शांति से बैठिए।

[अनुवाद]

मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के विदर्भ के जो कॉटन ग्रोअर किसान हैं, जिनकी आत्महत्या को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला और अंतत: सरकार को कर्जा माफी के लिए बाधित होना पड़ा। उस कर्जा माफी के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी बजट पर चर्चा शुरू होनी है, आप बजट में बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, अभी प्रधान मंत्री जी सदन में हैं। जो कर्जा माफी का पैकेज डिक्लेअर किया गया है। उसका लाभ विदर्भ के कॉटन ग्रोअर्स को नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, विदर्भ के श्री विलास मुत्तेमवार सदन में बैठे हुए हैं

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी विषय की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन के प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सारे संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं या कोई माननीय सदस्य चाहता है कि किसी विशेष संशोधन को अलग से रखा जाए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब एकसाथ बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? आप सभी एकसाथ बोल रहे हैं और मुझसे आशा करते हैं कि मैं यहां बैठूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सारे संशोधनों को एकसाथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, चूंकि हमारी मांगों पर कोई आश्वासन दिया गया है, इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 01.16 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प;

रेल (संशोधन) विधेयक, 2008;

रेल बजट (2008-09) सामान्य चर्चा;

*लेखानुदानों की मांगे (रेल)—(2008-09);

*अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)—(2007-08)

और

*अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल)—(2005-06)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक कार्यसूची की मद संख्या 16, 17 से 21 पर संयुक्त रूप से चर्चा करेगी।

श्री मोहन सिंह-उपस्थित नहीं। श्री प्रबोध पाण्डा जी सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पाण्डा जी, पहले आप संकल्प प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 31 जनवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा 31 जनवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि रेल अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	22,10,17,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	80,52,83,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	527,67,79,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	901,28,32,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	428,41,60,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	905,89,27,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और उपस्कर	493,08,57,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	673,37,70,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2381,87,62,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	2278,31,54,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	386,38,65,000
12.	विविध संचालन व्यय	402,30,25,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1617,62,48,000
14.	निधियों में विनियोग	4731,12,33,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,12,000
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	10,00,00,000

1	2	3
	अन्य व्यय	
	पूंजी	4989,80,82,000
	रेलवे निधियां	4339,91,67,000
	रेलवे संरक्षा निधि	216,65,00,000
	जोड़	25390,64,73,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 10, 12, 14, 15 और 16 के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होनें वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से, भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-08 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	10,59,75,000
12.	विविध संचालन व्यय	43,57,58,000
14.	निधियों में विनियोग	1606,15,54,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	309,58,00,000
16.	परिसंपत्तियां-अभिग्रहण, निर्माण और बदलाव	365,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	365,00,00,000
	जोड़	2334,90,87,000

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 4, 6, 10 और 16 के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से, भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	10,12,01,942
6.	सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	27,74,14,978
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	95,14,29,679
16.	परिसंपत्तियां-अभिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	2184,17,21,520
	पूंजी	2184,17,21,520
	जोड़	2317,17,68,119

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा गला ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा।

श्री हरिन पाठक : महोदय, 2008 को रेल बजट सम्माननीय लालू जी ने अपने चिर-परिचित अंदाज से सदन में और देश के सामने रखा। व्यक्तिगत रूप से मेरे उनके साथ बहुत मधुर संबंध हैं। उनकी अपनी एक खास शैली है। कई सालों से, कई दश्कों से गरीबों के लिए वे लड़ते-जूझते हैं।

जब बजट यहां रखा गया तो सब प्रभावित हो गये। चारों तरफ वाहवाही हो गये, यहां तक कि आज प्रधानमंत्री भी खुश हो गये, मगर मुझे बड़े दुख के साथ जो हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी उस दिन थोड़े प्रभाव में आ गये थे। 28 तारीख के बाद फिर जब लोगों की समझ में आने लगा कि असली बजट के पीछे क्या चालाकी या क्या महत्वपूर्ण उन्होंने अपना हुनर दिखाया है, जो कि असली बजट में नहीं है। आप दूसरे दिन के अखबार उठा लीजिए, बाद में पता चल जायेगा। एक के बाद एक खबरें हैं, 10 साल में दम तोड़ देगी भारतीय रेलवे। मैं नाम नहीं लूंगा, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का स्टेटमेंट है, सफर होगा थोड़ा महंगा, दैनिक यात्रियों को अंगूठा दिखाया। मैं वही बात कहने जा रहा हूं। करीबन पिछले 20-25 दिन से मैं इस पर लगातार अभ्यास कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी से भी कहा था कि मुझे इस पर बोलने का मौका दिया जाये। पार्टी का मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं लोगों से मिला, ट्रेन में सफर किया, स्टेशनों पर जाकर देखा, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं। हो सकता है, मेरी जानकारी में कहीं पर अगर कोई अनुचित बात हो, जो कि उन्होंने मुझे ठीक तरह से न समझाया हो या मेरे संज्ञान में ठीक तरह से न आया हो तो मैं कहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी मुझे दुरूस्त करें।

खोखली घोषणाओं से रेलवे का काम नहीं हो सकता। लालू जी, मैं प्राथमिक चीज आपसे यही अपील करूंगा और मुझे उम्मीद थी, इसलिए मैंने चार वाक्य आपके बारे में कहे। आप हम लोगों की तरह जमीन से जुड़े हैं, किसान, मध्यम वर्ग के लिए कई सालों से हम सब लोग लड़ते आये हैं, आप भी लड़ते आये हैं। अगर उनके बारे में सोचेंगे तो या तो आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया, मैं बाद में उस पर आऊंगा। उसी दिन रात को आपका इण्टरव्यू मैं एक टी.वी. चैनल पर देख रहा था, जब रिजर्वेशन की मर्यादा दो महीने से तीन महीने कर दी। उसके क्या परिणाम होंगे, मैं बाद में बताऊंगा। तब आपने तुरंत कह दिया कि मुझे पता नहीं है, मैं दिखवा लूंगा। 90 दिन इन एडवांस रिजर्वेशन, कैसे लोगों की जेबों से पैसे पिछले दरवाजे से निकाले जाते हैं, उसकी यह व्यवस्था है।

दूसरी बात मेरी यह है, रेल मंत्री जी, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? सारे आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं, आप और हम सब लड़ते हैं। देश की कुछ सेवाएं ऐंसी हैं, जो मुनाफे के लिए नहीं चलाई जातीं, आम आदमी की सुविधाओं के लिए है। ये मल्टीनेशनल कम्पनियां नहीं हैं। इसमें जो लोग सफर करते हैं, चाहे स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, किसानों की सब्सिडी का मसला हो, रेलवे हो, उसमें हमारा उद्देश्य है कि हम आम आदमी को उस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ दें। ताकि वह बेचारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पिछले तीन-चार सालों में आदरणीय मंत्री जी, आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया। हम उद्देश्य से भटक गए। सात हजार करोड़, वर्ष 2005-06 में 14 हजार करोड़ फिर 25 हजार करोड़ रुपए, हम पैसा कमाने के लिए रेल नहीं चलाते हैं...*(व्यवधान)* अगर आप कहें तो बैठ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। आपको भी बोलना है और आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये लालू जी की तारीफ कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, घोषणाओं से काम नहीं होगा, उनका अमलीकरण करना होगा। दो साल पहले आपने घोषणा की कि कुल्हड़ में स्टेशनों पर चाय मिलगी, ट्रेनों में चाय मिलेगी और जो गांव में इसे बनाने वाले गरीब कुम्हार हैं, उन्हें रोजी-रोटी मिलेगी। मुझे तो किसी भी ट्रेन या स्टेशन पर चाय का कुल्हड़ नजर नहीं आता है। मुझे किसी ने बताया कि मंत्री जी की केबिन में अभी है, यह वहां तक रहा है, अब जरा आप उसे बाहर निकालिए। वह बाहर नहीं है।

तीसरी घोषणा की थी कि खद्दर या खादी जिसे गांव का बुनकर बुनता है, उसे प्रमोट करने के लिए, रेल की बेड शीट्स खादी की होंगी, कर्टेन खादी के होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वे ट्रेनों में लगे हैं। यहां सिर्फ बातें करेंगे और सीधा ध्यान अधिकारियों पर नहीं देंगे, तो घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगी। इस बार आपने कहा, मैं इस पर बाद में आऊंगा, यह अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। पहली बार हुआ है कि जो हमारे कुली भाई हैं, जो सामान उठाते हैं, उन्हें नौकरी देने की बात कही गयी है और मैं उसका समर्थक हूं।

करीब 20-22 साल पहले, अहमदाबाद कारपोरेशन के द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट सुविधा थी, जैसे यहां दिल्ली ट्रांसपोर्ट है, जैसे एएमटीएस

ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी, वहां मैंने पहला काम किया कि गरीब को उसकी रोजी-रोटी मिले और करीब 500 गरीब लोगों को वहां मैंने रोजी-रोटी दी। आपने इस बारे में सोचा है, लेकिन मेरे मन में एक शंका पैदा हुयी है। आप उस शंका का निराकरण करिए और उसे दुरूस्त करिए। हमारे यहां 16 हजार 6 सौ मैंड क्रासिंग्स हैं और 18 हजार 2 सौ अनमैंड क्रासिंग्स हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि अगर चार साल में मंत्री जी आपने मुनाफा कमाया, 7 हजार करोड़ रुपए, 14 हजार करोड़ रुपए, 20 हजार करोड़ रुपए, तो जो वे अनमैंड क्रासिंग्स हैं, अगर उन पर आप ध्यान देते, तो वर्ष 2001 में जो अनमैंड क्रासिंग्स पर दुर्घटनाएं घटीं, झा जी, वह 15 प्रतिशत थीं, जबकि वर्ष 2006-07 में दुर्घटनाएं 37 प्रतिशत बढ़ी। इतने लोगों की जान बचा पाते, आपके पास पैसा है, आप ठोक-ठोक कर सरप्लस बता रहे है कि 20 हजार करोड़ रुपए कमाए,...*(व्यवधान)* इस साल 25 हजार करोड़ हो गया है। इसे पहले कर देते, तो कम से ये दुर्घटनाएं 37 प्रतिशत तो नहीं हुयी होती। कोई बात नहीं, नहीं किया, देर आए दुरूस्त आए और अब किया। मैं अभिवादन करता हूं। मैं सिर्फ एक बात आपके ध्यान में माननीय मंत्री जी लाना चाहता हूं कि गैंगमैन को हम गेटमैन बनाएंगे। गैंगमैन के काफी स्थान रिक्त हैं। जहां तक मेरा थोड़ा-बहुत अनुभव है, मैं रेलवे में काम नहीं करता मगर जैसे कहा कि हम लोगों के बीच रहते हैं। गैंगमैन का काम भी टैक्नीकल है। वह पटरियां चैक करता है, फिश प्लेट्स चैक करता है, बोल्ट वगैरह चैक करता है। गेटमैन का काम भी टैक्नीकल है। ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ परियोजना में सुधार करना चाहूंगा। अगर यह दोनों काम टैक्नीकल हैं, कुली भाइयों को जरूर बनाइए, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें इन दोनों कामों के हुनर सिखाने चाहिए। उनका काम अलग है, वे बेचारे सिर पर बोझ उठाते हैं, वे गरीब हैं। यदि हम उन्हें गैंगमैन या गेटमैन बना देते हैं, तो उन्हें गेटमैन का टेलीफोन रिसीव करना पड़ेगा कि फाटक कब बंद करना है। गेटमैन की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बहुत टैक्नीकल आस्पैक्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे कुली भाइयों को नौकरी के साथ प्रशिक्षण का काम भी दीजिए, वर्ना उन्हें समझ में नहीं आएगा कि गेटमैन को क्या-क्या काम करना पड़ता है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य सेवा का है। स्टेशन पर जो गंदगी है, आप यात्री डिब्बों में जाइए, उनकी जो हालत है, आदमी ट्रेन में बैठ नहीं सकता। मैं अगर मजाक में कह दूं तो ट्रेन में बहुत बड़ा आतंकवाद फैल गया है। मैंने उसे भुगता है। राठवा जी, यह आतंकवादी हाथ में नहीं आते, आतंकवादी ट्रेन में भाग जाते हैं। यह आतंकवादी कौन हैं? यह आतंकवादी चूहे हैं। पिछले साल मेरी बाय-पास सर्जरी हुई। डाक्टर ने मना किया और कहा कि आप अभी हवाई जहाज में कम सफर कीजिए क्योंकि प्रैशर बढ़ेगा। आप ट्रेन से जाइए। मैं राजधानी ट्रेन से अपने अटैंडैंट और परिवार के साथ 5-6 बार गया। चूहा मेरे फर्स्ट एसी कोच में था। ...*(व्यवधान)* वह भी बिना टिकट ट्रैवल कर रहा था। वे बेचारे उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह नहीं मिला। मुझे उस चूहे के काटने के डर से पूरी रात जागना पड़ा।...*(व्यवधान)* चूहा गोडाउन में घुस जाता है, कुछ भी खा लेता है। अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो झा साहब नाराज हो जाएंगे। चूहा गोदाम में जाकर क्या-क्या खा जाता है।...*(व्यवधान)* मैं बिल्लियां लेकर कहां घूमूं। मैं सीधा-साधा शिक्षक आदमी हूं। मैं जो कह रहा हूं, वह सब सत्य है। स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।

अब मैं जो चालाकी बता रहा हूं, राठवा जी, अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। मैं पूरे सदन का समर्थन चाहूंगा। मैं राजनीतिक बात नहीं करता। आज पूरे सदन को पता चलेगा कि पिछले दो सालों से देश में रेलवे के नाम पर आम आदमी को कैसे पिछले दरवाजे से लूटा जा रहा है, मैं उसका उदाहरण देने जा रहा हूं। यदि गलत हो तो मुझे रोकिए। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। या तो मंत्री जी को पता नहीं है। वह गरीब रथ है। हमने गरीब रथ में ट्रैवल करवा दिया। जो आम आदमी स्लीपर क्लास में जाता था, उसे थर्ड एसी में ट्रैवल करवा दिया। हमने रूटीन थर्ड एसी से उसका किराया कम कर दिया। क्या सदन को मालूम है? मालूम होगा कि गरीब रथ की कोच की कैपेसिटी वही है। पहले 64 बर्थ थीं। अब उसी बर्थ में, उसी कोच में, उतनी ही विड्थ एंड लैन्थ में 82 बर्थ कर दी गईं, यानी 18 बर्थ बढ़ा दी गईं। मुर्गी की तरह बेचारे पैसेंजर। चाहे वह गरीब ही हो, लेकिन उसे रात भर सफर करना है। अब कोच वही, लेकिन उसमें 64 बर्थ की जगह 82 बर्थ है। अब ये कहते हैं कि हमने गरीबों को ए.सी. ट्रेन में बैठाया। इसके साथ-साथ उसमें टायलेट भी चार ही हैं। यह चालाकी की गयी है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप गरीबों के साथ जुड़े हुए हो। अब डेढ़ दिन का सफर है और सफर में 64 बर्थ पर 82 आदमी बैठें।. ..*(व्यवधान)* मैं आपको नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह गलत है। अगर मैं कहता हूं कि सुविधा मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* गोयल जी, आपको दुख हो रहा है, तो जिस दिन आप रेल मंत्री बनेंगे, उस दिन मैं भाषण नहीं दूंगा। यहां ट्रेजरी बैंचों पर कोई नहीं है। राठवा जी, आप अपनी जगह उनको रेल राज्य मंत्री बना दीजिए। ताकि उनको तकलीफ न हो।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। गरीब रथ में आपने बर्थ बढ़ा दी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह

[श्री हरिन पाठक]

अखबार में है। आपने सभी एक्सप्रेस और मेल रेल गाड़ियों को सुपरफास्ट रेलगाड़ियां बना दिया है। बसुदेव आचार्य जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह दूसरी चालाकी है।...*(व्यवधान)* कुछ करना नहीं है, सिर्फ चालाकी करनी है। सारी मेल ट्रेनों के बोर्ड बदल दिये हैं। अब प्लेस सेम, डेस्टीनेशन सेम, डिस्टेंस सेम, स्टॉपिंग सेम, कोच सेम है। आधा-पौना घंटा कम करने की घोषणा की जाती है, लेकिन देश में ट्रेन कभी भी समय पर नहीं गयी है। दो घंटे से लेकर 24 घंटे तक ट्रेन डिले है, लेकिन आपने उसे सुपर फास्ट ट्रेन बना दिया। इस तरह किराया भी बढ़ गया। स्लीपर में 150 रुपये और ए.सी. में 300 से 350 रुपया बढ़ गया। अब यह कहते है कि प्रॉफिट हो रहा है। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। इनका ध्यान भी नहीं गया। अभी भी वाह-वाही चल रही है। प्रधान मंत्री जी को भी ध्यान नहीं गया कि कितनी ट्रेनें हैं। मेरे पास जो आंकड़े, हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा, तकरीबन 200 ट्रेनें हैं। अब जनरल कोच में 10 रुपये, स्लीपर कोच में 20 रुपया और ए.सी. कोच में 25 से लेकर 50 रुपये पर पैसेंजर आटोमेटिक बढ़ गया जबकि सेम जर्नी और सेम डेस्टीनेशन है। देश के साथ यह क्या हो रहा है? पूरे सदन को इतना गुमराह किया जा रहा है। कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है। आपने दो-तीन परसेंट किराय कम किया है। मैं इस पर बाद में आऊंगा। अब वह किराया कैसे कम किया, यह भी सदन को पता चलना चाहिए। उसमें भी आम जनता और सांसद के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन्होंने पाकेट से पैसे निकाल लिये हैं। यह क्या बात है? ट्रेनों के बोर्ड बदल देने से, नाम बदल देने से आम आदमी की जेब से पैसा निकल गया जबकि सुविधा के नाम पर शून्य है।

दूसरी बात बहुत गंभीर है। बसुदेव आचार्य और मेरे सभी साथी इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे— वह है तत्काल स्कीम। माननीय मंत्री जी, आप प्रॉफिट दिखाने के लिए ऐसा मत करिये। मैंने पहले कहा कि उद्देश्य क्या है। भारतीय रेल का उद्देश्य क्या है? हमने वह सूत्र लिखा हुआ है। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, तो सूत्र लिखा होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और हम आपकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। अब मंगलमय होगी यात्रा? अब 64 की बर्थ में 82 लोगों को बैठाना कहां तक ठीक है। उस ट्रेन में टायलेट का भी उचित व्यवस्था नहीं है। इस तरह जेब से पैसे निकाल लेना है। इसके बाद तत्काल योजना आती है। तत्काल योजना का मतलब है कि आदमी को इमरजेंसी हो, तो उन्हें टिकट मिल जाये। किसी को जाने की जल्दी है। पहले तत्काल योजना एक-आध दिन के लिए शुरू हुई थी यानी आप 24 घंटे में टिकट ले लो। कुछ पैसे ज्यादा दो, तो आपको कन्फर्म टिकट मिल जायेगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहले यह एक दिन था लेकिन अब जनवरी से, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 30 से 40 प्रतिशत कोचेज को तत्काल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। देखिए कि इसमें कितनी बड़ी होशियारी की गयी है। मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो उनमें से 40 सीटें तत्काल के लिए रिजर्व हो गयी हैं जिनके लिए आम आदमी को पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तत्काल टिकट बुक कराने के लिए समय बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया है। मैं इसका मतलब समझने में मैं नाकाम हूं कि क्या तत्काल पांच दिन पहले से हो सकता है। इसमें भी अनलिमिटेड वेटिंग लिस्ट होती है। आप इस तरह से जनता का पैसा मत लूटिए, मेरे ख्याल से अगर आप तत्काल के नाम पर अधिक पैसा ले रहे हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए और अगर हो भी तो वह अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तत्काल में लोगों को स्लीपर क्लास के लिए 150 रुपए और एसी क्लास के लिए 300 रुपए अतिरिक्त देने होते हैं, चाहे टिकट कंफर्म हो या नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : देने वालों को कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, रनिंग, कमेंटरी मत कीजिए।

श्री हरिन पाठक : झा साहब, आप समृद्ध परिवार से हैं, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, जिन लोगों को तकलीफ है, उन्हीं लोगों ने मुझे बताया है। लेकिन अगर जनता को लूटने में आपको खुशी हो रही है तो लूटिए। इसे पांच दिन पहले से बढ़ाकर दस दिन कर दीजिए।

इस तरह तत्काल कोटे के लिए 100 में से 30 सीटें रिजर्व हो गयीं। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं। अगर आपने सामान्य तरीके से बुकिंग कराई है, तत्काल टिकट नहीं लिया है, उस स्थिति में अगर आपका टिकिट वेटिंग में है और आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको पैसा रिफण्ड होता है। लेकिन तत्काल में ऐसा नहीं होता है, वहां पैसे चले जाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी को पता चल जाएगा कि यह बजट क्या है। तत्काल का एक उदाहरण आपको देता हूं - दिल्ली से लखनऊ एसी सैकण्ड क्लास का सामान्य किराया 830 रुपए है, अगर तत्काल में बुकिंग कराते हैं तो किराया 1130

रुपए होता है। इसके लिए पार्लियामेंट में नहीं आए, मेजें नहीं थपथपाई गयीं। तीन-चार प्रतिशत कटौती की गयी तो उसके लिए मेजें थपथपाई गयीं, वाहवाही लूटी गयी। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी पता नहीं है कि देश की जनता को किस तरह से लूट जा रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक सेकण्ड ऐसी में सामान्य किराया 830 रुपए है, तत्काल में 1130 रुपए देने होते हैं, यह 40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है। इसी तरह थर्ड एसी में सामान्य किराया 604 रुपए, तत्काल में 904 रुपए देने होते हैं, इसमें बढ़ोत्तरी हो 70 प्रतिशत, स्लीपर क्लास में दिल्ली से लखनऊ का किराया 235 रुपए है, तत्काल में इसके लिए 485 रुपए देने होते हैं, इस तरह इस श्रेणी के किराए में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गयी। यह लूट पिछले दो साल से चल रही है। आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब से यह पैसा जा रहा है और उसे लूटा जा रहा है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली-देहरादून सेकंड स्लीपर क्लास का आम किराया 166 रुपए है और तत्काल में टिकट लेना हो तो 316 रुपए देने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 90 प्रतिशत अधिक पैसा आपको देना होगा। जब हमने रेल चलाई तो मुझे नहीं लगता कि हमारा यह उद्देश्य था कि हम लोगों को लूटें। रेलवे का उद्देश्य तो आम आदमी को सुविधा मुहैया कराना होना चाहिए। अभी हमने सदन में दो दिन आम आदमी और गरीब आदमी की सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि हमारा देश एक है, चाहे अहमदाबाद हो, दिल्ली हो या मुंबई हो या अन्य कोई जगह हो, सब लोग एक से दूसरी जगह आ-जा सकते हैं और रह सकते हैं। गांवों से लोग इन्हीं बड़े शहरों में आते हैं, जबकि शहरों से गांवों में कम ही लोग जाते हैं। वे लोग जब अपने घर जाएं तो हमारा कुछ मेनडेटरी, हमारा प्राथमिक हक बनता है कि हम अपना लाभ न देखें, उनकी सुविधाएं देखें। यह उनका नागरिक होने का भी हक है, जो हमने उनसे छीनने का काम किया है।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तत्काल में और क्या किया गया है, बसुदेव जी इस बारे में डिटेल से बताएंगे। रेलवे में चार्जिंग की, वह भी डेस्टीनेशन टू डेस्टीनेशन की बताना चाहता हूं। अहमदाबाद एक ट्रेन आती है जोधपुर से बांद्रा की। मैं अहमदाबाद से बैठता हूं तो मुझे जोधपुर से मुंबई का टिकट लेना होगा।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : 24,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : ऐसे ही लूटते रहो लोगों को, ये योजनाएं आपको ही मुबारक हों अहमद साहब और धन्यवाद है आपको कि ऐसे ही देश को लूटते रहो, फिर खुश होते रहो, मेजें थपथपाते रहो। गरीबों का पैसा है, लूटते रहो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : सत्य बहुत कड़वा लगता है और बहुत दिनों के बाद सत्य सामने आ रहा है। अभी तो इस पर और भी माननीय सदस्य कहेंगे। लूटना शुरू हो गया, लालू जी चले गए, एक फिल्म का गाना है, क्योंकि वह भी शेरो-शायरी करते हैं... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप तो रेलवे का निजीकरण करना चाहते थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : हमने कभी रेलवे के निजीकरण की बात नहीं कही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बीच-बीच में टोका-टाकी मत कीजिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : हो सकता है मेरी हिन्दी ठीक न हो, लेकिन आपकी तो है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बीच-बीच में टोका-टाकी मत कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल जी आप बैठ जाएं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : ये ऐसे बोलते हैं तो कहना पड़ेगा कि हमें तो लूट लिया मिलकर यूपीए वालों ने, लालू जी ने और राठवा जी ने।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ पी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : गोयल जी, अगर मेरे इस शब्द से आपको तकलीफ हुई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।...*(व्यवधान)* यहां पान खाना मना है। आप बाहर जाकर पान खाएं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : मैं पान नहीं खा रहा हूं।

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष जी, लालू जी ने उस दिन ठीक कहा था, जब वह एक टीवी चैनल के सामने बैठे थे और लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : एक बच्चे ने लालू जी से पूछा था कि क्या आपको पता है कि आरक्षण अब 60 के बजाए 90 दिन का हो गया है। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि 90 दिन का रिजर्वेशन बहुत लंबा पीरियड है। इससे किसी को जाना है तो उसे 90 दिन पहले प्लानिंग करनी होगी। अगर टिकट कैंसिल करना हो तो कैंसलेशन चार्जेज भी अधिक लगेंगे। पहले 60 दिन का रिजर्वेशन था, लेकिन अचानक जनवरी में उसे 90 दिन का कर दिया गया। आपने ठीक कहा कि मैं इसे देखूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : इसमें कम्पल्शन नहीं है कि आपको करना ही है। आप तो आरएसएस से जुड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैं मानता हूं कि मेरी मातृ संस्था आरएसएस है। मुझे इसका सदस्य होने पर गर्व है।...*(व्यवधान)* मुझे आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : मैंने जो भी सीखा है, आरएसएस से सीखा है और मुझे इस पर गर्व है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आरएसएस के विरोधी हैं। रेल के मामले में दुनिया यथार्थ को स्वीकार कर रही है और आरएसएस जैसे कट्टरपंथी संगठन ने अपने पेपर ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में जो पॉजिटिव लिखा है, उनसे क्या आपका कोई रिश्ता नहीं है। उसमें उन्होंने हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और यथार्थ को स्वीकार किया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक : लालू जी, मैंने आपको बधाई दी है लेकिन जो कुछ उसमें गड़बड़ी है उसे दुरूस्त करने के लिए कहा है।

श्री लालू प्रसाद : उसमें उन्होंने हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और आप उनके सेवक होकर उल्टी बात कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक : भूरि-भूरि प्रशंसा करने के बाद, उसमें जो कमी रह गयी है, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। भूरि-भूरि प्रशंसा तो मैंने पहले कर दी है। लेकिन उसमें जो कमी है, कमजोरी है उसे आपको सुधारना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें रेल बजट पर बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : कमियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे, तो सच्चाई लोगों के सामने नहीं आयेगी। आपने अपने भाषण के समय उस रात कहा था कि मैं दिखवा लूंगा। मैं दुबारा रिपीट करता हूं। जैसे "तत्काल" रिजर्वेशन आप पांच दिन का कर दिया है। इसे भी दिखवा लीजिए, इससे कितना नुकसान आम आदमी को हो रहा है। आपने फर्स्ट एसी में 7 प्रतिशत, सैकिंड एसी में 4 प्रतिशत, 300 किलोमीटर की दूरी तक एक रुपया, 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दूरी के लिए तीन रुपया, 600 किलोमीटर तक तीन रुपया 700 किलोमीटर तक चार रुपया छूट की घोषणा की थी। इस पर आरक्षण शुल्क और विकास अधिभार शामिल नहीं है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मेरी सोच में अगर कहीं खामी हो तो आप जरूर उसे अपने प्रवचन में बता दीजिएगा। मुझे बताया गया है कि सारी छूट 7 प्रतिशत, 4 प्रतिशत आदि छूट पॉपुलर ट्रेनों में नहीं दी जाएगी या कम दी जाएगी। पीक-सीज़न में नहीं दी जाएगी। लीन पीरियड, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक यानी दो महीने तक का है। इसमें सत्य क्या है यह आप सदन को बताइयेगा और पूरे 10 महीनों में कितनी छूट मिलेगी, यह मैं आप पर छोड़ देता हूं। आपने जो घोषणा की है उसमें पूरे साल में कितनी छूट मिलेगी? पॉपुलर ट्रेनों की संख्या 450 है, उनमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और यह 7 प्रतिशत मिलेगी या 2 प्रतिशत मिलेगी, यह आप अपने भाषण में बता दीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि "हवाई किरायों में कमी से यात्रियों में बढोतरी हुई है। आप केवल तीन महीने तक कम भुगतान करेंगे।"

इस पर काफी आर्टिकल्स आये हुए हैं, फिर भी आप स्पष्ट कर दीजिएगा, मुझे संतोष हो जाएगा कि यह एक साल के लिए छूट है या केवल दो महीने के लिए है।

आदरणीय मंत्री जी, आप इसका उद्देश्य रखिये कि ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ें, आम आदमी की सुविधाएं बढ़ें, जनरल कोचेज काटे न जाएं क्योंकि आज उन्हें मजबूरन जनरल कोचेज में से निकल करके स्लीपर कोचेज में बैठना पड़ता है। अभी उनकी क्षमता इतनी नहीं बढ़ी है। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में जाना नहीं चाहता हूं, अगर बजट स्पीच में मुझे चांस मिलेगा तो उस समय मैं इस पर बोलूंगा। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन जो तीन-चार बातें मैंने कही हैं, रिजर्वेशन, तत्काल योजना तथा गरीब रथ में लोगों को जो तकलीफ होती है उन पर आप विचार कीजिए। मुझे यह भी बताया गया है कि यह जो छूट आपने दी है वह नये कोचेज के लिए है। उसका भी आप स्पष्टीकरण दीजिए। अभी 225 या 226 नए कोचिज है। बाकी तीन-चार साल के बाद बनेंगे। क्या माननीय मंत्री जी सदन को बताएंगे कि यह छूट सभी कोचों में दी जाएगी या सिर्फ 225 या 226 कोचों में दी जाएगी?

मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात का देश के विकास में अपना एक स्थान है। गुजरात का 90 प्रतिशत से भी ज्यादा विस्तार पश्चिम जोन में होता है। लालू जी आपके आंकड़े बताएंगे कि देश भर के सभी जोन में सबसे ज्यादा प्रति वर्ष इनकम होती है, पश्चिम जोन की और इस बार 5700 करोड़ रुपए की हुई है किसी दूसरे जोन की इतनी इनकम नहीं होती है। अहमदाबाद डिवीजन की 1885 करोड़ रुपयों की इनकम हुई है। फिर भी गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है।

मेरी तीन-चार बड़ी-बड़ी मांगे हैं। बाकी की मांगे समय को अन्य सदस्यों के लिए बचाते हुए मैं सभापटल पर रख दूंगा। पश्चिम रेलवे का 90 प्रतिशत से ज्यादा का हिस्सा गुजरात में है, इसका हैडक्वार्टर अहमदाबाद या गांधी नगर में लाया जाए। दूसरी मांग है, श्री राठवा जी को मालूम है और शायद आपको भी पता होगा कि अहमदाबाद सबसे ज्यादा कमाई देने वाला सैक्टर है। आपने एयर कंडिशन ट्रेन भी दे दी, मेरी मांग थी कि आप अहमदाबाद से अमृतसर की ट्रेन दें। अहमदाबाद से इलाहबाद, लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन दें और इस तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन मिली, वह भी अहमदाबाद से मुंबई के लिए, वह भी सैंट्रली एसी ट्रेन, जो कि पैसे वाले लोगों के लिए है।

[श्री हरिन पाठक]

अहमदाबाद, जो आपको 1885 करोड़ रुपयों की आमदनी देता है, उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि आज जो चार स्टेशन विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं, वैसे ही अहमदाबाद स्टेशन को भी, क्योंकि देश भर के लोग अहमदाबाद रहते हैं और सफर करते हैं, विश्व स्तरीय, हर प्रकार की सुविधा वाला स्टेशन बनाएं। भरुच, दाहेज, रूपांतर, दिल्ली और मुंबई की बीच की बात मैंने छोड़ दी। थर्ड ट्रेक का हमने सर्वे किया है। बजट का भी प्रावधान किया था और पैसा कमाने की बहुत संभावना है। रेलवे को बहुत पैसा मिलेगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन डालने के बारे में आप सोचिए। सर्वे किया जा चुका है। उसे कार्यान्वित कीजिए।

गुजरात से संबंधित अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमति, मणिनगर के लिए यदि आप इन छोटी-छोटी मांगों को स्वीकार करेंगे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि यह जो पिछले दरवाजे से देश में रेलवे के गरीब रथ में हो रहा है, तत्काल योजना में, रिजर्वेशन में, ट्रेनों को मेल से सुपरफास्ट बनाने में, सुविधाओं पर ध्यान कम है, स्टेशनों की स्थिति बदतर है, इस तरफ आप ज्यादा ध्यान दीजिए, आम आदमी की तरफ आप ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं पूछता हूं कि प्रथम श्रेणी एसी में कौन सफर करता है? या तो सांसद होंगे, रेल के बड़े-बड़े कर्मचारी होंगे, काफी कम लोग पैसा खर्च करके फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं। गरीब लोग जो जनरल कोच में, स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाइए। आप जनरल कोच की ट्रेनें दौड़ाइए जिस में आम आदमी यात्रा करता है। आप गांव से आते हैं। गांव से शहर को जोड़ने वाली जो इंटर स्टेट ट्रेन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। उपनगरीय रेल सेवाओं के बारे में आप चूक गए हैं। रेलवे की 40 परसेंट मुख्य सेवाएं उपनगरीय सेवाओं से जुड़ी हैं। अगर कोई गाजियाबाद से दिल्ली आएगा तो ट्रेन पकड़ेगा या विरार, बान्द्रा, बोरिवली, कांदीवली, मणिनगर, वटवा, महसाणा, पाटन से आएगा तो पहले ट्रेन पकड़ेगा, फिर मेन ट्रेन पकड़ेगा। बजट में उपनगरीय सेवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए था। उपनगरीय सेवाओं को और मजबूत करिए, सुविधाजनक करिए, ज्यादा रियायतें दीजिए और वहां नई लाइन्स डालिए।

अंत में यही कहूंगा कि मैंने जो-जो बातें कही हैं, आप उन पर गौर करिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि पैसा कमाइए, अच्छी बात है, आईएमए में जाइए, विदेशों में जाइए, हमें इस बात का गर्व है। विदेशों से लोग यहां सीखने के लिए आते हैं, हमें इस पर गर्व है लेकिन गरीब आदमी की जेब से पैसा निकला जाता है, आप वह मत कीजिए। रेलवे को दुरूस्त करिए, फिर अपना मैनेजमेंट देखिए, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा अगर आप ऐसा-वैसा काम बंद करेंगे।...*(व्यवधान)* अभी आपको बहुत आगे जाना है। कहां जाना है यह तो लोग तय करेंगे।...*(व्यवधान)* इस तरफ भी आना है।...*(व्यवधान)* यह आगे इस तरफ या उस तरफ जरूर जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

मैंने रेलवे के बारे में जो सुझाव दिए हैं, आप उन पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

महोदय, आपकी अनुमति से, गुजरात और अहमदाबाद के लोगों की कुछ मांगों और अनुरोधों के बारे में, मैं अपने भाषण का बाकी हिस्सा सभा पटल पर रखता हूं जिसमें इन मांगों का जिक्र है।

[हिन्दी]

मैं आपकी अनुमति से उन्हें टेबल पर ले कर रहा हूं ताकि वह लालू जी के पास डिटेल में पहुंच जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

*आपकी अनुमति से, मैं गुजरात राज्य में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कुछ वास्तविक मांगें और अनुरोध सभा पटल पर रखता हूं:

1. गुजरात की छोटे पत्तनों अर्थात हजीरा, दाहेज, बेदी और पोरबंदर तक बड़ी लाइन संपर्क

   राइटस ने एक रिपोर्ट तैयार की है और रेल मंत्रालय को सिफारिशें भेजी हैं।

2. भरुच-दाहेज रेल लाइन का आमान परिवर्तन।

3. अहमदाबाद-उदयपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन-कृपया विकास के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करें।

4. सूरत-हजीरा नई रेल लाइन

5. (एक) अंकलेश्वर-राजपीपला, (दो) सुरेन्द्रनगर-ध्रांगधारा, (तीन) अहमदाबाद-मेहसाना-तरंगा-अंबाजी (अहमदाबाद-

*...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मेहसाना बड़ी लाइन है), (चार) भावनगर-महुआ, (पांच) पाटन-भिलाड़ी, (छह) भावगर-दोहरा-सुरेन्द्रनगर, (सात) ढासा-जेतालसर, (आठ) बंकानेर-भुज-नलिया और (नौ) वड़ोदरा रेल मंडल के क्षेत्राधिकार वाली सभी संकरी रेल लाइनों का आमान परिवर्तन।

6. नई रेल लाइनों का निर्माण-(एक) वीरमगाम-संकलेश्वर, (दो) दमन-नासिक, (तीन) नादियाड़-तारापुर-खेड़ा-मतार, (चार) गोधरा-दाहेद-इंदौर-देवास, (पांच) तारापुर-महेमदावाड़, (छह) अहमदाबाद-खेड़मर्मा-अंबाजी, (सात) मेहसाना-हरिज-राधानपुर, (आठ) वेजलपुर-बोटाड, (नौ) राजकोट-जयपुर-मारवाड़ और (दस) पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन।

7. भिलाड़ी-समादी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

8. पाटन और भिलाड़ी के बीच अनुपलब्ध रेल संपर्क का निर्माण (बड़ी लाइन)।

9. डी एम आई सी हेतु रेल संपर्क का विकास–

बड़ी लाइन का दोहरीकरण: (एक) भरुच-सामनी-दहेज, (दो) सुरेन्द्रनगर-बोराड-ढासा-राजुला-पीपावाव, (तीन) सुरेन्द्रनगर-मेहसाना-वीरमगाम और (चार) पालनपुर-भिलाड़ी-समकयाली-गांधीधाम-मुंद्रा।

मौजूदा एम जी/एन जी रेल लाइन का आमान परिवर्तन : (एक) दाहेज-सामनी-भरुच, (दो) अहमदाबाद-बोराद्र-भावनगर, (तीन) वीरमगाम-समकयाली, (चार) नवलाखी-मलिया-राजकोट, (पांच) मेहसाना-वीरमगाम, (छह) वीरमगाम-सुरेन्द्रनगर, (सात) समकयाली-गांधीधाम- कांडला और (आठ) गांधीधाम-अंजार-मुंद्रा।

मौजूदा एमजी/एन रेल लाइनों का आमान परिवर्तन:

(एक) भावनगर-अढेलाल-धौलेरा-वरमान-पेटलाड। (दो) धौलेरा-भीमनाथ और (तीन) खंभात से खंभात पत्तन।

10. कांडला-भटिंडा रेल लाइन पर 'डबल स्टैक कंटेनर' की सुविधा प्रदान करना।

11. रेलगाड़ियों में सुविधाओं की वृद्धि/विभिन्न रेल लाइनों पर डिब्बों में वृद्धि।

12. मनीनगेर (अहमदाबाद-रेलवे स्टेशन)

निम्नलिखित रेलगाड़ियों का ठहराव अवश्य दिया जाए

1.	9309/9310	–	शांति एक्सप्रेस
2.	9059	–	इंटरसिटी
3.	2934	–	कर्मावती एक्सप्रेस
4.	9031	–	कच्छ एक्सप्रेस
5.	2942	–	ओखा-गुवाहटी एक्सप्रेस
6.	9570	–	बनारस एक्सप्रेस
7.	2474	–	सर्वोदय एक्सप्रेस
8.	9005	–	सौराष्ट्र एक्सप्रेस
9.	9110	–	वटवा स्टेशन पर गुजरात क्वीन*

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य से बोलने का अनुरोध करूं, मैं स्पष्ट कहूं, मेरे पास 60 से अधिक माननीय सदस्यों की सूची है।

[हिन्दी]

अगर 60-65 मैम्बर्स को बोलने का समय दिया तो मेरे ख्याल में हम इसे 4-5 दिन तक खत्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है जो माननीय सदस्य लिखित में अपना *[अनुवाद]* भाषण देना चाहते हैं वे अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं लालू जी से विनती कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : लिखित में स्पीच देने से वह रिकॉर्ड में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उसे कंसिडर करेंगे?

श्री लालू प्रसाद : जो मैम्बर्स ओरली भाषण करते हैं, हम उसे संक्षेप में नोट करते हैं। इसलिए अच्छा होगा अगर वे लिखित में दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी सैकिंड रिकवैस्ट है कि मैम्बर्स भाषण देते समय आधा-आधा घंटा न लगाएं। अच्छा होगा अगर बहुत ब्रीफ में पांच-सात मिनट में सुझाव दें।

मैंने सभी के लिए कहा है, अकेले निखिल कुमार जी को नहीं कहा है, सिर्फ निखिल कुमार जी से विनती नहीं की है, मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं हाऊस को बताऊं कि मेरे सामने एकच्युल प्रॉब्लम क्या है क्योंकि इसका हल आप ढूंढ लेंगे।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ज्यादा देर न बोलूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज रेल बजट पर बोलते हुए यह महसूस कर रहा हूं कि पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और यह आप माननीय विदेश मंत्री जी द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य से भी देख सकते हैं कि दूसरे देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों के मामले में एक प्रसन्नता का वातावरण है। आज सुबह भी, हमारे योग्य और माननीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ, विशेषकर पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाने की हमारी हार्दिक इच्छा का उल्लेख कर रहे थे।

महोदय, आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जो द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट और उसमें किसानों के 60,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने से संबंधित किए गए प्रावधानों पर पूरे देश में व्यक्त की गई प्रसन्नता का उल्लेख कर रहे थे। ये प्रश्न उठाए गए थे कि यह धन कहां से आएगा। मुझे आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की याद आती है और उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था जिससे प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह देश बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में एक अलग किस्म की भावना है कि भारतीयों का प्रभाव बढ़ रहा है। वे विनम्र और शालीन रहेंगे, वे सभ्य बने रहेंगे और सौम्य तथा शिष्ट बने रहेंगे परंतु जब उनके साथ असभ्य व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तब ऐसा नहीं होगा और यह हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है फिर वह चाहे टैनिस का मैदान हो, फुटबाल का मैदान हो या सबसे महत्वपूर्ण, क्रिकेट का मैदान हो। हाल ही में कनिष्ठ टीम इंडिया ने क्रिकेट का विश्व कप जीता और विश्व चैम्पियन बन गई और कल वरिष्ठ टीम इंडिया ने विश्व चैंपियनों को, जो अपने घरेलू मैदान पर जहां वे कभी नहीं हारे थे, हराया। मैं अपने क्रिकेटरों विशेषकर उनकी जिन्हें सर्वाधिक असभ्य व्यवहार और अपशब्दों, और न जाने क्या-क्या, का सामना करना पड़ा, की प्रशंसा करता हूं। मैं हरभजन सिंह का उल्लेख कर रहा हूं। अंततः, उन्हीं की जीत हुई।

मैं यह सब केवल इसलिए कह रहा हूं कि यह देश बदल रहा है, यह देश आगे बढ़ रहा है और ऐसा इस देश की आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है और आज देश की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी तरह से हमारे आम बजट में परिलक्षित होती है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लालू प्रसाद जी, यह आपकी तारीफ है, जिससे उन्होंने लिंक किया है।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार : यह सबसे अच्छी तरह से हमारे आम बजट में परिलक्षित होता है जिसके बारे में यह प्रश्न उठाया गया है कि सरकार किसानों के ऋण माफ करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये कहां से लाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप रेल बजट पर बोल रहे हैं या आम बजट पर?

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं वापस आऊंगा। कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे रेल मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं श्री हरिन पाठक को सुन रहा था।

[हिन्दी]

उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, यह भी कहा है कि तारीफ करते हैं लेकिन कुछ आलोचनाएं भी कीं।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन मैं माननीय लालू जी की तारीफ ही तारीफ करूंगा। इसमें हरिन बाबू की जो आलोचनाएं थी, उनसे मेरी कोई सहमति नहीं है।

ऐसा क्यों है? मेरे पास इस समय लालूजी का एड्रैस है। यह एक ऑल इनक्लूसिव बजट है। यह 'ऑल इनक्लूसिव' एक ऐसा टर्म है जो आजकल हम लोग बराबर सुनते हैं और हर किसी से सुनते हैं। आज सवेरे इसका जिक्र हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था कि अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उसे ऑल इनक्लूसिव डवलपमैन्ट करना होगा। लालू जी ने अपने बजट में हर क्षेत्र को, हर सैक्शन को तवज्जो दी है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ दो चीजें बताना चाहता हूं, जो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए की हैं- फ्री मंथली सीजन टिकट फॉर स्टूडैंट्स, फिफ्टी परसैन्ट कनसैशन फॉर लेडीज सीनियर सिटीजन्स और अशोक चक्र अवार्डीज को कनसैशन भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने हैल्थ संबंधी बातों पर भी ध्यान दिया है। एड्स अफैक्टिड पर्सन्स तथा मदर-चाइल्ड हैल्थ के बारे में भी उन्होंने तवज्जो दी है। उन्होंने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स पर भी ध्यान दिया है, अदर बैकवर्ड कास्ट्स कैंडीडेट्स के अपाइंटमैन्ट पर भी ध्यान दिया है। यानी कि माइनोरिटीज वैलफेयर सैल बनाकर इन्होंने एक ऑल इनक्लूसिव बजट पेश किया है। ये सब इन्होंने क्यों किया? ये सब इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि यूपीए सरकार की नीति ऑल इनक्लूसिव डवलपमैन्ट की है। ऑल इनक्लूसिव डवलपमैन्ट में हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने हर सैक्शन को, हर मुद्दे को अपने ध्यान में रखा है और उन पर तवज्जो दी है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनकी सराहना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब तो सामाजिक बातें हुईं। लेकिन जब रेल के परिचालन की बात आती है तो उस पर हम लोगों को ध्यान देकर यह देखना है कि क्या रेल मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रूकिये।

श्री निखिल कुमार : सर, आप मेरी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रूकें।

श्री निखिल कुमार : सर, मैं पहला स्पीकर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लें कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

श्री निखिल कुमार : आप बराबर पहले रोक देते थे, मैंने समझा कि आप आज फिर रोक रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पल्लम राजू, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आप सभा में समाचार-पत्र पढ़ रहे हैं, इसकी अनुमति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सभा में बैठकर समाचार-पत्र नहीं पढ़ना चाहिए।

(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमी राजू) : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु यह रेल बजट से संबंधित है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोट कर सकते हैं।

श्री निखिल कुमार : जहां तक रेलों के परिचालन का सवाल है। रेलों की सुरक्षा पर तवज्जो देना एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर आज तक रेल मंत्रालय ने अगर ध्यान दिया तो उतना सक्षम ध्यान नहीं दिया था, यह अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग का मुद्दा है। मैं लालू जी के भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जिस दिन वह बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने आंकड़े दिये और उन आंकड़ों से पता लगा कि इस मुल्क में अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग्स की संख्या भयंकर है और वहीं पर एक्सीडैन्ट्स होते हैं। उन एक्सीडैन्ट्स को रोकने के लिए जो रेल मंत्री जी ने इस बजट में जो प्रावधान किये हैं; वे बहुत अच्छे और सामयिक हैं और इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। मैं इस बजट की तारीफ इसलिए भी करता हूं कि जा फ्रेट रेट्स होते हैं, वे अमूमन हर रेल बजट में बढ़ते जाते हैं और सारी दुनिया जानती है कि आजकल हिन्दुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। सड़कें बन रही हैं और बड़ी चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं। प्राइम मिनिस्टर्स गोल्डन क्वाडीलेटरल रोड्स की प्रोजैक्ट्स पूरे मुल्क मे चल रही हैं। इन सड़कों के बनने से रोड्स से जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट होगा, वह कहीं

[श्री निखिल कुमार]

ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है और इसलिए वह रेल को एक चैलेंज पेश करेगा तो बावजूद उसके अगर रेल मंत्रालय ने उस चैलेंज को सही ढंग से लिया है और फ्रेट के रेट को कम किया है तो मैं यह समझता हूं कि यह एक किस्म का करिश्मा है। लालू जी ने कहा था कि पिछले साल उन्होंने कुछ लाइनें पढ़ी थीं कि पिछले साल हमने जादुई छड़ी चलाई थी या कुछ कहा था, लेकिन इस बार हम कुछ और कर रहे हैं, तो यह इस बजट की खूबी है और इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं।

मैं इस बात की भी में तारीफ करता हूं कि उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, बहुत जगहों पर जहां ट्रेनें जिन मंजिल तक चल रही थीं, उन्हें आगे बढ़ाया है और सबसे जरूरी बात यह है कि नई रेलें चलाने के लिए कुछ रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण शुरू कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यह सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा तो उस पर नई ट्रेनें चलेंगी। ये सारी बातें उन्होंने अपने बजट में शामिल की हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेल का किराया हम देखते आए हैं कि केवल पिछले साल लालू जी ने नहीं बढ़ाया लेकिन आम जो भी रेल मंत्री होता है, वह रेल भाड़ा जरूर बढ़ाता है और उसके लिए वह तमाम दुनियाभर की जस्टिफिकेशन देता है कि इसलिए बढ़ाया गया। लेकिन लालू जी ने इस साल रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया। रेल इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। कैसे यह करिश्मा किया है, यह वह और उनके मंत्रालय वाले जानते हैं। लेकिन बजट में उन्होंने इस चीज का जो जिक्र किया है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। हरिन जी, आपने यह प्रशंसा नहीं की थी। इसलिए मैं आपकी तरफ से प्रशंसा कर देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार : आपने कहा है कि मैं ज्यादा देर न बोलूं तो मैं तीन मुद्दों पर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इन तीनों मुद्दों पर ध्यान देंगे और हमारे अनुरोधों को मानेंगे। एक यह है कि रेल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है और इसमें इन्होंने यह कहा है:

[अनुवाद]

"मुआवजे की राशि जमीन के बाजार मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। बाजार मूल्य के अतिरिक्त...... आदि, आदि को ध्यान में रखते हुए जमीन के मालिकों को 60 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया ही जाना चाहिए"

[हिन्दी]

यह अमेंडमेंट बिल काबिल-ए-तारीफ है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका स्वयंभोगी हूं। अब कैसे स्वयं भुक्तभोगी हूं, इसका जिक्र लालू जी ने अपनी बजट स्पीच में किया हैं अब से कोई 18-19 साल पहले तत्कालीन बिहार के मुख्य मंत्री जी ने एक बिजली परियोजना की परिकल्पना हमारे क्षेत्र में नवीनगर में की थी। उस समय जो परिकल्पना की गई थी, वह 2200 मेगावॉट की थी। उस पर बहुत दिनों तक कुछ काम नहीं हुआ। वर्ष 1999 में जब तेरहवीं लोक सभा बनी, तब उस पर काम शुरू कराने की बात की पहल की गई और बड़ी मेहनत की गई और मेहनत कराते जब वह 13वीं लोक सभा भंग हुई, उस समय तक यह तय हो गया था कि यह एक ज्वाइंट वेंचर रेलवे और पॉवर मंत्रालय के बीच में होगा लेकिन दोनों के बीच में जा समझौता होना चाहिए था, उसमें एक अड़चन पड़ी हुई थी और वह बात पूरी नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग समझते थे कि यह बात अगली सरकार करेगी। अगली सरकार हम लोगों की आई और उसमें लालू जी रेल मंत्री बन गये। इन पर हम लोगों का भरोसा था कि वह जो दिक्कत पहले से पड़ी हुई थी, उसको ये दूर करेंगे और हमारे भरोसे पर ये खरा उतरें और वाकई उस अड़चन को दूर किया। पिछले साल फरवरी, 2007 में पहले से रेल मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के बीच में झगड़ा चला आ रहा था, वह झगड़ा दूर हुआ। हालांकि 2200 मेगावॉट की बात होनी थी लेकिन अंत में 1000 मेगावॉट के सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट को नवीनगर, औरंगाबाद में भारत सरकार ने खड़ा करने की बात मान ली। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे अपनी स्वीकृति दी और इसके लिए हम भारत सरकार और लालू जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस समझौते को अमली जामा पहनाया। अब इसका इस कानून के साथ क्या संबंध है? वह यह है कि हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण इस बजट के लिए होना । इस जमीन में कुछ आवासीय जमीन है और कुछ कृषि संबंधी जमीन है। अब इनका अधिग्रहण होना है तो आप जानते हैं कि अधिग्रहण के मामले में बंगाल में हमने कितनी बातें देखी हैं। खून-खराबा हुआ, सिंगूर में भी और नंदीग्राम में भी अप्रिय घटनाएं हुईं। वैसी ही कुछ स्थिति नवीनगर में बनने वाली थी, वहां पर किसानों ने एक संघर्ष समिति गठित की और उस समिति ने इस बात को आगे बढ़ाया कि जो

भी उनकी जमीन अधिग्रहित होने वाली है, उसका उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनको उचित मुआवजा मिलेगा तो वह मान जाएंगे।

इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो कानून अभी लालू जी लाने जा रहे हैं, हालांकि यह रेलवे अमेंडमेंट बिल है, लेकिन यह नवीनगर का रेल और बिजली मंत्रालय का ज्वाइंट वेंचर है, उसके लिए जमीन के अधिग्रहण में यह कानून रहेगा और इसलिए मैं इसकी सिफारिश करता हूं। हालांकि मैं रेल बजट पर बोल रहा हूं लेकिन मुझे बताया गया है कि यह बिल भी इसमें पेश हो गया है तो इस पर भी मैं अपने विचार दे रहा हूं। इस बिल पर हम अपना समर्थन देते हैं और मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे अपना समर्थन दे और इसे पास करें। मैं समझता हूं कि नवीनगर को इससे फायदा होगा बल्कि और जगह भी जहां रेल मंत्रालय अपनी जमीन का अधिग्रहण करेगी, उसमें इसे फायदा होगा। इसमें जो 60 प्रतिशत की बात कही गई है, यह अपने आप में अनूठा प्रावधान है और इसके लिए मैं समझता हूं कि सारे मुल्क को यह बात मान लेनी चाहिए क्योंकि उनके भले की बात है और इस कानून को अपना समर्थन देना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि पिछले महीने मुम्बई और मुम्बई के अलावा महाराष्ट्र में कुछ अप्रिय घटनाएं घटीं, जिसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है और वे अप्रिय घटनाएं उत्तर भारतीयों के खिलाफ घटीं थीं और उत्तर भारतीयों में भी विशेषकर ध्यान उन लोगों की तरफ दिया गया था जो बिहार से आते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद वहां से बिहारियों का पलायन हुआ। मैंने स्वयं उनको देखा है और मैं पटना रेलवे जंक्शन पर मिला हूं और जो उन्होंने तकलीफें बयान की, उससे हम लागों को काफी दुख हुआ है, तकलीफ हुई है। हम जहां महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को वापस वहां जाने के लिए आश्वासन दें कि उनकी सुरक्षा का वाजिब इंतजाम होगा। लालू जी के सामने मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वहां बहुत सारे लोग बिहार के काम करते हैं और रहते हैं और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। आज एक-दो-तीन नहीं लाखों लोग रहते हैं और वे लोग जब छुट्टियों में या किन्हीं विशेष मौकों पर घर आते हैं तो वे लोग एक विशेष ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वह विशेष ट्रेन राजेन्द नगर एक्सप्रेस मुम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चलती है और पटना के राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर आती है। मेरा उनसे अनुरोध यह है कि इस ट्रेन को बढ़ाकर वह दरभंगा तक ले जाएं तो जो लोग उत्तर बिहार वाले मुम्बई और महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके लिए यह बहुत लाभदायक होगा, उनको सुविधा प्रदान होगी। इसलिए अगर हमारा यह अनुरोध वह मान लेते हैं तो उनके लिए बहुत राहत मिलेगी। यह मैंने लालू जी को चिट्ठी भी लिखी है। अगर उनको यह चिट्ठी नहीं मिली है तो मैं दुबारा उसकी कॉपी उनको दे दूंगा लेकिन इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज, मेरा क्षेत्र बिहार का औरंगाबाद है और यह उग्रवाद से ग्रसित है। इसे लालू जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसमें जो ग्रेड कॉर्ड होकर ट्रेन निकलती है, उस पर सारी ट्रेनें रात में जाती हैं। लिहाजा जो हमारे यात्री हैं, वे अगर उन ट्रेनों से जाएं तो उतरते ही वहां पर एक रफीगंज रेलवे स्टेशन है और वहां से वे अपने घरों को जाने के लिए रात में ही किसी सवारी का इस्तेमाल करते हैं या पैदल जाते हैं। वह पूरा ग्रामीण इलाका है और वह उग्रवाद से ग्रसित है। मैं कह रहा था कि बजाए रफीगंज में उतरने के लिए अगर प्रावधान हो जाए कि एक बीच में बसारतपुर-गोडीहा हॉल्ट खोल दें जिसके लिए मैंने लालू जी से चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है, उसका मैं उन्हें स्मरण कराता हूं और दुबारा अनुरोध करता हूं कि इस अनुरोध को वह कृपया मान लें।

बसारतपुर गोड़िया हाल्ट की स्थापना कर दें। इस से व्यापक रूप से ग्रामीण जनता का फायदा होगा। उनकें मन में जो असुरक्षा की भावनाा व्याप्त है, वह निकल जायेगी। जब ट्रेन इस स्टेशन पर पहुंचेगी तो दो मिनट का स्टापेज देने की जरूरत है। मैं रेल मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वह यश के भागी बनेंगे और हम उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी को याद होगा कि पिछले अक्तूबर में उन्होंने एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए शिलान्यास किया था और उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी कि डेहरी-ऑन-सोन से बिहटा तक रेलमार्ग बनाये जाने का सर्वेक्षण कराया जाये। मेरी बात मानकर उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जिसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन उस शिलान्यास के बाद उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे पता चला है कि रेलवे बोर्ड का कहना है कि औरंगाबाद से बिहटा तक यह रेल लाईन बनेगी लेकिन इस का रेल बजट में कहीं जिक्र नहीं है। मेरा आग्रह है कि जहां उन्होंने अन्य जगहों के लिये ध्यान दिया है, इस खंड के लिये भी कार्यवाही करें। वह फिर से इस कार्य के यश के भागी बनेंगे।

उपाध्यक्ष जी, अंत में किसानों के लिये एक बात कहना चाहूंगा कि गया से फर्टिलाइजर आता है लेकिन अनुग्रह नारायण नगर स्टेशन पर रेट पाइंट्स नहीं होने से किसानों को परेशानी होती है। मेरा आग्रह है कि वहां रेट पाइंट्स बनाये जाने से किसानों का हित होगा। माननीय रेल मंत्री जी उस इलाके की वास्तविकता से वाकिफ हैं, आशा है कि वह मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे।

[श्री निखिल कुमार]

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से माननीय रेल मंत्री और यू. पी.ए. सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने इतना शानदार रेल बजट बनाया है।

[अनुवाद]

*श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि रेल मंत्री द्वारा उड़ीसा की उपेक्षा की गई है क्योंकि राज्य की 1330 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में केवल 972 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया है। मंत्रालय द्वारा राज्य को दिए गए उक्त आबंटन का बड़ा हिस्सा अन्तर-राज्यीय रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए दिया गया है और इसका उद्देश्य अधिक राजस्व कमाना है जबकि चालू परियोजनाओं के लिए सांकेतिक राशि के रूप में बहुत कम राशि जैस- खुर्दा-बोलंगीर रेल लाइन के लिए आवश्यक 700 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 32.4 करोड़ रुपये और इसी प्रकार लांजीगढ़-जूनागढ़ रेल लाइन के लिए आवश्यक 120 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 35 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

हमारी राज्य सरकार ने रेल बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। परंतु उनमें से एक पर भी रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी उड़ीसा की रेलवे के मामले में उपेक्षा क्यों की गई है और वर्तमान माननीय रेल, मंत्री जी भी वही बात दोहरा रहे हैं। महोदय, मेरा राज्य रेलवे के लिए प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करता है। दक्षिण पूर्व मध्य और पूर्व तटीय रेल दो अग्रणी लाभदायक रेल जोन हैं लेकिन जब हम प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर उपलब्ध किलोमीटर मार्ग के अनुसार रेल सघनता को देखते हैं तो मेरा राज्य इसमें सबसे निचले स्तर के राज्यों में आता है। इससे यह इंगित होता है कि भारतीय रेल न केवल जनजातीय क्षेत्रों के जोनों से अर्जित लाभ का उपयोग दूसरे विभिन्न जोनों को राज-सहायता प्रदान करने के लिए करता है अपितु यह उन क्षेत्रों के साथ भेद-भाव भी करता है जहां से इसे लाभ अर्जित होता है।

रेलवे ने देश के आर्थिक विकास और त्वरित सामाजिक परिवर्तन में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है लेकिन वह उड़ीसा जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को भूल गया है। के.बी.के. क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और जयपोर, मलकानगिरी, नौपाड़ा, गुनुपुर, कंधमाल और बेल्पाली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने की राज्य की मांग की भी उपेक्षा की गई है। यहां तक कि रेल मंत्रालय ने फूलबनी (कंधमाल), केन्द्रपाड़ा और मलकानगिरी को जिला मुख्यालयों को रेल से जोड़ने तथा कुछ नई रेलें चलाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है। मैंने भी कई बार माननीय रेल मंत्री जी से विभिन्न मंचों पर यह अनुरोध किया है कि कंधमाल जिले को खुर्दा-बोलंगीर रेलवे लाइन का लाभ नहीं मिल रहा है तथा कंधमाल को बराहमपुर से जोड़ने की स्वीकृति दी जाए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों भारतीय रेल उड़ीसा और के.बी.के. के जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने पर उसी प्रकार से विशेष ध्यान नहीं देती जैसे वह पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा जम्मू और कश्मीर पर दे रही है। यह क्षेत्र पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में पूरवर्ती क्षेत्रों की तुलना में भी भारत की मुख्यधारा से कहीं दूर है, यहां दूर होने और उग्रवाद की उपस्थिति जैसे कारक भी मौजूद हैं, यह आर्थिक रूप से यह सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है और फिर भी रेलवे के राजस्व में बड़ा योगदान देता है।

मैं यहां इस बात का भी उल्लेख कर दूं कि माननीय रेल मंत्री द्वारा उड़ीसा के संबंध में गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। गत बजट में घोषित रांची-भुवनेश्वर गरीब रथ को भारतीय रेल द्वारा अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मैं न केवल आशा करता हूं अपितु मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री उड़ीसा के संबंध में गत वर्ष और इस बजट में की गई नई रेलें चलाने की घोषणाओं को अवश्य पूरा करेंगे।

महोदय, मैं पुनः माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपनी पुरानी नीतियों को बदलें तथा कृपया नई चल रही खुर्दा-बोलंगीर रेल लाइन के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये तथा लांजीगढ़-जूनागढ़ रेल लाइन के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये आबंटित करें तथा कंधमाल (फूलबनी) को बरहमपुर से जोड़ने के लिए एक नई सम्पर्क लाइन चलाने पर विचार करें तथा चालू वित्त वर्ष में इसके सर्वेक्षण की स्वीकृति दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे अपने दल का समय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उससे सहमत हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

आचार्य जी, कल दूसरे सदस्य शोर मचा रहे थे, कि हमारा समय ले लिया। इसलिये आप समय का ध्यान रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : अगर आप समय नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलें लेकिन आपकी पार्टी का जितना टाइम है, उसमें मुझे एतराज नहीं है अगर आपके लोक कम्पैल न करें क्योंकि आपकी पार्टी के 5 लोगों के नाम आये हैं। आपके पार्टी के 56 मिनट हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन उन 5 में से 2 यहां नहीं हैं।

[अनुवाद]

मेरी पार्टी की ओर से मेरे केवल दो ही सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की ओर पांच लोगों के नाम मुझे मिले हैं। आवंटित समय 56 मिनट है।

श्री बसुदेव आचार्य : वे सोमवार को आएंगे। वे सोमवार और मंगलवार को बोलेंगे क्योंकि सभा का समय और बढ़ाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष जी, हमें हमारा टाइम दीजिये।

उपाध्यक्ष जी, हम तो श्री लालू जी को पूरा अभिनन्दन देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सकेंगे। यू.पी.ए. सरकार के पांच साल का यह अंतिम रेल बजट है, फिर कहां समय मिलेगा क्योंकि फरवरी में बजट पेश नहीं कर पायेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : तब वोट ऑन अकाऊंट होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उस समय वोट ऑन अकाऊंट आयेगा, रेल बजट बाद में होगा।

[अनुवाद]

उन्होंने बजट में यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया है। बल्कि इसमें कुछ कमी की है यद्यपि यह नाम मात्र की कमी है। लेकिन हो यह रहा है कि बजट प्रस्तुत करने के बाद भी मीडिया की समीक्षा में हर बार-ऐसा हमारा अनुभव रहा है—वर्गीकरण के बदलाव के लिए, माल भाड़े को भी संशोधित कर दिया जाता है। हाल ही में इस वर्ष जनवरी माह की 2 तारीख को सीमेंट क्लिंकर और लौह अयस्क के लिए वर्गीकरण को बदल दिया गया है। इसलिए, माल-भाड़े में वृद्धि हो गई है।

इस्पात और कोयले के मामले में ऐसा पिछले साल ही हुआ है—वर्गीकरण को बदलकर मालभाड़ा दर भी बढ़ा दी गई थी। श्री हरिन पाठक द्वारा इसका उल्लेख किया जा चुका है और रेल संबंधी स्थायी समिति ने भी जोरदार शब्दों में इसकी सिफारिश की है। जब 200 एक्सप्रेस गाड़ियों को सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों में बदला गया था तो केवल नाम ही बदले गए थे और सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ था।

25 वर्ष पूर्व यह मानदंड तय किया गया था कि यदि किसी गाड़ी की गति 55 कि.मी. प्रतिघंटा होगी तो उसे सुपरफास्ट ट्रेन घोषित किया जाएगा। यह कब निर्धारित किया गया था? 25 वर्ष पूर्व यह निर्धारित किया गया था। इन 25 वर्षों के दौरान बहुत से सुधार हुए हैं। लकड़ी और स्टील के सारे स्लीपर जगह कंक्रीट के स्लीपर लगा दिए गए हैं। ट्रैक को भी बदल दिया गया है, ट्रैक का भी नवीकरण कर दिया गया है। इसलिए, हमने यही सिफारिश की है कि एक रेलगाड़ी को सुपरफास्ट ट्रेन के रूप में घोषित करने के लिए न्यूनतम गति 75 कि.मी. प्रति घंटे होनी चाहिए। लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी है।

यह राहत केवल दैनिक यात्रियों को ही दी गई है। इस मुद्दे को हमारे द्वारा उठाए जाने के बाद यह राहत केवल दैनिक यात्रियों को दी गई है। गाड़ियों के प्रस्थान और आगमन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी कोई यात्री सुविधाएं नहीं है जिनमें सुधार हुआ हो लेकिन सुपर-फास्ट गाड़ियों में यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक भुगतान करना पड़ा। केवल नाम ही बदले गए थे।

इसी प्रकार वर्ष 2001-02 में सुरक्षा अधिभार लगाया गया था जब एस.आर.एस.एफ का सृजन 17000 करोड़ रुपये से किया गया था। 17000 करोड़ रुपये की इस राशि में से 12000 करोड़ रुपये केन्द्रीय राजकोष से आए थे और 5000 करोड़ रुपये यात्रियों से सुरक्षा अधिभार के रूप में वसूल किए गए थे। यह सुरक्षा अधिभार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच वर्ष के लिए लगाया गया था। इसलिए पांच वर्षों के लिए सुरक्षा अधिकार लगाया गया था। वर्ष 2006-07

[श्री बसुदेव आचार्य]

में पांच वर्ष बीत जाने के बाद इस सुरक्षा अधिभार को विकास अधिभार के रूप में बदल दिया गया और इसे 1 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। जबकि यह अधिभार पांच वर्ष के बाद खत्म कर दिया जाना चाहिए था।

85 (पिचासी) प्रतिशत आम यात्री द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं। उनको ज्यादा राहत मिली होती उससे कहीं ज्यादा जितना लालूजी ने नाम मात्र के किराया घटाकर राहत देने की घोषणा की है।

महोदय, यह सच है कि कई वर्षों के बाद कुछ नए कदमों के उठाये जाने के कारण रेल मंत्रालय को लाभ हुआ है। लेकिन जिस अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई है वह वास्तव में अतिरिक्त राशि नहीं है। आपको उसमें से लाभांश और देयता को घटाकर देखना होगा। लेखा प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। पट्टा-प्रभार को अब सामान्य खर्चे में नहीं दिखाया जाता है जिससे प्रचालन अनुपात पर इसका असर पड़ता है। प्रचालन अनुपात को भी 76 प्रतिशत तक कम किया गया है। फिर भी अतिरिक्त लाभ हुआ है। क्यों यह अतिरिक्त लाभ है। प्रश्न यह है कि क्या यह कायम रहेगा।

पिछले तीन वर्षों से वहन क्षमता से ज्यादा, 9 से 10 टन माल मालगाड़ियों में ढोने की अनुमति दी गई है। एक समिति गठित की गई थी जिसमें जांच की गयी कि क्या इससे स्थायी रेको और रौलिंग स्टॉक पर प्रभाव पड़ा है। स्थायी रेकों पर इसका असर हुआ है। इसलिए उतनी ही रेको से हमें आज जितना लाभ हुआ है, उतनी ही रौलिंग स्टॉक से हमें ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है। हम अधिक माल की ढुलाई कर रहे हैं। यह अस्थायी लाभ नहीं है। इसके ट्रैक की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में आपको समस्या से जूझना पड़ेगा। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ज्यादा जोर दिया गया है। वामपंथी पार्टियों का अपना दृष्टिकोण है। पूर्व की तरह यह बजट भी आर्थिक सुधार की नीति से अलग नहीं है जिसपर सरकार ने एक नजर डाली है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण के लिए रेलवे को 2,50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हम भी चाहते हैं कि रेल प्रणाली को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। आज हमारे पास वर्षों पुरानी कई सिगनल प्रणाली है। सिगनल प्रणाली को बदलने के लिए तथा उनके आधुनिकीकरण पर हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी कुछ खंडो पर पुरानी सिगनल प्रणाली आज भी है। सभी सिगनल प्रणालियों को आधुनिक सिगनल प्रणाली से बदला नहीं जा सका है। हमें धन की जरूरत है लेकिन क्या रेलवे के पास अपना अतिरिक्त लाभ बढ़ाने, अपना राजस्व बढ़ाने की संभावनाएं हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे के बाजार शेयर को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। आज हम कहां पर खड़े है? दसवीं पंचवर्षीय योजना ने रेलवे के बाजार शेयर नहीं बढ़े हैं जैसा कि आशा थी। आज, मालवाहक गाड़ियों के मामले में बाजार-शेयर केवल 35 प्रतिशत है। ढुलाई में अधिक मात्रा कोयला, लौह अयस्क और इस्पात की है। लौह अयस्क का मतलब मुख्यतः निर्यात के लिए अयस्क तथा इस्पात संयंत्रों के लिए भी है।

आज 89 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने की मांग हो रही है। 89 मिलियन टन के लौह अयस्क में से रेलवे का हिस्सा उसके एक रेलवे अर्थात दक्षिण पूर्व रेलवे का हिस्सा 40 मिलियन टन है। इसके बावजूद, रेलवे को अपने 785 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करना चाहिए। उम्मीद है कि रेलवे का हिस्सा 790 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।

इसके बावजूद बाजार शेयर नहीं बढ़ा है। रेलवे द्वारा अपना शेयर बढ़ाकर बाजार शेयर में वृद्धि करने की उम्मीद है। रेलवे धन कमा सकता है इसलिए रेलवे में निजी भागीदारों को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आज क्या हो रहा है? कन्टेनर ढुलाई सबसे अच्छा कार्य है। कन्टेनर ढुलाई का बहुत बड़ा हिस्सा अभी निजी क्षेत्र को जा रहा है। रेल मंत्री, लालू जी ने घोषणा की है कि 2008-09 के दौरान निजी क्षेत्रों द्वारा प्रचालित ट्रेनों की संख्या काफी बढ़ा दी जाएगी। इसलिए, कंटेनर ढुलाई की प्रतिशतता भी बढ़ेगी। अब चार स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा और 15000 करोड़ रुपया खर्च करने उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी? मैं जानना चाहूंगा कि ये रेलवे स्टेशन रेलवे की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित हैं अथवा नहीं। इसका कारण है कि स्टेशन का मतलब केवल भवन या प्लैटफार्म नहीं होता है बल्कि रेल प्रणाली का प्रचालन भी होता है। इसलिए, रेलवे के मुख्य कार्य को हमें निजी क्षेत्र को सौंपना चाहिए अथवा नहीं?

2003-04 से पूर्व खानपान प्रणाली जिसमें विभागीय खान-पान सेवा भी सम्मिलित थी, का 70 प्रतिशत रेलवे के पास थी। अब आंतरिक खान-पान प्रणाली को निजी क्षेत्र में दे दिया गया है। आई. आर.सी.टी.सी. का निर्माण खान-पान सेवाओं निजी क्षेत्र में देने के लिए की गई थी। उन्होंने इसको अपने हाथों में लिया और इसे निजीक्षेत्र

को सौंप दिया। रेलवे खान-पान सेवा यात्री सुविधा के रूप में शुरू की गई थी। अब इसका रूप व्यावसायिक हो गया है। रेलवे पूरी खान-पान सेवा को निजी क्षेत्र में देकर इससे धन कमाना चाहता है। अब क्या हो रहा है। यदि 25,000 रुपये अनुज्ञरित शुल्क था तो उसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये और 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। बस यह हो रहा है कि ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिक 20 रुपए या 25 रुपये या 30 रुपये की मजदूरी पा रहे हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। पुराने मजदूर जिन्हें पुराने ठेकेदारों ने काम पर लगाया गया, उन सभी को काम से निकाल दिया गया। यहां तक कि जिन विभागीय कर्मचारियों ने आई.आर.सी.टी.सी. कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प नहीं दिया था उन्हें भी आई.आर.सी. टी.सी. का कर्मचारी माना गया और अब उनके लिए रेलवे में कोई स्थान नहीं है। यही सब हो रहा है।

रेलवे के पास 16 प्रिंटिंग प्रेस हैं। अब रेल मंत्रालय ने इन सभी 16 प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय लिया है। इन 16 प्रेसों में से 6 पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। राजग के शासन काल में केन्द्र सरकार ने 13 प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय लिया था। जब सरकार बदल गई और संप्रग सरकार सत्ता में आई तो 13 प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय को उलट दिया गया और इन सभी प्रिंटिंग प्रेसों को आधुनिक बनाया जा रहा है। अब क्या होगा? मुद्रण का कार्य निजी प्रिंटिंग प्रेसों को सौंप दिया जाएगा और प्रिंटिंग प्रेसों में कार्यरत 5000 कर्मचारियों को अधिशेष घोषित कर दिया जाएगा।

बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। रेलमंत्री ने इसे स्वीकार किया है और उनके कार्यकाल में भी कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आयी है। आज, रेलवे में 'क','ख','ग', और 'घ' ग्रेड को एकसाथ मिलाकर 14,6400 कर्मचारी हैं। सुरक्षा की श्रेणी में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। प्रत्येक जोनल रेलवे में चालक वर्ग कर्मचारियों के मामले में, 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी है। क्या हो रहा है? चालक और सहायक चालक जिन्हें पायलट और सहायक पायलट कहा जाता है उन्हें 16-17 घंटे से अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है जबकि श्री लालू प्रसाद यादव को प्रत्येक जोनल रेलवे में स्थिति की जानकारी नहीं है।

काफी समय पूर्व श्री ललित नारायण मिश्र के रेल मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 1973 में समझौता हुआ था कि चालक वर्ग की ड्यूटी का समय साइन ऑन से साइन ऑफ तक दस घंटे होना चाहिए। इस समझौते का खुला उल्लंघन किया गया है। रोजगार के घंटों के समय से संबंधित विनियम का रेलवे में उल्लंघन किया जाता है। यदि चालकों को 16-17 घंटो से अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है तो उसकी कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कर्मचारी की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना होगा तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना होगा और इस प्रकार यांत्रिक असफलता में भी कमी आएगी।

मैं लाइसेंसधारी कुलियों की भर्ती करने के निर्णय का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

लाइसेंसधारी कुलियों के लिए उन्होंने जो किया है, वह बहुत वर्षों की मांग थी कि कुलियों को रेलवे में बहाल किया जाए। लेकिन जो समस्या होगी, उसका भी समाधान करना है। लाइसेंसधारी कुलियों के लिए तो घोषणा हो गई, लेकिन अगस्त, 2004 के महीने में लालू जी ने मुझे एक खत लिखकर कोयला इंजन में काम करने वाले मजदूरों की बहाली के लिए भी उन्होंने कहा था। उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने भाषण में किया था। टेलीफोन करके बोले कि दादा हमने गरीबों के लिए काम कर दिया है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उनके पास चिट्ठी भी आ गई। 300-400 के लगभग स्क्रीनिंग भी की गई। इसके बाद बोलने लगे कि दादा आप तो हजारों को ले आए हैं, हम कितनों को देंगे। हमने कहा कि हजारों नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा 200-300 ही होंगे। लेकिन आपने खुद जो आर्डर दिया है, उसके ऊपर यदि अमल नहीं होता है, तो यह सही नहीं होगा। यह बहुत अच्छा काम हुआ है।

[अनुवाद]

लाइसेंसधारी कुलियों को रेलवे कर्मचारी बनने का अवसर दिया जाएगा और लाइसेंसधारी कुलियों के साथ पूर्व कोयला और राख (एश) से संबंधित कर्मकारों के मामलों पर भी विचार किया जाए।

अब, मैं कह रहा था कि हम अपने बाजार शेयर में सुधार कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ खास गतिरोध हैं। आधुनिकीकरण और 17,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी मालगाड़ियों की औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है।

अपराह्न 3.39. बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए]*

[श्री बसुदेव आचार्य]

यात्री गाड़ियों के मामले में यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हम इसे दस प्रतिशत बढ़ा सकें तो हम पूर्ण क्षमता हासिल कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है। पटरियों और कंक्रीट स्लीपर को बदलने के बाद भी औसत गति में वृद्धि नहीं की जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप आवश्यक क्षमता में वृद्धि नहीं की जा रही है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय देश में 53000 किलोमीटर रेल पथ था। हमारी स्वतंत्रता के साठ वर्षों के पश्चात हमारी उपलब्धि केवल 10,000 किलोमीटर रेल पथ है। आज, हमारा रेलपथ केवल 63,000 किलोमीटर है। वर्ष 1949 में चीन का रेलपथ केवल 11,000 किलोमीटर था। आज उनका रेलपथ 46000 किलोमीटर हैं। वह प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर रेलपथ का निर्माण कर रहे है। परंतु हमारे देश में वर्ष 2007-08 के लिए यह वृद्धि केवल 186 किलोमीटर है। यद्यपि, नई लाइन हेतु दसवी पंचवर्षीय योजना का अनुमान 1310 किलोमीटर है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में यह वृद्धि केवल 920 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि प्रति वर्ष हमारी उपलब्धि 1000 किलोमीटर से कम है।

ऐसी ही स्थिति दोहरीकरण की है। क्षमता में वृद्धि हेतु दोहरीकरण की आवश्यकता है। जब नई लाइन का निर्माण किया जाता है तो यह एकता (सिंगल) लाइन होती है। इसे "एकता (वन) इंजन लाइन" कहा जाता है। जब यातायात बढ़ता है, जब यह अधिकतम स्तर तक पहुंचता हैं तो इस लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता होती है। परंतु दोहरीकरण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। तो हम क्षमता और इसके द्वारा हम अपने बाजारें के शेयर में वृद्धि कैसे कर पाएंगे? इस वर्ष भी नई लाइन हेतु आबंटन राशि में कमी की गई है। नई लाइन हेतु आबंटन राशि में कमी की गई है। गतवर्ष 2007-08 में यह राशि 2681.21 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के लिए इसे घटाकर 1700 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बड़ी संख्या में परियोजनाएं लंबित हैं। 200 से अधिक परियोजनाएं लंबित हैं। इस सभा में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था। रिमोट संपर्क योजना के अंतर्गत दूरवर्ती क्षेत्रों को रेलवे अवसंरचना से जोड़ने के लिए कुछ योजनाओं की पहचान की गई थी। रेल लाइन की आवश्यकता क्यों होती है। हम रेलवे नेटवर्क के विस्तार की मांग क्यों करते हैं? आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण का रेलवे अवसंरचना से निकट का संबंध है। जहां रेल लाइन नहीं है वहां सीडी अनुपात काफी कम है। हमें विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों की आवश्यकता है। परंतु हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की होनी चाहिए। दूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ा जाना चाहिए। यदि रेलवे नेटवर्क के विस्तार और नई लाइनों हेतु आबंटन राशि में कमी की जाती है तो हम प्रतिवर्ष 8000 करोड़ रुपये या 13000 करोड़ रुपये या 20,000 करोड़ रुपये के अधिशेष का क्या करेंगे? यदि इस धनराशि का रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु उपयोग नहीं करेंगे तो आप अधिशेष धनराशि का क्या करेंगे?

हमें रेलवे नेटवर्क की आवश्यकता है। हाल ही में मैनें एक स्थान का दौरा किया था, यह लौह-अयस्क का केंद्र है। यह बारबिल-बरसुआन है। आपको यात्रियों की दुर्दशा के बारे में जानकर आश्चर्य होगा। मैं सवा पांच बजे ट्रेन में चढ़ा। सुबह जब मैं स्टेशन पर आया तो वहां प्लेटफार्म नहीं था। मुझे बताया गया कि एक स्टेशन, एक साइडिंग पर आय 242 करोड़ रुपये है। मैंने दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा-प्रबंधक को बताया कि उन्हें इस स्टेशन के विकास हेतु प्रतिवर्ष कम से कम एक करोड़ रुपये खर्च करने चाहिए। वहां प्लेटफार्म नहीं है। वहां यात्री शेड भी नहीं है।

महोदय, उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म की क, ख, ग, घ, ङ और ञ जैसी चार या पांच श्रेणियां हैं। अब माननीय रेल मंत्री ने क और ख श्रेणियों प्लेटफार्मों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्लेटफार्मों की चार श्रेणियां क्यों होनी चाहिए? हमने सिफारिश की कि प्लेटफार्मों की-उच्चस्तर और निम्न स्तर-की दो ही श्रेणियां होनी चाहिए।

यात्री तो यात्री होते हैं। यात्री 'ङ' अथवा 'ञ' श्रेणी के हो सकते हैं। परंतु सभी यात्रियों को मूलभूत न्यूनतम यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। आप देखेंगे कि 'ङ' अथवा 'ञ' श्रेणी में यात्री शेड नहीं है। केवल एक वृक्ष लगाया गया है। प्रतिवर्ष शाखाएं काट दी जाती हैं। *[हिन्दी]* बैठने का सीमेंट का एक चबूतरा है, बोलते हैं कि वही हो गया पैसेंजर शेड, पैसेंजर एमिनिटी का *[अनुवाद]* पटरी बदलने के बाद पटरी की ऊंचाई प्लेटफार्म से अधिक हो जाती है। अत: प्लेटफार्म की अन्य श्रेणी होनी चाहिए जिसकी ऊंचाई पटरी से कम हो। कम ऊंचाई और अधिक ऊंचाई वाली श्रेणियां होनी चाहिए। चौथी श्रेणी पटरी से नीचे वाले प्लेटफार्म की होनी चाहिए। कंक्रीट स्लीपर पटरी की ऊंचाई प्लेटफार्म से अधिक हो जाती है। मेरा सुझाव है कि नई लाइनों हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। सारी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कुछ समय-बद्ध कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ये बहुत आवश्यक हैं।

चार वर्ष पूर्व उड़ीसा राज्य को 325 करोड़ मिलते थे। केवल गतवर्ष से पूर्व इस राशि दोगुणा करके 600 करोड़ किया गया था इस वर्ष भी इतना ही आबंटन किया गया है इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। हमने 1200 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी परंतु उन 1200 करोड़ रुपये में से हमें केवल 687 करोड़ रुपये ही मिले। *[हिन्दी]* लालू जी ने उसको दो गुना किया है। पहले तो हम बराबर देखते थे कि 300-350 करोड़ से ज्यादा उड़ीसा के लिए नहीं होता था।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कांग्रेस के जमाने में 90 करोड़ था।

श्री बसुदेव आचार्य : हां 90 करोड़। *[अनुवाद]* पुरी अतिमहत्वपूर्ण स्थान है। यह एकल लाइन से जुड़ा है। *[हिन्दी]* डबल लाइन हो रहा है, उसका काम कब से चल रहा है, वह खत्म नहीं हो रहा है। लालू जी आप सो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। जो यह प्रोजेक्ट है, हर जगह के लिए बहुत जरूरी है।...*(व्यवधान)* हम पुरी भी गए थे, हमें पुरी अच्छा लगता है। बगल में एक गांव है, चित्रपट रघुराजपुर। *[अनुवाद]* मुझे पुरी बहुत पसंद है। इसीलिए, मैं पुरी और बाबरिल के बारे में उल्लेख करता हूं।

सभापति महोदय : आप तीस मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अभी तक अपने राज्य पर नहीं आया हूं।

सभापति महोदय : आप रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति हैं। आप प्रतिवेदन में अपने सभी विचार रख सकते हैं। इसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। इस पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपने राज्य पर आता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें तीस मिनट दिए गए हैं। आप खड़े क्यों होते हो?

श्री बसुदेव आचार्य : बारबिल से क्योंझर के जिला मुख्यालय में पहुंचने में लगभग सात घंटे लगते हैं। 20 किलो मीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने से यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा:...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल 12 घंटे नियत किए गए हैं। 60 सदस्यों को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : साठ हैं, तो क्या है?

[अनुवाद]

यह रेल बजट है।

महोदय, अब मैं अपने राज्य पर आऊंगा। हमारी एक बैठक हुई थी जब हमने पाया इस बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है। दोहरीकरण हेतु केवल दो या तीन प्रस्ताव है और वह भी हल्दिया पत्तन से प्राप्त योगदान पर निर्भर करेगा। तत्पश्चात चौथी लाइन है जिसके लिए हम पिछले 20 वर्षों से कह रहे हैं। यह पंसकुरा-खड़गपुर लाइन है। हम पिछले 20 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। लालूजी ने इस वर्ष में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के लिए केवल चौथी लाइन और दो साप्ताहिक ट्रेनों को स्वीकृति दी है। अब, कोलकाता उपनगर में स्यालदाह और हावड़ा के कुल मिलाकर 28 लाख यात्री प्रतिदिन एक साथ आते जाते हैं। पिछले 7-8 वर्षों में उपनगरीय सेवाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मुझे खुशी है कि इस वर्ष मुम्बई उपनगर के लिए 300 सेवाओं की घोषणा की गई है। हम भी यही चाहते हैं। परन्तु कोलकाता को अधिक रैक क्यों नहीं मिलने चाहिए। कोलकाता में अभी भी 9 कार रैक ही क्यों हैं? उपनगरीय क्षेत्रों में 80 प्रतिशत कार रैकों की संख्या 9 है जबकि मुम्बई में 80 प्रतिशत कार रैकों की संख्या 12 है।

कोलकाता में मात्र 3 टर्मिनल क्यों हैं? पहले वहां 2 टर्मिनल थे। हमारे द्वारा सरकार पर दबाव डालने के पश्चात् कोलकाता के लिए एक अन्य टर्मिनल स्वीकृत किया गया है। लालूजी ने उस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। मैं भी उनके साथ गया था, यह एक बहुत अच्छा टर्मिनल है। परन्तु दक्षिण-उत्तर रेलवे में उनका अपना कोई टर्मिनल नहीं है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाया गया है जो कि विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे हेतु बनाया गया है। शालीमार जो कि 1980 में प्रारम्भ किया गया था, आज 12 प्लेटफार्मों के साथ एक पूर्ण टर्मिनल है, लेकिन आज वहां केवल दो प्लेटफार्म हैं। अतः माजेरहाट या स्ट्रारचे में टर्मिनल बनाये जाने का प्रस्ताव है। स्थान निश्चित हो जाने के पश्चात राज्य सरकार से परामर्श किया जाएगा। मुम्बई उपनगर के लिए एक पृथक टर्मिनल का प्रस्ताव है। मुम्बई उपनगर का पृथक टर्मिनल चर्चगेट पर है। इसी प्रकार, कोलकाता का पृथक टर्मिनल हावड़ा के निकट सोलगुरा

[श्री बसुदेव आचार्य]

में होना चाहिए। तभी कोलकाता उपनगर की समस्या को उचित रूप से हल किया जा सकेगा। कोलकाता मेट्रो का गोरिया तक विस्तार कार्य चल रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि वर्ष 2009 तक इसे पूरा करके यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दमदम से दक्षिणेश्वर तक विस्तार कार्य के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार मेट्रो के विस्तार हेतु निर्माण कार्य में अपना योगदान देने के लिए सहमत हो गयी है, अत: इसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। पिछले चार वर्षों में पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई रेल लाइन बिछाने की परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। महोदय, इस बारे में झाड़ग्राम-पुरुलिया का उदाहरण लिया जा सकता है। पुरुलिया मेरे जिले के अंतर्गत आता है और झाड़ग्राम पश्चिमी मिदनापुर जिले के अंतर्गत आता है, बांकुरा भी यहीं है। परिसीमन के पश्चात् यह क्षेत्र मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। झाड़ग्राम से पुरुलिया तक पूरा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उड़ीसा की सीमा पर स्थित झाड़ग्राम में उग्रवादी गतिविधियां भी होती रहती है।

[हिन्दी]

लालू जी हमारे यहां कई बार आए हैं, वे जानते हैं।

[अनुवाद]

अत: इस रेलवे लाइन से पिछड़े क्षेत्रों के विकास का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इसमें की लाभ दर 6 प्रतिशत है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के मामले में लाभ की दर पर ऐसा कड़ा रूख नहीं अपनाया जाना चाहिए कि यह 14 प्रतिशत ही हो। जब ब्याज की दर 7 प्रतिशत है तो रेलवे के मामले में लाभ दर 14 प्रतिशत ही क्यों होनी चाहिए। यदि परियोजना लाभकारी नहीं है तो इस विषय पर विचार करने का अन्य मुद्दा है कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से वांछनीय हो। यदि हम लाभ दर का कड़ाई से पालन करें तो पूर्वोत्तर के कतिपय क्षेत्रों में कोई परियोजना शुरू नहीं की जा सकेगी। इस विषय पर लालूजी भी मुझसे सहमत होंगे।

महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत से बड़े उद्योग लगाये जा रहे हैं। इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन 29 मिलियन टन हो जाएगा। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बिजली का उत्पादन 6,000 मेगावाट हो जाएगा। पश्चिमी मिदनापुर, पुरूलिया और बांकुरा में सीमेंट संयंत्र भी हैं। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया तो मुझे विश्वास है कि यह परियोजना लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि वर्ष 2005 में इस सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया था। उस समय लाभ दर 6 प्रतिशत थी अब यह बढ़ गयी होगी। बरनपुर और आसनसोल के बीच छोटी एकल रेल लाइन खंड है। आई.एस.एस.सी.ओ. का विस्तार किया जा रहा है और इसकी क्षमता 2.5 मिलियन टन हो जाएगी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 3 मिलियन टन किया जा रहा है। परन्तु, वहां बीच में एकल लाइन खंड है जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। इस रेल लाइन की लाभ दर 54 प्रतिशत है परन्तु रेल बजट में इसे कोई स्थान नहीं मिला है। मैं रेल मंत्री जी से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा।

महोदय, जब लालूजी कृष्णानगर-लालगोला खंड के विद्युतीकरण का उद्घाटन करने कृष्णानगर गये थे तब इसकी घोषणा की गयी थी।

सभापति महोदय : भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम) से नौ वक्ता हैं और इसे 56 मिनट का समय आबंटित किया गया है जिसमें से 40 मिनट का समय आप ले चुके हैं। कृपया संक्षेप में कहिए और अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से नौ वक्ताओं को अभी बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य : और इसमें आपका भी नाम शामिल है, इसीलिए आप मुझे भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

महोदय, लालूजी ने मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी एक्सप्रैस चलाने की घोषणा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद सिराज-उद्-दौला के लिए प्रसिद्ध है। पिछले वर्ष 'पलासी के युद्ध' की 250वीं वर्षगांठ मनायी गई थी। हमने लालूजी से आग्रह किया कि सिराज-उद्-दौला, जो देश की आजादी के लिए लड़े, की याद में हजार द्वारी एक्सप्रैस चलाये जाने की घोषणा की जाए। वे सहमत हुए और इसकी घोषणा की दी गई।

[हिन्दी]

वह किसी के नाम पर नहीं होगा इसलिए हजारद्वारी के नाम पर उन्होंने घोषणा कर दी। उस समय सदन चल रहा था इसलिए

उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यह हम कर सकते हैं? हमने कहा कि यह पालिसी मेकर नहीं है इसलिए आप कर सकते हैं। उन्होंने उसे कर दिया, लेकिन बजट में वह वीकली ट्रेन है जबकि हमने डेली ट्रेन के लिए कहा था। अब टूरिस्ट लोगों के लिए क्या हो रहा है?. ..*(व्यवधान)* इन्होंने कहा है कि हम डेली ट्रेन करने के लिए बोल देंगे।

[अनुवाद]

महोदय, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में तेवागा किसान आंदोलन हुआ था।

[हिन्दी]

एक ट्रेन-कोलकाता-बालूघाट-तिवाया एक्सप्रैस का उन्होंने उद्घाटन किया। वह ट्रेन भी तीन दिन है।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालय से केवल एक रेलगाड़ी ही कोलकाता आती है, वह भी सप्ताह में तीन ही दिन, इसका मतलब है कि दक्षिण दिनाजपुर के लोगों को सप्ताह में केवल तीन दिन ही कोलकाता आने का अवसर मिलेगा। मैं रेलमंत्री से आग्रह करूंगा कि इसे दैनिक रेलगाड़ी बनाया जाए।

जलपाईगुड़ी केवल जिला मुख्यालय ही नहीं है बल्कि यहां कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच का उद्घाटन भी जल्दी ही किया जाना है। जलपाईगुड़ी से कोलकाता के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है, इसमें से तीन या चार कोच एक स्टेशन से आते है, चार कोचों का एक अन्य समूह किसी दूसरे स्टेशन से आता है और ये सब कोच किसी अन्य रेलगाड़ी में जोड़ दिये जाते हैं और वह सियालदह आती है। मैं किसी नई रेलगाड़ी दिए जाने की मांग नहीं कर रहा हूं। सियालदह और जलपाईगुड़ी के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलती है। अत: मैं माननीय रेलमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे हल्दीबाड़ी तक बढ़ाया जाए ताकि जलपाईगुड़ी जिले के लोगों की इस मांग को पूरा किया जा सके।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने आवश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी।

इसमें कोई भी विद्युतीकरण परियोजना नहीं है। हमने दो विद्युतीकरण परियोजनाओं की मांग की है। इनमें से एक रामपुरहाट से रवाना और दूसरा पांडेश्वर से साथिया के बीच है। यदि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया हो तो विद्युतीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

अंत में, मैं, कहना चाहूंगा कि ये पहले रेलमंत्री होंगे जिन्होंने रेलवे में यूनियनों के लोकतांत्रिक कार्यकरण के बारे में प्रयास किये हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने मुझसे कहा था कि हम सीक्रेट बैलट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैंने कहा कि यह बहुत अच्छा है, हम पिछले कई सालों से, हर बजट में इसकी मांग करते आ रहे हैं।

[अनुवाद]

यूनियनों को मान्यता देने के लिए, मैंने कईबार गुप्त मतदान प्रणाली शुरू करने की मांग की थी।

[हिन्दी]

उन्होंने इनिशिएटिव लिया।

[अनुवाद]

रेलवे में उत्पादन इकाइयां, सी.एल.डब्ल्यू., डी.एल.डब्ल्यू., आर. सी.एफ. आदि हैं। ये कारखाने हैं।

[अनुवाद]

कोलकाता मेट्रो की कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं हैं।

[हिन्दी]

आपने बहुत से सराहनीय काम किए हैं, इसलिए आप जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं,

[अनुवाद]

जहां मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं हैं उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है।

[हिन्दी]

उनको कोर्ट में जाना पड़ा कि हम लोगों ने क्या गलती की है, हम लोग भी रेलवे के भाग हैं। 15-20 सालों से वह मामला

[श्री बसुदेव आचार्य]

चल रहा है, उस मामले में कहा गया कि वह प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मेरी आपसे मांग है कि वहां भी यूनियन होनी चाहिए क्योंकि आपने बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

मुझे आशा है कि लालूजी निश्चित रूप से सभी उत्पादन ईकाइयों में गुप्त मतदान प्रणाली शुरू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन ईकाइयों और मैट्रो रेल, को मान्यता प्राप्त यूनियन बनाने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है। महोदय, इस बजट पर कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, आपने मुझे वर्ष 2008-09 के रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सबसे पहले मैं लालू प्रसाद जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि अपने रेलमंत्रित्व काल में पांचवीं बार रेल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है और पूरे रेल विभाग को 25,000 करोड़ रुपए के मुनाफे वाला बजट दिया है। यहां वर्ष 2005-06, 2007-08 की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स तथा वर्ष 2008-09 की जनरल डिमाण्ड्स और 1979 के रेल अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक को एक साथ चर्चा करने के लिए लिया गया है। सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स से ऐसा लगता है कि हम लोग अगला बजट नहीं देख पाएंगे क्योंकि उस समय हम लोग अपने-अपने चुनाव में लगे रहेंगे। लालू प्रसाद जी ने रेल बजट में कहा है कि रेलवे की रेल करेगी विमान को फेल। यहां हमारे दोनों रेल राज्यमंत्रीगण बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर रेल ने विमान को फैल करना है तो पूरे देश के रेलवे ट्रैक की दशा पर ध्यान देना होगा।

मेरे खयाल से बहुत से ऐसे ट्रैक्स हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से, आजादी के पहले के बने हुए हैं और उन पर हमारी रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं। उनकी मरम्मत और देखभाल करने की जरूरत है। इसी तरह से इन ट्रैक्स पर बहुत से पुल और छोटी-छोटी पुलियां हैं, जिन पर रोज तेज गति से ट्रैंस चलती हैं, उन्हें भी ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सी रेल लाइनें अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुई हैं। उनका भी विद्युतीकरण जरूरी है, जिससे डीजल की खपत कम हो और बिजली से तेज गति से ट्रैंस चलें। इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा का सत्र चल रहा है। सदस्यों के बीच कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इससे लगता है कि यह बाजार है। ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार : रेल मंत्री जी ने एक बात कही है कि– मुसाफिर होगा रेल का राजा। मैं कहना चाहूंगा कि आपने रेल बजट में बहुत सारी घोषणाएं की है। जरूरत इस बात की है कि सभी एक्सप्रेस ट्रैंस में जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि रेलगाड़ियों में 60 से 70 प्रतिशत लोग जनरल बोगियों में यानि सामान्य श्रेणी में यात्रा करते हैं। हर एक्सप्रेस ट्रेन में दो-चार या अधिकतम् छः डिब्बे ए.सी. के होते हैं, बाकी जनरल होते हैं। इसलिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रैंस में जनरल बोगियों की संख्या और बढ़ाई जाए, इससे भार कम होगा और रेलवे की दशा में भी सुधार होगा।

आपने अपने रेल बजट में गरीब रथ के बारे में भी जिक्र किया है। मेरा मानना है कि यह ट्रेन गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि यह सारी ट्रैन ए.सी. थर्ड क्लास है और इसका किराया सामान्य श्रेणी से 25 प्रतिशत अधिक है। आपने इस तरह की दस नई रेलगाड़ियां चलाने की बात कही है। इससे ज्यादा महत्व की बात यह होगी कि आप सेकंड क्लास और सामान्य श्रेणी की रेलगाड़ियां अधिक संख्या में चलाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा होगी।...*(व्यवधान)* सेकंड क्लास के यात्री को आरक्षण कराने में ज्यादा सुविधा होती है।

मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बार भी यात्री किराए और माल भाड़े में वृद्धि नहीं की है, जबकि ए. सी. फर्स्ट एंड सेकंड में 15 से 20 प्रतिशत किराए में कमी की है। लेकिन वहीं उन्होंने सामान्य श्रेणी के किराए में कोई कमी नहीं की है, वह करनी चाहिए थी, तब जाकर ट्रेन में सफर करने वाले 70 फीसदी लोगों को फायदा होता। यह हमारी आपसे मांग है, अगर हो सके तो आप अपने उत्तर में इसकी घोषण करें।

आपने शिक्षित बेरोजगारों को टिकट वितरण एजेंसी देने की बात भी अपने रेल बजट में कही है। यूपीए सरकार ने बेरोजगारों को काम देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी बनाया है। लेकिन आपने जिन शिक्षित बेरोजगारों को टिकट वितरण की एजेंसी देने की बात कही है, उसमें मेरा कहना है कि उन्हें इतना कमीशन अवश्य मिलना चाहिए कि वे कम से कम अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी और इसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शाना भी होगा।

सभी एक्सप्रेस ट्रेंस में भोजन और बिस्तर की बात भी रेल बजट में मंत्री जी ने कही है। इलाहाबाद से नई दिल्ली और नई दिल्ली से इलाहाबाद जो प्रयागराज ट्रेन चलती है, वह रात को चलती है। अधिकतर सब यात्री सोते हुए जाते हैं, लेकिन उसमें पेंट्री कार होना जरूरी है, जिससे कम से कम चाय तो लोगों को मिल सके। आपने अपने पिछले रेल बजट में कुल्हड़ में चाय देने की बात कही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती है। इसी तरह आपने ट्रेंस में खादी की चादर और बिस्तर देने की बात भी कही थी, वह भी कहीं दिखाई नहीं देती है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कुल्हड़ और खादी को सख्ती से लागू किया जाए, तो जो समाज के दबे-कुचले और उपेक्षित लोग हैं, जिनका यह काम है, उन्हें सीधे इससे फायदा होगा। लखनऊ शताब्दी ट्रेन को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाने की बात भी आपने कही है। मैं कहना चाहूंगा कि 150 किलोमीटर के बजाए चाहे आप 200 किलोमीटर रफ्तार कर दीजिए, लेकिन उसके बीच में जो ट्रैक और पुलिया हैं उनकी मरम्मत करने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* जो पुलिया पुरानी हैं उनकी मरम्मत की सख्त जरूरत है। टिकटों के लिए 800 नये अनारक्षित केन्द्र खोलने की बात आपने कही है। मैं मांग करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मनौली, सिराथू, खागा और कुंडा जनपद प्रतापगढ़ में महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। वहां पर कंप्यूटर आरक्षण केन्द्र अगर आप खोल दें तो मेरे ख्याल से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस बजट में 55 नयी रेलगाड़ियां आपनें चलाने की बात कही है। मैं देख रहा था कि इसमें उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा हुई है। माननीय रेल मंत्री जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से होकर सब ट्रेनें गुजरती हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए नयी ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। विजय भाई से मैं कहना चाहूंगा कि जहां से ट्रेन शुरू होती है और जहां खत्म होती है वहां से ट्रेन चले, तभी माना जाना चाहिए कि नयी ट्रेन आपने चलाई है। उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है, इस बात को माना जाए और सब सदस्यों की जो डिमांड आयेंगी, उन पर आपको विचार करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* 24 गाड़ियों की बात आप कहते हैं, तो क्या 24 गाड़ियां का उत्तर प्रदेश में स्टोपेज है, कितने स्टोपेज आप वहां दे रहे हैं, कितनों में आरक्षण की व्यवस्था आप कर रहे हैं, यह देखने की बात है। आरक्षण की सुविधा आपने नहीं बढ़ाई है इसलिए उत्तर प्रदेश की उपेक्षा आप कर रहे हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। अगर आप 190 यात्री ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 70-75 प्रतिशत सामान्य लोग जो सैकिंड-क्लास में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए सैकिंड क्लास की बोगियां बढ़ाई जाएं।

आज किसी भी स्टेशन पर आप चले जाइये, जो एक नम्बर प्लेटफार्म होता है उसको बड़े राजकीय तरीके से सजाया जाता है, उसकी सफाई होती है लेकिन जो और प्लेटफार्म होते हैं उनकी लम्बाई भी कम होती है और वहां सफाई की व्यवस्था भी नहीं होती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एक नम्बर प्लेटफार्म पर सफाई की व्यवस्था इसलिए होती हैं क्योंकि वहां से टिकट क्लेक्टर, एसएस, एसएम आदि का कमरा होता है, आरपी, जीआरपी के कार्यालय होते हैं। उनको सजाना भी चाहिए लेकिन उसी तर्ज पर जो और प्लेटफार्म्स हैं उन प्लेटफार्म्स का भी आप विस्तार करें, बैठने की व्यवस्था करें, चाय-पानी और सफाई की व्यवस्था करें तो ठीक रहेगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां एसी बोगी में यात्रा करने वाले लोगों को जमीन पर उतरना पड़ता है, वहां प्लेटफार्म नहीं होता है। वहां प्लेटफार्म बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें आकर रूकती हैं।

महिलाओं और छात्रों के लिए आपने इस बजट में व्यवस्था की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मांग मैं राज्य मंत्री जी से करना चाहूंगा कि जो शिक्षित बेरोजगार है चाहे वह हाई-स्कूल पास हों, इंटर-मीडिएट पास हों, ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट हों, उनके लिए भी टिकट में कंसेशन करने की व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा बजट अच्छा साबित होगा।

इसी प्रकार से आपने क्षेत्रीय रेलों में अल्पसंख्यक कल्याण कक्ष खोले जाने की व्यवस्था की है, लेकिन विस्तार से इस बारे में कुछ नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी का जवाब आये तो क्षेत्रीय रेलों में अल्पसंख्यक कल्याण कक्ष खोले जाने की क्या व्यवस्था होगी, उसे विस्तार से बताएंगे।

लाइसेंसधारी कुलियों को गेंगमैन दूसरी-क्लास (डी) के पद पर जो आपने पोस्ट किया है, इसकी डिमांड बहुत दिनों से थी।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल लागू कर दें। ऐसा न हो कि यह केवल घोषणा रह जाए। उनको सम्मान मिले, अच्छा वेतन मिले और सही मायने में वे अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें, यह व्यवस्था करने की जरूरत है। बिना फाटक के कोई रेलवे क्रासिंग नहीं रहेगा, यह बहुत दिनों से मांग की जा रही थी। यह अच्छी बात है कि रेल संरक्षा की पहली बार आपने इस बजट में बात की है। जहां रेलवे फाटक नहीं है, वहां बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। जब फाटक से टू व्हीलर, फोर व्हीलर गुजरते हैं, तो रेल दुर्घटनाएं होती हैं।

दूसरी बात रेल मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नार्थ सेंट्रल रेलवे, जो एनसीआर रेलवे है, मुगल सराय से दिल्ली तक, मेरे खयाल से आपने बहुत कंजूसी बरती है, मैं चाहूंगा कि एनसीआर के प्रति आप अपनी दरियादिली दिखा कर ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रावधान करें, ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें।

इस बजट को देखने से मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी रेल निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हमारा बजट ऐसा न हो कि हमारी रेल निजीकरण की तरफ उन्मुख हो, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जहां तक आपने ऑन लाइन रिजर्वेशन की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि ई-टिकिटंग को कैसे वापिस किया जा सकेगा? कैसे मुसाफिर ई-टिकिटंग को लौटाएगा? मेरे ख्याल से ई-टिकिटंग के द्वारा आपने मुसाफिरों के गले में डायरेक्ट फंदा डालने का काम किया है। इसे भी आप कम से कम बजट में क्लियर करें।

सभापति जी, हमारे संसदीय क्षेत्र मनौरी, भरवारी से कानपुर की दूरी 156 किलोमीटर है, जबकि मैं मांग करता हूं कि वहां से एमएसटी जो पास बनता है, उसे 150, 160, या 170 रुपए का दें, क्योंकि केंद्रीय राज्य सरकार के जितने भी हमारे कर्मचारी या अधिकारी हैं, व्यवसायी हैं या औद्योगिककर्मी हैं, जो इलाहाबाद से प्रतापगढ़ कानपुर तक यात्रा करते हैं, उनके लिए जहां से वे चाहें वहां से एमएसटी पास बनाने की व्यवस्था आप कर दें, तो मेरे खयाल से इससे रेल को राजस्व प्राप्त करने में फायदा मिलेगा। जनसाधारण व एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल बोगी बढ़ाने की बात मैंने आपसे कर दी है। इलाहाबाद से यशवंतपुर के लिए ट्रेन चलाए जाने की मैं मांग करता हूं। तुलसी एक्सप्रेस, जिसके हफ्ते में कुछ दिन हैं, उसे नियमित चलाए जाने की मैं मांग करता हूं। बांदा और कानपुर के बीच नियमित ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक महानगर है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर-महोबा के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। महोबा बुंदेलखंड एरिया में है, वहां बहुत गरीबी है, भुखमरी है, सूखा एरिया है। वहां किसान बेहाल है और आत्महत्या कर रहा है, इसलिए इस ट्रेन को प्राथमिकता से देखा जाए। इलाहाबाद से बंगलौर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जबकि इलाहाबाद से बहुत से लोग हैं साउथ इंडिया में बंगलौर जाते हैं। आईटी कालेज में बहुत से छात्र पढ़ते हैं, उनकी बहुत दिनों से इस ट्रेन की मांग है। इलाहाबाद दिल्ली के लिए प्रयागराज ट्रेन आपने चलाई है। इस ट्रेन में बहुत मुश्किल से आरक्षण मिल पाता है। इसलिए मेरी मांग है कि इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में एक नई ट्रेन चलाने की व्यवस्था करें। कानपुर और झांसी मार्ग का विद्युतीकरण तत्काल कराया जाए, यह बहुत दिनों से लम्बित है। प्रयागराज एक्सप्रेस में केवल एक ही एसी फर्स्ट की बोगी है। चूंकि इलाहाबाद में हाई कोर्ट भी है है, जजिज यात्रा करते हैं, इस कारण जब हमारे सदस्य यात्रा करते हैं तो उन्हें एसी बोगी में जगह ही नहीं मिल पाती है, जबकि एक एक्स्ट्रा बोगी का ट्रायल भी हो चुका है। मैं चाहूंगा कि प्रयागराज एक्सप्रेस 2417 उधर से चलती है और 2418 इधर से चलती है, उसमें फर्स्ट क्लास की एक बोगी लगाई जाए।

सभापति जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि आजकल रेल से जब लोग यात्रा करते हैं और जब वह उतरता है तो जहरखुरानी की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों से पूरा अखबार भरा रहता है।

जब वे ट्रेन से उतर कर अपने घर की ओर जाते हैं तो जहर-खुरानी के शिकार होते हैं। हमारे यहां रेलवे ट्रैक पर आए दिन दो-चार लाशें मिलती हैं। हत्या करके लोग फेंक देते हैं या ट्रेन से धकेले जाते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास दो फोर्स आरपीएफ और जीआरपी है। आप आरपीएफ में पांच हजार की भर्ती करने जा रहे हैं। जहर खुरानी पर रोक लगे। रेलवे ट्रैक पर जो लाशें मिलती हैं, वे भी किसी के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी का पति होगा, किसी के घर का मुखिया होगा। इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है। इलाहाबाद से लखनऊ के बीच केवल 200 किलोमीटर की दूरी है लेकिन लोग बस से जाना पसन्द करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस रूट के रेलवे ट्रैक को ठीक किया जाए। ये महत्वपूर्ण नगर हैं। इलाहाबाद, लखनऊ प्रदेश के मुख्यालय हैं और लखनऊ राजधानी है, जहां हाई कोर्ट की एक बैंच भी है। वहां ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। इसे गम्भीरता से देखने की जरूरत है।

गैस्ट हाउस और रिटायरिंग रूम्स में कम से कम एमपीज लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां प्रकाश और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां कभी-कभी रात में ट्रेन रूकती है तो बिल्कुल अंधेरा होता है। वहां चोरी, डकैती और राहजनी भी होती है। चाहे छोटे या बड़े स्टेशन हों, वहां प्रकाश और पीने के

पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे कॉलोनियों की हालत भी बहुत बदतर है। वहां रेल के कर्मचारी रहते हैं। वहां बिजली और पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरवारी रेलवे क्रॉसिंग में बहुत जाम रहता है। वहां रोही बाई-पास के लिए 6 करोड़ रुपए राष्ट्रीय सम विकास योजना के आज भी पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उसे आज भी देना चाहती है। मैं चाहूंगा कि उस पर ऊपरिगामी सेतु बनाया जाए ताकि कोशाम्बी जनपद के मुख्यालय मंगलपुर में लोग आसानी से जा सकें। भरवारी, सेरातु, कोशाम्बी जंक्शन को बड़ा स्टेशन बनाया जाए। चूंकि वह नया जनपद है। वहां अच्छी-अच्छी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। मेन लाइन मुलसराय से दिल्ली ट्रैक पर चित्रकूट और बांदा के लिए चूंकि खजुराहो, चित्रकूट और कोशाम्बी धार्मिक स्तर पर बहुत महत्व रखते हैं इसलिए नया ट्रैक बनाया जाए ताकि विदेशी भी वहां जा सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : जनपद प्रतापगढ़ में चिकूला एक रेलवे क्रॉसिंग है। वहां ऊपरिगामी सेतु मंजूर हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका शिलान्यास करवा दें। नई दिल्ली से रायबरेली की जो नई ट्रेन चली है, आपने उसे बढ़ा कर प्रतापगढ़ तक किया है। मैं चाहूंगा कि वहां हरी झंडी दिखा कर इसका शुभारम्भ जल्दी करा दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : स्थानीय मुद्दों और इन सभी मामलों के बारे में आप लिखित रूप से दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उनको विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं और रेल बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री रघुनाथ झा को बोलने के लिए बुलाता हूं। कृपया संक्षेप में बोले। स्थानीय मुद्दों के विषय में आप लिखित में दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं आपने आप को गौरान्वित महसूस करता हूं कि हमारे दल के नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने पांचवा बजट सदन में प्रस्तुत किया और पिछले चार वर्षों में जो भी बजट आया, उनके करिश्माई नेतृत्व, योग्यता और कार्यशैली का फल था कि न उन्होंने यात्री किराए में वृद्धि की, न माल भाड़े में वृद्धि की बल्कि वर्तमान बजट में कटौती करके और 25 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा दर्शाने का काम किया है, इसके लिए मैं रेल बजट और लालू जी के नेतृत्व का पुरजोर स्वागत करता हूं।

महोदय, मुझे लालू जी के साथ 20 वर्षों तक काम करने का मौका मिला है। बिहार की राजनीति में भी मैं उनके साथ था। 1988 में बैंगलोर में जब जनता दल का निर्माण हुआ था, भिन्न-भिन्न दल के लोग जनता दल, लोक दल के लोग आए थे, उसमें स्वर्गीय नेता बीजू पटनायक जी भी थे। जब जनता दल का निर्माण हुआ और 1990 के चुनाव में बिहार की जनता ने अपना मत देकर गरीब के बेटे को बिहार की गद्दी पर बैठने का काम किया, तो जो व्यक्ति गरीबी झेलकर गरीबी की समस्या को जानते हुए इतने महत्वपूर्ण पद पर आया, उसने गरीबों के लिए कदम उठाना आरंभ किया, उस समय अभिजात्य वर्ग के लोगों ने किस तरह विरोध किया, इसकी गवाह सारी दुनिया है। मेरी बातों को कोई अन्यथा न ले, जिन लोगों ने इस देश के अमन और चैन को, इस देश के संविधान को, इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया था, ऐसे लोगों को जेल के शिकंजे में बंद करने का काम इस गरीब के बेटे ने किया था। यही कारण था कि बिहार में तरह-तरह के केस के भंवर जाल में इनको फंसा कर रखने का काम किया। मैं समझता हूं और महसूस करता हूं कि यही रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव देश में विगत चार वर्षों से इतने बड़े रेल साम्राज्य को इतना चमका सकते हैं, इतना आगे बढ़ा सकते हैं, सारी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, पिछले चार वर्षों में 68 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा देश को करा सकते हैं, देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं लेकिन बिहार में सरमाएदारों ने हमें बाधा पहुंचाने का काम किया है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, ये वो नहीं कि ज़िसको जमाना बना गया'' इन्होंने अपनी मेहनत, मशक्कत, ताकत और शक्ति से कामयाबी तक

[श्री रघुनाथ झा]

पहुंचने का काम किया है। लेकिन बिहार एक फ्यूडल सोसाइटी रहा है, यह बात सही है कि जमींदारी उन्मूलन बिहार में सबसे पहले हुआ था। यह बात भी सही है कि बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। मैं आज के भाषण में बताना चाहता हूं कि इसमें केंद्र सरकार भी बहुत बड़ी हिस्सेदार रही है। जिस समय झारखंड हमसे अलग नहीं हुआ था, हमारे मिनरल्स, माइन्स, जंगल, बड़े-बड़े उद्योग-धंधे चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, इनमें किसी का हेडक्वार्टर कोलकाता, मुम्बई या दिल्ली में बनाकर हमें हमारा जो हिस्सा मिलना चाहिए था, उससे महरूम किया गया इसलिए हमने विकास नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात नेपाल से आने वाली नदियों के बारे में है। यहां हर साल नदियों से उत्तर बिहार को नुकसान होता है, इस तरह से कॉम्पलेकस स्टेट को चलाना साधारण बात नहीं है। उस स्टेट को विकास की गति देने में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय रेल मंत्री जी ने सारे देश में रेल सेवाओं का विस्तार किया है, नई फैक्ट्रियां खोली हैं, नए वैगन बनाने के कारखाना लगाये हैं और बिहार में इसकी हिस्सेदारी मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। इस वक्त माननीय रेल मंत्री जी हमारे बीच में नहीं हैं, यहां रेल राज्य मंत्री और अधिकारीगण बैठे हैं लेकिन जो चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी हैं, खास तौर से चंपारन जहां से चार लोकसभा की सीट आपकी झोली में दी है, जो गांधी जी की कर्मभूमि है आज सबसे बड़ा गरीबी का इलाका है जो परेशानी और फटेहाली में है।

आपने दस गरीब रथ दिए लेकिन हमें गरीब रथ नहीं दिया है-क्यों?

उस इलाके के लोग टकटकी लगाकर अपने नेता की तरफ ध्यान से देखते हैं कि आपके इशारे पर हमने आपकी झोली में लोक सभा के चार-चार सदस्य दिये, आपके रास्ते पर हम चल रहे हैं तो हमें एक गरीब रथ मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोरखपुर, कानपुर से होते हुए दिल्ली तक देने का काम कीजिए। यह वहां के लोगों की डिमांड है।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि रेल बजट में जहां आपने नई गाड़ियों को और वैगन को प्राथमिकता दी है, इनकी झड़ी लगाई है, दस-दस को गरीब रथ दिये, रेल मंत्री जी, जब आप उत्तर दें तो एक गरीब रथ उस इलाके को भी देने का काम कीजिए। उत्तर बिहार के लोग सबसे अधिक गरीब हैं। इसलिए उस हिस्से को आप एक गरीब रथ देने का काम जरूर कीजिए।

मैं एक कमेटी के सिलसिले में गुजरात गया था। गुजरात के हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं। गुजरात से उस समय श्रीमती भावनाबेन चिखलिया रेलवे कन्वेंशन कमेटी की चेयरपर्सन थीं। मैं भी उस कमेटी का सदस्य था।...*(व्यवधान)* राणा जी तो उस इलाके के नेता हैं। उन्होंने हमारा परिचय गुजरात के लोगों से कराया तो गुजरात के भाइयों ने मुझसे कहा कि महात्मा गांधी की यह जन्मभूमि और कर्मभूमि चम्पारण, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के आंदोलन की अगुवाई की थी, शुरूआत की थी, ये दोनों रेल से जुड़े हुए नहीं हैं। आपके यहां के रेल मंत्री हैं, आपसे आग्रह है कि आप रेल मंत्री जी को कहिये कि कर्मभूमि से जन्मभूमि को जोड़ें। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मोतिहारी का नाम बापूधाम मोतिहारी स्टेशन रखा। जहां पहली बार महात्मा गांधी, उस समय के मोहनदास करमचंद गांधी किसानों पर हुए अत्याचार से किसानों में जो हाहाकार था, उसके लिए वह चम्पारण गये थे और जिस प्लेटफार्म नम्बर दो पर ये लोग उतरे थे, उस पर महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा लगाई और उसी रोज बापूधाम मोतिहारी से पोरबंदर तक गाड़ी सप्ताह में एकि दिन उन्होंने खोलने का आदेश दिया और वह ट्रेन चालू है।...*(व्यवधान)*

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : उस हफ्ते में दो बार करने के बारे में बोलिये।

श्री रघुनाथ झा : मैं डेली के लिए मांग कर रहा हूं...*(व्यवधान)* आप दो बार के लिए कह रहे हैं, मैं डेली के लिए मांग कर रहा हूं कि उस ट्रेन को आप डेली कीजिए और वह लांगर रूट से गुजर कर दिल्ली तक आती है कृपा करके उसे शॉर्टर रूट से ...*(व्यवधान)* लखनऊ से कानपुर दिल्ली से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री झा, आपके पास उनकी बातों का जवाब देने का समय नहीं है। अत: उनकी बात का जवाब नहीं दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : इधर-उधर चलाने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री झा, कृपया अध्यक्ष को संबोधित करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी ओर देखकर बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप इधर-उधर देखेंगे तो आप अपने मुद्दों से भटक जाएंगे। इसलिए, आप मेरी और मुखातिब होकर बोलिए। कृपया उनकी ओर न देखें। यदि आप सामने देखकर बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रघुनाथ झा : गोरखपुर से कानपुर वाया लखनऊ से दिल्ली तक और दिल्ली से पोरबंदर तक डेली चलाने की व्यवस्था कीजिए। इसका स्टापेज हमारे इलाके का बगहा है, हमारे इलाके का रामनगर जो हरिनगर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, हमारे इलाके का चनपटिया है, इन स्टेशनों पर इसका ठहराव किया जाए। मडुआडीह, बनारस तक एक बापूधाम ट्रेन चलती है। अभी वह ट्रेन हफ्ते में तीन दिन जाती है। हम मांग करते हैं कि उसे भी प्रतिदिन किया जाए, क्योंकि वहां से अधिकतर लोग पढ़ने के लिए और इलाज के लिए बनारस जाते हैं। बगहा, हरिनगर और चनपटिया में उसका स्टापेज नहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि इस ट्रेन का ठहराव आप उपरोक्त स्टेशनों पर करने का काम कीजिए।

महोदय, 29 फरवरी को जब बजट पेश हुआ तो उसी रोज शाम को मैं अपने क्षेत्र वापस जा रहा था। माननीय सदस्य आदित्यनाथ जी भी मेरे साथ थे, अभी यहां मौजूद नहीं हैं। आदित्यनाथ जी गोरखपुर उतर गये और मैं अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया जा रहा था। नरकटियागंज स्टेशन से बगहा और बेतिया स्टेशन तक सारे कुलियों ने जुलूस बनाकर हमें अबीर और रंग से रंग दिया, चूंकि रेल मंत्री जी ने कुलियों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने की बात कही थी। यहां तो न पर्चा है, न खर्चा है और गांव-गांव में चर्चा है, घर-घर में चर्चा है। मुझे एक बात से बहुत दुख होता है, हम भी सार्वजनिक जीवन में बहुत दिनों से हैं।

महोदय, मैं यहां अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन 37-38 वर्षों से विधान सभा और लोक सभा का सदस्य होने के साथ-साथ मैं मंत्री भी रहा हूं, लेकिन जिस बात को हम लोग खुद उठाते रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो, रेल में सुविधा हो, गरीबों को मदद दी जाए लेकिन जब रेल मंत्री घोषणा कर रहे थे, तब इनकी भाव-भंगिमा और चेहरा सभी देख रहे थे। इसी तरह से जब वित्त मंत्री जी घोषणा कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि भई, आप अपना चेहरा और भाव-भंगिमा ऐसी क्यों कर रहे हैं, क्या देश की जनता टी.वी. पर नहीं देख रही है? लेकिन पेट में दर्द इन लोगों को होने लगा। आज ही माननीय प्रधान मंत्री जी जब आप ही के सब सवालों का जवाब दे रहे थे, तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर वह जवाब दे रहे थे लेकिन बीच में बराबर टोकाटोकी हो रही थी। हमारा कहना है कि आपको फिर मौका मिलेगा। आपके पास यदि तथ्य हैं तो आप उन्हें जुठला सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री को हम बोलने नहीं देंगे, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे, ऐसा होता रहता है। इसलिए हमारा कहना है कि इस तरह की टोका-टोकी नहीं होनी चाहिए।

इसलिए लाइसेंसधारी कुलियों को जो इन्होंने चतुर्थ श्रेणी में लाने का जो फैसला किया है, उसका हम स्वागत ही नहीं करते हैं बल्कि देश के तमाम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं।

अल्पसंख्यकों और उर्दूभाषियों को ग्रुप डी में, नौकरी में, रिक्रूटमेंट बोर्ड में और सभी रेलवे की कमेटियों में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का फैसला भी स्वागत योग्य है। लेकिन अल्पसंख्यकों का नाम सुनकर ही लोग भड़क जाते हैं। 14 प्रतिशत उनकी देश में आबादी है। उनको आप इगनोर करके राजनीति कैसे करिएगा? समाज का अगर वह हिस्सा है तो उसे हिस्सेदारी कैसे नहीं दीजिएगा? इसलिए हम आज रेल मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वक्ताओं की सूची लंबी है। कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, छपरा जिसका खुद हमारे रेल मंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, सीवान, गोपालगंज और छपरा से हाजीपुर की दूरी 40 कि.मी. है और इसका डीआरएम बनारस है, इसका जोन 300 कि.मी. है। वह हमारे बिहार का हिस्सा है और इतने नजदीक में सटा हुआ है।...*(व्यवधान)* रेल राज्य मंत्री जी आप लिख लीजिए क्योंकि यहां रेल मंत्री जी नहीं हैं। हमारा कहना है कि छपरा, सीवान और गोपालगंज को हाजीपुर जोन में लाया जाए। वह रहते तो नोट

[श्री रघुनाथ झा]

कर लेते। फिर हमारा कटिहार, गुवाहाटी जोन में है। मालदा तो डिवीजन है, गुवाहाटी जोन है। हमारे यहां से इंटरसिटी चलती है। लेकिन एम. पी. हैं, विधायक हैं, उन्हें पटना आने के लिए उनको पटना आने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं है। हमारे यहां बीस एमएलए हैं। वे पटना आते हैं, उनको कोई आने के लिए सुविधा नहीं है। आम जनता के लिए एसी चेयर कार लगाई गई। ए.सी. चेयर कार तीन दिन-पहले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद कर दी गई, जिस रोज हम लोगों का पार्लियामेंट और असेम्बली बंद होती है लेकिन जिस दिन हम लोग अपने क्षेत्र में जाएं और राज्य के हैडक्वार्टर में आएं, उसी रोज बंद है। हम लोग क्या 300 कि.मी. और 250 कि. मी. रोड से जाएं? इसलिए अगर उस रोज बंद करने की जरूरत नहीं है तो दूसरे वर्किंग डे में लगा दें।

अब हम अपनी डिमांड पर आ रहे हैं। सप्तक्रांति एक्सप्रैस हमारे यहां से चलती है और पहले 12 बजे मुजफ्फरपुर से खुलती है। उसके आगे वैशाली भी 12 बजे से खुलती है, वह छपरा रूट से गोरखपुर आती है, सप्तक्रांति बेतिया के रूट से गोरखपुर जाती है। वैशाली के गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक 9 स्टॉपेज हैं और सप्तक्रांति का स्टॉपेज नहीं है। गोरखपुर से लेकर वैशाली के पीछे-पीछे उस ट्रेन को चलना पड़ता है। इसलिए रोज 3-4 घंटे यहां लेट पहुंचती है। पहले वह 5 बजे खुलती थी, उसको इन लोगों ने 6 बजे कर दिया।

मैं अभी बेतिया गया था। ट्रेन 10 बजे पहुंचनी चाहिये थी लेकिन वह दिन में डेढ़ बजे पहुंची इसलिये हम लोग बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सप्तक्रांति ट्रेन यहां से 4 बजे चलाइये ताकि लोग मुजफ्फरपुर में 11 बजे पहुंच जायें। इसी तरह से वैशाली एक्सप्रेस आगे हो जाये। अभी सप्तक्रांति ट्रेन में फर्स्ट क्लास का 10 बर्थ है। एक कूपे है और दो केबिन हैं। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से खुलती है जहां से 4-4 एम.पी. लोग आते हैं। गोरखपुर के कोटे में कूपे दे दिये गये। जब ट्रेन मुजफ्फरपुर से चलती है तो कूपा भी वहां से देना चाहिये और चार सीटों के केबिन में से दो बर्थ गोरखपुर से होनी चाहिये न कि कूपा। एक कूपा, एक केबिन एवं दूसरे केबिन में दो बर्थ गोरखपुर के कोटे में दिया जाए।

सभापति जी, सप्तक्रान्ति ट्रेन में नार्मल परियड में 200-500 लोगों का वेटिंग लिस्ट रहता है, आप पता लगवा लीजिये। मैं शुरू से इस बात की मांग कर रहा हूं कि इसमें एसी-2 टीयर लगा दीजिये, एसी-3 टीयर न लगाकर एक जनरल डिब्बा लगा दीजिये जिससे वहां के लोगों को आरम मिले। इसी तरह मडवाडीह-बापूधाम के बारे में कहा गया है। रक्सौल नरकटियागंज...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : मैं खत्म ही कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री काशी राम राणा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : सभापति जी, नरकटियागंज से सुगौली के लिये शटल गाड़ी चलाई जाये क्योंकि सुबह 8 बजे ट्रेन के बाद सायं 6 बजे जाती है...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली वाया नरकटियागंज गरीबरथ चलायी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री काशी राम राणा, जी आप बोलना आरंभ कीजिए। वे नहीं रूकेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : मुजफ्फरपुर से गोरखपुर भाया नरकटियागंज तक लाईन का दोहरीकरण किया जाये जो कि विगत रेल बजट भाषण में है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रेलगाड़ी रूक जाएगी लेकिन वे नहीं रूकेंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : बापूधाम-मोतिहारी पोरबंदर तक की गाड़ी प्रतिदिन किया जाये, बगहा, हरिनगर एवं चेनपटिया में इसका ठहराव किया जाये।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही ही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। कृपया इसे सभा पटल पर रख दें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी नई रेल लाईन बनायी जाये...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए। धन्यवाद, आखिरकार आप रूक गए।

[हिन्दी]

****श्री रघुनाथ झा :** दरभंगा-नरकटियागंज वाया सीतामढ़ी अमान परिवर्तन कराया जाए। यहां के मुख्य अभियन्ता कार्य विरोधी है, बाधा उपस्थित करते है। अबिलम्ब उन्हें हटाया जाये।

मोतिहारी-सीतामढ़ी वाया शिवहर लाईन का शिलान्यास हो गया है उसे सर्वे कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

नरकटियागंज मोतिहारी जंक्शन पर ब्रोड-गेज के लिए वाशिंग पीट बनाया जाए। मीटर गेज का वाशिंग पीट पूर्व से वहां कार्यरत है।

रक्सौल वाया मोतिहारी चलने वाली सवारी गाड़ी-523 अप जो 6.15 बजे खुलती है ठीक उसके 0.30 मीटर बाद ही इन्टरसीटी खुलती है। दोनों के बीच 0.30 मीटर का अन्तर है। आग्रह है कि समय परिवर्तन करते हुए 523 को 8 बजे रक्सौल से खोला जाए।

चमुआ हाल्त को क्रासिंग स्टेशन बनाया जाए।

नरकटियागंज, भिखनाठोरी के बीच पचरुखिया तथा हरिनगर के बीच टेवुकुईया हाल्ट बनायी जाए।

सीतामढ़ी, रक्सौल के बीच ढेंग स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव कराई जाए।

5227 एवं 5228 यशवन्तपुर-मुजफ्फरपुर को रक्सौल तक बढ़ाने की बात की जिसकी स्वीकृति प्राप्त है। परन्तु अभी तक क्यों का त्यों पड़ा है। इसमें विलम्ब का क्या कारण है।

अतएव महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा उठाये गए उक्त क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, जनहित में इन समस्याओं का निदान कराया जाए।

बौद्धगया के रेल सम्पर्क के लिए इस्लामपुर से वाया मानपुर बोद्धगया छूटा हुआ रेल बनाया जाए।

बख्तियारपुर राजगीर लाइन को दोहरी करण किया जाए ताकि पावापुरी, नालन्दा, राजगीर जानेवालों को सुविधा हो।

पटना से किऊल, पटना से बक्सर तीसरी लाइन बिछायी जाए।

रक्सौल-सीतामढ़ी रेलवे के बीच नकरदेई, आदापुर, छौड़ादानों, बनकटवा स्टेशनों से गन्ना किसान अपने खेत के गन्ने को मालगाड़ी से रीगा चीनी मिल में भेजते हैं। परन्तु मालगाड़ी के डिब्बों के अभाव में गन्ना किसानों का गन्ना खेत में ही सूख रहा है।

अत: आवश्यकतानुसार गन्ना किसानों के लिए मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध कराये जायें।**

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने वर्ष 2008-09 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुये बताया है कि इस वर्ष रेल को 25 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा होने वाला है।

इतना ही नहीं, बहुत सारी नई ट्रेनें भी शुरू करने की घोषणा की है, कई ट्रेनों का एक्सटैंशन करने की तथा उनकी फ्रीक्वैन्सी बढ़ाने की भी घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इनका अभिनन्दन भी करता और धन्यवाद भी करता यदि यह

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री काशीराम राणा]

बजट बैलेन्स्ड बजट होता। सब राज्यों के साथ रेल सुविधाओं के बारे में न्याय होता तो मुझे लगता कि रेल मंत्री जी धन्यवाद के पात्र होते। लेकिन जब हम रेल बजट को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें पार्शियैलिटी की गई है, चाहे बिहार हो या और राज्य हों, कहीं ज्यादा ट्रेनें देना, एक्सटैन्शन देना, फ्रीक्वैन्सी बढ़ाना, लेकिन जहां पर जरूरत है, वहां पर रेल सुविधाएं देने में माननीय लालू जी इतने उत्साहित नहीं दिखे। चाहे उन्होंने गुजरात में तीन नई ट्रेनें दीं – सूरत-मुजफ्फरपुर और छपरा के ट्रेन दी, अहमदाबाद-मुम्बई के लिए एक एयरकंडीशंड ट्रेन दी, कामाख्या-गांधीधाम की ट्रेन दी, लेकिन दो ट्रेन ऐसी हैं जो आमान परिवर्तन की कंडीशन के साथ दी हैं। अब आमान परिवर्तन कितने सालों में होगा, वह तो माननीय लालू प्रसाद या भगवान जानें। हमसे पहले हरिन भाई ने कहा कि जिस तरीके से गुजरात का औद्योगिक विकास हो रहा है और जिस प्रकार से रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात के बाहर से लाखों लोग सूरत और अहमदाबाद में आकर बसे हैं, उनके लिए रेल सुविधा चाहिए तो रेल बजट में जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तब देखते हैं कि उसमें बहुत कुछ नहीं दिया है। दिया है लेकिन बहुत कम दिया है। जो ज्यादा देने की गुंजाइश थी, उसको देने से इंकार किया है। मैं फिर भी मांग करूंगा कि इतना बड़ा गुजरात देश को अच्छी रेवेन्यू देने वाला, रेलवे को रेवेन्यू देने वाला है, इसके प्रति यदि आप ऐसा ही अन्याय करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि चाहे 25 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हो, फिर भी रेलवे की जो भी इमेज है, वह अच्छी नहीं बन पाएगी।

सभापति जी, हमें अपने रेल मंत्री जी को उनकी होशियारी के लिए एप्रिशियेट करना पड़ेगा। उन्होंने इस तरीके से बजट बनाया है कि आम आदमी को पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर कितना बोझ पड़ा है। पिछले बजट में उन्होंने क्या किया कि बिना स्पीड बढ़ाए फास्ट ट्रेनों को सुपरफास्ट बनाकर लोगों से ज्यादा फेयर ले लिये। लोगों को उस समय पता नहीं चला, बाद में पता चला। तत्काल के बारे में हरिन भाई ने बिल्कुल सही बात की कि लोगों को लूटने का धंधा तत्काल द्वारा चलाया जा रहा है। मैं एक बहुत सीरियस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा आया है, जो वैगन लोड हमने बढ़ाया, पहले था 20.3 मीट्रिक टन हम एक वैगन में लोड करते थे, अब उसको बढ़ाकर 8 टन का लोड उसमें और डाल दिया है। इससे क्या नुकसान होता है? चाहे हमें आमदनी होती है, मुनाफा होता है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अभी जो 14 मई, 2007 को सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारा ट्रैक है, वैगन में भारी लोड डालने से ट्रैक पर फ्रैक्चर हुआ है और आगे भी फ्रैक्चर होगा। वैल्डिंग में ब्रेकेज आ रहा है और इंजन के जो कपलिंग हैं, उसमें भी क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इससे इतना बड़ा नुकसान होगा कि जो ट्रैक ब्रिटिश समय में बना था, आज हम उसके बेस को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मुनाफा 5000 करोड़ रुपये कम हो लेकिन इस प्रकार से यदि वैगन लोड बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में रेलवे ट्रैक्स की हालत, पैसेंजरों की सलामती, उनकी सेफ्टी और सिक्यूरिटी की हालत बहुत बिगड़ेगी।

इसलिए मेरी माननीय लालू जी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा कर अवश्य मुनाफा करें हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ट्रैक को नुकसान पहुंचा कर, वैगन में भारी लोड डाल कर, इस प्रकार से देश का नुकसान कम से कम न करें, पैसेंजर्स की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है।

मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं घोषित की जाती हैं, लेकिन अभी-अभी एक रिपोर्ट देखने में आई है कि घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है? ट्रेनों की घोषणाएं हो रही हैं कि बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी, लेकिन साल बीत जाने पर भी ट्रेनें नहीं चलतीं। आज भी चार ट्रेनें ऐसी हैं, जो गत वर्ष घोषित की गई, लेकिन चालू नहीं हुईं। इसी प्रकार से 296 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो करीब 61487 करोड़ रुपये की लागत के हैं। ये 296 प्रोजेक्ट अभी भी पैंडिंग हैं। इनकी घोषणा की गई, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई चिन्ह अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप घोषणा जरूर करें, जितना हो सके, उतनी घोषणाएं करें, अगर इसी प्रकार होता रहा तो ऐसी कई योजनाएं पैंडिंग हैं–जैसे योजना 61 हजार करोड़ की है, वह योजना कब आएगी, कब पूरी होगी, इसका पता नहीं चलता। मैं आशा करता हूं कि जो पैंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें आप बिना विलम्ब किए तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे।

मान्यवर, मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सन् 2008-09 के बजट में डबलिंग के लिए एक हजार किलोमीटर तय किया है। इसमें इतनी सारी योजनाएं हैं, इसमें हमारे उधना-जलगांव के डबलिंग की बात भी की गई है। वहां से इतनी सारी ट्रेनें जाती हैं, लेकिन डबल ट्रैक न होने की वजह से ये ट्रेनें इतनी इर्रेगुलर एवं डिले हो रही हैं कि इन ट्रेनों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस काम को जल्द पूरा करें।

मान्यवार, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन्स बनाने की बात की गई, इस बारे में घोषणाएं की गई। इससे पहले मॉडल स्टेशन घोषित किए

गए, लेकिन कई स्टेशन्स ऐसे हैं जो अभी तक मॉडल नहीं बने। सूरत उसका उदाहरण है। सूरत ऐसा शहर है जहां चालीस लाख की आबादी है। वहां इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसे मॉडल स्टेशन घोषित किया गया, उसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन में लाना चाहिए था। एसे वर्ल्ड क्लास में भी नहीं डाला, उसे वर्ल्ड क्लास में डालना चाहिए और जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे पहले जो मॉडल स्टेशन बनाने की बात की गई थी, उसे भी पूरा करें। मुझे लगता है कि इससे पैसेंजर्स और शहर के विकास में बहुत सहायता मिलेगी।...*(व्यवधान)* नवसारी हमारी कांस्टीट्यूएंसी में डायमंड का बहुत बड़ा सेंटर है। वहां भी मॉडल स्टेशन की घोषण की गई, लेकिन वह घोषणा घोषणा ही रही—जैसे 296 प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं। ऐसी ही हालत उसकी है। उसे जल्दी मॉडल स्टेशन बनाया जाए। रेल राज्य मंत्री जी जब उजना में आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि उजना स्टेशन एक टर्मिनल स्टेशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसे अभी तक टर्मिनल स्टेशन नहीं बनाया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो घोषणा की है, उस घोषणा को वे तुरंत पूरा करें।

मान्यवर, सूरत और साउथ गुजरात में लाखों सिख भाई रहते हैं। अभी अभी नांदेड़ में गुरू ग्रंथ साहिब का त्रि-शताबदी महोत्सव मनाया जाने वाला है। रेल मंत्री जी ने अपने बजट में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे पहले हमने रेल मंत्री जी से मांग की थी कि नांदेड, जहां पर गुरू ग्रंथ साहिब का त्रि-शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, सूरत से लेकर एक स्पेशल ट्रेन या परमानेंट ट्रेन वहां के लिए चलाई जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह घोषणा जरूर की गई है कि मनमाड़ और मदुरै का एक्सटेंशन करके ओखा तक ले जाया जाएगा, उसके अंदर नांदेड़ आ गया है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो इसकी जानकारी भी मुझे दें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

मान्यवर, मैं एसी ही एक दो बातें और कहना चाहता हूं, जो रेलवे और मेरे क्षेत्र सूरत से संबंधित हैं। हमने गरीब रथ चलाया, गरीब लोगों के लिए चलाया, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गरीब इसमें जाते हैं, उनके लिए इस गरीब रथ में पैंट्रीकार भी नहीं है। अहमदाबाद से आश्रम एक्सप्रेस चलती है, पूरी रात ट्रेन चलती है, लेकिन उसमें भी पैंट्रीकार नहीं है। उसमें पैंट्रीकार लगाई जाए। इतना ही नहीं विकलांग लोगों के लिए भी इस ट्रेन में कंसेशन दिया जाए, ताकि विकलांग भी उसका लाभ ले सकें। अन्य ट्रेनों में कंसेशन दी गई है, लेकिन गरीब रथ में नहीं दी गई। इसका प्रावधान भी किया जाए।

मान्यवर, यह कैसा रेलवे है? यह कैसा मजाक लोगों के साथ किया गया है कि शताब्दी ट्रेन अहमदाबाद और मुम्बई के बीच चलती है, उसकी विंडो पर एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है। जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो एनाउन्सर कहते हैं आप अपनी विंडो खुली रखिए ताकि बाहरी दृश्य आप साफ देख सकें। लेकिन शताब्दी की पूरी विंडो पर एडवर्टाइजमेंट लगाई गई है, उसके कारण हम बाहर का दृश्य नहीं देख सकते कि कौन सा स्टेशन आया है, वह कुछ नहीं देख सकते हैं। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को, जिनको थोड़े से मुनाफे के लिए लगाया गया है, उसे बंद किया जाए।

सभापति महोदय, सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस का सूरत में स्टॉपिज होना चाहिए। इतना ही नहीं जहां-जहां से सम्पर्क क्रान्ति गुजरती है, वहां के मेन स्टेशन पर उसका स्टॉपेज होना चाहिए। हमारे सूरत में केरल और साउथ इण्डिया के लाखों रहते हैं, इसलिए त्रिवेन्द्रम और निजामुद्दीन के मध्य जो ट्रेन चलती है, उसका स्टॉपेज सूरत में होना चाहिए।

महोदय, सूरत में लाखों लोग अलग-अलग प्रान्त के हैं उसके लिए जो रेल सुविधा होनी चाहिए, वन नहीं है, जैसे राजस्थान के लाखों लोग वहां रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक ही ट्रेन चल रही है। हमारे यहां आंध्र के लोगों के लिए विजयवाड़ा और हैदराबाद के लिए ट्रेन चलाई जाए। इससे लोगों को सुविधा होगी। उत्तर भारत के लिए सूरत से दिल्ली की सीधी ट्रेन चलाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं सूरत में नार्थ गुजरात के लोगों के लिए मेहसाणा-पालनपुर तक एक नई ट्रेन गुजरात क्वीन से एक घंटे बाद चलाई जाए। इससे यात्रियों को सुविधा होगी।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि सूरत के प्लेटफार्म नंबर तीन पर दादा भगवान संस्था, जो कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इनके संत को इस प्लेटफार्म के ऊपर ज्ञान प्राप्त हुआ था, मेरी मांग है कि उस प्लेटफार्म पर एक छोटा बुक स्टॉल बनाया जाए। मैं आशा करता हूं मेरी मांगों को पूरा किया जाएगा। आपको मुझे बैठने में जो तकलीफ हुई है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : मान्यवर सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका अभार व्यक्त करता हूं। मैं रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल]

इसके साथ ही साथ माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री लालू यादव जी को, उनके सहयोगी मंत्रियों को व साथ ही 14 लाख रेलकर्मियों और अधिकारियों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिना अपने सहयोगियों के पूरा नहीं हो पाता। यह ऐतिहासिक बजट पूर्व में 2005, 2006, 2007 के लाभ को बढ़ाते हुए 2008 में निरन्तर बढ़ोत्तरी करके 25 हजार करोड़ रुपये के लाभ तक पहुंचा है, सब ने, देश के हर वर्ग ने इसकी सराहना की है। एक एक ऐसे वर्ग को, जो सदियों से हमारा बोझा उठाता है, उनको उचित मान-सम्मान देकर सरकारी नौकरी देने का उन्होंने काम किया है।

अभी एन.डी.ए. के कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, हमारे पंडा जी पता नहीं कहां चले गये, वे बड़े रोचक तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने जो तमाम कुलियों को काम दिया तो कितना बड़ा एम्पलायमेंट दिया। उनकी जगह नये कुली काम करेंगे और जो गेटमैन हैं, वे अपनी जगह जाएंगे। तमाम पिछड़ी, अगड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की जो रिक्तियां हैं, जो बैकलॉग है, उसको भरने की जो घोषणा की है, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा था, जब रेल मंत्री जी अपना रेल बजट भाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष के लोग उस भाषण को, उस बजट को सुनने में व्यवधान पैदा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि रेल मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम यू.पी.ए. की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो रेल बजट पेश करके किया, उससे उनको तकलीफ हो रही थी, इतना अच्छा

अपराह्न 5.30 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

बजट, ऐतिहासिक बजट आखिर रेल मंत्री जी ने क्यों पेश किया। आखिर में वे खीजकर सदन छोड़कर भी चले गये। लेकिन हमारे बहादुर रेल मंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ा और दुनिया को जताया कि देश के ही नहीं, दुनिया के इतिहास में उन्होंने एक गौरवपूर्ण कार्य किया है। आज देश के ही नहीं, विदेश के लोग भी यहां रेल मंत्री जी से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, यह अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम है। बिना भाड़ा बढ़ाये, चाहे वह रेल का भाड़ा हो, चाहे माल भाड़ा हो, अपने सहयोगियों के साथ सहयोग लेकर उन्होंने आमदनी बढ़ाने का काम किया।

साथ ही साथ कई सौ ट्रेनों को बढ़ाने का काम, नये ट्रैकों के निर्माण का कार्य, प्लेटफार्मों को ऊंचा करने के लिए, पुराने सिग्नलों को बदलने के लिए, फुट ओवरब्रिज के लिए, रोड ओवरब्रिजेज के लिए ऐसी थैली खोली है, जिसकी आवश्यकता थी और जो बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों को एक ऐसे आयाम पर पहुंचाने के लिए रेलवे के रिजर्वेशन टिकट की एजेंसियां, चाहे वे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे गली-मौहल्ले के अन्दर काउंटर लगाकर हो, चाहे पैट्रोल पम्प पर हो, यह नये रोजगार खोलने का एक रास्ता दिखाया है।

रेलवे रिजर्वेशन पर जो लंबी-लंबी कतारें लगी रहती हैं, उनको खत्म करने की जो पहल की गयी है, वह भी निश्चित तौर पर एक बधाई का कार्य है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और लिफ्ट मशीनों की जो घोषणा की है, इससे हमारे जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनको भी तकलीफ कम होगी और वे अपनी यात्रा को सुलभ बना सकते हैं। इससे भी बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, बारहवीं क्लास तक के बच्चे जो धन के अभाव में गांव से शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनको फ्री-पास देने का काम किया है, साथ ही साथ चौदहवीं क्लास तक बेटियों के लिए, जिनके मां-बाप उनके रेल का भाड़ा बरदाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, शिक्षा तो मुफ्त मिल सकती है, बहुत सी जगह लोग दे रहे हैं, सर्वशिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार भी दे रही है, लेकिन रेल का भाड़ा न होने की वजह से वे शिक्षा के भवन में नहीं जाते थे। रेल मंत्री जी और तमाम सहयोगियों ने जो ऐतिहासिक काम किया, वह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने उन्हें जो छूट देने का काम किया और फ्री-पास देने का काम किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हमारे यहां जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको तीस प्रतिशत के पचास प्रतिशत का जो कंसेशन देने का काम किया है, वह भी ऐतिहासिक काम है।

महोदय, अभी पांडा जी पूछ रहे थे और मेरे एक साथी भी पूछ रहे थे कि रेल को मुनाफे में लाने की क्या जरूरत है? भारत सरकार 11 प्रतिशत दे रही है, 89 प्रतिशत अपने साधनों से ये इकट्ठा कर रहे हैं। एक तरफ हम सुविधा मांगते हैं, अभी राणा साहब भी

मांग कर रहे थे कि यहां रेल रोको, यहां रेल दो, यहां प्लेटफार्म ऊंचा करो, यहां सिगनल दो, यहां वर्ल्ड लेवेल का स्टेशन दो, सभी मांगेंगे, आमदनी के लिए पूछेंगे कि क्यों आमदनी बढ़ायी? इसके लिए कोई नहीं कहेगा। खर्चा चाहिए, लेकिन आमदनी नहीं चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी ने इसका भी एक उदाहरण पेश किया है, बैलेंस करते हुए, जहां खर्चा बढ़ाने का काम किया है, वहां दोनों हाथों से जन-सुविधाओं को भी बांटने का काम किया है- चाहे वह गरीब रथ के माध्यम से हो, चाहे प्लेटफार्म के माध्यम से हो, चाहे नये-नये सफाई उपकरणों के माध्यम से हो, चाहे नए डिजाइन के इंजनों के मध्यम से हो, चाहे वैगन का उत्पादन बढ़ाने के माध्यम से हो, चाहे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन बढ़ाने के माध्यम से हो, ऐसे तमाम काम किए गए हैं। उस पैसे को लालू यादव जी अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, ये दोनों रेल मंत्री भी बोरे में भरकर घर नहीं ले जा रहे हैं, न ही रेलकर्मी घर भरकर ले जा रहे हैं और न अधिकारी वर्ग भरकर ले जा रहे हैं। पैसे की जो आमदनी हो रही है, वह किस तरह से री-इन्वेस्टमेंट करके रेल में जन-सुविधाओं को पहुंचाने के लिए काम किया जाए, क्योंकि रेल एक ऐसा साधन है जो जन सुविधाओं को पूरा करने का काम करता है।

मान्यवर, मैं कुछ अपने संसदीय क्षेत्र के संबंध में मांग करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, हापुड़ लोकसभा क्षेत्र, यहां पर गढ़ से दिल्ली तक हजारों आदमी आते हैं। एक डीएमयू जो यहां खाली खड़ी हुयी है, उसे प्रतिदिन चलाने के लिए मैं मांग करता हूं जिससे एक कनेक्टिविटी बन जाए और लोगों को यहां आने का एक सुगम रास्ता मिल जाए।

दूसरी बात, माननीय रेलमंत्री जी ने अपनी घोषणा के अनुसार साहिबाबाद से नई दिल्ली एक ईएमयू चलवाने का कार्य किया था, जो 1 जुलाई, 2007 से चल रही है, लेकिन उधर से वह नहीं चलती है। मेरा अनुरोध है कि वह गांड़ी वहां जाकर कहीं खड़ी होती होगी और सुबह फिर वापस आने के लिए और ले जाने के लिए आती है, अत: मेरा अनुरोध है कि आप उस रेलगाड़ी को दोनों तरफ से चलवाने की कृपा करें। गाजियाबाद और साहिबाबाद से नयी गाड़ियां चलाने की भी मैं मांग करता हूं। इसी तरह शाहदरा-सहारनुपर रेलवे लाइन पर बन्थला स्टेशन के पास गेट नं. 8ए - 3टी पर आरओबी की भी मांग करता हूं। इसी के साथ-साथ हाफिज-बैठा जहां कभी फाटक हुआ करता था, मुरादनगर से जो पाइपलाइन गयी, उसकी वजह से फाटक बंद कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है, मेरा अनुरोध है कि हाफिज-बैठा पर भी एक आरओबी बनवाने की कृपा करें।

आरओबी हनुमानपुरी, साहिबाबाद स्टेशन पर अंडरपास, राधाकुंज, ब्रजविहार अंडरपास, हनुमानपुरी मोदीनगर अंडरपास, भूपेन्द्रपुरी फुटओवर ब्रिज को बाहर से बाहर जोड़ना, ब्रजघाट ऐतिहासिक जगह है, वहां अंडरपास, सिम्भावली फुटओवर ब्रिज को बाहर से बाहर की भी कृपा करने का कष्ट करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

इन्हीं शब्दो के साथ मैं पुन: माननीय रेल मंत्री जी और यूपीए सरकार के नेतृत्व को हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री बिक्रम केशरी देव** (कालाहांडी) : सर्वप्रथम, मैं श्री लालू प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं कि एक प्रशासक के रूप में उन्होंने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है और अब रेलवे 25,000 करोड़ रुपए के विशाल लाभ में चल रही है।

लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी, को 14वीं लोक सभा के सत्र की शुरूआत में उनके पहले भाषण का स्मरण कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने रेलवे को उन क्षेत्रों में पहुंचाने की बात कही थी जिससे यह अब तक अछूता रहा है। उड़ीसा राज्य का 'केबीके' क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण है।

भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसी बीच इसमें अनेक आधुनिकीकरण कार्य किये गये हैं। लेकिन रेलगाड़ियों की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पुलों के आधुनिकीकरण संबंधी खन्ना रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी और बी.एन.आर. पुलों को बदला जाना चाहिए।

उड़ीसा एक खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य है जहां लौह अयस्क और बॉक्साइट अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन, लौह अयस्क की ढुलाई दर में दोगुनी वृद्धि की गयी है जिससे इस्पात उद्योग में वृद्धि हो रही है। अत: इसे कम किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि यात्री सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। तथापि आरपीएफ और अन्य अभिकरणों के जरिए, यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की मुख्य जिम्मेदारी है। लेकिन रेलवे इसमें विफल रहा है क्योंकि स्टेशनों पर चोरी और झपटमारी की घटनाएं अक्सर हो रही हैं।

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन उन्हें स्टेशनों पर अवसंरचना और यात्री सुविधाएं सुधारने में भी भागीदार होना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

'केबीके' क्षेत्र में जूनागढ़ से अंबागुडा और कान्ताबांजी से नवरंगपुर तक दो सर्वेक्षण परियोजनाओं की अनुमति देने के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इन के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं ताकि सर्वेक्षण एक वर्ष में पूरा किया जा सके, जिससे कि निधियां आगामी वर्ष में रखी जा सकें।

तीतलागढ़ से रायपुर और तीतलगढ़ से संबलपुर लाइन का दोहरीकरण होने पर यह लाइन सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाली परियोजना बन जाएगी जो विजाग पत्तन और गोपालपुर पत्तनों पर पत्तन संपर्क से 6 इस्पात संयंत्रों और 3 एल्यूमीनियम शोधन संयंत्रों को जोड़ेगी।

मेरा एकमात्र अनुरोध निजामुद्दीन से विशाखापत्तनम जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 2807-2808 को दैनिक रेलगाडी बनाने और इसमें शयनयान डिब्बे वातानुकूलित-III टियर डिब्बे लगाने, भुवनेश्वर से रायपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अथवा पूर्व-तटीय रेलवे में भुवनेश्वर से बोलंगीर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक-एक शयनयान लगाने का है क्योंकि इससे समूचे 'केबीके' क्षेत्र का राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से संपर्क हो जाएगा।

श्री एन.एन. कृष्णादास (पालघाट) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम, मैं केरल में एक नई कोच फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, उनके सहयोगियों तथा अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। केरल के माननीय मुख्यमंत्री और वहां के लोग पहले ही उनका आभार व्यक्त कर चुके हैं।

मुझसे पूर्व बोले वाले माननीय सदस्य पहले ही मुख्य बिन्दुओं पर बोल चुके हैं। हमारे दल का सामान्य दृष्टिकोण हमारे नेता कामरेड बसुदेव आचार्य अपने भाषण में पहले ही रख चुके हैं। समय भाव के कारण मैं सीधा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दो पर आ रहा हूं। माननीय रेल मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में वरिष्ठ नागरिकों, छात्राओं, सैनिकों आदि को रियायते देने संबंधी कतिपय प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

भारतीय रेल हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसे कलाकारों और लेखकों को रियायत प्रदान करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंच कलाकारों और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त लेखकों को भी रियायत प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि सांस्कृतिक समूह अपनी कलाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पूरे देश में भ्रमण करते हैं। वे सभी मतभेद और सीमाओं से आगे बढ़कर संगीत और नृत्य के जरिए अपनी कला का प्रर्दशन कर रहे हैं। इसलिए उनको अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे को उनको अधिकतम रियायते प्रदान करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ रियायते तो मिल रही हैं। लेकिन इनमें वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि, जैसाकि मैंने कहा, भारतीय रेल हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है।

अब मैं अपने राज्य केरल की विकास परियोजनाओं से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर आता हूं। मैं पहले ही रेल मंत्रियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आभार व्यक्त कर चुका हूं। केरल सरकार प्रस्तावित कोच फैक्टरी स्थापित करने के लिए पहले ही पालघाट में हजारों सकड़ भूमि की पहचान कर चुकी है, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह करता हूं। इस उद्देश्य के लिए, मैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि का दौरा करने, डीपीआर तैयार करने, व्यवहार्यता अध्ययन करने और यह परियोजना स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए रेल मंत्रालय से यथाशीघ्र एक दल भेजने का अनुरोध करता हूं।

रेल अवसंरचना अधिक महत्वपूर्ण है। रेल नेटवर्क के विकास के लिए नई लाइनों का निर्माण करना होगा। हमें अपने रेल नेटवर्क पर गर्व है। यह विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, हमें नई लाइनों का निर्माण करना चाहिए। बजट प्रस्तावों में नई लाइनों के निर्माण के लिए अनेक सर्वेक्षणों की घोषणा की गई है।

हमारे राज्य में भी अनेक सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन एक भी कार्यान्वित नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, एक प्रस्ताव है। दक्षिण रेलवे के पलक्कड़ मंडल में कोल्लनगोडू से त्रिसूर तक एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण का प्रस्ताव मौजूद है। मैं नहीं जानता यह कैसे हो रहा है। मैं दो माननीय रेल राज्य मंत्रियों से पूछ रहा हूं, जो इस कार्य के लिए यहां मौजूद हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 59 किमी की लाइन का निर्माण होना है। इस रेल लाइन के निर्माण की लागत 303.76 करोड़ रुपए है। मजे की बात है इसका प्रतिफल शुरूआत में प्रतिफल न्यूनतम

होगा। हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं? व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कार्य विधि अथवा पद्धति क्या है? किसी रेल लाइन के निर्माण से पूर्व ही, हम यह अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि इस लाइन विशेष से प्रतिफल क्या होगा? मैं केवल दस मिनट का समय और लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं। अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। मैं आपको और समय कैसे दे सकता हूं?

श्री एन.एन. कृष्णदास : मुझे अपना भाषण जारी रखने दें। बात यही है।

सभापति महोदय : आप अपने भाषण का बाकी भाग सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोचीन पत्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर टर्मिनल निर्माणाधीन है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह वर्ष 2009 तक पूरा हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का निर्माण पूरा होने के पश्चात् कोचीन से तूतीकोरिन और कोचीन से चैन्नई के बीच एक विशेष यातायात कोरिडोर बनाया जाना चाहिए। थ्रिसुर और कोलनगोडु के बीच भी सम्पर्क मार्ग बनाया जाना चाहिए। इस रेलमार्ग से महत्वपूर्ण तीर्थस्थल जैसे गुरूवायुर, पलानी, मदुरै और रामेश्वरम तथा महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र नेल्लीयमपैथी, परमगिकुलम अभयारण और कोडईकनाल को जोड़ा जा सकेगा। इसे बरास्ता थ्रिसुर-चैन्नई-तूतीकोरिन विशिष्ट यातायात कोरिडौर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः इस रेल लाइन को किसी भी कीमत पर व्यवहार्य बनाया जाना चाहिए और इस लाइन के निर्माण हेतु इसी बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा आमान परिवर्तन के बारे में है। मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। पालाक्कड रेल मंडल के अंतर्गत पोल्लाची से पालाक्कड तक आमान परिवर्तन के कार्य को स्वीकृति प्रदान की जाए तथा इसी बजट में पर्याप्त धन आवंटित करके कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

केरल को उत्तरी भाग में स्थित शोरानूर से मैंगलोर तक विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। विद्युतीकरण परियोजना के लिए इसमें व्यवहार्यता अध्ययन भी सम्मिलित किया जाना चाहिए इसके व्यवहार्यता अध्ययन में तेजी लाई जानी चाहिए। इसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। शोरानूर और मंगलौर के बीच विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

निलाम्बुर से नन्जनगोंडु के बीच नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण किया जाना है। वस्तुतः इसके लिए पिछले बजट में ही प्रस्ताव रखा गया था। सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। दुर्भाग्य से, बिना किसी कारण सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया। अतः इसे शामिल किया जाए।

एक अन्य बात मल्टीपल इलेक्ट्रिकल इंजन यूनिट (एम.ई.ई.यू.) के बारे में है। कोयम्बतूर और कोचीन, त्रिवेन्द्रम से कोचीन तथा कालीकट और मंगलौर के बीच यह व्यवहार्य है। यह डीजल मल्टीपल यूनिट (डी.एम.यू) होगी क्योंकि इसका विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है। यही बात है।

अब, मैं रेल ऊपरि पुल की बात करता हूं। केरल के विभिन्न भागों में पिछले दस वर्षों से लगभग 60 रेल ऊपरि पुल निर्माणाधीन हैं। मैं विशेषतया एल सी 49, 50 और 159 के बारे में कह रहा हूं। यह निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए।

यह मेरा अंतिम मुद्दा है। मैं इसी पर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सलेम मंडल की स्थापना के दौरान एक समझौता किया गया था कि पालाक्कड़ मंडल से कर्मचारियों का सलेम मंडल में जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अतः माननीय रेल मंत्री और संबंधित अधिकारी इस बात को नोट कर सकते हैं। यह जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यह नए सलेम मंडल की स्थापना करते समय किये गए समझौते के विरूद्ध होगा। अतः इस पर भी विचार किया जाए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : पालघाट मंडल में एक रेलवे अस्पताल है। परन्तु उसमें कोई सुविधा नहीं है।

मेरा अंतिम मुद्दा रेलवे स्टॉफ क्वार्टर के बारे में है। ये बहुत समय पहले ब्रिटिश शासनकाल में बनाये गए थे। अब ये जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं

[श्री आनंदराव विठोबा अडसूल]

रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत से नए रेल मार्गों का निर्माण हुआ है, बहुत से रेल मार्ग प्रस्तावित हुए हैं, नई रेलगाड़ियों चलने लगी हैं, कुछ गाड़ियों का विस्तार किया गया है, गरीब रथ चलाए गए हैं और यह सब करते हुए भी भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इसके लिए रेलमंत्री जी और रेल मंत्रालय धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग का प्रस्ताव यहां रखना चाहता हूं। यह रेल मार्ग महाराष्ट्र के सोलापुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश के बुरहाणपुर तक जाता है। अगर इस मार्ग का निर्माण हुआ तो दक्षिण पूर्व रेलवे के सोलापुर से शुरू होकर, दक्षिण मध्य रेलवे से जालना में जोड़ा जाएगा, मलकापुर में मध्य रेलवे से और मध्य प्रदेश के बुरहाणपुर में यह उत्तर रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस तरह यह रेल मार्ग चार प्रमुख रेलवे मार्ग को जोड़ेगा। इस क्षेत्र में सात जिले आते हैं, जहां से 8 लोक सभा सदस्य और 42 विधायक आते हैं। इस क्षेत्र में सोलापुर जिले के दो हिस्से आते हैं, उस्मानाबाद, बीड, जालना, बुलढाणा और बुरहानपुर आते हैं। अगर सोलापुर के यात्रियों को दिल्ली की ओर जाना हो तो उसका रूट ऐसा है कि शोलापुर, दौंड, नगर, मनमाड और भुसावल होकर बुरहाणपुर जाना पड़ता है, लेकिन अगर इस मार्ग का निर्माण होता है तो सोलापुर तायलवाड़ी, तुलजापुर, उस्मानाबाद, ऐरसी, कलंब, केज, मेकनुर, इमामपुर, बीड़, घेवराई, अंबड, जालना, देऊलगांवराजा, चिखली, बुलढाना, मुल्ताणा, मलकापुर और बुरहानपुर के क्षेत्र इससे जुड़ सकेंगे। आज सोलापुर और बुरहाणपुर के मध्य 700 किलोमीटर की यह दूरी है वह 250 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। दुर्भाग्य की बात है ये सात जिले पिछड़े और सूखा प्रभावित जिले हैं, वहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, अगर यह रेल मार्ग बनेगा तो वहां छोटे-मोटे उद्योग आएंगे, इससे वहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इससे आगे महत्पूर्ण बात यह है कि इस रेल मार्ग के बनने से कुछ धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल भी अपने आप विकसित हो जाएंगे। इस मार्ग के बनने से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, उनकी यात्रा पर कम खर्च आएगा। साउथ से नॉर्थ की ओर आने वाले यात्री कम खर्च और कम समय में यात्रा कर सकेंगे। लोगों को अगर किसी तीर्थस्थान या पर्यटन स्थल पर जाना है तो इससे उनको सुविधा होगी। सोलापुर में एकरूख, नान्नज, उजनी, वैलापुर उसके साथ जो धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा बाले, बार्शी, पंढरपुर, मंगलवेढा, अरण, अक्कलकोट, कुडल, वरकुटे, दहीगाव, नाझरे, शिवपुरी, वडवल, चिकलठाण और उसके आगे उस्मानाबाद में जो पर्यटन स्थल हैं। फिर नागझरी, रामलिंग और जो तीर्थ स्थल हैं, अण्दूर, सोनारी, डोमगाव, तुलजापूर, रामलिंग भूम, कुंथलगिरी, येरमाला, सिद्धेश्वर, रामकुंड परंडा, नलदुर्ग तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा होगी। इसी तरह बीड जिले में सौताडा और नायगाव हैं। यहां पर जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं राक्षसुभुवन, धारूर, बीड, अंबाजोगाई, परली वैजनाथ, केज, गेवराई धारूर आदि जगहों पर भी लोगों को आने-जाने में सुविधा हो जाएगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम बुलढाणा है। बुलढाणा में जो पर्यटन स्थल हैं सिंहराजा और लोणार, जो पांच क्रेटर्स हैं, उनमें से जो तीन नम्बर को क्रेटर लुणार में आता है, उसके साथ गारडगर, नागझरी, थल, देऊलगावराजा, मेहकर, सैलानी दर्गा अगर रेल मार्ग से जुड़ जाते हैं तो वहां के पूरा एरिया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा और वहां के धार्मिक स्थलों पर भी जाने के लिए यात्रियों को सुविधा होगी। रेल मार्ग हो जाने से वहां पर छोटे-मोटे उद्योग लगेंगे, जिससे बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से इस पिछड़े हुए इलाके का विकास करने में यह रेल मार्ग सहायक सिद्ध होगा।

यहां पर दोनों रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। वहां पर रेल मार्ग होने से एक तो अंतर भी घटेगा और दूसरे वहां यातायात में भी सुविधा होगी। इसके अलावा साउथ से लोगों को सीधे दिल्ली की तरफ आने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए यह नया प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। आपके द्वारा इस रेल बजट में 16 रेलगाड़ियों का विस्तार किया गया है। मैंने पहले भी इस संबंध में दो प्रस्ताव आपके सामने रखे थे। इस बार भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नासिक से भुसावल एक पैसेंजर ट्रेन जाती है, वह बनडेरा या अमरावती तक जाएगी तो लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। इसी तरह सूरत-भुसावल और बनडेरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसका भी विस्तार अगर अमरावती या बनडेरा तक हो जाएगा तो मेरे चुनाव क्षेत्र में जो 100 किलोमीटर का परिसर आता है, वहां के गरीब लोगों को सुविधा होगी। दो स्टेशन के बीच एवरेज रेल भाड़ा छः रुपए होता है, जबकि बस का भाड़ा उसी दरमियान 25 रुपए आता है। इतना फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, वह काफी नहीं है। अगर दो पैसेंजर ट्रेन का आप विस्तार करेंगे और बनडेरा तक ले जाएंगे तो भुसावल से लेकर बनडेरा तक जो 150 किलामीटर का परिसर है, वहां के आम लोगों को सुविधा मिलेगी।

मैं अंत से सेफ्टी के बारे में कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र काफी होता है। मैंने इस संबंध में एक प्रस्ताव पहले भी आपके सामने

रखा है और आज फिर रख रहा हूं। नांदुरा में जो रेलवे क्रासिंग है, वहां पर वाहनों की काफी भीड़ होती है, जिस वजह से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर वहां ओवरब्रिज बना दिया जाए तो लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अमरावती से नरखेड़ रेल मार्ग का निर्माण कार्य पांच साल से चल रहा है। इसके लिए 234 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी तक 134 करोड़ रुपए लग चुके हैं। अगर बाकी बचे 100 करोड़ रुपए और मिल जाएं तो वह रेल मार्ग पूरा हो जाएगा। इसके बन जाने से अमरावती से नरखेड़ के लोगों को काफी सुविधा होगी और साथ ही जो गुजरात की तरफ जाने वाले लोग हैं, उन्हें भी सुविधा होगी।

सभापति महोदय, मैंने जिन मुद्दों को यहां रखा है, आपके द्वारा रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि वह अवश्य ही इन पर गौर करेंगे।

श्री कैलाश बैठा (बगहा) : सभापति जी, आज मैं यूपीए सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी द्वारा पेश किए गये रेल बजट के विषय में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह पूरी तरह लोक लुभावना चुनावी बजट है, जिसमें पिछले चार बजटों में कही गयी कई बातों को दोहराया गया है।

यह रेल बजट आगामी लोक सभा के आम चुनाव एवं विभिन्न राज्यों में होने वाले विधान सभा के चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रेल मंत्री जी ने खुद ही अपने बजट को इन्द्रजाल बताया है, जबकि पिछले बजट को जादू-टोना बताया है। अब मैं पेश किए गये रेल बजट की कमियों पर आता हूं।

माननीय रेल मंत्री जी ने रेल यात्रियों की सुरक्षा का कोई ध्यान इस बजट में नहीं रखा है। पिछले बजट में भी ढीली सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उन्होंने स्टेशनों पर डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, स्क्रीनिंग सिस्टम, डिस्पोजल उपकरण तथा विस्फोटकों का पता लगाने वाली मशीनें लगाने की बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं और यही बातें इस बजट में भी दोहराई गयी हैं। पुराने रेलवे ट्रैकों एवं जर्जर पुल-पुलियों पर गाड़ियों को चलाकर यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अपराह्न 5.32 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

वर्ष 2000-2001 में रेलवे क्रासिंगों पर जहां 15 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई, वहीं वर्ष 2006-2007 में 40 फीसदी दुर्घटनाएं हुई हैं। पिछले दो वर्षों में किसी भी रेलवे क्रासिंग पर फाटक नहीं बनाया गया है। जबकि हर बजट में ऐसे करने की बात कही जाती है।

ट्रेनों में चोरी-डकैती की समस्या आये दिन बनी रही रहती है। इसे रोकने का कोई ठोस उपाय बजट में नहीं बनाया गया है।

सभापति जी, जहां तक रोजगार रोजगार की बात है, पिछले बजट में यह वायदा किया गया था कि रेलवे का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 हजार पदों पर शीघ्र भर्तियां की जायेंगी, लेकिन अब तक मात्र नौ हजार की भर्तियां की गयी हैं।

महिलाओं का दिल जीतने के लिए रेल मंत्री जी ने रेलवे की नौकरियों में महिलाओं को पांच से दस फीसदी आरक्षण देने की बात की है, जबकि महिलाओं की आबादी 50 फीसदी है। इस लिहाज से कम से कम 20 से 25 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिये जाने चाहिए।

बिहार की हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव में और शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर देश को एक नयी दिशा देने का काम किया है। देश में पहली बार साम्प्रदायिक आधार पर रेल बजट बनाया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण किया गया है। उन्हें रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन साम्प्रदाय के नाम पर रेलवे में प्रकोष्ठ की स्थापना करना न्याय संगत नहीं है। कहने को रेलवे ने बड़ी कमाई की है, लेकिन उसका लाभ आम जनता को मिलता नहीं दिख रहा है। आज भी स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने का पानी तथा शौचालय की बुरी हालत है। प्रमुख गड़ियों में भोजन की खराब क्वालिटी को सुधारने के लिए रेट बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

कई प्रमुख गाड़ियों में पेंट्रीकार की व्यवस्था नहीं है तथा साफ-सफाई का भी बुरा हाल है। रेलवे स्टेशनों पर साधारण टिकट के लिए लम्बी लाइनों से निजात पाने का इस बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। टिकट के लिए धक्के खाने एवं दलालों से बचने के लिए इंतजार करने की बात पिछले बजटों से की जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा : महोदय, प्लेटफार्म टिकट, प्लेटफार्म तथा डिब्बों में पेयजल तथा कस्बाई एवं छोटे स्टेशनों पर रात में रोशनी की व्यवस्था के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

रेल मंत्री ने अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत करते हुए अपने को मिट्टी से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए जो बातें कही थीं, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और कुल्हड़, खादी, लस्सी, मट्ठा, सिल्वट मसाला आदि स्टेशन तथा गाड़ियों से गायब हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं ताकि समय बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा : सभापति महोदय, नए सदस्य का थोड़ा सा साथ दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे प्रिय मित्र, आप इसे सभा पटल पर रख सकते है।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा : रेल मंत्री जी ने किराए में कमी की बात कह कर लोगों में अच्छा भ्रम फैलाया है। दिल्ली एवं गुड़गांव के दैनिक यात्रियों के किराए कम नहीं किए गए तथा उनके लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था नही की गई। साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए 50 रुपए तक के किराए में मात्र एक रुपए की रियायत दी गई है। जबकि एसी के किराए में अच्छी रियायत दी गई है। स्लीपर क्लास के लोगों को झुनझुना थमाया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं ताकि समय बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा : इन्हें सिर्फ नए डिजाइन के कोचों में थोड़ी रियायत दी गई है। नए डिजाइन के डिब्बों में आठ सीटें बढ़ा कर उनसे प्राप्त आमदनी को ही दो प्रतिशत की छूट के रूप में समायोजित किया गया है। थर्ड एसी के विशेष डिब्बों में दो प्रतिशत की छूट दी गई है। जबकि विशेष डिब्बों वाली गाड़ियां गिनती की हैं और उनका पता आम जनता को भी नहीं है।

ई-टिकिटंग मुसाफिरों के गले में फंदे के समान है। इसमें किराया भी ज्यादा लग रहा है और यदि किसी कारण से यात्रा रद्द होने पर यात्री उसे लौटाना चाहे तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

यह पूर्णतः ठेके का बजट है, जिसमें रेलवे की वित्तीय सेहत के साथ समझौता किया गया है। सरकार के लोक लुभावन फैसलों से वर्ष 2008-09 में खर्च बढ़ेगा और इसका खामियाजा अगली सरकार को भुगतना होगा और रेलवे को पिछले साल जहां 20 हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ था, इस वर्ष इस लाभ में कमी आ सकती है।

सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान जोर-जोर से दोनों हाथ उठाकर रेलवे को हुए मुनाफे की बात कही है, लेकिन उन्होंने पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद केवल साढ़े तीन सौ किलामीटर नई रेल लाईन बिछाने, 2150 किलोमीटर लाईन के आमान परिवर्तन और एक हजार किलोमीटर लम्बी लाईनों के दोहरी करण का न्यूंनतम लक्ष्य इस बजट में रखा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री कैलाश बैठा, आप अपना शेष भाषण सभापटल पर रख सकते है। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गणेश सिंह

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कैलाश बैठा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने लिखित भाषण का शेष भाग सभापटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री कैलाश बैठा** : रेल बजट में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व हिमाचल के लोगों के लिए कोई नई परियोजना नहीं दी गई है। बिहार में भी उनका बजअ उनके संसदीय क्षेत्र तक सीमित है। बजट में बंगाल की भी अनदेखी हुई है, जिस कारण हमारे बंगाली वामपंथी साथियों को अपनी ही समर्थित सरकार के रेल बजट का बहिष्कार करना पड़ा।

देश की राजधानी दिल्ली में खस्ताहाल जन-सुविधाओं के बावजूद उसके समाधान हेतु मात्र 70 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये है। वहीं दिल्ली मेन स्टेशन के विकास के लिए अनुमानित लागत 7 करोड़ 92 लाख रुपये है। जबकि इस मद में मात्र 20 लाख दिये गये है। दिल्ली स्टेशन की इमारत के निर्माण की अनुमानित लागत 36 करोड़ 53 लाख रुपये है, जिसमें सिर्फ 6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गये है। रूटों के विस्तार के बारे में भी बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

पिछले रेल बजट में स्टेशनों पर कबीर के दोहे लिखवाने की बात कही गई थी, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया है। माननीय पूर्व रेलमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा स्वीकृत रेल परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर नित्य नई घोषणाएं हो रही हैं, जिस पर काम भी होगा या नहीं, इस पर संदेह है। बिहार में अतिमहतवाकांक्षी रेल परियोजना हाजीपुर-सुगौली रेल मार्ग की भी काफी धीमी प्रगति है। शायद ही देश में कोई गाड़ी समय से चलती हो।

माननीय रेलमंत्री जी ने अपने बजट में कुछ अच्छी बातें भी की हे जैसे-वरिष्ठ नागरिकों, तथा असाध्य रोगियों, के किराये में और अधिक छूट तथा छात्र-छात्राओं को कालेज व सक्ल जाने के लिए मुफ्त मासिक सीजन टिकट देने की जो घोषणा की गई है वह प्रशंसनीय है।

और अब अंत में मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसे अनुपूरक बजट में शामिल करने की कृपा करें।

बगहा, नरकटियागंज एवं हरिनगर सम्पार गेटों पर फ्लाई ओवर ब्रिज की पिछले साल स्वीकृति दी गई, लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। अत: जनहित में इस ओवर ब्रिज का निर्माण अविलंब कराया जाये।

*... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

नरकटियागंज में वाशिंग पिअ की बात हर बजट चर्चा में उठाई जाती है, लेकिन इस पर रेल मंत्री जी का ध्यान नहीं जाता।

मरुवाडीह बापूधाम एक्सप्रेस का ठहराव राजनीतिक कारणों से बगहा एवं रामनगर में नहीं दिया गया, जबकि यह दोनों महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। अत: मेरी पुरजोर मांग है कि उक्त गाड़ी का ठहराव बगहा एवं रामनगर में सुनिश्चत किया जाए।

बाल्मीकनगर कपरपूरा तक टोकन लेस सिस्टम होना चाहिए ताकि गाड़ियां नियत समय पर चल सकें। साथ ही मुजफ्फरपुर से बाल्मीकनगर होते हुए गोरखपुर तक रेलवे लाईन का दोहरीकरण कार्य किया जाना चाहिए, ताकि गाड़ियों का आवागमन संतुलित किया जा सके।

पनियाहवा-छितौनी-तम्कुही रोड रेल लाईन के निर्माण कार्य, जयनगर-नरकटियांगज आमानपरिवर्तन कार्य, तथा नरकटियागंज-गौनाहा-भिखनाठेढ़ी आमान परिवर्तन कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसमें तेजी लायी जाए।

मुजफ्फरपुर बा रास्ता नरकटियांगंज-गोरखपुर एक गरीब रथ एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता है, जिस पर विचार होना चाहिए।

वाल्मीकनगर से बेतिया तक के सभी स्टेशनों पर जो यात्री शैड बने है वह उपर्याप्त है बरसात के दिनों में यात्रियों को काफी परेशानी होती है उसका विस्तान किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। तथा यात्री सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रोशनी आदि का समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है। इन्ही बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब श्री गणेश सिंह

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गणेश सिंह]

मौका दिया। माननीय रेल मंत्री जी पांचवी बार रेल बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्न हो रहे थे लेकिन शायद इस बात को नजरअन्दाज कर रहे थे। वह जब पांचवीं बार सदन के भीतर बजट प्रस्तुत कर रहे थे तब देश के कई राज्यों के माननीय सांसद उनके प्रस्तुत किए गए रेल बजट पर असहमति व्यक्त कर रहे थे। तब देश के कई राज्यों में माननीय सांसद उनके प्रस्तुत किए गए रेल बजट पर असहमति व्यक्त कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश के सभी सांसदों ने रेल मंत्री जी के बजट का विरोध किया। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यह बजट पूरा असंतुलित है। बजट में सभी क्षेत्रों का बराबर ख्याल नहीं रखा गया और लगातार नई-नई घोषणाएं उन्हीं क्षेत्रों के लिए हुई हैं जहां पहले के चार बजटों में नए कामों की स्वीकृतिया दी गई थीं। यह सही बात है कि रेल का नेट वर्क देश में बड़ा है। 14 लाख कर्मचारी रेल विभाग के पास हैं, डेढ़ करोड़ यात्री रोज अपनी यात्रा तय करते हैं, 11 हजार से अधिक ट्रेन्स हैं लेकिन जहां एक ओर नई तकनीक की ट्रेन देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में पुराने डिब्बे, पुरानी लाइनें, टूटे-फूटे स्टेशन देश के भीतर देखने को मिलेंगे जिन की संख्या 70 फीसदी से ज्यादा है, वहां पेय जल नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पैदल ब्रिज नहीं हैं, दूसरे-तीसरे-चौथे प्लेटफार्म की जो जरूरत है, वह नहीं बन पाए हैं। मुझे लगता है कि रेल बजट प्रस्तुत करते समय जिन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए था, वह नहीं रखा गया। मंत्री जी ने एक बात और कही कि हम लगातार पांचवी बार फायदे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 25 हजार करोड़ रुपए के फायदे का बजट है लेकिन इन्होंने जो कहा कि पहले के रेल मंत्रियों ने ठीक काम नहीं किया, रेलवे में बड़ा वित्तीय संकट था लेकिन उन्होंने किसी भी बजट में यह उल्लेख नहीं किया कि रेल विभाग की पुरानी वित्तीय संकट था लेकिन उन्होंने किसी भी बजट में यह उल्लेख नहीं किया कि रेल विभाग की पुरानी वित्तीय स्थिति क्या थी? उन्होंने आरोप लगा कर कह दिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन पहले वालों ने सब गड़बड़ किया, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यह बात ठीक नहीं है।

महोदय, रेलवे की आमदनी का जरिया पार्सल के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और लैंड लीज के माध्यम से बताया गया है। मैं मानता हूं कि रेलवे के पास आज बहुत जमीन है। अगर रेलवे अपनी जमीन का कमर्शियल उपयोग करे तो वह सदैव फायदे में रहेगा लेकिन गांवों में कहावत है कि अपनी सम्पत्ति को बेच कर यदि कोई बेटा अपने को कहता है कि वह धनवान हो गया है तो वह उचित नहीं कहा जाता। घर का बेटा वही ठीक माना जाता है जो खुद सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठी करे, अन्य तरह से मेहनत करके आय अर्जित करके पूंजी को बचाने का काम करे लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां हम अपनी जमीन को कमर्शियल उपयोग के लिए दे रहे हैं। उससे जो आमदनी हो रही है, उसे रेलवे का फायदा बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि रेल यात्रियों के किराए में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन नई 200 गाड़ियां जिन्हें सुपरफास्ट बनाकर चलाया गया, उन गाड़ियों में यात्रियों के ऊपर अधिभार लगाने का काम तो किया गया लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी गईं। मैं आज भी कई ऐसी सुपफास्ट गाड़ियों का नाम ले सकता हूं, जो मेरे क्षेत्र में महाकौशल एक्सप्रेस और रीवा से नई दिल्ली चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इनके डिब्बों की हालत देखिए, इनकी स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बाथरूम में जाओ तो ऐसा लगता है कि पांव नीचे चला जाएगा। अगर बच्चे ट्रेन में अकेले टहलना चाहें तो बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते। ट्रेन में आवाज इतनी भयंकर आती है कि आप सो नहीं सकते। ऐसी ट्रेनों को हम दुनिया की नंबर वन ट्रेन बनाने जा रहे हैं। खानपान की जो व्यवस्था है, उसका तो गजब का हाल है। जितने वहां अवैध वेंडर्स ट्रेन में देखने को मिलेंगे उतने कहीं नहीं मिलेंगे। विज्ञापनों की रेलवे स्टेशन नुमाइश बन गए हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन वहां लगे हुए हैं जिससे लोग रास्ता भूल जाते हैं। मैं कई बड़े शहरों का नाम बता सकता हूं कि लोग स्टेशन जाने का रास्ता भूल जाते हैं, वहां विज्ञापन के बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, इससे रेलवे की वास्तविकता अपने आप खोती चली जा रही है। आज रेलगाड़ियों में डिब्बा बंद सामान प्लास्टिक के बर्तनों में बिक रहा है, अब लालू जी के वो नारे कहां गए-कुल्हड़ लाएंगे, खादी के तकिए के कवर और चादर देंगे। अगर ट्रेन के परदे देखेंगे तो उल्टी होती है। वहां कॉकरोच खटमल और चूहों ने पूरी तरह से अपना घर बना लिया है। रात में आप कोई खाने का सामान छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वह गायब हो गया, वह किधर गया पता नहीं चलेगा, यह स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि आज रेलवे 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन जो फील्ड में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है? वे जंगल, पहाड़ों में अकेले राम में ड्यूटी करते हैं, कभी उन्हें डाकू उठा कर ले जाते हैं तो कभी कोई आकर धमकाता है लेकिन इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वे पेड़ के नीचे किसी तरह से रात गुजारते हैं, हम उनको आज तक मकान बनाकर नहीं दे सके। हम ए क्लास

का रेलवे स्टेशन दिल्ली को बना सकते हैं यह ठीक बात है, मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता को बना सकते हैं, उचित है लेकिन जो वास्तविकता है उसे स्वीकार नहीं कर रहे। टाइम बाउंड कार्यक्रम क्या इन सुधारों के लिए नहीं चलाए जा सकते। मंत्री जी कह रहे हैं कह रहे हैं कि सब सुविधाएं प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन में दे दीजिए, जहां-जहां आपने प्राइवेटाइजेशन में दिया वहां की हालत देख लीजिए, आज क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पूरी तरह से मुनाफ़े की दृष्टि से काम होता जा रहा है। रेलवे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना था, रेलवे देश को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है। रेलवे से हमारा देश पूरी तरह से एकजुट है अगर इसे मुनाफे का धंधा बनाने में लग जाएं और सुविधाओं को ध्यान में न रखें तो इसे सफलता नहीं कहा जा सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सड़कों के माध्यम से माल भाड़े की ढुलाई 30 या 35 टन से ज्यादा नहीं होगी। अभी हमारे एक मित्र भाषण में बता रहे थे कि रेलवे को फायदा पहुंचाने के लिए माल ढुलाई में ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो ट्रैक तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ होगा ही। ये ट्रैक 100 या 150 वर्ष पहले के हैं, इनमें आधुनिक तरीके का काम किया नहीं है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह ज्यादा मान ढुलाई का काम करेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रास्ते में चलने वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग बंद हो और दूसरी तरफ रेलवे की ओवरलोडिंग बढ़ती चली जा रही है, इस तरह से यह दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले में बहुत गंभीरता से लालू जी को विचार करना चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आज पूरी तरह से कह सकता हूं कि हम अपने क्षेत्र की छोटी-छोटी बातों के लिए अधिकारियों से मिलते हैं, हमने रेल का चक्का जाम भी किया है और माननीय रेल मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हमारे यहां चित्रकूट तीर्थस्थल है, जहां भगवान राम 12 वर्ष रहे और मैहर में शारदा माता की शक्तिपीठ है। इन दोनों तीर्थ स्थलों में करोड़ों आदमी वर्ष भर आते हैं, हमने छोटी सी डीएमयू गाड़ी मांगी थी लेकिन वह आज तक नहीं मिली। रीवा से दिल्ली चलने वाली ट्रेन आठ-दस घंटे लेट होती है, हमने कहा कम से कम उसका तो समय परिवर्तित कर दें और सुबह नौ बजे तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। इस तरह महाकौशल एक्सप्रेस जो जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन आती है, उसका समय परिवर्तन करके आठ-नौ बजे तक दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था करें लेकिन आज तक वह भी नहीं किया। अभी इन्होंने एक ट्रेन दी, हमने मांग की कि इसे रीवा-सतना में मुम्बई चलाया जाए और आपने जबलपुर से चलाने की घोषणा कर दी। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन इसे सतना से चलाया जाए। चूंकि सतना बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जिनका रोज का आना-जाना मुम्बई से है। मुम्बई हमारे लिए एक मैडिकल सैन्टर भी है और एक व्यापारिक केन्द्र भी है। वहां जाने के लिए जबलपुर से मुम्बई जो ट्रेन आपने स्वीकृत की है, हम चाहते हैं कि उसे सतना से चलाया जाए। इसी तरह राजकोट एक्सप्रैस के लिए पूर्व रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने सतना में जाकर एक बड़ी सभा में घोषणा की थी कि राजकोट को हम कटनी से सतना तक पहुंचायेंगे। लेकिन कटनी में दस घंटे वह ट्रेन खड़ी रहती है फिर भी वह आज तक हमें नहीं मिली। सतना एक ऐसी जगह है, जहां से सारी जगहों के लिए, चाहे वह कोलकाता की गाड़ियां हों, चाहे पटना और बिहार की गाड़ियां हो, बनारस की गाड़ियां हो, सब सतना से होकर दक्षिण की तरफ जाती हैं। लेकिन ये गाड़ियां यहां खड़ी तो होती हैं, तेल और पानी हमारे यहां से लेती हैं, लेकिन हमारे यहां यात्रियों के जो आरक्षण कोटे थे तथा वीआईपी कोटे थे, वे सारी ट्रेनों में खत्म कर दिये गये। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। वे सारे आरक्षण के कोटे, जो अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलने वाली गाड़ियों में थे, उन्हें फिर से बहाल किये जाए, यह मेरी मांग है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेलवे स्टेशन हमारे लोक सभा क्षेत्र में हैं, हम लगातार उनके लिए लड़ते रहे हैं कि वहां पेयजल की व्यवस्था हो जाए, वहां शौचालय बन जाएं, वहां बैठने की व्यवस्था हो जाए, फुट ओवर ब्रिज बन जाएं, लेकिन आज तक इनमें से कोई काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि एन.एच. मैहर में आपकी रेलवे लाइन क्रास होती है। हमने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था, लेकिन बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति नहीं दी गई। लेकिन हम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बी.ओ.टी में उसे बनाने की स्वीकृति दे दी है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैहर में अंडरब्रिज बनाने के लिए अपने खर्चे से रेलवे अपनी स्वीकृति दे दे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हमने कहा था कि लगरगवा के पास गोवरांव मोड़ पर एक रेलवे फाटक बनाया जाए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम फाटक में चौकीदार बैठा रहे हैं, हम फाटक को बनाने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन इस गांव की जमीन-जायदाद रेलवे के उस पार है। तथा रेलवे लाइन की ऊंचाई इतनी अधिक

[श्री गणेश सिंह]

है कि लोगों को तीस किलोमीटर का चक्कर मारकर जाना पड़ता है। मैंने मांग की थी कि वहां अंडरब्रिज बनाना संभव नहीं है तो फाटक लगा सकते हैं, इसके लिए लगातार वहां की जनता मांग करती रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सतना से अकेले सीमेंट तथा लाइम स्टोन की लदान सात हजार करोड़ से ज्यादा होती है। हर वर्ष इनको हमारा क्षेत्र सात हजार करोड़ रुपये देता है। लेकिन सुविधा के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। मध्य प्रदेश के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार रेलवे के द्वारा होगा, ऐसी उम्मीद हमने कभी नहीं की थी। लालू जी से हम कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी निवेदन कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश देश का ह्रदय स्थल है। चारों तरफ की ट्रेनें वहां से होकर गुजरती हैं। हमारी राज्य सरकार आपके रेलवे ट्रैक को जितनी सुरक्षा देने का काम करती है, उतना शायद कोई नहीं देता। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार बंद होना चाहिए। खास तौर पर सतना के साथ, जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, उसके बारे में मैं अभी लिखित रूप से भी दूंगा, चूंकि समय कम है। इसलिए मेरे क्षेत्र की जो वास्तविक समस्याएं हैं और हमारी मांगे हैं, उन्हें मैं लिखित में भी देने का काम करूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*यात्री सुविधाए लगातार प्राइवेट लोगों को दी जा रही है, जिससे क्वालिटी खत्म होती जा रही है।

लालू जी ने स्वदेशी, तथा लोगों को रोजगार देने की बात कही थी।

लेकिन कुल्हड, खादी के चादर, परदे मठा, दही, का उपयोग होने वाला था वह सब खत्म हो गया।

निजी कम्पनियों को प्लास्टिक बंद सभी खाद्य पदार्थों को स्टेशनों में तथा गाड़ियों में बेचने की अनुमति दी जा रही है।

इन्ही कारणों से करोड़ों लोगों के साथ से छोटे-छोटे धन्धे छुट गये।

कई गाड़ियां पिछले वर्ष 40 [illegible] इस बार 63 ट्रेने चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

इनमें अधिकांश वही रूट है जहां हर वर्ष नये ट्रेन दी जाती रही है।

मैं किसी राज्य का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मध्य प्रदेश की लगातार उपेक्षा की गई है यह उल्लेख जरूर कर रहा हूं।

मैंने रीवा से सतना होते हुए मुम्बई की ट्रेन मागी थी जो नहीं मिली।

मैंने चित्रकुट से मैहर के बीच डी.एम.यू. चलाने की मांग की थी यहां वर्षों से करोड़ो तीर्थयात्री आते जाते है लेकिन नहीं मिली।

राजकोट एक्सप्रेस जो कि कटनी में 10 घन्टे खड़ी रहती है 100 किलो मीटर सतना तक बढ़ाये जाने की मांग की थी नहीं की गई।

कटनी से इलाहाबाद

रीवा से मानिकपुर झांसी तक लाइन का दोहरी कारण तथा विद्युतीकरण करने की लगातार मांग की है। परन्तु नहीं हुआ।

मैहर में ओवर ब्रिज की मांग की थी रेलवे ने नहीं बनाई लेकिन भूतल परिवहन विभाग ने बी.ओ.टी. में बनाने की स्वीकृति पिछले वर्ष दे दी।

अब मैं रेलवे से मैहर में एन.एच. रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनाने की मांग करता हूं।

सतना से मैहर के बीच लमरगंवा के पास गावेरांव मोड़ एवं मैहर के वार्ड-10 करया पानी रेलवे क्रासिंग पर फाटक लगाने की मांग पर आज तक विचार नहीं किया गया।

जबलपुर मुम्बई गरीब रथ को रीवा से चलाया जाये तथा सप्ताह में 3 दिन किया जाए।

रीवा इलाहबाद नयी डी.एम.यू चलाई जाये

सतना से चलने वाली अप एवं डाऊन दिशा की और चलने वाली गाड़ियों को पूर्व में सभी श्रेणियों में आरक्षण वी.आई.पी. कोटा था जो वर्तमान में खत्म कर के जबलपुर कर दिया गया है पुनः बहाल किया जाये।

दुर्ग गोरखपुर दुर्ग कानपुर से प्रतिदिन किया जाए।

*...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

रीवा से नई दिल्ली वाली गाड़ी समय परिवर्तित कर सुबह 9 बजे तक दिल्ली पहुचाया जाए।

जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस का समय परिवर्तन कर दिल्ली 9 बजे तक पहुचाया जाए।

रीवा से भोपाल चलने वाली एक्सप्रेस को हबीबगंज तक बढ़ाया जाये।

मझगवा जैतवारा सतना मैहर में चौथा प्लेट फार्म व पैदल पथ बनाया जाए खुरहा, लगरगंवा, मदनपुर रेलवे स्टेशनों की ऊंचाई बढ़ाई जाए।

खन्ना पंजारी में हाबड़ा जैतवारा में कामयनी वगहाई में रीवा से जबलपुर के बीच चलने वाली इन्टरसिटी का उचेहरा, अकहरा, मुकैठी में स्टापेज दिया जाए।

सतना-रीवा मिर्जापुर नये रेल लाइन बनाई जाए।

5 वर्ष में लालू जी ने गरीब का शब्द बहुत इस्तेमाल किया लेकिन गरीब को कुछ मिला नहीं।

200 एक्सप्रेस गाड़ी सुपर फास्ट बनायी गई लेकिन सुविधा न के बरबार है उल्टे किराया बढ़ गया।

ट्रेन के डिब्बे आऊटडेटेड है।

राज्य सीमा पुलिस जी.आर.पी. जो रेलवे की सुरक्षा में रहती है उनके परिवार को रियायती पास दिया जाए।

देश की सड़को में ओवर लोड न्यायालय ने बंद कर दिया है।

लेकिन लालू जी ने माल गाड़ियों में लदान बढ़ा दिया है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए।

रेल लाइन के बीच पहले लोहे के स्लीपर लगते थे अब उनकी जगह सीमेन्ट कै स्लीपर लगाये जा रहे है जो लोहे के स्लीपर लगे थे उन्हे निकाल कर बेचे गये है उनमें व्यापक भष्ट्राचार किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए।

पिछली बार रिटर्न रिजर्वेशन पर जो 15 रुपये का अधिभार दिया गया था उसे वापस नहीं लिया गया।

रेलमंत्री जी ने जो यात्रियों से रियायत देने की बात कही है। लेकिन इसे वापस नहीं किया गया।

छात्राओं को, महिलाओं को, उर्दू जानने वालों को, एडस पीडित को, दी जाने सुविधा स्वागत योग्य है परन्तु छात्रों को वंचित रखना गलत है।

एड्स पीड़ित के अलावा कैंसर पीड़ित, किडनी, हार्ट, एवं आंख पीड़ितो से रेलवे में 50 प्रतिशत की छुट दी जाए।

अखबारों ने लिखा है कि 70 प्रतिशत घोषणाओं पर अभी तक नहीं हुआ।

किराया ना बढ़ाकर ऊपरी आलोचनाओ से रेल मंत्री जी ने अपने को बचा लिया। लेकिन

रेलवे की दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है जहर खुरानी लूट छीना छपटी आम हो गया है।

सफाई सुरक्षा और अच्छा भोजन एवं अच्छे चाय-पानी में व्यापक सुधार किये जाने की जरूरत है।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री एस.के. खारवेनथन बोलेंगे। आपका आवंटित समय सांय 6.00 बजे समाप्त होगा। कृपया संक्षेप में बोलें। मैंने आपको बोलने का समय दिया है।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, आपका धन्यवाद। मैं 6.00 बजे तक अपनी बात समाप्त करूंगा।

सर्वप्रथम, मैं रेल बजट 2008-2009 और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2008 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इरोड और पलानी को जोड़ने दिण्डीगुल और विलुपुरम रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की नई परियोजना को स्वीकृति देने तथा डिण्डीगुल-कोयम्बतूर लाइन के आमान परिवर्तन हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए मैं, माननीय रेल मंत्री श्री लालूजी और माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वेलुजी का भी धन्यवाद करता हूं।

मेरे मित्र और पूर्ववक्ता माननीय श्री गणेश सिंह ने इस बजट की व्यापक आलोचना की है। मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष कतिपय तथ्य रखना चाहता हूं।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

हमारे माननीय मंत्रियों की कड़ी मेहनत के कारण अतिरिक्त नकद राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2005 में, यह मात्र 9,000 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2006 में यह बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए हुई तथा वर्ष 2007 में यह राशि बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गयी। वर्ष 2008 में यह 25,000 करोड़ रुपए है। संचालन अनुपात भी 78 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 में सकल यातायात प्राप्तियां (जीटीआर) 10,000 करोड़ रुपये थी। उन दिनों रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती थी। 2007-08 के लिए जी.टी.आर. 72,755 करोड़ रुपए होगा और वर्ष 2008-09 में इसका लक्ष्य 81,901 करोड़ रुपये रखा गया। यह हमारे रेल मंत्री और रेलवे प्राधिकारियों की महान उपलब्धि है।

आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे मालगाड़ियों में सामान की ढुलाई से धनार्जन कर रही है। राजग शासनकाल में, वर्ष 2003-04 में रेलवे ने 557.39 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। वर्ष 2004-05 में यह आंकड़ा 602.10 मीट्रिक टन था। वर्ष 2005-06 के लिए यह आंकड़ा 665.51 मीट्रिक टन, वर्ष 2006-07 के लिए यह 725.75 मीट्रिक टन और वर्ष 2007-08 के लिए यह 790 मीट्रिक टन होगा। यह एक अन्य बड़ी उपलब्धि है कि वर्ष 2007-08 में रेलवे 790 मीट्रिक टन माल की ढुलाई तथा 7058 करोड़ यात्रियों का आवागमन करायेगा। अत: रेलवे देश की गरीब जनता को यह सब सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 1950-51 के दौरान सवारी डिब्बों की संख्या 13109 थी जबकि वर्ष 2006-07 39,896 हो गई है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष के रेल बजट में नई लाइनों के लिए 1730 करोड़ रु. आमान परिवर्तन के लिए 2489 करोड़ रु. और विद्युतीकरण के लिए 626 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। उन्होंने केवल महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए ही 650 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की है। सामाजिक सुरक्षा के संबंध में रेल मंत्री जी ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और सभी वरिष्ठ नागरिकों 50 प्रतिशत रियायत दी है। उन्होंने डिग्री पाठ्यक्रम तक की लड़कियों को और 12वीं कक्षा तक के लड़कों को निशुल्क मासिक सीजन टिकट भी दिए हैं। उन्होंने एड्स के रोगियों के लिए भी 50 प्रतिशत की रियायत दी है। उन्होंने एसी-I के किराए में 7 प्रतिशत और एसी-II के किराए में 4 प्रतिशत की कमी की है।

इस अवसर पर, मैं देश विशेषकर तमिलनाडु की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। श्री पेरूंबदूर चेन्नई के पड़ोस में एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह कार उद्योगों और सेलफोन उद्योगों का केंद्र है। यहां पर प्रसिद्ध वर्दराजन मंदिर भी है। यह संत समानुजर का जन्मस्थल भी है। इसके अतिरिक्त, यह वह स्थान है जहां हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी। काफी लंबे समय से मांग है कि अवाडी और श्री पेरूम्बदूर को जोड़ा जाए। 27.12.1995 को नई लाइन हेतु सर्वेक्षण का आदेश दिया गया और सर्वेक्षण रिपोर्ट 3.4.1997 ? को प्रस्तुत की गई थी। इस लाइन की लम्बाई लगभग 25.6 किलोमीटर है और इसकी लागत 60.11 करोड़ रुपये होगी। प्रतिफल की दर 14.05 प्रतिशत है। इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1992 में 14 प्रतिशत के प्रतिफल पर नई लाइन को स्वीकृति देने हेतु मानदंड निर्धारित किया था। मैं निवेदन करूंगा कि 14 प्रतिशत तक पहुंचना नई लाइन के लिए संभव नहीं होगा। नई लाइन की स्वीकृति देने हेतु इस शर्त को पूरी तरह हटाए जाने की आवश्यकता है। वे वर्ष 1992 की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, दिण्डीगुल दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण स्थल है। दिण्डीगुल-कोयम्बटूर लाइन केरल में बीच में पोल्लाची और पालघाट को भी जोड़ रही है। यह लाइन दो राज्यों को भी जोड़ रही है। वर्ष 2007 के दौरान आमान परिवर्तन हेतु केवल 30 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई थी और अब 65 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। यह धनराशि पर्याप्त नहीं होगी। अत:, और अधिक धनराशि आबंटित करनी होगी।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाली चामराजनगर-सत्यमंगलम लाइन है। यह परियोजना लंबित है। अत:, इस परियोजना की भी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

अब, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचल क्षेत्र में ईरोड-पलानी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वहां एनगियुर पुल है। रेलवे के इस ऊपरि पुल का तीन या चार वर्ष पूर्व आदेश दिया गया था। नब्बे प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और केवल 10 प्रतिशत लंबित है। इसके कारण लोग इस रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाते हैं। बड़ी संख्या में लोग पलानी हिल मंदिर जा रहे हैं। वहां अन्य मंदिर भी हैं। अत:, इस कार्य को तत्काल पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

चेन्नीमलाई के निकट सिपकोट उद्योग हैं। वहां लगभग 2500 उद्योग हैं। कोयम्बटूर-सेलम लाइन सिपकोर उद्योगों और चेन्नीमलाई के बीच से जा रही है। हज़ारों व्यक्ति रेल लाइन पार करके कारखानों में जा रहे हैं। वहां पर रेलवे लाइन ऊपरिपुल की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है।

सायं 6.00 बजे

मैं एक और नए सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं क्योंकि तिरूपुर हौजरी उद्योग का केंद्र है। भारत सरकार को निर्यात से प्रतिवर्ष 11,000 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है।

करूर एक और वस्त्र उद्योग वाला नगर है। यहां हजारों की संख्या में विद्युत करघा उद्योग हैं। इसके रास्ते में कनेगेयम और वेलाकोइल नामक प्रसिद्ध स्थल हैं। तिरूपुर कनेगेयम वेलाकोइल और करूर को जोड़ते हुए एक नया सर्वेक्षण स्वीकृत करना होगा।

दिण्डीगुल मेरा जिला मुख्यालय वस्त्र मिलों का केन्द्र है जहां 132 वस्त्र मिलें हैं। रामेश्वरम के निकट एक अन्य महत्वपूर्ण कस्बा कारैकुडी है। कारैकुडी और दिण्डीगुल को जोड़ने वाली नई रेल लाइन को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है। ये सारे मामले मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

मैं तमिलनाडु की जनता की और से अपने माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी और श्री वेलु जी को तमिलनाडु हेतु 903 करोड़ रुपये; 51 करोड़ रुपये नई मुख्य लाइनों, 475 करोड़ रुपये आमान परिवर्तन और 231 करोड़ रुपये की धनराशि दोहरीकरण हेतु आबंटित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय मंत्री श्री लालू जी और श्री वेलु जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि ईरोड-पलानी की गई परियोजनाओं हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करें और स्थल सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण हेतु तत्काल कार्रवाई करें।

मैं रेलवे द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु पुनः माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी, श्री वेलु जी और श्री राठवा जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने रेल संशोधन विधेयक 2008 भी पुर:स्थापित किया है। इससे पुराने अधिनियम का पालन करने के बजाय भूमि अधिग्रण कार्य आसान हो जाएगा। इसलिए, हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों सायं 6.00 बज चुके हैं। यह चर्चा सोमवार को भी जारी रहेगी।

यदि सभा सहमत हो तो मैं अब शून्य काल शुरू करूगा।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को केवल एक मिनट तक बोलने की अनुमति दूंगा। श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद मैं एलआईसी के फील्ड वर्करों द्वारा आज किए गए संसद मार्च के आलोक के में सभा के समक्ष कुछ संगत मुद्दे रखना चाहूंगा।

विकास संवर्ग के 2100 कर्मचारियों की विधि-संगत शिकायत है कि विकासोन्मुखी प्रोत्साहन बोनस योजना (जीओआईबीएस 2004) के प्रस्ताव को एक तरफ कार्यान्वित किया गया था। योजना के परिणामस्वरूप प्रोत्साहन में 50 से 90 प्रतिशत तक की कमी आई और विपणन व्यय घटा। एलआईसी का बाजार हिस्सा वर्ष 2004 में 88 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2007 में 64 प्रतिशत हो गया है जिससे इस संस्था का कार्य निष्पादन बिगडा है। वे इस बात से और अधिक निराश हैं कि इस सभा में वित्त मंत्री द्वारा उनसे किए गए वादे-अर्थात विशेषकर प्रतिस्पर्द्धात्मक परिदृश्य में अनिवार्य अभिप्रेरणा हेतु प्रोत्साहन योजना की वित्त वर्ष 2005 के पश्चात समीक्षा होगी-को पूरा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के कार्य के मानदंडों

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

के संबंध में एनएफआईएफडब्ल्यूआई और भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच हुए समझौते पर एकतरफा परिवर्तन हेतु विचार किया जा रहा है।

इनके साथ ही, इस समय स्टॉक बाजारोन्मुखी यूलिप पोलिसियों- जिनमें पालिसी धारकों द्वारा पूरा जोखिम उठाया जाता है, में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है- को बेचने पर ध्यान के परिणामस्वरूप अवसंरचना विकास हेतु धनराशि में कमी आई है। इनमें एलआई जैसी समय-सम्मानित संस्था के भविष्य हेतु गंभीर विवक्षाएं हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में एक अति लोक महत्व का मुद्दा उठाने के लिए मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

आज पूरे भारतवर्ष में एल.आई.सी. के कर्मचारी और अधिकारी राम लीला मैदान में धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर-मंतर रोड पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान के एमपीज़-चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों-उनको यह बात मालूम है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके वेतन और प्रोमोशन में काफी भेद-भाव किया गया है। यह एक तरीके से गलत बात है। मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि पूरे देश के एल.आई.सी. के कर्मचारियों और अधिकारियों की भावनाओं का आदर करते हुये सरकार उन पर विचार करे।

श्री गणेश सिंह : श्री शैलेन्द्र कुमार ने जो मुद्दा उठाया है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : श्री शैलेन्द्र कुमार ने जो मुद्दा उठाया है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, न जाने कितने समय पहले पूरे देश में बड़ी संख्या में कवियों, विद्वानों और भक्तों ने भगवान शिव और भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए अपनी-अपनी भाषाओं में गीत और कविताएं लिखी हैं। चार सबसे अधिक श्रद्धेय शैत संतों-अपार सुंदर, संवांदर और मनिक्कावसागर-और अन्य नयनमार्स ने भगवान शिव का गुणगान करते हुए बहुत-सी कविताएं संकलित की हैं और लिखी हैं। देवरान और तिरूवसगम महत्वपूर्ण तमिल साहित्य के भाग हैं। हाल ही में तमिल ओड्यूवर्स ने श्री चिदंबरम नटराजन मंदिर में देवराम और तिरूवसगम गाने का प्रयास किया, जहां पर वाम की पत्तियों पर लिखे गए उपर्युक्त भजनों को 1000 वर्षों पूर्व प्रसिद्ध शासक राजा चोल द्वारा पाया माना गया था। उस समय, आठ अधिवक्ताओं सहित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय ओड्यूवर और भक्त अन्य भाषाओं में गीत गाने की वर्तमान पद्धति के विरूद्ध नहीं थे।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह श्री चिदंबरम नटराजन मंदिर में देवराम और तिरूवसगम गाने वाले ओड्यूवर्स और भक्तों की रक्षा करने हेतु कदम उठाए। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में आज सूखे की स्थिति है। बुंदेलखंड के साथ साथ औरैया, कानपुर देहात और फतेहपुर की जो सीमा है, वहां भी सूखे की स्थिति है। वहां किसान सूखे की मार झेल नहीं पा रहे हैं, वहां के जानवर बिना पानी के मर रहे हैं। आज की स्थिति में जिन किसानों ने फसल नहीं बोई थी, उनकी तो दयनीय स्थिति है ही, लेकिन जिन किसानों ने फसल बो दी है, आज उनको समय पर पानी न मिलने से दोहरा नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि औरैया से कानपुर देहात के बीच मूसानगर और घाटमपुर पड़ता है, यदि वहां यमुना नदी पर एक बांध बना दिया जाए तो निश्चित ही जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और साथ ही साथ फतेपुर से इलाहाबाद, कानपुर देहात, औरैया और इटावा तक के किसानों को भरपूर पानी मिल सकेगा और जो सूखे की स्थिति बार बार आती है, उससे निपटा जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : मैं सरकार का ध्यान हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना

चाहता हूं। पहले भी, इस सभा में मैंने यह मुद्दा उठाया था और अध्यक्षपीठ ने उसका सकारात्मक उत्तर दिया है लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यह हमारी स्वतंत्रता का इकसठवां वर्ष है। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूल रहे हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। केन्द्र सरकार पहले ही हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विभिन्न स्वतंत्रता संघर्षों को मान्यता दे चुकी है।

इसी मूल्यांकन के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों ने निगरानी समितियां गठित की हैं और इन निगरानी समितियों ने उन पात्र व्यक्तियों का मूल्यांकन अथवा पहचान की है जो राज्य योजना के अंतर्गत पेन्शन प्राप्त करेंगे। लगभग सभी राज्य निर्णय ले चुके हैं और केन्द्र सरकार ने भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन दी है। तथापि, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को यह पेन्शन देने से इन्कार किया गया है और मना करने का भी कोई वैध कारण नहीं है। जो स्वतंत्रता सेनानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं, उन्हें पेन्शन मिल रही है लेकिन जो व्यक्ति बीमारी के कारण बिस्तर में हैं अथवा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हैं वे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायलय नहीं जा सकते हैं क्योंकि वे वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं। आप पाएंगे कि उन्होंने केरल में कय्यूर, करीवालूर, पुन्नापुरा वायालार; पश्चिम बंगाल में तेभाग; आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में और अनेक अन्य संघर्षों में भाग लिया है। उदाहरणार्थ, यदि आप गोवा को लें तो 'रायल इंडियन नेवी' (आर आई एन) को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा माना गया था लेकिन मात्र कुछ ही लोगों को पेन्शन दी गई। इस समय भी सरकार द्वारा इन लोगों को कोई महत्व न देने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार अनेक चीजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या अत्यंत सीमित है। अत:, मैं सरकार से इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है मैं अपने आपको उससे संबद्ध करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं भी स्वयं को उनसे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : मैं भी स्वयं को उनसे संबद्ध करती हूं।

सभापति महोदय : सदस्य स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं सूखे एवं अकाल के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। देश के कई राज्यों में कम वर्षा के कारण अकाल एवं पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। प्रदेश में 48 जिलों में से 39 जिलों की 164 तहसीलें भयंकर सूखे की चपेट में हैं। किसान पूरी तरह से निराश हो चुका है तथा कर्ज के बोझ से लद चुका है, इसलिए मजबूरन आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है। पूरे क्षेत्र में भुखमरी तथा पलायन की स्थिति निर्मित हो गई है। केन्द्र सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न देती थी, उसमें भी कटौती कर ली गई है। पेयजल के सभी स्रोत पूरे जिले में सूख गए हैं। मैंने सतना के लोगों का पीने का पानी देने के लिए 110 किलोमीटर लम्बी दूरी तय करके, माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प के मुताबिक बाण सागर से पानी ला करके लोगों को दे रहे हैं।

महोदय, प्रदेश सरकार ने 24242 करोड़ का पैकेज सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु मांग की है। इसी बीच केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी वहां की भयावह स्थिति को देखा है, किन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक केन्द्र सरकार ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्र ने जो सीआरएफ में 269.29 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया था, वह जनवरी, माह में ही खत्म हो चुका है।

महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रभावित क्षेत्र के किसानों के पूरे कर्जे माफ किए जाएं। साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार की मांग के अनुसार 24244 करोड़ की तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता : सभापति महोदय, केरल राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य है। यद्यपि साक्षरता में यह राज्य सबसे आगे है लेकिन उच्चतर शिक्षा के मामले में यह अन्य अधिकार राज्यों से पीछे है। राज्य के विकास के लिए उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उच्चतर शिक्षा में काफी वृद्धि करने की शीघ्र आवश्यकता है। राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

कमी है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से एक आईआईटी स्थापित करने का अनुरोध कर रही है। स्थान और आवश्यक भूमि की पहचान की जा चुकी है और केन्द्र सरकार को सूचित किया जा चुका है। तथपि, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं सरकार से इस मांग को पूरा करने और शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करती हूं ताकि आईआईटी का लंबित स्वप्न बिना और विलंब के पूरा हो सके।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोब्बिली) : सभापति महोदय, विमानपत्तन के उन्नयन के भाग के रूप में विशाखापत्तनम विमान पत्तन पर 10,000 फीट का रनवे; रात्रि अवतरण (लेन्डिग) सुविधाएं; और उपकरण आधारित अवतरण (लेन्डिग) प्रणाली शुरू कर दी गई है। अनेक अन्य सुविधाओं यथा नया समेकित टर्मिनल परिसर, ऐसे ब्रिज, बैगेज बेल्ट, एयरलाइन काउंटर्स और पार्किंग क्षेत्रों का कार्य प्रगति पर है। विशाखापत्तनम विमानपत्तन पर ए-320 विमानों ने भी अवतरण (लेन्डिग) शुरू कर दिया है। वर्तमान में, इस विमानपत्तन का स्वीकृत कार्य समय पूर्वाह्न 08.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक है।

विभिन्न कारकों यथा विजाग इस्पात संयंत्र का विस्तार, एचपीसीएल के ग्रीन फील्ड तेल शोधक कारखाने की स्थापना, बीएआरसी की स्थापना, नौसेना का अड्डा (बेस), गंगावरम पत्तन, टेक्सटाइल पार्क, फार्मा सिटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां और व्यवसायिक महाविद्यालय के कारण पिछले कुछ वर्षों में विशाखापत्तनम में गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान है कि 2008 तक विशाखापत्तनम विमानपत्तन प्रयोग करने वालों की संख्या दस लाख लाख हो जाएगी। अनेक अन्य क्षेत्रीय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स विशाखापत्तनम से शाम को देर से उड़ान प्रचालित करने में गहरी रूचि दिखा रही हैं। इसके मद्देनजर, विशाखापत्तनम विमानपत्तन पर चौबीसों घंटे प्रचालन सुविधा आवश्यक है।

विशाखापत्तन विमानपत्तन पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता के प्रस्ताव को नौसेना की आवश्यकताओं से अलग करने का अनुरोध है और वित्त मंत्रालय को इसे यथा शीघ्र मंजूरी देनी चाहिए। विशाखापत्तनम विमानपत्तन पर परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और (उपलब्ध) सुविधाओं के प्रभावी प्रयोग के लिए, इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दी जाए ताकि विजाग विमानपत्तन में चौबीसों घंटे प्रचालन सुविधायें चालू रहें।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, राजस्थान में निवास करने वाले पांच करोड़ राजस्थानी, देश के अन्य भागों में और विदेशों में निवास करने वाले तीन करोड़ राजस्थानी इस बात से बहुत तकलीफ पा रहे हैं कि आजादी के 60 साल बाद भी राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं उन दुर्भाग्यशाली सांसदों में से हूं जो अपनी मातृभाषा में इस सदन में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है, जो कि मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती को मिलाकर के बनी है। इसका बहुत पुराना लिटरेचर है। इस सदन में माननीय सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है। मानसून सत्र में गृह मंत्री जी ने इस सदन को आश्वासन भी दिया था कि भोजपुरी के साथ-साथ राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में लाने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि शीतकालीन सत्र भी चला गया है, लेकिन उस विधेयक को नहीं लाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने वाला विधेयक लाकर के आठ करोड़ राजस्थानियों की आशा की पूर्ति की जाए।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं माननीय सदस्य द्वारा अभी-अभी उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

डा. मनोज, आपका मुद्दा पहले ही तीन बार उठाया जा चुका है। केवल आज ही, दो सदस्य इसका जिक्र कर चुके हैं।

डा. के.एस. मनोज : मेरे पास बताने के लिए कुछ और बिन्दु है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बीमा कर्मचारियों की मांगों के बारे में है। यह मुद्दा अनेक संसद सदस्यों द्वारा उठाया जा चुका है। आप उनके साथ संबद्ध हो सकते हैं। अन्यथा, आप अपने बिन्दु बता सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज : आज एलआईसी के विकास अधिकारियों ने एक सुरक्षित एलआईसी की मांग करते हुए 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्यूरेन्स फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया' के तत्वावधान में संसद भवन के निकट धरना दिया। नई आर्थिक नीतियों, आईआरडीए और भारत द्वारा अपनाए गए रूख के कारण एलआईसी अस्थिरीकरण की ओर बढ़ रहा है। एलआईसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उपक्रम है। यह केवल देश के करोड़ों लोगों का बीमा ही नहीं करता बल्कि विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों भी देता है। इस प्रकार, यह सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन सरकार इसे अस्थिर करने के लिए कदम उठा रही है। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों, केवल घरेलू ही नहीं अपितु विदेशी कम्पनियां भी, लाने के लिए और समान प्रतियोगी वातावरण प्रदान करने के लिए, कुछ कदम उठाए गए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहां घंटों से बैठा हूं।

(व्यवधान)

डा. के.एस. मनोज : तो मैं केवल मांगों तक सीमित रहूंगा। ये मांग हैं कि एलआईसी को एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनाए रखा जाए; बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी रोकें; एलआईसी पालिसियों के लिए संप्रभु गारंटी की रक्षा की जाए; और विकास अधिकारी जिन पर अधिक कार्यभार डाल दिया गया है, से वापस लिए गए लाभ और प्रोत्साहनों को बहाल किया जाए। ये मुख्य मुद्दे हैं। इसलिए, उन्होंने धरना दिया। पहले वे वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहे थे तब उनको कुछ आश्वासन दिए गए थे लेकिन ये पूरे नहीं किए गए। अत:, मैं सरकार से इन विकास अधिकारियों और एलआईसी एजेन्टों की मांगों पर विचार करने और एलआईसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाए रखने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : श्री अबु अयीश मंडल। आप एलआईसी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। आप उनके साथ संबद्ध हो सकते है।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा) : उनके साथ संबद्ध होते हुए, मैं चंद शब्द कहना चाहता हूं।

इस मुद्दे के साथ संबद्ध होते हुए, मैं एक ज्वलंत समस्या उठाना चाहता हूं जो श्री वीरेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य पहले ही उठा चुके हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10.12.2004 को इस मुद्दे पर सभा में 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' के रूप में भी चर्चा हुई थी, लेकिन वित्त मंत्री के प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के आश्वासन के बावजूद, अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री से इस मुद्दे को युद्ध-स्तर पर लेने का आग्रह करता हूं और साथ ही एलआईसी प्रबंधन से भी यह कहूंगा कि वह कार्य-शर्तों का संकट निपटाने और एलआईसी को को बचाने के लिए एजेन्टों तथा विकास अधिकारियों के कल्याण हुए प्रोत्साहन नीतियों से बचें।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : धन्यवाद सभापति महोदय।

यह मुद्दा विशाखापत्तन जिले में अवैध बॉक्साइट खनन से संबंधित है। संविधान के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पर विचार किए बिना, दो निजी कंपनियों- जेडएसडब्ल्यूए लिमिटेड और आरएएस एएल खाईमा को बॉक्साइट खनन की अनुमति दी गई थी। न तो वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया और न ही सार्वजनिक सुनवाई हुई। जीएसआई द्वारा सर्वेक्षण भी नहीं किया गया।

बॉक्साइट जेरेला खंड, गलीकोंडा, रक्थाकोंडा और चिट्टीगोंडा में मौजूद है जो हमारे संविधान की पांचवीं अनुसूची में आते हैं। 1996 के पीईएसए अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा संचालित किए बिना इस क्षेत्र में खनन असंवैधानिक और अवैध है। सैंकड़ों आदिवासी ग्रामीणों को विस्थापित करने के अलावा खनन से वातावरण में प्रदूषण भी होगा।

अत;, मैं खान मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निम्नलिखित उपाय करने का आग्रह करता हूं: (1) दोनों निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन रद्द करें क्योंकि इससे सभी वैध प्रक्रिया ए गौण हो गई हैं। (2) मकवरपालम और बोद्दावरा में एल्यूमीनियम शोधन कारखानों का निर्माण रोका जाए। (3) वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधि से कराएं और (4) ग्राम सभाओं सहित स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श और चर्चा करें।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय सभापति जी, कोल इंडिया की पश्चिमांचल, अर्थात् डब्ल्यू.सी.एल. इकाई के चन्द्रपुर में पिछले चार मार्च से कुल चार कामगार मजदूर संगठनों ने स्ट्राइक प्रारम्भ की है। इस स्ट्राइक की वजह से वहां कोल का उत्पादन ठप्प

[श्री हंसराज गं. अहीर]

हुआ है। वहां का जो मैनेजमेंट है, इन्होंने सभी यूनियनों की मांग के खिलाफ और कोल इंडिया की नीति के खिलाफ वहां पर कोल आउटसोर्सिंग प्रारम्भ किया है। इस वजह से अनेक मजदूर और काफी मशीनरी वहां पर खाली पड़ी हुई है, अनेक मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जबकि कोल इंडिया की जितनी भी सभी ट्रेड यूनियन हैं, उनके साथ जो सेवंथ वेज बोर्ड का समझौता हुआ था, उसमें आउटसोर्सिंग नहीं किये जाने की बात कही गई थी। सी.ई.एल. की नीति भी यही है कि कोल की आउटसोर्सिंग नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी डब्ल्यू.सी.एल. की नागपुर स्थित इकाई के जो सी.एम.डी. हैं और वहां के जो टैक्नीकल डायरैक्टर हैं, इन्होंने लोगों से मिलकर वहां उनकी कम्पनी को काम दिया हुआ है। इसकी वजह से कामगारों में, मजदूरों में भारी रोष है।...*(व्यवधान)*

यह महत्व का विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह गलत नीति अपनाकर वहां जो आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, उसको तुरन्त रोका जाये और चार मार्च से जो कोयले का उत्पादन रुका हुआ है, इससे राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है और मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार तुरन्त इस आउटसोर्सिंग को रोकने हेतु पहल करे और संबंधित सी.एम.डी. को इस विषय में नोटिस दिया जाये।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, आज विमुक्त, घुमन्तु और बंजारा समाज के लोग जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र जैसी सुविधाएं पूरे देश के घुमन्तु, बंजारा और विमुक्त समाज को दी जायें। इसके लिए संविधान में संशोधन हो। देश के हर बंजारा टांडा को रेवेन्यु गांव का दर्जा मिले और उनको ग्राम पंचायत मिले। सात करोड़ बंजारा समाज जो गौर बोली बोलता है, उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये और विमुक्त, घुमन्तु समाज के लिए बजट प्रोवीजन हो, जैसा एस.सी. एस.टी. के लिए प्रोवीजन होता है।

वहां आज एक जो घटना घटी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज वहां एक भंयकर घटना घटी है। रफी मार्ग पर मावलंकर हॉल है, जिसकी इसी सम्माननीय हाउस के अंतर्गत देखभाल होती है। आज जब बंजारा विमुक्त, घुमन्तु समाज के लोग वहां गये तो उनको पानी तक नहीं दिया गया। वहां पानी का अरेंजमेंट नहीं था। वहां स्टेज पर जो कुर्सी लगानी चाहिए थी, वह नहीं लगाई थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहां पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है।* मेरी आपसे मांग है कि जो 15 करोड़ लोग देश में हैं, इसके ऊपर आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया है, हम बार-बार यह प्रश्न उठाते हैं।

महोदय, मैं अकेला ऐसा एमपी हूं जो डिनोटीफाइड नोमैडिक ट्राइब्स ग्रुप का हूं। आज तक साठ साल हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनके लिए डाक्ट्रेट के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से स्कालरशिप रखी थी, लेकिन इन्होंने स्कालरशिप भी बंद कर दी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत के (भाषण के) अलावा, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, राजस्थान के बीचोंबीच स्थित अजमेर नगर प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक तथा शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर साम्प्रदायिक सौहार्दता के लिए प्रख्यात है। यहां पर सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की पवित दरगाह है, जहां देश के लाखों लोग जियारत करने आते हैं। अजमेर के पास ही पुष्कर नाम सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र है, जहां लाखों लोग प्रतिवर्ष दर्शनार्थ एवं पुष्कर स्नान करने के लिए आते हैं।

अजमेर चौहान सम्राटों की राजधानी रहा। वीसलदेव चौहान के समय यहां एक प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसे अब ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। मुगल काल में भी हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अजमेर तशरीफ लाए थे। अंग्रेजों के जमाने में अजमेर बना रहा और वर्ष 1956 तक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश रहा। मान्यवर, अजमेर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है। यहां पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा दी जाती रही है। यहां को मेयो कालेज जहां सारे देश के लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, गवर्नमेंट कालेज अजमेर जहां सात हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, यह राजस्थान का सबसे बड़ा और पुराना कालेज है, दयानंद कालेज, सोफिया कालेज, सावित्री कालेज, रीजनल कालेज, टीटी कालेज सभी कालेज यहां पर

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।
**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, लेकिन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनायी हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अजमेर के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। अतः एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाए, धन्यवाद।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : महोदय, मैं देश की विभिन्न जेलों में आए-दिन हो रहे जुर्म की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश भर की विभिन्न जेलों में जेल तोड़ने की घटनाएं घटी हैं, आत्महत्या की घटनाएं घटी हैं और ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि प्रतिदिन जेल में कोई न कोई आत्महत्या होती है। यहां की प्रसिद्ध तिहाड़ जेल की हालत सबसे बद्तर है। पिछले तीन माह में 6 से अधिक लोग आत्महत्या को विवश हुए हैं। रोज कैदियों की पिटाई होती है, यातना दी जाती है, वार्ड से ट्रांसफर किया जाता है। इसी जेल में सांसद श्री पप्पू यादव जी भी हैं, इसी जेल में कई पालिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसी जेल में सजायाफ्ता कैदी भी हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाओं के साथ बद्सलूकी होती है, यौन शोषण का यह केंद्र हो गया है। यहां के अधीक्षक को तत्काल यहां से हटाया जाए, वरना कोई अप्रिय घटना तिहाड़ जेल में हो सकती है और इस पर रोक लगायी जाए। गृहमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा सोमवार पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.28 बजे

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 10 मार्च, 2008/ 20 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रामदास आठवले	101
2.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	102
3.	श्री अमिताभ नन्दी श्री हरिभाऊ राठौड़	103
4.	श्री हंसराज गं. अहीर श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	104
5.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	105
6.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	106
7.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	107
8.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	108
9.	श्री पुष्प जैन श्री एन.एन. कृष्णदास	109
10.	श्री एम. शिवन्ना श्रीमती मनोरमा माधवराज	110
11.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	111
12.	डा. एम. जगन्नाथ श्री असादूद्दीन ओवेसी	112
13.	श्री अजीत जोगी	113
14.	श्री बसुदेव आचार्य	114
15.	श्री एस.के. खारवेनथन	115
16.	श्री कैलाश मेघवाल	116
17.	श्री हरिन पाठक	117
18.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री रघुराज सिंह शाक्य	118
19.	श्री नवीन जिन्दल श्री हन्नान मोल्लाह	119
20.	श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1009, 1035
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	998, 1056, 1103
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	972, 1012, 1075, 1106, 1126
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1001, 1084, 1135
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1061, 1101, 1120, 1128

1	2	3
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1131
7.	अंगडि, श्री सुरेश	1015
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	975, 1078, 1108
9.	आठवले, श्री रामदास	1057
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1130
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	998
12.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	977, 1001, 1082
13.	बर्मन, श्री रनेन	996, 1083
14	बखला, श्री जोवाकिम	1083
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	1033, 1093
16	बिश्नोई, श्री कुलदीप	982
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1000, 1053
18	बुधौलिया, श्री राजनरायन	978
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1020
20.	चौरे, श्री बापू हरी	979
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1001, 1030, 1055
22.	देवरा, श्री मिलिन्द	1067, 1134
23.	धनराजू, डा. के.	1005, 1072
24.	धोत्रे, श्री संजय	979, 1018
25.	दूबे, श्री रमेश	1128
26.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	991
27.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1008, 1062

1	2	3
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	995, 1040
29.	गमांग, श्री गिरिधर	987
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	998, 1016, 1081
31.	गंगवार, श्री संतोष	990, 1051
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1018
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	1066
34.	जैन, श्री पुष्प	1065
35.	जयाप्रदा, श्रीमती	998, 1006, 1040
36.	झा, श्री रघुनाथ	998, 999, 1024, 1037, 1052
37.	जिन्दल, श्री नवीन	998, 1048, 1115
38.	जोशी, श्री प्रहलाद	1036
39.	कनोडिया, श्री महेश	1008
40.	करूणाकरन, श्री पी.	1014, 1080
41.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1028
42.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1065
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1067, 1134
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	976
45.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1013, 1079
46.	कृष्ण, श्री विजय	998, 1034, 1063, 1096, 1118
47.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1054, 1065, 1109, 1122
48.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	992, 997, 1037
49.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	981, 1065

1	2	3
50.	महरिया, श्री सुभाष	989, 1058
51.	महतो, श्री टेक लाल	1013, 1022, 1086
52.	माने, श्रीमती निवेदिता	995, 1040
53.	मनोज, डा. के.एस.	1132
54.	मसूद, श्री रशीद	1009
55.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	992, 998, 1063
56.	मेघवाल, श्री कैलाश	1068
57.	मिश्रा, डा. राजेश	1009, 1035
58.	मोहन, श्री पी.	998, 1001
59.	मोल्लाह, श्रीं हन्नान	1071
60.	मंडल, श्री अबु अयीश	1027
61	मुर्मू, श्री हेमलाल	1063, 1070, 1104, 1121
62.	नन्दी, श्री अमिताभ	1060
63.	नायक, श्री अनन्त	992, 1011, 1070, 1074
64.	निखिल कुमार, श्री	992, 998, 1138
65.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1041, 1067
66.	ओराम, श्री जुएल	1011, 1050, 1100
67.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	998, 1092, 1113
68.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	986, 1047, 1081, 1098
69.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1025, 1035, 1133
70.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1004, 1063, 1092
71.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	992

1	2	3
72.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	985, 1017, 1055, 1076, 1084
73.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1064, 1134
74.	पाठक, श्री हरिन	1069, 1137
75.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	993, 1049, 1099
76.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1043, 1063, 1043
77.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1059
78.	पटले श्री शिशुपाल एन.	992, 1002
79.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1013, 1090
80.	राजगोपाल, श्री एल.	1032, 1078
81.	रामदास, प्रो. एम.	992, 1019
82.	राणा, श्री काशीराम	1017, 1135
83.	राव, श्री के.एस.	973, 1004, 1042
84.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1029, 1089, 1136
85.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1094, 1116
86.	रेड्डी, श्री जी.करूणाकर	983, 1037, 1070
87.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1107
88.	रिजीजू, श्री कीरेन	1004, 1092
89.	साई प्रताप, श्री ए.	998, 1077
90.	साय, श्री नन्द कुमार	1023, 1087, 1110
91.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोस्मी	1007
92.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	998, 1044, 1102
93.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1085

1	2	3
94.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1018, 1038
95.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	988, 1004, 1138
96.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1013, 1063, 1070, 1121
97.	शर्मा, श्री मदन लाल	1010, 1021
98.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	972, 1006, 1012, 1075, 1106
99.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	992, 1019
100.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	980, 1045, 1114, 1125
101.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	984, 1076, 1107
102.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	997, 998, 1087
103.	सिंह, श्री राकेश	994
104.	सिंह, श्री रामपाल	1082
105.	सिंह, श्री रेवती रमन	1004
106.	सिंह, श्री सुग्रीव	1064, 1134
107.	सिंह, श्री सूरज	992, 1037
108.	सिंह, श्री उदय	1006, 1121
109.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1010, 1021
110	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह,	1008
111.	सोनोवाल, श्री सर्बानन्द	1085
112	सुब्बा, श्री मणी कुमार	974, 1046, 1085
113.	सुब्बारायण, श्री के.	1039, 1095, 1117, 1127, 1129
114.	सुमन, श्री रामजीलाल	997
115.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1024, 1065, 1109

1	2	3
116.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1062
117.	थामस, श्री पी.सी.	1031, 1080, 1091, 1112, 1124
118.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1004, 1063, 1092
119.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1023, 1026, 1088, 1111, 1123
120.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1030, 1090
121.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	972, 1006, 1012, 1075, 1106
122.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	995, 1040
123.	यास्खी, श्री मधु गौड	995, 1040, 1097, 1119
124.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1003, 1073, 1105

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	106, 114
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	101, 104, 107, 109, 110, 111, 115, 120
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	102, 118
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	119
योजना	:	116
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	105, 108, 117
अंतरिक्ष	:	103, 112
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	113.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	994, 1022, 1041, 1060, 1074, 1086, 1103, 1106
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	1048
पर्यावरण और वन	:	975, 981, 986, 987, 993, 995, 1003, 1008, 1011, 1016, 1025, 1028, 1030, 1031, 1043, 1045, 1046, 1050, 1054, 1068, 1080, 1081, 1083, 1091, 1124

विदेश :	992, 1000, 1004, 1012, 1051, 1053, 1067, 1107, 1111, 1123, 1133, 1134, 1135, 1137
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :	973, 976, 980, 984, 985, 988, 989, 991, 996, 997, 998, 1002, 1010, 1014, 1018, 1019, 1027, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1039, 1040, 1042, 1047, 1049, 1055, 1057, 1058, 1063, 1065, 1066, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1078, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1104, 1105, 1108, 1113, 1117, 1118, 1121, 1122, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1136
प्रवासी भारतीय कार्य :	978, 982, 1001, 1015, 1092, 1100, 1109, 1119, 1120, 1138
पंचायती राज :	972, 979, 983, 990, 1038, 1079, 1088, 1089, 1093, 1116, 1129
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन :	974, 999, 1021, 1052, 1090
योजना :	1006, 1013, 1017, 1020, 1077, 1102, 1110
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग :	1007, 1009, 1013, 1017, 1020, 1024, 1037, 1044, 1056, 1062, 1064, 1069, 1082, 1084, 1085, 1087, 1094, 1101, 1114
अंतरिक्ष :	1026
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन :	1029, 1059
युवक कार्यक्रम और खेल :	977, 1005, 1112, 1115, 1125.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/32/8/2008 (एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।